

41^{वीं} वार्षिक प्रतिवेदन 2023-2024
41st Annual Report 2023-2024



रा ह वि नि
NHDC

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

National Handloom Development Corporation Limited

(A Government of India Undertaking)

विषय सूची

लक्ष्य एवं नैगमिक उद्देश्य	4
कॉपोरेट सूचना	6
इक्तालीसवीं (41वीं) वार्षिक साधारण सभा की सूचना	8
अध्यक्ष का भाषण	12
निदेशकों की रिपोर्ट	14
निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक	30
नैगमिक अभिशासन का प्रमाण-पत्र	42
सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	74
लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	86
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	124
वार्षिक लेखे	
तुलन-पत्र	126
लाभ एवं हानि का विवरण	128
नकदी प्रवाह विवरण	130
इक्विटी परिवर्तन पर विवरण	132
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां	134
अनुदान संबंधी विवरण	200

CONTENTS

Mission & Corporate Objectives	5
Corporate Information	7
Notice for Forty First Annual General Meeting	9
Chairperson's Speech	13
Director's Report	15
Annexure to Director's Report	31
Corporate Governance Certificate	43
Secretarial Auditor's Report	75
Statutory Auditor's Report	87
Comment of The Comptroller & Auditor General of India under section 143(6) of the Companies Act, 2013	125
Annual Accounts	
Balance Sheet	127
Statement of Profit & Loss	129
Cash Flow Statement	131
Statement of Change in Equity	133
Notes to Financial Statements	135
Grants Related Information	201

लक्ष्य व नैगमिक उद्देश्य

लक्ष्य

हथकरघा की उन्नति एवम् विकास के लिये राष्ट्रीय संस्था के रूप में अपनी सेवायें उपलब्ध कराना।

नैगमिक उद्देश्य

1. आपूर्ति श्रृंखला की बेहतर प्रबंधन (सप्लाई चेन मैनेजमेंट) प्रणाली द्वारा अच्छी गुणवत्ता का कच्चा माल जैसे कि सूत, रंग व रसायन आदि उपलब्ध कराकर अपनी प्रतियोगी क्षमता को बढ़ाना।
2. उपलब्ध संसाधनों के समुचित उपयोग द्वारा अपने कार्य संचालन को औचित्यपूर्ण बनाए रखना।
3. विकास कार्यक्रमों का संचालन इस प्रकार करना कि योजनाओं/उत्पादों तथा विपणन माध्यमों आदि विषय में बुनकरों की जानकारी बढ़ाने में सहायता मिले।
4. हथकरघा क्षेत्र के विकास हेतु कार्यक्रमों के त्वरित क्रियान्वयन के लिये केन्द्र सरकार की निधियां, ऋण तथा अनुदान आदि का हथकरघा संस्थाओं तक पहुँचाने का माध्यम बने रहना।
5. प्रशिक्षण तथा परामर्श के माध्यम से कार्मिकों के योगदान में वृद्धि करना तथा उनकी जीविकावृत्ति में प्रगति के सुअवसरों को सुनिश्चित करना।

Mission & Corporate Objectives

MISSION

To serve as a National Agency for the promotion and development of the Handloom sector.

CORPORATE OBJECTIVE

1. To enhance its competitive edge in providing quality raw material i.e. yarn, dyes & chemicals through improved supply chain management.
2. To maintain viability of operations through effective utilization of available resources.
3. To take up the development programmes so as to contribute to increasing the awareness of schemes/products and marketing avenues etc.
4. To continue to act as a channel for routing Central Government funds, loans & grants to handloom agencies to aid in speedy implementation of programmes for development of the sector.
5. To ensure increasing contribution from personnel through training/counselling and to ensure career progression opportunities.

कॉर्पोरेट सूचना (वार्षिक आम बैठक की तिथि के अनुसार)

श्रीमती बीना महादेवन

(अध्यक्ष)

विकास आयुक्त (हथकरघा)

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार

श्रीमती रीता प्रेम हेमराजानी

(प्रबंध निदेशक)

श्री धीरेन्द्र कुमार

(निदेशक)

निदेशक, आईएफडब्लू

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार

श्री जितेंद्र पुरोहित

(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

सांविधिक लेखा परीक्षक

मेसेर्स एम. बी. गुप्ता एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

सचिवीय लेखा परीक्षक

मेसेर्स नवनीत के. अरोड़ा एंड कंपनी एलएलपी

प्रेक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, नई दिल्ली

शाखा लेखा परीक्षक

मेसेर्स शंकर एम एंड एसोसिएट्स, बेंगलुरु

मेसेर्स के एंड के एसोसिएट्स, कोलकाता

मेसेर्स चटर्जी एंड चटर्जी, वाराणसी

मेसेर्स बलराम एंड एसोसिएट्स, पानीपत

मेसेर्स आरबी एसोसिएट्स, हैदराबाद

मेसेर्स जी.के.पी. एसोसिएट्स, कोयंबटूर

मेसेर्स राजेंद्र लीला एंड एसोसिएट्स, गुवाहाटी

प्रमुख बैंकर्स

इंडियन बैंक

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

पंजाब नेशनल बैंक

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

इंडियन ओवरसीज बैंक

केनरा बैंक

पंजीकृत कार्यालय

नोएडा कॉम्प्लेक्स, ए-2,3,4 और 5

सेक्टर-2, उद्योग मार्ग,

नोएडा-201301

गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश

Corporate Information (As on the date of AGM)

Smt. Beena Mahadevan

Development Commissioner (Handlooms)
Ministry of Textiles, Govt. of India

(Chairperson)

Smt. Rita Prem Hemrajani

(Managing Director)

Shri Dharendra Kumar

Director, IFW
Ministry of Textiles, Govt. of India

(Government Director)

Shri Jitendra Purohit

(Chief Financial Officer)

Statutory Auditors

M/s. M. B. Gupta & Co.
Chartered Accountants

Secretarial Auditors

M/s. Navneet K Arora & Co. LLP,
Practising Company Secretary, New Delhi

Branch Statutory Auditors

M/s Shankar M & Associates, Bengaluru
M/s Kay & Kay Associates Kolkata
M/s Chatterjee & Chatterjee, Varansi
M/s Balram & Associates, Panipat
M/s. RB Associates, Hyderabad
M/s G.K.P. Associates, Coimbatore
M/s Rajendra Leela & Associates, Guwahati

Principal Bankers

Indian Bank
Union Bank of India
Punjab National Bank

United Bank of India
Indian Overseas Bank
Canara Bank

Registered Office

Noida Complex, A-2,3,4 & 5
Sector-2, Udyog Marg,
Noida-201301
Gautam Budha Nagar,
Uttar Pradesh

41^{वीं} वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचना (शॉर्ट नोटिस) दी जाती है कि राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड की 41^{वीं} वार्षिक आम बैठक बृहस्पतिवार, 28 नवम्बर, 2024 को दोपहर 12.00 बजे विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, कमरा नं. 56, उद्योग भवन, नई दिल्ली -110011 को निम्नलिखित कार्य निष्पादित करने के लिए आयोजित की जाएगी:-

साधारण कार्य:

- i वर्ष 2023-24 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों की रिपोर्टों, सीएण्डएजी की टिप्पणियों, सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों को प्राप्त करना और निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

“संकल्प लिया गया कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट, स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां एतद्वारा प्राप्त की जाएं, उन पर विचार किया जाए और उन्हें अपनाया जाए।”

- ii वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लाभांश घोषित करना।

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो उसे साधारण प्रस्ताव के रूप में संशोधनों सहित या उसके बिना पारित करना:

“यह संकल्प लिया गया कि निदेशक मंडल की सिफारिशों के आधार पर 164.05 लाख रुपये का अंतिम लाभांश, अर्थात् 100 रुपये अंकित मूल्य के प्रति शेयर 8.63 रुपये, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भुगतान हेतु घोषित किया जाता है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

Jitendra
Vajesing
Purohit

Digitally signed by
Jitendra Vajesing
Purohit
Date: 2023.12.20
19:09:49 +05'30'

(जितेन्द्र व. पुरोहित)

डीजीएम (वि.ले.)/सी.एफ.ओ.

स्थान: नोएडा

दिनांक: 27 नवम्बर, 2024

टिप्पणी:-

- क) मतदान में भाग लेने तथा मतदान करने का हकदार सदस्य अपने स्थान पर मतदान में भाग लेने तथा मतदान करने के लिए किसी प्रॉक्सी को नियुक्त करने का हकदार है, तथा प्रॉक्सी का निगम का सदस्य होना आवश्यक नहीं प्रॉक्सी को वैध और प्रभावी बनाने के लिए हस्ताक्षरित प्रॉक्सी फॉर्म को बैठक शुरू होने से अड़तालीस घंटे पहले निगम के पंजीकृत कार्यालय में जमा कर देना चाहिए। प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची इसके साथ संलग्न हैं।
- ख) निगम के वित्तीय विवरण, उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा बोर्ड की रिपोर्ट संलग्न हैं।
- ग) निगम ने 5.47 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है, निदेशक मंडल द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 164.05 लाख रुपये के लाभांश की सिफारिश की गई है।

NOTICE for 41th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice (Shorter Notice) is hereby given that the Forty-first (41st) Annual General Meeting of the National Handloom Development Corporation Limited will be held on Thursday, 28th November 2024 at 12:00 PM at the office of the Development Commissioner (Handloom), Room No. 56, Udyog Bhawan, New Delhi-110011 IN to transact the following ordinary business: -

Ordinary Business:

- i. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements for the year ended 31st March, 2024 together with the Board's Report, C&AG comments, Statutory Auditor's Report and Secretarial Auditor's Report for the financial year 2023-24 and to pass the following resolution as an Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT Audited Standalone Financial Statements for the Financial Year ended 31 March, 2024, Board's Report, Independent Auditors' Report and the comments thereon of the Comptroller & Auditor General of India be and are hereby received, considered and adopted.”.

- ii. To declare the dividend for the financial year 2023-24.

To consider and, if thought fit, to pass the following resolution, with or without modifications as an ordinary resolution:

“RESOLVED THAT based on the recommendations of the Board of Directors, final dividend of Rs. 164.05 Lakhs, i.e. Rs. 8.63 per share of face value of Rs.100/- be and is hereby declared for payment for the financial year 2023-24.

By the order of the Board of Directors

Jitendra
Vajesing
Purohit

Digitally signed by
Jitendra Vajesing
Purohit
Date: 2023.12.20
19:09:49 +05'30'

**(Jitendra V Purohit)
DGM (F&A)/CFO**

Place: Noida

Date: 27th November, 2024

Notes:-

- a) A member entitled to attend, and vote is entitled to appoint a proxy to attend and vote on a poll instead of himself and the proxy need not be a member of the Corporation. Proxies, in order to be valid and effective, the signed Proxy Form must be delivered at the registered office of the Corporation not later than forty-eight hours before the commencement of the meeting. Proxy form and attendance slip are annexed hereto.
- b) Financial Statements of the Corporation, the Auditors' Report thereon, together with the Board's Report are enclosed.
- c) Corporation has earned profit amounting to Rs. 5.47 Crore, dividend of Rs. 164.05 Lakhs is recommended for FY 2023-24 by the Board of Directors.

- घ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अनुसरण में, एक सरकारी कंपनी के लेखा परीक्षकों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा नियुक्त/पुनर्नियुक्त किया जाता है। सदस्यों ने दिनांक 10.04.2002 को आयोजित आम सभा की अपनी बैठक में निदेशक मंडल को भविष्य में सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को अनुमोदित करने के लिए प्राधिकृत किया है।
- ङ) एनएचडीसी के एओए के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान – कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के कुछ प्रावधानों से सरकारी कंपनियों को धारा 196 (4), (5) से छूट के तहत निगम के निदेशकों की नियुक्ति भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- च) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) और उनकी शेयरधारिता के रजिस्टर का रखरखाव कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के तहत किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए अनुबंधों एवं व्यवस्थाओं जिसमें निदेशकों की रुचि है, के रजिस्टर का रखरखाव किया जाता है और सूचना में उल्लिखित अन्य सभी दस्तावेज सभी कार्य दिवसों में, व्यावसायिक कार्य समय के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में और बैठक के स्थान पर कंपनी की एजीएम के समय सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

- d) Pursuant to Section 139(5) of the Companies Act, 2013, the Auditors of a Government Company are appointed / re-appointed by the Comptroller and Auditor General (C&AG) of India. Members, in their general body meeting held on 10.04.2002, authorised the Board of Directors to approve the remuneration of Statutory Auditors in the future.
- e) As per the AOA of NHDC, provisions of Companies Act, 2013-exemption u/s 196 (4) & (5) and exemption to Government Companies from certain provisions of Schedule IV of the Companies Act, 2013, appointment of the Directors of the Corporation is done by the Hon'ble President of India.
- f) The Register of Directors and Key Managerial Personnel (KMP) and their Shareholding maintained under Section 170 of the Companies Act, 2013, the register of contracts and arrangements in which Directors are interested maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013 and all other documents referred to in the Notice, will be available for inspection by the Members at the Registered Office of the Corporation on all working days during business hours and at the time of the AGM of the Corporation at the venue of the Meeting.

अध्यक्ष का भाषण

प्रिय शेयरधारकों,

निगम की 41वीं वार्षिक आम बैठक में आपका स्वागत करते हुए और लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के साथ वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लेखापरीक्षक और निदेशक की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपकी अनुमति से, मैं उन्हें पढ़ा हुआ मान लेना चाहूंगी। निगम कोविड-19 महामारी के हमारी अर्थव्यवस्था, समाज और मानव जीवन के सभी पहलुओं पर हुए प्रतिकूल प्रभाव के कठिन दौर से काफी हद तक उबर चुका है।

पिछले वर्ष की समीक्षा

वित्तीय वर्ष 2023-24, कोविड-19 व्यवधानों के बाद स्थिर कारोबारी माहौल के साथ दूसरा वर्ष रहा। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 1169.48 करोड़ रुपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 5% की वृद्धि दर्ज कराते हुए आपके निगम ने 1226.77 करोड़ रुपये का कारोबार दर्ज किया है। निगम ने वित्त वर्ष 2023-24 में 5.47 करोड़ रुपये का शुद्ध-लाभ (कर पश्चात) अर्जित किया है। परिणामस्वरूप निगम का निवल-मूल्य 31 मार्च, 2023 के 81.63 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च, 2024 को 85.20 करोड़ रुपये रहा। निगम वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित कच्चा माल आपूर्ति योजना (आरएमएसएस) के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। निगम कच्चा माल आपूर्ति योजना (आरएमएसएस) के अनुरूप अपने संसाधनों को संरेखित कर रहा है और अपने घाटे को कम करने की प्रक्रिया में है।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023-24 में, निगम ने दूर-दराज के क्षेत्रों विशेषकर पूर्वोत्तर में अपनी पहुंच बढ़ाई है। 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार, निगम लगभग 5.31 लाख हथकरघा बुनकरों तक पहुँच बनाने में सक्षम रहा है।

निगम ऋण मुक्त है और इसका कोषागार कार्यचालन में है और संपूर्ण कार्यशील पूंजी को इसके आंतरिक संसाधनों से पूरा किया जाता है और निगम पर ब्याज लागत का कोई बोझ नहीं है।

भावी परिदृश्य

निगम वस्त्र मंत्रालय के दायरे में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी है। मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, निगम उत्पाद विकास और विपणन की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके अलावा, निगम अपने व्यवसाय को विविधता प्रदान करने और हथकरघा उत्पादों की बिक्री में उद्यम करने सहित व्यवसाय के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अन्य अवसरों की तलाश कर रहा है ताकि बुनाई समुदाय को अधिकतम लाभ सुनिश्चित किया जा सके। हम इस संबंध में आपके सहयोग की उम्मीद करते हैं।

निगम की शासन प्रणाली (कॉर्पोरेट गवर्नेंस)

निगम का मानना है कि दीर्घावधि में अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पद्धति से सभी हितधारकों के लिए धन-संपत्ति का सृजन होता है। निगम द्वारा अनुपालन की जा रही कॉर्पोरेट गवर्नेंस पद्धति से सम्बंधित रिपोर्ट, और प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण की रिपोर्ट आपके समक्ष निदेशक की रिपोर्ट में अनुबंध के रूप में प्रस्तुत की गई है।

अभिस्वीकृति

किसी भी उपलब्धि के लिए मानवीय योगदान की आवश्यकता होती है और एनएचडीसी के विकास की कोई अलग कहानी नहीं है। मैं, बोर्ड की ओर से हमारे प्रतिबद्ध और सक्षम कर्मचारियों की कड़ी मेहनत की सराहना करती हूँ, जिनके निष्ठा और निरंतर प्रयासों के परिणाम सामने आए हैं। मैं हमारी प्रबंध निदेशक के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूंगी। उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान असाधारण नेतृत्व का प्रदर्शन किया है, संगठन की प्रगति को आगे बढ़ाया है और इसे एक उज्ज्वल भविष्य की ओर निर्देशित किया है। मैं बोर्ड के सदस्यों, शेयरधारकों, वस्त्र मंत्रालय, अन्य सरकारी विभागों, सीएंडएजी और लेखा परीक्षकों के निरंतर मार्गदर्शन और सहायता के लिए आभारी हूँ। मैं विभिन्न बैंकों, उपयोगकर्ता एजेंसियों, कताई मिलों, रंगों और रसायनों के निर्माताओं और व्यावसायिक सहयोगियों के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपने निगम में विश्वास जताया है।

मैं भविष्य में निगम के विकास के लिए आपके निरंतर सहयोग की आशा करती हूँ।

हस्ता / -

बीना महादेवन

अध्यक्ष

डीआईएन: 03483417

CHAIRPERSON'S SPEECH

Dear Shareholders,

It gives me immense pleasure to welcome you to the 41st Annual General Meeting of your Corporation and to present the Auditor's & Director's Report for the Financial year 2023-24 along with the Audited Annual Accounts.

With your kind permission, I would like to take them as read. Corporation has significantly revived from the difficult phase of the Covid-19 pandemic, which has adversely impacted the economy, our society, and human life in all aspects at large.

Past year Review

Financial Year 2023-24 was the second year post COVID-19 disruptions with a stable business environment. Your Corporation has recorded a turnover of Rs. 1226.77 crore during the FY 2023-24 as compared to Rs. 1169.48 crore during FY 2022-23 registering an increase of 5%. The Corporation has earned a net profit after tax (PAT) of Rs. 5.47 crore in FY 2023-24. Consequently, the net worth of the corporation has increased from Rs. 81.63 crore as on 31st March, 2023 to Rs. 85.20 crore as on 31st March, 2024. The Corporation is the nodal agency for the implementation of the Raw Material Supply Scheme (RMSS) of the Ministry of Textiles, Govt of India. The Corporation is channelizing its resources to align with the Raw Material Supply Scheme (RMSS) and is in the process of reducing its losses.

In FY 2023-24, the Corporation has enhanced its reach to the far-flung areas, especially in North-east. As on 31st March, 2024, the Corporation has been able to reach out to approx. 5.31 Lacs of handloom weavers.

Your Corporation is debt-free Corporation, and the treasury functions and the entire working capital is met out from its internal resources, and there is no burden of interest cost on the Corporation.

Future Scenario

The Corporation is a wholly owned Government Company under the ambit of the Ministry of Textiles. As per the directions of the Ministry, the Corporation is focusing on product developments and possibilities of marketing.

Further, Corporation is exploring other avenues to increase its scope of business, including diversifying its business and venture in sale of handloom products so as to ensure maximum benefits to the weaving community.

We look forward to your co-operation in this regard.

Corporate Governance

Your Corporation believes that good Corporate Governance practices in the long term lead to the creation of wealth for all the stakeholders. A report on Corporate Governance Practices, being followed by the Corporation and Management Discussion and Analysis Report are placed before you as Annexure to the Director's Report.

Acknowledgement

Any accomplishment requires human contribution and the growth of NHDC has no different story. I, on behalf of the Board, place on record appreciation for the hard work of our committed and competent employees, whose sincere and continuous efforts have yielded results. I would like to express deepest gratitude to our Managing Director. Throughout her tenure, she has demonstrated exceptional leadership, driving the organization's progress and guiding it towards a brighter future. I am grateful to the members of the Board, shareholders, Ministry of Textiles, other government departments, C&AG and the Auditors for their continuous guidance and support. I also express sincere gratitude to various bankers, user agencies, spinning mills, manufacturers of dyes & chemicals and business associates, who have reposed confidence in your corporation.

I look forward to your continued support for the Corporation's growth in the future.

Sd/-
Beena Mahadevan
 Chairperson
 DIN: 03483417

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्य,

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लेखा परीक्षित लेखाओं के साथ निगम के कामकाज संबंधी 41वीं (ईक्तालीसवीं) वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हमें प्रसन्नता हो रही है।

1. वित्तीय परिणाम:

(करोड़ रुपए में)

	2023-24	2022-23
बिक्री कारोबार	1226.77	1169.48
कर-पश्चात लाभ	5.47	5.21
विनियोजन:		
• प्रस्तावित लाभांश*	1.56	—
• लाभांश पर कॉर्पोरेट कर	—	—
• विकासात्मक गतिविधियों के लिए आरक्षित	—	—
• सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा निधि संग्रह (कॉर्पस) में अंतरण	0.11	0.50
• कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अनुपयोगी परिसंपत्ति पर मूल्यह्रास	—	—
निःशुल्क आरक्षित और अधिशेष*	65.72	61.93
कुल आरक्षित	66.20	62.63

*निगम को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 5.47 करोड़ रुपये का लाभ हुआ। कंपनी के निदेशक मंडल ने समीक्षाधीन वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा निधि संग्रह (कॉर्पस) में अंतरण 10.98 लाख रुपये स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, निदेशक मंडल द्वारा 164.50 लाख रुपये के लाभांश की सिफारिश की गई है।

1. कंपनी का कार्यनिष्पादन और भावी परिदृश्य:

समीक्षाधीन वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय निष्पादन और प्रचालन संबंधी एक विस्तृत विश्लेषण एवं अंतर्दृष्टि और भावी परिदृश्य प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में दिया गया है, जो वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

2. निगम के कार्यनिष्पादन की समीक्षा तथा कार्य स्थिति:

वित्तीय वर्ष 2023-24, स्थिर व्यापार परिस्थिति के साथ कोविड-19 व्यवधानों के बाद दूसरा वर्ष था। इस वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण पुनरुद्धार देखा गया जिससे निगम वर्ष के दौरान बिना किसी प्रतिबंध के काम कर सका। निगम ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 1226.77 करोड़ रुपये का कारोबार दर्ज किया, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 1169.68 करोड़ रुपये की तुलना में 5% की वृद्धि दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए असाधारण वस्तुओं और कर से पहले 5.53 करोड़ रुपये का लाभ दर्ज किया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में 6.51 करोड़ रुपये का लाभ दर्ज किया गया। निगम द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 में 5.21 करोड़ रुपये के लाभ की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में 5.47 करोड़ रुपये का कर पश्चात शुद्ध लाभ (पीएटी) अर्जित किया। निगम की निवल संपत्ति 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार 81.63 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार 85.20 करोड़ रुपये हो गई है।

DIRECTORS' REPORT

To,
The Members,

Your Directors have pleasure in presenting the 41st (Forty-first) Annual Report on the working of the Corporation together with the audited accounts for the financial year 2023-24.

1. FINANCIAL RESULTS:

(Rs. in Crore)

	2023-24	2022-23
Sales Turnover	1226.77	1169.48
Profit after tax	5.47	5.21
Appropriations:		
· Dividend*	1.56	–
· Corporate tax on dividend	–	–
· Reserve for Developmental Activities	–	–
· Transfer to Post-Retirement Medical Corpus	0.11	0.50
· Depreciation on asset not having remaining useful life as per provisions of Companies Act, 2013	–	–
Free reserve & surplus*	65.72	61.93
Total reserve	66.20	62.63

*Corporation has earned a profit of Rs. 5.47 Crore for the FY 2023-24. The Board of Directors of your company, have decided to transfer Rs. 10.98 Lakh to Post-Retirement Medical Corpus for the year under review. Further, dividend of Rs. 164.05 Lakh has been recommended by the Board of Directors.

1. COMPANY PERFORMANCE AND FUTURE OUTLOOK:

A detailed analysis and insight into the financial performance and operations of your Company for the year under review and future outlook, is appearing in Management Discussion and Analysis, which forms part of the Annual Report.

2. PERFORMANCE REVIEW AND STATE OF AFFAIRS OF THE CORPORATION:

Financial Year 2023-24 was the second year post COVID-19 disruptions with a stable business environment. This financial year witnessed a significant revival of the economy enabling the Corporation to operate without any restrictions during the year. Corporation recorded a turnover of Rs. 1226.77 crore during the F.Y. 2023-24 as compared to Rs 1169.48 crore during FY 2022-23 registering an increase of 5%. A profit before extraordinary items and tax amounting to Rs.5.53 Crore has been recorded for the F.Y. 2023-24 as compared to a profit of Rs. 6.51 crore in the FY 2022-23. Corporation earned a net profit after tax (PAT) of Rs. 5.47 crore in the FY 2023-24 in comparison to a profit of Rs. 5.21 crore in the FY 2022-23. The net worth of the corporation has increased from Rs. 81.63 crore as on 31st March, 2023 to Rs. 85.20 crore as on 31st March, 2024.

निगम वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ऋण मुक्त रहा और अपनी संपूर्ण कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का अपने आंतरिक संसाधनों से प्रबंधन किया।

भारत सरकार, हमारे निगम के माध्यम से दिनांक 25 अक्टूबर, 2021 से 'कच्चा माल आपूर्ति योजना'(आरएमएसएस) का कार्यान्वयन कर रही है, जिससे उचित मूल्य पर यार्न की निर्बाध और आसान उपलब्धता की सुविधा उपलब्ध हो सके ताकि बुनाई समुदाय की आर्थिक व्यवहार्यता को बनाए रखा जा सके। कॉटन हैंक यार्न, हथकरघा क्षेत्र में प्रमुख रूप से खपत होने वाली किस्म है। यार्न की अन्य किस्मों का उपयोग हथकरघा बुनकरों द्वारा बाजार की प्रतिक्रिया के माध्यम से प्राप्त मांग और वरीयताओं के आधार पर भी किया गया है।

आसान और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, हथकरघा एजेंसियों के माध्यम से डिपो भी स्थापित किए गए हैं। 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार, परिचालन डिपो की संख्या 511 है। (31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार 511)।

हथकरघा क्षेत्र की लागत की कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने दिनांक 25 अक्टूबर, 2021 से आरएमएसएस के तहत हथकरघा क्षेत्र में संवितरित किए जाने वाले कॉटन हैंक, घरेलू रेशम, ऊनी, लिनन तथा प्राकृतिक फाइबरों के मिश्रित यार्न पर 15% मूल्य सब्सिडी की अनुमति दी है। यह सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रतिपूर्ति आधार पर उपलब्ध होगी। निगम, योजना के 15% मूल्य सब्सिडी घटक के तहत हथकरघा बुनकरों को यार्न की आपूर्ति कर रहा है।

वर्ष 2023-24 के दौरान यार्न की आपूर्ति 1172.65 करोड़ रुपए मूल्य के साथ 341.35 लाख किलोग्राम थी जिसमें 1165.96 करोड़ रुपए मूल्य के साथ 339.98 किलोग्राम आपूर्ति की तुलना में यार्न आपूर्ति योजना/कच्चा माल आपूर्ति योजना के तहत 1103.75 करोड़ रुपए मूल्य के साथ 307.60 लाख किलोग्राम यार्न शामिल है जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 1090.65 करोड़ रुपए मूल्य के साथ 304.72 लाख किलोग्राम यार्न शामिल है। कच्चे माल की आपूर्ति योजना के 15% मूल्य सब्सिडी घटक के तहत यार्न की आपूर्ति (उपर्युक्त उल्लिखित यार्न की आपूर्ति में शामिल) पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 766.98 करोड़ रुपये मूल्य के साथ 125.41 लाख किलोग्राम की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान 853.99 करोड़ रुपये मूल्य के साथ 132.75 लाख किलोग्राम थी।

निगम, हथकरघा बुनकरों के लाभ के लिए गुणवत्ता वाले रंगों की व्यवस्था कर रहा है और पिछले वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान यह 65.73 करोड़ रुपए मूल्य के साथ 41.91 लाख किलोग्राम की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान यह आपूर्ति 54.12 करोड़ रुपए मूल्य के साथ 45.04 लाख किलोग्राम थी।

निगम, प्रतिस्पर्धी/निम्नतम दरों पर हथकरघा बुनकरों को यार्न मुहैया कराने के उद्देश्य से थोक (बल्क) मात्रा में छूट प्राप्त करने के लिए थोक मात्रा में खरीद हेतु आपूर्तिकर्ताओं के साथ यार्न दरों पर मोल-भाव कर रहा है। बुनकर एजेंसियों की सुविधा के लिए दरों को मासिक आधार पर निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाता है, जिससे बेहतर पारदर्शिता आती है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार देनदारों से बकाया के प्रतिशत के रूप में (31 मार्च, 2023 तक बकाया में से) देनदारों से 9.12% (पिछले वर्ष - 19.46%) वसूल किया गया।

लखनऊ मामले की अद्यतन स्थिति

वित्त वर्ष 2018-19 में यह रिपोर्ट दी गई है कि वित्त वर्ष 2018-19 में वाईएसएस से संबंधित 190.82 करोड़ रुपए की खरीद/बिक्री चालान की राशि लखनऊ कार्यालय में रद्द कर दी गई थी और निगम ने इस मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई)/मुख्य सतर्कता आयोग (सीवीसी) को भेज दिया था। इस संबंध में, सीबीआई ने एक विज्ञप्ति जारी की, जिसमें लिखा था, 'प्रथम दृष्टया, यह प्रतीत होता है कि आपूर्तिकर्ता मिलों द्वारा रद्द की गई बिक्री पर जीएसटी के भुगतान को छोड़कर, प्रश्नांकित बिक्री को रद्द करने के कारण एनएचडीसी को कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ है। उपरोक्त के मद्देनजर, संबंधित अधिकारियों की दोषीता का पता लगाने के लिए मामले में पूरी तरह से सतर्कता जांच करने की सलाह दी जाती है,

The corporation remains debt free during the FY 2023-24 and managed its entire working capital requirements from its internal resources.

The Government of India is implementing the 'Raw Material Supply Scheme (RMSS) w.e.f.25th October, 2021, through our corporation, facilitating the uninterrupted and easy availability of yarn at reasonable prices so as to maintain the economic viability of the weaving community. Cotton hank yarn is the major consumed variety in the handloom sector. Other varieties of yarn have also been provided based on the demand and preferences received through market feedback by the handloom weavers.

Depots are also set up through handloom agencies for ensuring easy and uninterrupted supplies. Up till 31st March, 2024, the number of operational depots is 511 nos. (511 nos. as on 31st March, 2023).

To mitigate the cost disadvantage of Handloom sector, the Government of India has allowed 15% price subsidy on Cotton hank, domestic Silk, Woolen, Linen, Blended yarn of natural fibres to be distributed in the handloom sector under RMSS w.e.f. 25th Oct, 2021. The subsidy shall be available on reimbursement basis through Direct Benefit Transfer (DBT) mode. Corporation is supplying the yarn to the handloom weavers under the 15% Price Subsidy component of the scheme.

The yarn supplies during the year 2023-24 were 341.35 Lakh kg. valuing Rs. 1172.65 Crore which include 339.98 Lakh kg. valuing Rs. 1165.96 Crore under Yarn Supply Scheme/Raw Material Supply Scheme as compared to supplies of 307.60 Lakh kg. valuing Rs. 1103.75 Crore which include 304.72 Lakh kg. valuing Rs. 1090.65 Crore during the last financial year 2022-23. The yarn supplies under the 15% Price Subsidy Component of Raw Material Supply Scheme (included in the yarn supplies mentioned above) during the year 2023-24 were 132.75 Lakh kg. valuing Rs. 853.99 Crore as compared to 125.41 Lakh kg. valuing Rs. 766.98 Crore during the last financial year 2022-23.

Corporation is arranging quality dyes for the benefit of handloom weavers and the supplies during the financial year 2023-24 were 45.04 Lakh kg. valuing Rs. 54.12 Crore as compared to supplies of 41.91 Lakh kg. valuing Rs. 65.73 Crore during the last financial year 2022-23.

Corporation is negotiating the yarn rates with the suppliers for purchase of bulk quantities to obtain bulk quantity discounts with a view to provide the yarn to Handloom weavers at competitive/ lowest rates. Rates are placed on corporation's website as well, on monthly basis for access by the weaver agencies, resulting in better transparency.

The debtors recovered (out of outstanding as on 31st March, 2023) during the FY 2023-24 as % age of debtors outstanding as on 31st March, 2023 is 9.12% (Previous year – 19.46%).

Update on Lucknow matter

It had been reported in FY 2018-19, that purchase/sales invoices amounting to Rs.190.82 Crore pertaining to YSS were cancelled in Lucknow Office in FY 2018-19 and the Corporation had referred the matter to Central Bureau of Investigation (CBI) / Chief Vigilance Commission (CVC). In this regard, CBI issued a communication as per which, *'prima facie, it appears that there is no financial loss to NHDC incurred on account of cancellation of the questioned sale, except the payment of GST on the cancelled sale done by the supplier mills. In view of the above, it is advised to conduct a thorough vigilance probe in the matter to ascertain the culpability of the concerned officials as well as to conduct the forensic audit, if required in*

साथ ही यदि सरकारी खजाने को किसी गैर-कानूनी नुकसान की मात्रा का पता लगाने के लिए आवश्यक हो, तो फोरेंसिक ऑडिट कराने और तदनुसार, मामले का निपटान करने की सलाह दी जाती है। 'तथापि, अधिकारियों की दोषिता का पता लगने और घाटा साबित होने पर एनएचडीसी मामले को वापिस सीबीआई को भेज सकता है।

सीबीआई विज्ञप्ति के अनुसार, प्रबंधन और सीवीओ द्वारा फोरेंसिक ऑडिट और सतर्कता जांच की गई थी। मामले पर फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट क्रमशः फोरेंसिक ऑडिटर और सीवीओ टीम द्वारा निदेशक मंडल के समक्ष 05.10.2021 को प्रस्तुत की गई थी। निदेशक मंडल के निर्देशानुसार तथा उपर्युक्त सीबीआई के पत्र के अनुसार इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए सीबीआई को फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट प्रदान की गई है।

सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए के तहत पूर्व अनुमति मांगी है और संबंधित अधिकारियों से फिर से पूछताछ/जांच के लिए नई शिकायत की मांग की है, इस पर निगम ने सीबीआई को एक नई शिकायत के साथ अनुमति देते हुए जवाब दिया है। इस संबंध में, बोर्ड के निदेशक के अनुसार, समितियों/उपयोगकर्ता एजेंसियों और आपूर्तिकर्ताओं से बकाया राशि का पता लगाने के लिए, 1 अप्रैल 2017 से लेन-देन ऑडिट शुरू किया गया है। लेन-देन ऑडिट प्रक्रियाधीन है। लगभग 7000 प्रविष्टियों की जांच/सत्यापन की आवश्यकता है इसलिए लेनदेन ऑडिट पूरा करने में समय लगेगा। पूरा होने पर, रिपोर्ट को आगामी आवश्यक निर्देशों के लिए बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।

विकासात्मक कार्यकलाप और विपणन सहायता:

निगम ने विशेष प्रदर्शनियों के आयोजन के माध्यम से हथकरघा बुनकरों को विपणन सहायता प्रदान की है, जिसमें वे अपने उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं को बेहतर कीमत पर बेच सकते हैं। इस संबंध में 18 'सिल्कफैब' प्रदर्शनियाँ (पिछले वर्ष - 21) आयोजित की गईं। 13 'एक्सक्लूसिव हैंडलूम एक्सपो/विविध एक्सपो (पिछले वर्ष -15 वर्ष के दौरान प्रदर्शनियों में कुल बिक्री 18.97 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष - 17.46 करोड़ रुपये) रही थी।

3. कम्प्यूटरीकरण:

डिजिटल इंडिया अभियान समावेश के तहत, निगम ने विभिन्न डिजिटल पहल शुरू की है जैसे कि ऑनलाइन ईआरपी, ई-धागा मोबाइल ऐप, सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बुनकरों के लिए ऑनलाइन प्रत्यक्ष लाभ अंतरण आदि का कार्यान्वयन। डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग के जरिए, जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग, वर्चुअल (आभासी) बैठकें, आभासी प्रदर्शनियाँ और मोबाइल एप्लिकेशन शामिल हैं, बुनकर समुदाय को एनएचडीसी तक आसान पहुंच उपलब्ध हो गई है। डिजिटलीकरण का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं द्वारा अपेक्षित किसी भी सेवा/सूचना के लिए समय को कम करना है।

इसके अलावा, एनएचडीसी उन्नत ऑनलाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से और संपूर्ण एनएचडीसी कार्यालयों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाकर आईटी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है।

4. निगम से संबंधित शासन प्रणाली:

निगम, अपने संचालन के सभी पहलुओं में नैतिक व्यावसायिक आचरण, पारदर्शिता, जवाबदेही और इक्विटी में दृढ़ता से विश्वास करता है और उसे सबसे अधिक महत्व देता है, जिससे इसके हितधारकों के लिए धन सृजन में वृद्धि होती है। निगम द्वारा पालन की जा रही 'निगम शासन प्रणाली' ('कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेज') संबंधी रिपोर्ट और 'प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट' ('मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट') क्रमशः अनुबंध क और ख के रूप में संलग्न हैं।

वर्ष 2023-24 के लिए लोक उद्यम सर्वेक्षण के आंकड़े 22 सितम्बर, 2024 (अनंतिम आंकड़े) को सार्वजनिक उद्यम विभाग को प्रस्तुत किए गए थे और वर्ष 2022-23 के लिए निगम की वार्षिक रिपोर्ट वार्षिक सामान्य बैठक में शेरधारकों द्वारा अपनाए जाने के तुरंत बाद निगम की वेबसाइट www.nhdc.org.in पर रखी गई। इसके अलावा, वर्ष 2023-24 के दौरान सभी तिमाहियों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट लोक उद्यम विभाग को प्रस्तुत की गई है।

order to ascertain the quantum of unlawful loss caused, if any to the Government Exchequer and dispose of the matter accordingly. However, NHDC may revert back to CBI once culpability of officials is ascertained and the loss is established.'

As per CBI communication, the Forensic Audit and Vigilance probe were conducted by the management and the CVO. The Forensic Audit Report and the Vigilance Probe report on the matter was presented by the Forensic Auditor and the CVO team respectively, before the Board of Directors on 05.10.2021. As per the directions of the Board of Directors and the above-mentioned CBI letter, the Forensic Audit Report and the Vigilance Probe Report has been provided to CBI for further necessary action in this regard.

CBI has sought prior permission u/s 17A of the Prevention of Corruption Act, 1988 & fresh complaint for further enquiry / investigation again the concerned officials, Corporation has replied giving permission along with a fresh complaint to CBI. As per the director of the Board, to ascertain amount outstanding from the societies/user agencies and the suppliers, transaction audit from 1st April 2017 onwards has been initiated. Transaction audit is under process. There being approximately 7000 entries need to be checked/verified hence it will take time to complete the transactions audit. Upon completion, report shall be placed before the Board for further necessary instruction.

DEVELOPMENTAL ACTIVITIES AND MARKETING SUPPORT:

Corporation has provided marketing support to the handloom weavers through organization of exclusive exhibitions, wherein, they can sell their products directly to the consumers at better price. In this regard 18 nos. 'SILKFAB' exhibitions (Previous year - 21 nos.) were organized. 13 nos. 'Exclusive Handloom Expo/ Misc. Expos (Previous year – 15 nos.). The total sale in the Exhibitions during the year was Rs. 18.97 Crore (Previous year - Rs. 17.46 Crore).

3. COMPUTERISATION:

Under the umbrella of Digital India Campaign, the Corporation has taken various digital initiatives viz. implementation of online ERP, eDhaga Mobile App, Online Direct Benefit Transfer for weavers as per Government guidelines. Using digital technologies, which includes Cloud computing, Virtual meetings, Virtual exhibitions and Mobile applications, NHDC is easily reachable to weaver community. The objective of digitization is to minimize time for any services/information required by users.

Further, NHDC is continuously working to improve IT services through improved online infrastructure and by increasing internet connectivity throughout NHDC offices

4. CORPORATE GOVERNANCE:

Your corporation firmly believes and accords highest importance to ethical business conduct, transparency, accountability and equity in all facets of its operations, which leads to creation of wealth for its stakeholders. Report on 'Corporate Governance Practices' being followed by the corporation and 'Management Discussion and Analysis Report' are annexed herewith as **Annexure A & B** respectively.

The Public Enterprises Survey data for the year 2023-24 was submitted to the department of Public Enterprises on 22nd September, 2024 (provisional figures) and the Annual Report of the corporation for the year 2022-23 was placed on the website of the corporation www.nhdc.org.in immediately upon adoption by shareholders in Annual General Meeting. Further, the quarterly progress reports on Corporate Governance for all the quarters during the year 2023-24 have been submitted to Department of Public Enterprises.

वर्ष 2023-24 के लिए लोक उद्यम विभाग को प्रस्तुत की गई कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट में वार्षिक स्कोर (त्रैमासिक रिपोर्टों के औसत के आधार पर) 92.65% यानी 'उत्कृष्ट' रहा है।

5. व्यक्तिगत विकास और औद्योगिक संबंध:

मानव संसाधन योजना (एचआरपी) किसी संगठन की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति-गुणवत्ता वाले कर्मचारियों का सर्वोत्तम उपयोग प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित योजना की निरंतर प्रक्रिया है। मानव संसाधन योजना जनशक्ति (मैनपावर) की कमी या अधिशेष (सरप्लस) से बचते हुए कर्मचारियों और नौकरियों के बीच सबसे अच्छा फिट सुनिश्चित करता है। एनएचडीसी मानव संसाधन के विकास पर बहुत जोर दे रहा है और इस संदर्भ में, यह अग्रणी संस्थानों के सहयोग से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं के माध्यम से कौशल के उन्नयन हेतु समर्थन प्रदान कर रहा है।

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार, निगम के कार्मिकों की कुल संख्या 110 (पिछले वर्ष 116) है, जिसमें 09 (8.18%) अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी के कार्मिक, 06 (5.46%) अनुसूचित जनजाति (एसटी) से संबंधित कार्मिक, 21 (19.09%) अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी से संबंधित और 03 (2.72%) दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) श्रेणी से संबंधित कार्मिक शामिल हैं।

प्रति कार्मिक कारोबार 11.15 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 10.08 करोड़ रुपए) है और प्रति कार्मिक कर-पश्चात लाभ/(हानि) (पीएटी) 4.97 लाख रुपए (पिछले वर्ष 4.49 लाख रुपए) है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण रहे हैं।

6. हिंदी का प्रायोगिक उपयोग:

निगम अपने दिन-प्रतिदिन के कामकाज में हिंदी के प्रगतिशील उपयोग के लिए प्रतिबद्ध है। कार्मिकों के बीच हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नियमित हिंदी कार्यशालाओं के साथ-साथ हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया।

7. निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक:

निदेशक

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, निगम के निदेशक मंडल में तीन निदेशक थे, जिनमें भारत सरकार के दो नामित व्यक्ति (अध्यक्ष सहित) शामिल थे, जिनमें से एक प्रबंध निदेशक है। बोर्ड के निदेशकों को संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 94 के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। निगम द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय को बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता के बारे में सूचित कर दिया गया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

- सुश्री शुभ्रा, विकास आयुक्त (हथकरघा)-अतिरिक्त प्रभार, 07 दिसंबर, 2022 से एनएचडीसी के अध्यक्ष श्री संजय रस्तोगी के स्थान पर निगम के पदेन अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। उन्होंने 28.04.2023 तक अध्यक्ष-एनएचडीसी के रूप में कार्य किया।
- एनएचडीसी लिमिटेड के बोर्ड में सरकारी निदेशक श्री रवीन्द्रनाथ मोहंती सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर 30 अप्रैल, 2023 से सरकारी सेवाओं से सेवानिवृत्त हो गए। परिणामस्वरूप, उन्होंने एनएचडीसी के बोर्ड में सरकारी निदेशक का पद रिक्त कर दिया है।
- सुश्री अमृत राज, विकास आयुक्त (हथकरघा)-अतिरिक्त प्रभार ने विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 10(4)/93-डीसीएच/एनएचडीसी दिनांक 05.06.2023 के अनुसार दिनांक 28.04.2023 से निगम के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। इसके अलावा सुश्री अमृत राज को 11 अक्टूबर 2023 से कंपनी के निदेशक पद से सेवानिवृत्त कर दिया गया है।

The annual score (Based on the average of quarterly reports) in the annual evaluation report on Corporate Governance submitted to the Department of Public Enterprises for the year 2023-24 comes to 92.65% i.e. 'Excellent'.

5. PERSONNEL DEVELOPMENT & INDUSTRIAL RELATIONS:

Human resource planning (HRP) is the continuous process of systematic planning to achieve optimum use of an organization's most valuable asset—quality employees. Human resources planning ensures the best fit between employees and jobs while avoiding manpower shortages or surpluses. NHDC has been laying a lot of emphasis on development of Human Resource and in this context, it has been extending support for up-gradation of the skill through various training programmes/workshops in collaboration with leading Institutes.

Total number of employees of the Corporation as on 31st March, 2024 stands at 110 (Previous year 116) which include 9 (8.18%) employees belonging to Scheduled Castes (SC) category, 06 (5.46%) employees belonging to Scheduled Tribes (ST) category, 21 (19.09%) employees belonging to Other Backward Classes (OBC) category and 03 (2.72%) employees belonging to Persons with Disabilities (PWD) category.

The turnover per employees is Rs.11.15 Crore (Previous year 10.08 crore) and the Profit/(Loss) after Tax (PAT) per employee is Rs. 4.97 Lakhs (previous year 4.49 Lakhs).

The Industrial relations have been observed cordial and peaceful during the year under review.

6. PROGRESSIVE USE OF HINDI:

Corporation is committed to the progressive use of Hindi in its day to day working. Hindi Diwas & Hindi Pakhwada along with regular Hindi Karyashala was organized to promote the use of Hindi amongst the employees.

7. DIRECTORS & KEY MANAGERIAL PERSONNEL:

Directors

During the F.Y. 2023-24, Corporation had three directors on board, consisting of two nominees of the government of India (including Chairperson), one is the Managing Director. The Directors on the Board are appointed by the Government of India in terms of Article 94 of the Articles of Association of the corporation. Corporation has communicated the requirement of Independent Directors on the Board to the administrative ministry.

During the year under review, following changes took place:

- **Ms. Shubhra**, Development Commissioner (Handloom)-Additional Charge the Charge of Ex-Officio Chairperson of the Corporation w.e.f. 07.12.2022 in place of Sh. Sanjay Rastogi, Chairman-NHDC served as Chairperson-NHDC till 28.04.2023.
- **Shri Rabindranath Mohanty**, Government Director on the Board of NHDC Ltd. has retired from the government services w.e.f. 30.04.2023 on attaining the age of superannuation. Consequently, he has vacated the office of Government Director on the Board of NHDC.
- **Ms. Amrit Raj**, Development Commissioner (Handloom)-Additional Charge has assumed the Charge of Chairperson of the Corporation w.e.f. 28.04.2023 pursuant to an order of the Office of DC

- श्री धीरेंद्र कुमार, निदेशक-आईएफडब्ल्यू को विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 11/26/82-डीसीएच/एनएचडीसी/वॉल्यूम-1 दिनांक 16.06.2023 के अनुसार एनएचडीसी के बोर्ड में सरकारी निदेशक के रूप में 16.06.2023 से पूर्व उप सचिव (आईएफडब्ल्यू) श्री रबीन्द्रनाथ मोहंती के स्थान पर नियुक्त किया गया।
- विकास आयुक्त, हथकरघा, वस्त्र मंत्रालय के आदेश संख्या 10(4)/93-डीसीएच/एनएचडीसी दिनांक 17.11.2023 के तहत श्रीमती (डॉ.) बीना महादेवन, विकास आयुक्त, हथकरघा को सुश्री अमृत राज, जिन्होंने विकास आयुक्त (हथकरघा) का प्रभार छोड़ दिया, के स्थान पर 11.10.2023 से कंपनी का पदेन अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

उपरोक्त निदेशकों की अन्य कंपनियों में उनकी कंपनी में हिस्सेदारी के साथ धारित निदेशक पद का ब्यौरा संक्षिप्त विवरण, विशेषज्ञता की प्रकृति, जैसा कि सचिवीय मानक-2 के तहत निर्धारित किया गया है, वार्षिक रिपोर्ट के कॉर्पोरेट प्रशासन खंड की रिपोर्ट में दिया गया है।

निगम के बोर्ड ने वर्ष 2023-24 (16 जून, 2023, 15 सितम्बर, 2023, 22 दिसम्बर, 2023, और 23 मार्च, 2024) के दौरान 04 बार बैठक की और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित सभी जानकारी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की।

8. लेखा परीक्षा समिति:

कंपनी अधिनियम 2013 और डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार निगम के बोर्ड की एक कार्यात्मक लेखा परीक्षा समिति है। समिति की संरचना, संदर्भ शर्तें, वर्ष के दौरान बैठकों के विवरण वार्षिक रिपोर्ट के कॉर्पोरेट प्रशासन खंड की रिपोर्ट में उपलब्ध कराए जाते हैं।

9. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उसकी उपयोगिता:

निगम के पास आंतरिक नियंत्रण की एक व्यवस्था है, जो लगातार विकसित हो रही है। आंतरिक नियंत्रण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, व्यापक आंतरिक लेखा परीक्षा मैनुअल के अलावा, समय-समय पर आवश्यकता के आधार पर आंतरिक लेखा परीक्षकों को नए चेक पॉइंट की भी सलाह दी जाती है। बोर्ड की मंजूरी के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, निगम की आंतरिक लेखा परीक्षा बाहरी स्वतंत्र चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा की गई थी। आंतरिक नियंत्रण और लेखा परीक्षा व्यवस्था की लेखा परीक्षा समिति द्वारा सावधिक समीक्षा की जाती है और निरंतर सुधार के लिए, जहां भी आवश्यक हो, सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

10. सतर्कता:

वित्त वर्ष 2023 से 2024 के दौरान एनएचडीसी के सतर्कता विभाग का नेतृत्व प्रबंध निदेशक, एनएचडीसी द्वारा किया जाता है। सतर्कता विभाग केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करता है। निगम निवारक सतर्कता अपना रहा है।

अपने दैनिक कार्यों में सुरक्षित व्यवसाय प्रथाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए हर साल सतर्कता सप्ताह मनाया जाता है। वर्ष के दौरान, 31 अक्टूबर, 2023 से 06 नवंबर, 2023 तक 'भ्रष्टाचार मुक्त भारत-विकसित भारत' विषय के साथ 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' मनाया गया था। निगम के सतर्कता अधिकारी के संचालन में कार्मिकों द्वारा शपथ के साथ सप्ताह की शुरुआत की गई थी। सप्ताह के दौरान, सतर्कता से संबंधित विषयों पर निबंध लेखन प्रतियोगिता और स्लोगन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न कर्मचारियों ने भाग लिया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2023 के दौरान, दो कार्यशाला/संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए और दोनों कार्यशालाएं मुख्यालय, ग्रेटर नोएडा में भौतिक रूप में आयोजित की गईं और पूरे एनएचडीसी कार्यालय में वीसी लिंक के माध्यम से प्रसारित की गईं।

(Handlooms), Ministry of Textiles, Govt. of India bearing no. 10(4)/93-DCH/NHDC dated 05.06.2023. Further Ms. Amrit Raj has been retired from the directorship of the company w.e.f. 11th October 2023.

- **Shri Dharendra Kumar**, Director-IFW, has been appointed as Government Director on the Board of NHDC pursuant to an order of the Office of DC (Handlooms), Ministry of Textiles, Govt. of India bearing no. 11/26/82-DCH/NHDC/Vol.I dated 16.06.2023 in place of Shri Rabindra Mohanty, former Deputy Secretary (IFW) w.e.f. 16.06.2023.
- **Smt. (Dr.) Beena Mahadevan**, Development Commissioner for Handlooms vide order no. 10(4)/93-DCH/NHDC dated 17.11.2023 of Development Commissioner for Handlooms, Ministry of Textiles has been appointed as ex-officio Chairperson of the Company with effect from 11.10.2023 in place of Ms. Amrit Raj who has relinquished the charge of Development Commissioner (Handlooms).

Brief resume, nature of expertise, details of directorship held in other companies of the above Directors along with their shareholding in the Company as stipulated under Secretarial Standard-2 is provided in the Report on Corporate Governance section of the Annual Report.

The Board of the corporation met 04 times during the year 2023-24 (16th June 2023, 15th September 2023, 22nd December, 2023 and 23rd March 2024) and all the information required in accordance with DPE guidelines was placed before the Board.

8. AUDIT COMMITTEE:

The Corporation has a functional Audit Committee of the Board in accordance with the provisions of the Companies Act 2013 and DPE guidelines. Details regarding the composition of the Committee, terms of reference, meetings during the year are provided in the Report of Corporate Governance section of the Annual Report.

9. INTERNAL CONTROL SYSTEM AND THEIR ADEQUACY:

The corporation has a system of internal control, which is continuously evolving to. In order to make the internal control more effective, besides comprehensive Internal Audit Manual, the new check points are also advised to the internal auditors from time to time on need basis. As per the approval of the Board, for FY 2023-24, the Internal Audit of the corporation was conducted by outside independent Chartered Accountants. The internal control and audit systems are being reviewed periodically by the Audit Committee and corrective measures are taken, wherever necessary, for continuous improvement.

10. VIGILANCE:

The Vigilance Department of the NHDC is headed by MD, NHDC during F.Y.2023 to 2024. The Vigilance Department follows the guidelines issued by the Central Vigilance Commission from time to time. Corporation is adopting preventive vigilance.

Vigilance week is observed every year to educate the employees about safe business practices in their day to day working. During the year, 'Vigilance Awareness Week' with the theme "Corruption free India for a developed Nation" (भ्रष्टाचार मुक्त भारत-विकसित भारत) was observed from 31st October to 6th November 2023. The week was started with taking the pledge (vigilance), by the employees, administered by the Vigilance Officer of the Corporation. During the week, essay writing competition and slogan competition on topics relating the vigilance were conducted, wherein, various employees participated. During Vigilance Awareness Week-2023, Two workshop/Sensitization program conducted and both Workshop organized at Head Office Greater Noida physical mode and broad casted through VC link to entire NHDC Office.

11. सांविधिक लेखा परीक्षक एवं सी एंड एजी टिप्पणियों के जवाब:

सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट में रखी जाती है। वैधानिक लेखा परीक्षक रिपोर्ट की टिप्पणियों का उत्तर इस रिपोर्ट के अनुबंध ग के रूप में रखा गया है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) से प्राप्त टिप्पणियों की प्रति संलग्न है।

12. सचिवीय लेखा परीक्षक की टिप्पणियों के जवाब:

कंपनी, अधिनियम, 2013 की धारा 201(1) के तहत सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की टिप्पणियों के जवाब को इस रिपोर्ट के अनुबंध घ के रूप में रखा जाएगा।

13. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेश:

निगम, कोई विनिर्माण गतिविधि नहीं कर रहा है। तदनुसार, प्रौद्योगिकी समावेश से संबंधित मामला निगम पर लागू नहीं होता है।

14. विदेशी मुद्रा आय और खर्च:

निगम, विदेशी मुद्रा में कार्य नहीं करता है, क्योंकि यह कोई भी आयात/निर्यात गतिविधि पर नहीं चल रहा है।

15. जोखिम प्रबंधन नीति:

निगम, विदेशी मुद्रा में कार्य नहीं करता है। इसके अलावा, अधिशेष निधियां, यदि कोई हो, तो उसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में अल्पावधि जमा में निवेश किया जाता है। इस प्रकार, कोई वित्तीय जोखिम नहीं है।

16. महिलाओं को कार्यस्थल के यौन उत्पीड़न के अंतर्गत सूचना (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013:

पिछले वित्तीय वर्ष में कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न का कोई मामला सामने नहीं आया था। कंपनी की एक आंतरिक शिकायत समिति है, जहां महिला कर्मचारी यौन उत्पीड़न के खिलाफ अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती हैं।

17. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

कंपनी सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसरण में जारी सरकारी निर्देशों का पालन करती है और इस अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी को नामित किया गया है। सभी संबंधित जानकारी को कंपनी की वेबसाइट पर भी डाला जाता है।

18. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):

एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट के रूप में, कंपनी हथकरघा बुनकरों के समुदाय पर प्रमुख ध्यान देने के साथ समुदाय के कल्याण और सतत विकास के लिए सामाजिक रूप से उपयोगी कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और संशोधित डीपीई दिशानिर्देशों के संदर्भ में निदेशकों की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति की व्यवस्था की है। सीएसआर समिति की संरचना और संदर्भ शर्तें कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी रिपोर्ट में प्रदान की जाती हैं, जो वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा होती हैं। निदेशक मंडल ने नोट किया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, निगम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (1) के मानदंडों के अंतर्गत नहीं आता है, जो कंपनियों के लिए एक विशेष वित्तीय वर्ष में सीएसआर गतिविधियों को करने के लिए थ्रेसहोल्ड सीमा को अनिवार्य करता है। हालाँकि, निगम ने वित्त वर्ष 2023-24 में 5.47 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया है और स्वेच्छा से सीएसआर गतिविधि शुरू करने पर विचार कर रहा है।

11. REPLY TO STATUTORY AUDITOR'S & C&AG'S COMMENTS:

The report of the Statutory Auditor's is placed in the Annual Report. The reply to the comments of the Statutory Auditor Report is placed as **Annexure C** to this Report. Further, for FY 2023-24, copy of comments received from the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) under section 143 (6) of the Companies Act, 2013 is enclosed.

12. REPLY TO SECRETARIAL AUDITOR'S COMMENTS:

The report of the Secretarial Auditor's u/s 201(1) of the Companies Act, 2013 is placed in the Annual Report. The reply to the comments of the Secretarial Auditor's report is placed as **Annexure D** to this Report.

13. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION:

Corporation is not carrying on any manufacturing activity. Accordingly, the issue pertaining to Technology absorption does not apply to corporation.

14. FOREIGN EXCHANGE EARNING AND OUTGO:

Corporation is not dealing in foreign exchange, as it is not carrying on any import/ export activity.

15. RISK MANAGEMENT POLICY:

Corporation is not dealing in foreign exchange. Further, the surplus funds, if any, are invested in short term deposits with the bank, with schedule commercial banks. Thus, there is no financial risk.

16. INFORMATION UNDER SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION & REDRESSAL) ACT, 2013.

No case of Sexual Harassment at work place was reported in the last financial year. The company has an Internal Complaint Committee where women employees can register their complaints against sexual harassment.

17. RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

The Company follows Government instruction issued in pursuance of Right to Information Act, 2005, and has designated Public Information Officer and Appellate Authority under the Act. All relevant information has been hosted on the Company's website also.

18. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR):

As a responsible corporate citizen, your Company is committed to undertake socially useful programmes for welfare and sustainable development of the community with its major focus on the community of handloom weavers. The Company has in place the Corporate Social Responsibility (CSR) Committee of Directors in terms of Section 135 of the Companies Act, 2013 and revised DPE guidelines. The composition and terms of reference of the CSR Committee are provided in the Report on Corporate Governance, which forms part of the Annual Report. Board of Directors noted that for Financial Year 2023-24, the Corporation doesn't fall under the criteria of Section 135 (1) of the Companies Act, 2013, which mandates thresholds limits for Companies to do CSR activities in a particular financial year. However, Corporation has earned a net profit of Rs. 5.47 Crore in FY 2023-24 and voluntarily considering to undertake CSR activity.

19. धारा 92(3) और धारा 134(3)(ए) के प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिटर्न वार्षिक सामान्य बैठक में अपनाए जाने के बाद निगम की वेबसाइट यानी www.nhdc.org.in पर उपलब्ध कराया जाएगा।

20. निदेशक की जिम्मेदारी संबंधी वक्तव्य:

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के मद्देनजर, निदेशकों ने कहा है कि: –

- (i) वित्त वर्ष 2023-24 के वार्षिक लेखाओं को तैयार करने में, सामग्री निर्गम से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ-साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था;
- (ii) ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया गया जो कि उचित और विवेकपूर्ण हैं और उन्हें सतत रूप से लागू किया है तथा उसके अनुसार निर्णय लिए गए हैं एवं अनुमान लगाए गए हैं, ताकि 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;
- (iii) कंपनी की परिसंपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी का पता लगाने तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसरण में पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त देखभाल की गई है;
- (iv) वार्षिक खाते चालू कारोबार के आधार पर तैयार किए गए हैं; और
- (v) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था तैयार की गई है और यह व्यवस्था पर्याप्त और प्रभावी ढंग से संचालित हो रही है।

21. प्रकटीकरण

निदेशकों का कहना है कि निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी प्रकार का खुलासा आवश्यक नहीं है, क्योंकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इस संबंध में कोई लेनदेन/आयोजन नहीं हुए:

- (i) जमा से संबंधित विवरण को कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय V के तहत कवर किया गया है।
- (ii) डिविडेंड, वोटिंग या अन्य रूप में विशेषक अधिकारों (डिफरेंशियल राइट) के साथ इक्विटी शेयर जारी करना।
- (iii) कंपनी की किसी भी योजना के तहत कंपनी के कार्मिकों को शेयर जारी करना (स्वेट इक्विटी शेयर सहित)।
- (iv) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी की शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
- (v) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने सामान्य आरक्षित (रिजर्व) की कोई राशि हस्तांतरित नहीं की है।
- (vi) निगम ने एमओयू पर हस्ताक्षर करने के लिए आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु एमओयू डिजिटल डैशबोर्ड का उपयोग करने के लिए आईडी पासवर्ड जारी करने का अनुरोध किया है।
- (vii) वित्तीय वर्ष 2023-24 की समाप्ति के बाद और इस रिपोर्ट की तारीख तक कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव/प्रतिबद्धता नहीं की गई है, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगी (इस वार्षिक रिपोर्ट में यथासूचित को छोड़कर)।
- (viii) नियामक या न्यायालयों अथवा न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण या आवश्यक आदेश पारित नहीं किए गए जो भविष्य में 'चालू कारोबार' और कंपनी के भावी प्रचालन को प्रभावित करते हैं।

19. In accordance with the provisions of Section 92(3) & Section 134(3)(a), the annual return for FY 2023-24 shall be available on the website of the Corporation i.e. www.nhdc.org.in once adopted in Annual General Meeting.

20. DIRECTOR'S RESPONSIBILITY STATEMENT:

In view of provisions of the Companies Act, 2013, your Directors state that: -

- (i) in the preparation of the annual accounts of FY 2023-24, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;
- (ii) such accounting policies have been selected and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year ended 31st March, 2024 and of the profit and loss of the company for that period;
- (iii) proper and sufficient care has been taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- (iv) the annual accounts have been prepared on a going concern basis and
- (v) proper systems have been devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

21. DISCLOSURES

Your Directors state that no disclosure is required in respect of the following matters, as there were no transactions/ events in relation thereto, during the year under review:

- (i) Details relating to deposits covered under Chapter V of the Companies Act, 2013.
- (ii) Issue of equity shares with differential rights as to dividend, voting or otherwise.
- (iii) Issue of shares (including sweat equity shares) to employees of the Company under any scheme of the Company.
- (iv) There was no change in the share capital of the Company during the year under review.
- (v) The Company has not transferred any amount to the General Reserve during the year under review.
- (vi) The Corporation has requested to issue ID password to use MOU digital dashboard for further necessary action for signing MOU.
- (vii) No material changes/commitments have occurred (except as reported in this annual report) after the end of the financial year 2023-24 and till the date of this report which would affect the financial position of your Company.
- (viii) No significant or material orders were passed by the Regulators or Courts or Tribunals which impact the 'going concern status' and Company's operations in future.

- (ix) कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था है। वर्ष के दौरान इसके प्रभावी क्रियान्वयन में विशेष सावधानी बरती जा रही है।
- (x) चूंकि निगम की कोई होल्डिंग या सहायक कंपनी नहीं है, इसलिए होल्डिंग/सहायक कंपनी से प्रबंध निदेशक का पारिश्रमिक लागू नहीं है।
- (xi) चूंकि निगम की कोई होल्डिंग/सहायक कंपनी नहीं है, इसलिए लेखाओं के समेकन के बारे में प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
- (xii) वित्त वर्ष 2018-19 में वाईएसएस के कार्यान्वयन में अनियमितताओं को छोड़कर, लेखा परीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट में किसी प्रकार की धोखाधड़ी की रिपोर्ट नहीं की गई थी, जिसकी स्थिति ऊपर उल्लिखित कार्य स्थिति में दी गई है।
- (xiii) निगम को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड के अनुरक्षण की आवश्यकता नहीं है।
- (xiv) निगम ने कोई ऋण या गारंटी नहीं दी है।
- (xv) निगम ने कोई संबंधित पार्टी लेन-देन नहीं किया है।
- (xvi) वित्तीय विवरणों और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धता नहीं है।
- (xvii) निगम के चालू कारोबार की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
- (xviii) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना एफ.सं.1/2/2014-सीएल.V के जरिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ई) तथा (पी) के तहत सूचना के प्रकटीकरण से सरकारी कंपनियों को छूट दी है।

22. अभिस्वीकृति:

बोर्ड, निगम की गतिविधियों और कार्यों को पूरा करने के लिए वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, भारत सरकार और केंद्र तथा राज्य सरकारों के अन्य मंत्रालयों और विभागों द्वारा उनकी सहायता और मार्गदर्शन के लिए आभारी है।

निदेशक, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, लेखा परीक्षा और सीएसआर समितियों के सदस्यों, बोर्ड, सांविधिक और शाखा लेखा परीक्षकों और बैंकर्स की मदद, सहयोग और मार्गदर्शन के लिए आभारी हैं। बोर्ड विभिन्न उपयोगकर्ता एजेंसियों/अन्य संबंधित एजेंसियों को उनके समर्थन और संगठन में रखें गए विश्वास के लिए आभार व्यक्त करता है और भविष्य में पारस्परिक संबंधों के लिए तत्पर हैं।

निदेशक, सभी कताई मिलों और रंगों तथा रसायनों के विनिर्माताओं से प्राप्त निरंतर सहयोग और साथ ही उनकी संगठित व्यवस्था की सराहना करते हैं। बोर्ड, एनएचडीसी परिवार के सभी सदस्यों को उनके उत्साह, समर्पित कार्य और सहयोग के लिए बहुत आभार प्रकट करता है और उनकी निरंतर भागीदारी की आशा रखता है।

निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/-

बीना महादेवन

अध्यक्ष

डीआईएन: 03483417

दिनांक: 28 नवंबर, 2024

स्थान: नई दिल्ली

- (ix) Your Company has in place, adequate internal financial controls with reference to the financial statements. During the year, special care is being taken in its effective implementation.
- (x) Corporation has no Holding or Subsidiary Company hence remuneration to Managing Director from Holding/Subsidiary Company is not applicable.
- (xi) Corporation has no Holding/subsidiary Company hence provisions regarding consolidation of accounts are not applicable.
- (xii) No frauds were reported by the Auditors in their report, except for the irregularities in implementation of YSS in FY 2018-19, status of which has been provided in the state of affairs mentioned above.
- (xiii) Corporation is not required to maintain cost records as specified by the Central Government under sub-section (1) of section 148 of the Companies Act, 2013.
- (xiv) Corporation has not given any loans or Guarantee.
- (xv) Corporation has not undertaken any Related party Transaction.
- (xvi) No material changes and commitments between the date of financial statements and the date of this report.
- (xvii) There is no change in going concern status of the corporation.
- (xviii) Vide notification F.No.1/2/2014-CL.V dated 05th June, 2015, Ministry of Corporate Affairs, Government of India, has exempted Government companies from disclosure of information under section 134(3) (e) and (p) of the Companies Act, 2013.

22. ACKNOWLEDGMENT:

Your Board is thankful to the Ministry of Textiles, Office of Development Commissioner for Handlooms, Government of India and other Ministries and departments in Central and State governments for their support and guidance given to the corporation in carrying out its activities and operations.

Your Directors are grateful to the Comptroller & Auditor General of India, Members of Audit & CSR Committees, Board, Auditors and Bankers for their help, cooperation and guidance. Your Board expresses sincere gratitude to the various user agencies/ other concerned agencies for their support and confidence reposed in the organization and looks forward to mutually rewarding relationship in future.

Your Directors wish to place on record their appreciation for the continued co-operation received from all the Spinning Mills and Manufacturers of dyes & chemicals and fabrics directly as also through their organized set-ups. Your Board also wishes to record its deep gratitude to all the members of NHDC family for their enthusiasm, dedicated work and cooperation and look for their continuous involvement.

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-
Beena Mahadevan
Chairperson
DIN: 03483417

Date: 28 November 2024

Place: New Delhi

निगम शासन प्रणाली संबंधी रिपोर्ट

(क) कारपोरेट शासन प्रणाली के संबंध में कंपनी का सिद्धांत:

कारपोरेट शासन प्रणाली के संबंध में एनएचडीसी के सिद्धांत में, नैतिक व्यापार आचरण और संचालन के सभी पहलुओं और शेयरधारकों, कर्मचारियों, बैंकरों, लेखा परीक्षकों एवं सरकार सहित इसके सभी हितधारकों के साथ बातचीत में पारदर्शिता, जवाबदेही और इक्विटी के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है। यह निगम निरंतर रूप से कारपोरेट गवर्नेंस के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने के प्रयास करता है ताकि दीर्घकालीन हितधारकों के मूल्य को बढ़ाया जा सके और कारपोरेट गवर्नेंस के अच्छे मानकों को बनाए रखा जा सके। निगम में व्यावसायिकता और जवाबदेही का प्रावधान करने के लिए सुव्यवस्थित, पारदर्शी तथा निष्पक्ष प्रशासनिक व्यवस्था है।

(ख) निदेशक मंडल:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, वित्तीय वर्ष के अंत में बोर्ड में निदेशकों की संख्या 3 (तीन) थी। बोर्ड के निदेशकों को संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 94 के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। निगम ने प्रशासनिक मंत्रालय से बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का अनुरोध किया है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निदेशक मंडल का गठन और संबंधित जानकारी निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम एवं श्रेणी	उपस्थिति सहित बोर्ड बैठकों की संख्या	पिछली एजीएम में उपस्थिति	31.03.2024 की स्थिति के अनुसार बाहरी निदेशकों की संख्या
सरकारी निदेशक:			
(क) सुश्री शुभ्रा, अध्यक्ष-एनएचडीसी / विकास आयुक्त (हथकरघा) – अतिरिक्त प्रभार, वस्त्र मंत्रालय डीआईएन नं. 10041823 (28.04.2023 तक)	शून्य	नहीं	शून्य
(ख) श्री रबिन्द्रनाथ मोहंती, उप सचिव एकीकृत वित्त विंग, वस्त्र मंत्रालय डीआईएन नं. 09508736 (दिनांक 30.04.2023 तक)	शून्य	नहीं	शून्य
(ग) श्रीमती अमृत राज, अध्यक्ष-एनएचडीसी / विकास आयुक्त हथकरघा (अतिरिक्त प्रभार) डीआईएन संख्या 03149839 (28.04.2023 से 11.10.2023 तक)	2/2	नहीं	1

ANNEXURE A TO DIRECTORS' REPORT

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(a) COMPANY'S PHILOSOPHY ON CORPORATE GOVERNANCE:

NHDC's philosophy on Corporate Governance envisages ethical business conduct and attainment of highest level of transparency, accountability and equity in all facets of operations and all its interactions with its stakeholders including shareholders, employees, bankers, auditors and the Government. The corporation constantly endeavors to achieve the highest levels of standards of corporate governance in order to enhance the long-term stakeholders' value and maintain good standards of Corporate Governance. Corporation has well established, transparent and fair administrative set up to provide for professionalism and accountability.

(b) BOARD OF DIRECTORS:

During the F.Y. 2023-24, the number of directors on the Board at the end of the Financial Year was 3 (Three). The Directors on the Board are appointed by the Government of India in terms of Article 94 of the Articles of Association of the corporation. Corporation has requested the administrative ministry to appoint independent directors on the Board.

Constitution of Board of Directors and the related information during the F.Y. 2023-24, is as follows:

Name & category of the Director	No. of Board meetings with attendance	Attendance in last AGM	No. of outside Directorships as on 31.03.2024
Government Director(s):			
a) Ms. Shubhra, Chairperson-NHDC / DC(Handlooms)- Additional Charge, Ministry of Textiles DIN No. 10041823 (Till 28.04.2023)	NIL	No	Nil
b) Shri Rabindranath Mohanty, Dy. Secretary, Integrated Finance Wing, Ministry of Textiles DIN No. 09508736 (till 30.04.2023)	NIL	No	Nil
c) Smt. Amrit Raj, Chairperson-NHDC / Development Commissioner (Additional Charge) for Handlooms DIN No. 03149839 (From 28.04.2023 till 11.10.2023)	2/2	No	1

(घ) श्रीमती (डॉ.) बीना महादेवन, अध्यक्ष— एनएचडीसी / विकास आयुक्त (हथकरघा) डीआईएन संख्या 03483417 (11.10.2023 से)	2/2	हां	शून्य
(ङ) श्री धीरेंद्र कुमार, निदेशक (आईएफडब्ल्यू) डीआईएन नंबर 10291337 (16.06.2023 से)	4/4	हां	शून्य
प्रबंध निदेशक:			
(च) श्रीमती रीता प्रेम हेमराजानी, डीआईएन नं. 09478824 (दिनांक 18 जनवरी, 2022 से)	4/4	हां	शून्य

निगम के बोर्ड ने वर्ष 2023–24 (16 जून, 2023, 15 सितम्बर, 2023, 22 दिसम्बर, 2023 तथा 23 मार्च 2024) के दौरान 05 बार बैठकें की और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित सभी जानकारी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की।

डॉ. बीना महादेवन (50 वर्ष) आईएएस ने 11 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। त्रिवेंद्रम की मूल निवासी डॉ. बीना महादेवन एक मेडिकल डॉक्टर हैं और वर्ष 1999 में केरल कैंडर से भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुईं। उन्होंने राज्य में सहायक जिलाधीश, उप जिलाधीश, विभिन्न विभागों के निदेशक सहित विभिन्न पदों पर कार्य किया है। उन्होंने त्रिशूर और एर्नाकुलम के जिलाधीश के रूप में भी कार्य किया है।

एनएचडीसी में शामिल होने से पहले वह कोचीन पोर्ट ट्रस्ट की अध्यक्ष रह चुकी हैं। उन्होंने केएसआईडीसी की प्रबंध निदेशक और स्मार्ट सिटी त्रिवेंद्रम की सीईओ के रूप में कार्य किया है। वह सड़क एवं पुल विकास निगम, व्यटिला मोबिलिटी हब, केरल बुक्स एंड पब्लिकेशन्स लिमिटेड और सप्लाईको की प्रबंध निदेशक भी थीं। अपने 24 वर्षों के सेवा काल के दौरान, उन्हें पोर्ट प्रबंधन, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, परिवहन, औद्योगिक विकास, एयरपोर्ट कार्गो हैंडलिंग, वित्तीय सेवाओं आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बहुमुखी अनुभव प्राप्त हुआ। डॉ. बीना महादेवन आईएएस के नेतृत्व में केएसआईडीसी ने वर्ष 2015–16 में सर्वाधिक लाभ अर्जित किया। कोचीन पोर्ट की अध्यक्ष के रूप में डॉ. बीना के पांच साल के कार्यकाल के दौरान, कोचीन पोर्ट ने 763.56 करोड़ रुपये का उच्चतम कारोबार हासिल किया है।

श्री रवीन्द्रनाथ मोहंती के स्थान पर दिनांक 16.06.2023 से श्री धीरेंद्र कुमार, निदेशक—आईएफडब्ल्यू, को निगम के बोर्ड में सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

बोर्ड में निदेशकों का संक्षिप्त विवरण (31 मार्च, 2024 तक):

- श्रीमती अमृत राज**, विकास आयुक्त हथकरघा (अतिरिक्त प्रभार), ने सुश्री शुभ्रा के स्थान पर 28.04.2023 से निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। श्रीमती अमृत राज – (52 वर्ष) 1994 बैच की आईपीओएस हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य में मास्टर के साथ कानून की डिग्री हासिल की है। इससे पहले, उन्होंने संचार और आईटी मंत्रालय के डाक विभाग में महाप्रबंधक – डाक निदेशालय के रूप में कार्य किया। वह सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईसी) के निदेशक मंडल में सरकारी निदेशक के रूप में भी कार्यरत हैं। इसके अलावा सुश्री अमृत राज 11 अक्टूबर 2023 को कंपनी के निदेशक पद से सेवानिवृत्त हुईं।
- श्रीमती रीता प्रेम हेमराजानी** (59 वर्ष) 1990 बैच की आईआरपीएस अधिकारी हैं। वह तीन दशकों से अधिक समय से भारतीय रेलवे से जुड़ी हुई हैं और रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों जैसे उत्तर पूर्व रेलवे, पश्चिम रेलवे, मध्य रेलवे में मानव संसाधन और प्रशासन में विभिन्न प्रमुख पदों पर कार्य कर चुकी हैं और भारतीय रेलवे में दूसरे सबसे बड़े मंडल (लगभग 35000 कर्मचारी) के लिए मानव संसाधन प्रमुख थीं। उनके पास क्षेत्रीय कार्यालयों, मुख्यालय में नीति कार्यक्रमों, आईटी और श्रम प्रधान कार्यशाला का व्यापक अनुभव है। फिल्म डिवीजन में निदेशक (प्रशासन) के रूप

d) Smt. (Dr.) Beena Mahadevan, Chairperson- NHDC/ Development Commissioner for Handlooms DIN No. 03483417 (From 11.10.2023)	2/2	Yes	Nil
e) Shri Dharendra Kumar, Director (IFW) DIN No. 10291337 (From 16.06.2023)	4/4	Yes	Nil
Managing Director:			
f) Smt. Rita Prem Hemrajani, DIN No. 09478824 (From 18.01.2022)	4/4	Yes	NIL

The Board of the corporation met 04 times during the year 2023-24 (16th June 2023, 15th September 2023, 22nd December, 2023 & 23rd March 2024) and all the information required in accordance with DPE guidelines was placed before the Board.

Dr. Beena Mahadevan (50 Years) IAS assumed the charge as Chairperson, National Handloom Development Corporation Limited on 11th October.2023. A native of Trivandrum, Dr. Beena is a medical doctor by qualification and got into Indian Administrative Services from Kerala Cadre in the year 1999. She has served in various capacities in the State including Assistant Collector, Sub Collector, Director of various Departments. She has also served as District Collector of Thrissur and Ernakulam.

She has served as Chairperson, Cochin Port trust prior to joining NHDC. She has worked as Managing Director, KSIDC and CEO, Smart City Trivandrum. She was also the Managing Director to the Roads & Bridges Development Corporation, Vyttila Mobility Hub, Kerala Books & Publications Ltd and SUPPLYCO. During her service period of 24 years, she had multifaceted experience in various sectors like port management, Infrastructure development, Transportation, Industrial Development, Airport cargo handling, financial services etc. Under leadership of Dr M Beena IAS, KSIDC achieved highest recorded profit in the year 2015-16. During the five years' tenure of Dr. Beena as Chairperson of Cochin Port, Cochin Port has achieved highest turnover of Rs.763.56 Cr.

Shri Dharendra Kumar, Director-IFW, has been appointed as Government Director on the Board of the Corporation w.e.f. 16.06.2023 in place of Shri Rabindranath Mohanty.

Brief resume of Directors on the Board (as on March, 31, 2024):

- i) **Mrs. Amrit Raj**, DC Handlooms (Additional Charge), has joined as Chairperson of the Corporation w.e.f. 28.04.2023 in place of Ms. Shubhra. Mrs. Amrit Raj - (52 years) is an IPoS of 1994 batch. She has a Law Degree along with a Master in Social Work from Delhi University. Prior to this, she served as GM – Postal Directorate in Department of Posts, Ministry of Communication & IT. She is also serving as Government Director on the Board of Directors of Central Cottage Industries Corporation of India Ltd. (CCIC). Further Ms. Amrit Raj has been retired from the directorship of the company w.e.t. 11th October 2023.
- ii) **Smt. Rita Prem Hemrajani** (59 Years) is an IRPS officer of 1990 batch. She has been associated with Indian Railways for more than three decades and has held various key positions in HR & administration in different zones of railways viz Northern Eastern Railway, Western Railway, Central Railway and was HR Head for second largest division in Indian Railways (approx. 35000 employees). She has vast experience of field offices, policy programmes in Headquarters, IT and labour-intensive

में इन्होंने दो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया तथा भारतीय सिनेमा राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना सहित असंरचना उन्नयन कार्य किए हैं। श्रीमती रीता प्रेम हेमरजानी ने दिनांक 18 जनवरी, 2022 को निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य ग्रहण किया।

- iii) **श्री धीरेन्द्र कुमार** (58 वर्ष) श्री धीरेन्द्र कुमार 16 जून, 2023 से एनएचडीसी के बोर्ड में सरकारी निदेशक के रूप में शामिल हुए हैं। वर्तमान में वस्त्र मंत्रालय में निदेशक (आईएफडब्ल्यू) के रूप में मार्च 2023 से कार्यरत हैं। उन्होंने बीएससी, इतिहास में एमए और वित्त में एमबीए की डिग्री हासिल की है। वर्ष 1991 में वे भारत सरकार की सेवा में शामिल हुए। वे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से जुड़े रहे हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सहयोग और यूएनडीपी आदि जैसे विभिन्न कार्यभार सफलतापूर्वक संभाले हैं।

ग. लेखा परीक्षा समिति:

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के अनुसरण में, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की बैठकें आयोजित की गईं। सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों में प्रस्तावित अनुसार लेखापरीक्षा समिति की संदर्भ शर्तों को लेखापरीक्षा समिति द्वारा उसकी 08 दिसंबर, 2010 को आयोजित 23वीं बैठक में नोट किया गया। इसके अलावा, बोर्ड ने दिनांक 26 मार्च, 2019 को आयोजित अपनी 156वीं बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप लेखापरीक्षा समिति की संदर्भ शर्तों को संशोधित किया।

लेखापरीक्षा समिति की संरचना और संबंधित जानकारी नीचे दी गई है:

नाम / श्रेणी	लेखापरीक्षा समिति में स्थिति	वर्ष के दौरान उपस्थिति सहित बैठकों की संख्या
श्री धीरेन्द्र कुमार अध्यक्ष	अध्यक्ष	4/4
श्रीमती रीता प्रेम हेमरजानी प्रबंध निदेशक	सदस्य	4/4

वर्ष 2023-24 (10 जुलाई 2023, 15 सितम्बर, 2023, 22 दिसम्बर 2023 और 23 मार्च 2024) के दौरान, लेखा परीक्षा समिति की 04 बार बैठकें हुईं, ऊपर दिए गए पैरा में उल्लेख किए अनुसार, बैठक में सभी सदस्य उपस्थित थे।

घ. पारिश्रमिक समिति:

कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना सं. 1/2/2014-सीएल.V के तहत, वरिष्ठ प्रबंधन और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित मामले को छोड़कर, पारिश्रमिक समिति से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के उप-धाराओं (2), (3) और (4) के प्रावधानों से सरकारी कंपनियों को छूट दी है।

निगम ने 5.47 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है, इसलिए यह अपने कर्मचारियों को कार्य प्रदर्शन संबंधी भुगतान (पीआरपी) करने का प्रबंधन कर सकता है। साथ ही, निगम में कर्मचारियों की संख्या भी कम है (अर्थात् 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार 110)।

उपरोक्त के मद्देनजर, किसी अलग पारिश्रमिक समिति की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है और पारिश्रमिक से संबंधित अन्य मामलों, यदि कोई हो, को सीधे निदेशक मंडल में रखा गया है।

ङ. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति:

निदेशक मंडल की सीएसआर समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और डीपीई दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुसार किया गया है। सीएसआर समिति के संदर्भ शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी द्वारा की जाने वाली

workshop. As Director (Admin) in Films Division, she conducted two international film festivals & undertook infrastructure upgradation including setting up of National Museum of Indian Cinema. Smt. Rita Prem Hemrajani joined as MD of the Corporation w.e.f. 18th January, 2022.

- iii) **Shri Dharendra Kumar** (58 years) Shri Dharendra Kumar has joined as Government Director on the Board of NHDC w.e.f. 16th June, 2023. Presently working as Director (IFW) in Ministry of Textiles since March 2023. He is holding degree of BSc., M.A History & M.B.A in Finance. He has joined service of Government of India in 1991. He has been associated in Ministry of Environment and Forest, Ministry of Finance and Food and Public Distribution. He has successfully handled various assignments such as- International Cooperation and UNDP etc.

c. **AUDIT COMMITTEE:**

In accordance with the provisions of section 177 of the Companies Act 2013, the meetings of Audit Committee were held during the year under review. The terms of reference of the Audit Committee, as proposed in the DPE guidelines on Corporate Governance for CPSEs were noted by the Audit Committee in its 23rd meeting held on 08th Dec., 2010. Further the Board in its 157th meeting held on 26th March, 2019 revised the terms of reference of the Audit Committee in line with the provisions of the Companies Act, 2013 and DPE guidelines.

The composition of Audit Committee and the related information is placed herein below:

Name/ category	Position in Audit Committee	No. of meetings with attendance during the year
Shri Dharendra Kumar Chairman	Chairman	4/4
Smt. Rita Prem Hemrajani Managing Director	Member	4/4

The Audit Committee met 4 times during the year 2023-24 (10th July 2023, 15th September 2023, 22nd December, 2023 & 23rd March 2024), all the members were present except as explained in the para above.

d. **REMUNERATION COMMITTEE:**

Vide notification no.1/2/2014-CL.V dated 05th June, 2015, Ministry of Corporate Affairs, Government of India, has exempted Government Companies from provisions of sub-sections (2), (3) and (4) of Section 178 of the Companies Act, 2013 pertaining to Remuneration Committee, except with regard to appointment of senior management and other employees.

The corporation has earned a profit of Rs. 5.47 Crore, hence it can manage to pay the Performance Related Payment (PRP) to its employees. Also, the number of employees in the corporation is also small (i.e., 110 as on 31st March, 2024).

In view of above, no need has been felt to have a separate remuneration committee and the other matters relating to remuneration, if any, are placed directly to the Board of Directors.

e. **Corporate Social Responsibility (CSR) Committee:**

CSR Committee of the Board of Directors has been constituted in accordance with the requirements of Section 135 of Companies Act, 2013 and the DPE guidelines. The terms of reference of the CSR

गतिविधियों, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के तहत कवर की गई है, को दर्शाते हुए सीएसआर नीति तैयार करनाय बोर्ड को अनुशंसा, सीएसआर नीति और सीएसआर गतिविधियों पर व्यय की राशिय और समय-समय पर कंपनी की सीएसआर नीति की निगरानी करना शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, निगम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (1) के मानदंडों के तहत नहीं आता है, जो कंपनियों के लिए एक विशेष वित्तीय वर्ष में सीएसआर गतिविधियों को करने के लिए थ्रेसोल्ड सीमा को अनिवार्य बनाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कोई सीएसआर गतिविधि आयोजित नहीं की गई थी। सीएसआर समिति की संरचना और उक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति इस प्रकार थी:

नाम / श्रेणी	सीएसआर समिति में स्थिति
श्रीमती रीता प्रेम हेमराजानी प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
श्री धीरेंद्र कुमार सरकारी निदेशक	सदस्य

च. आम सभा की बैठक:

अंतिम 03 वार्षिक आम सभा की बैठकें (एजीएम) निम्नानुसार आयोजित की गईं:

एजीएम	एजीएम की तारीख तथा समय	एजीएम का स्थान
2022-23	22 दिसंबर, 2023 05.45 अपराह्न	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
2021-22	12 दिसंबर, 2022, 03.30 अपराह्न	उद्योग भवन, नई दिल्ली
2020-21	30 दिसंबर, 2021, 04.45 अपराह्न	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से

छ. प्रकटीकरण:

- कार्यकारी निदेशक को दिए गए पारिश्रमिक का विवरण: वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान श्रीमती रीता प्रेम हेमराजानी को 55.74 लाख रुपये वेतन और 3.25 लाख रुपये अन्य लाभ का भुगतान किया गया।
- वर्ष के दौरान, कोई संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं था।
- वर्ष के दौरान किसी भी प्राधिकारी द्वारा कोई अर्थदंड/जुर्माना नहीं लगाया गया है।
- निगम में बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक व्हिसल ब्लोअर नीति है, जिसे निगम के सभी कार्मिकों को परिचालित किया गया है और इसे वेबसाइट www.nhdc.org.in पर भी रखा गया है। इसके अलावा, यह पुष्टि की जाती है कि निगम के किसी भी कार्मिक को लेखा परीक्षा समिति तक पहुँचने से वंचित नहीं किया गया है।
- निगम, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, जिसके लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रशासनिक मंत्रालय को अनुरोध भेजा गया है, को छोड़कर सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी दिशानिर्देशों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन कर रहा है। जहां तक पारिश्रमिक समिति का संबंध है, इसका उल्लेख ऊपर किया गया है।
- निगम द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी किए गए राष्ट्रपति के निर्देशों का अनुपालन वर्ष के दौरान और पिछले 3 वर्षों के दौरान भी किया गया है।
- वर्ष के दौरान, ऐसा कोई खर्च लेखा बही के खाते नामें नहीं लिखा गया है, जो व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए नहीं हैं।
- वर्ष के दौरान, कोई व्यक्तिगत प्रकृति का खर्च नहीं है जो निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए किया गया हो।

Committee, inter-alia, include formulation of CSR Policy indicating the activities to be undertaken by the Company covered under Schedule VII of the Companies Act, 2013; recommending to the Board, the CSR Policy & amount of expenditure on CSR activities; and to monitor the CSR Policy of the Company from time to time. For Financial Year 2023-24, the Corporation doesn't fall under the criteria of section 135 (1) of the Companies Act, 2013, which mandates thresholds limits for Companies to do CSR activities in a particular financial year. No CSR activity was conducted in financial year FY 2023-24. The composition of CSR Committee and attendance of the Directors at the said meetings was as follows:

Name/ category	Position in CSR Committee
Smt. Rita Prem Hemrajani Managing Director	Chairperson
Shri Dharendra Kumar Government Director	Member

f. GENERAL BODY MEETING:

The last 03 Annual General Meeting (AGMs) was held as under:

AGM	Date & time of AGM	Venue of the AGM
2022-23	22 nd December, 2023 05.45 pm	Through Video Conferencing (VC) Mode
2021-22	12 th December, 2022 03.30 pm	Udyog Bhawan, New Delhi
2020-21	30 th December, 2021 04.45 pm.	Through video conferencing mode

g. DISCLOSURES:

- (i) Details of remuneration paid to the Functional Director: Salary of Rs. 55.74 Lakhs and other benefit Rs. 3.25 Lakhs is paid to Smt. Rita Prem Hemrajani during the F.Y. 2023-24.
- (ii) During the year, there was no related party transaction
- (iii) During the year, no penalty/fine has been imposed by any authority.
- (iv) The corporation has a Whistle Blower Policy duly approved by the Board, which has been circulated to all the employees of the corporation and also placed on the website www.nhdc.org.in of the corporation. Further, it is affirmed that no personnel has been denied access to the Audit Committee.
- (v) The corporation is complying with all the requirements of the Guidelines on Corporate Governance for CPSEs except the appointment of independent Directors, for which a request has been sent to the Administrative Ministry for the needful. As regards, the Remuneration Committee, the same has been explained above.
- (vi) The Presidential directives issued by the Government of India has been complied by the corporation during the year and also during the last 3 years.
- (vii) During the year, no expenditure has been debited in the books of accounts which are not for the purposes of business.
- (viii) During the year, no expenses which are of personal nature have been incurred for the Board of Directors and top management.

ix. वित्तीय व्यय शून्य है, क्योंकि निगम एक ऋण मुक्त निगम है।

ज. संप्रेषण माध्यम:

निगम की संपूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी भारत सरकार द्वारा धारित है। निगम के वार्षिक लेखों सहित वार्षिक रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी जाती है और इसे निगम की वेबसाइट www.nhdc.org.in पर भी रखा जाता है। वार्षिक लेखाओं को भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में भी दायर किया जाता है।

झ. लेखापरीक्षा योग्यताएं

कंपनी का सांविधिक लेखा परीक्षक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाता है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षक और सांविधिक लेखा परीक्षक की टिप्पणियों का विधिवत उत्तर दिया निदेशक मंडल द्वारा दिया गया है और बोर्ड की रिपोर्ट के रूप में संलग्न किया गया है।

ञ. निदेशक मंडल के प्रशिक्षण:

निगम, निदेशकों को उनकी बोर्ड में नियुक्ति पर फोल्डर के रूप में दस्तावेजों का एक सेट प्रस्तुत करता है। इसमें निगम के कामकाज और कार्य निष्पादन, बोर्ड के सदस्यों के लिए व्यावसायिक नीति एवं आचार संहिता, कॉर्पोरेट शासन प्रणाली संबंधी दिशानिर्देश आदि के बारे में महत्वपूर्ण डेटा शामिल हैं।

ट. व्हिसल ब्लोअर नीति:

निगम में बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित एक व्हिसल ब्लोअर नीति की व्यवस्था की गई है। इस नीति को निगम के सभी कार्मिकों को परिचालित किया गया है और निगम की वेबसाइट www.nhdc.org.in पर भी रखा गया है।

ठ. आचार संहिता:

निगम ने बोर्ड के सदस्यों और निगम के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता और व्यावसायिक नीति निर्धारित की है। संहिता की एक प्रति निगम की वेबसाइट www.nhdc.org.in पर प्रदर्शित की गई है। सभी बोर्ड सदस्यों और प्रमुख अधिकारियों ने संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। इस आशय की एक घोषणा इस रिपोर्ट में संलग्न की गई है।

ड. अनुपालना प्रमाण पत्र:

इस रिपोर्ट में सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी डीपीई दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं का विधिवत रूप से अनुपालन किया गया है और दिशानिर्देशों के अनुबंध-VII में उल्लिखित सुझाई गई सभी मदों को शामिल किया गया है। डीपीई द्वारा निर्धारित कॉर्पोरेट शासन प्रणाली की अपेक्षाओं के अनुपालन संबंधी त्रैमासिक/वार्षिक रिपोर्ट भी नियमित और समय पर प्रशासनिक मंत्रालय को भेजी जाती है। सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट शासन प्रणाली संबंधी दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुपालन के बारे में पेशेवर कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाण-पत्र को रिपोर्ट में संलग्न कर दिया गया है।

निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./—
बीना महादेवन
अध्यक्ष

दिनांक: 28 नवंबर 2024

स्थान: नई दिल्ली

(ix) Financial Expenses are nil, since corporation is a debt free corporation.

h. MEANS OF COMMUNICATION:

The entire paid up share capital of the corporation is held by the Government of India. The Annual report including annual accounts of the corporation are sent to the Government of India and also placed on the website www.nhdc.org.in of the corporation. The annual accounts are also filed with the Ministry of Corporate Affairs, Government of India.

i. AUDIT QUALIFICATIONS:

The Statutory Auditor of the Company is appointed by the Comptroller & Auditor General of India u/s 139 of the Companies Act, 2013. The Comments of the Secretarial Auditor and Statutory Auditor for FY 2023-24 have been duly replied by the Board of Directors and form annexure to the Board's Report.

j. TRAINING OF BOARD OF DIRECTORS:

The corporation furnishes a set of documents in a folder form to the directors on their joining the Board. This includes important data about the functioning and performance of the corporation, Code of Business Conduct & Ethics for the Board members, Corporate Governance Guidelines etc.

k. WHISTLE BLOWER POLICY:

The corporation has laid down a Whistle Blower Policy duly approved by the Board. The policy has been circulated to all the employees of the corporation and also placed on the website www.nhdc.org.in of the corporation.

l. CODE OF CONDUCT:

The corporation has laid down the Code of Conduct & Business Ethics for the Board members and senior management of the corporation. A copy of the Code is displayed on the website www.nhdc.org.in of the corporation. All the Board members and key officers have affirmed their compliance to the code. A declaration to this effect is annexed to this report.

m. COMPLIANCE CERTIFICATE:

This report duly complies with the requirements of DPE Guidelines on Corporate Governance for CPSEs and covers all the suggested items mentioned in the Annexure - VII of the Guidelines. The quarterly/ annual reports on the compliance with the Corporate Governance requirements prescribed by the DPE are also sent to the Administrative Ministry regularly and timely. The certificate obtained from the Practicing Company Secretary regarding compliance to the conditions of guidelines on Corporate Governance for CPSEs has been annexed to the report.

For and on behalf of Board of Directors

**Sd/-
Beena Mahadevan
Chairperson**

Date: 28 November 2024

Place: New Delhi

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा

मैं, रीता प्रेम हेमराजानी, प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, यह घोषणा करती हूं कि 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और निगम के वरिष्ठ प्रबंधन दल ने वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान निगम की व्यावसायिक आचार एवं संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

हस्ता./—
(रीता प्रेम हेमराजानी)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09478824

दिनांक: 30 सितंबर 2024
स्थान: नोएडा

Declaration by the Managing Director regarding Compliance with the Code of Conduct by the Board Members and Senior Management during the Financial Year 2023-24.

I, Rita Prem Hemrajani, Managing Director, National Handloom Development Corporation Limited, do hereby declare that all the Members of the Board of Directors and the Senior Management Team of the Corporation as on 31st March, 2024, have affirmed their compliance to the Code of Business Conduct and Ethics of the Corporation during the FY 2023-24.

Dated: 30th September 2024
Place: Noida

Sd/-
(Rita Prem Hemrajani)
Managing Director
DIN: 09478824

नैगमिक शासन प्रमाण पत्र

सेवा में,

सदस्य

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड

पजीकृत कार्यालय: ए-2-5, सेक्टर-2, उद्योग मार्ग,

गौतम बुद्ध नगर, नोएडा,

उत्तर प्रदेश- 201301

हमने दिनांक **31 मार्च, 2024** को समाप्त वर्ष के लिए **राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड** (जिसे इसके पश्चात 'निगम' के रूप में संदर्भित किया गया है) (एनएचडीसी) के नैगमिक शासन की शर्तों के अनुपालना की जांच की है, जिसका उल्लेख लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए नैगमिक शासन, 2010 के दिशानिर्देशों और उसके अंतर्गत उल्लिखित अनुबंध (जिसे इसके पश्चात 'दशानिर्देश' के रूप में संदर्भित किया गया है) में किया गया है।

नैगमिक शासन की शर्तों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधन का होता है। हमारी जांच उपर्युक्त दिशानिर्देशों में उल्लिखित नैगमिक शासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगम द्वारा अपनाई गई क्रियाविधि और उसके क्रियान्वयन तक सीमित थी। यह न तो निगम की लेखा परीक्षा है और न ही उसके वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि निगम ने निम्नलिखित को छोड़कर, उपर्युक्त दिशानिर्देशों में उल्लिखित नैगमिक शासन की शर्तों का पालन किया है:

- 1) संबंधित मंत्रालय और जोखिम प्रबंधन नीति द्वारा पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न करने के कारण बोर्ड, लेखा परीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना से संबंधित 16 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच की अवधि के लिए प्रावधान। प्रबंधन ने सूचित किया है कि एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी होने के कारण, कंपनी को अपने प्रशासनिक मंत्रालय से निगम के बोर्ड में गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक (एनओडी) की आवश्यक नियुक्ति करने का अनुरोध किया गया।
- 2) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204(4) के अनुपालन के संबंध में प्रावधान 25 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2024 की अवधि के लिए प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (कंपनी सचिव) की नियुक्ति की आकस्मिक रक्ति को न भरने से संबंधित।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि

- 1) पिछले वर्ष की हमारी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि लखनऊ शाखा कार्यालय में सूत आपूर्ति योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के मामले में प्रबंधन ने सूचित किया है कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने मामले पर, 3 (तीन) अधिकारियों – श्री रवीश टंडन, प्रबंधक (वाणिज्य), श्री हसन अब्बास, अधिकारी (एफएंडए) और श्री बी.के. महापात्रा, वरिष्ठ अधिकारी (वाणिज्य) को दोषी पाया है और 11 मार्च 2022 को 'बर्खास्तगी' लागू करते हुए, सेवा से निष्कासन, और 11 मार्च 2022 को 'बर्खास्तगी', सेवा से निष्कासन, जो सरकार या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले सीपीएसई के तहत भविष्य के रोजगार के लिए अयोग्यता नहीं होगी' और 23 मार्च 2022 को उनके खिलाफ क्रमशः 'अनिवार्य सेवानिवृत्ति' जुर्माना लगाया।

CORPORATE GOVERNANCE CERTIFICATE

To,
 The Members,
National Handloom Development Corporation Limited
 Regd. Office: A-2-5, Sector-2, Udyog Marg,
 Gautam Buddha Nagar, Noida,
 Uttar Pradesh- 201301

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance of **National Handloom Development Corporation Limited (CIN NO U17299UP1983GOI005974) (NHDC)** (hereinafter referred as "Corporation") for the year ended **31st March, 2024** as stipulated in the guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010 of Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises, Government of India and annexure mentioned there under (hereinafter referred as "Guidelines").

The compliance to the conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedure and implementation thereof, adopted by the corporation for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance as stipulated in above mentioned guidelines. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Corporation.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, we certify that the Corporation has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above-mentioned guidelines except as under:

- 1) *Provisions regarding composition of Board, Audit Committee and Nomination & Remuneration Committee due to non-appointment of adequate number of Independent Directors by the concerned Ministry & risk management policy provisions for the period from 16th January 2023 to 31st March, 2024. The Management has informed that the Company being a wholly-owned Government Company has requested its administrative ministry for making necessary appointment of Non-Official Independent Director (NOD) on the Board of the Corporation.*
- 2) *Provisions regarding compliance of Section 204(4) of the Companies Act 2013 relating to non-filling of casual vacancy of appointment of Key Managerial Personnel (Company Secretary) for the period from 25th January 2023 to 31st March 2024.*

We further report that:

- 1) With reference to our Corporate Governance Certificate of previous year and the matter of irregularities in the implementation of Yarn Supply Scheme in Lucknow Branch Office, the Disciplinary Authority found 3 (three) officials namely- Shri Ravish Tandon, Manager (Comm), Shri B.K. Mahapatra, Sr. Officer (Comm) and Shri Hasan Abbas, Officer (F&A) guilty and imposed the 'Dismissal' on 11th March 2022, Removal from Service, which shall not be a disqualification for future employment under the Government or the CPSE owned or controlled by the Government' and 'Compulsory retirement' penalty on 23rd March 2022, against them respectively.

इसके अलावा, जैसा कि प्रबंधन द्वारा हमें सूचित किया गया है, निदेशक मंडल ने 15 जून, 2022 के परिपत्र द्वारा पारित संकल्प के तहत 1 अप्रैल, 2017 से लखनऊ शाखा कार्यालय की लेनदेन लेखा परीक्षा करने का निर्देश दिया है ताकि उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त शेष राशि तथा आपूर्तिकर्ता एजेंसियों को देय राशि और संबंधित अवधि के लिए एनएचडीसी को प्रतिपूर्ति/भुगतान की जाने वाली सब्सिडी की सही और वास्तविक राशि का पता लगाया जा सके। लेन-देन लेखा परीक्षा अभी प्रक्रियाधीन है। लगभग 7000 प्रविष्टियों की जांच/सत्यापन करने की आवश्यकता है इसलिए लेनदेन लेखा परीक्षा को पूरा करने में समय लगेगा। इसके पूरा होने पर, रिपोर्ट को आगे के आवश्यक निर्देश के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

- 2) निगम को सीपीएसई 2010 के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस के दिशानिर्देशों के अनुपालन में प्रशासनिक मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन में शामिल होने की आवश्यकता थी, लेकिन वित्तीय वर्ष 2017-18 के बाद से समझौता ज्ञापन नहीं किया गया है। प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है, निगम ने प्रशासनिक मंत्रालय को पत्र भेजा है, जिसमें उन कारणों को स्पष्ट किया गया है जिनकी वजह से निगम मापदंडों/लक्ष्यों को अंतिम रूप देने में असमर्थ रहने के कारण समझौता ज्ञापन में प्रवेश करने से छूट की मांग की है। इसके अलावा, जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है कि सरकारी योजना, जिसके लिए एनएचडीसी कार्यान्वयन एजेंसी है, को 25 अक्टूबर 2021 को संशोधित किया गया था।

आगे हम उल्लेख करते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावशीलता है जिसके साथ प्रबंधन ने निगम के मामलों का संचालन किया है।

कृते नवनीत के. अरोड़ा एंड कंपनी एलएलपी
कंपनी सचिव

हस्ता./—

कंपनी सचिव, नवनीत अरोड़ा

प्रबंध साझेदार

एफसीएस:3214, सीओपी: 3005

[आईसीएसआई फर्म विशिष्ट पहचान कोड: P2009DE061500]

यूडीआईएन: F003214F001297375

दिनांक: 24 सितंबर 2024

स्थान: नई दिल्ली

Further as informed by the management to us, Board of Directors has directed vide resolution passed by circulation on 15th June, 2022 to conduct transaction audit of Lucknow branch office from 1st April, 2017 onwards so as to find out the true and actual amount of balance receivables from user agencies and corresponding amount payable to supplier agencies and subsidy due to be reimbursed / paid to NHDC for the related period. Transaction audit was still under process. There being approximately 7000 entries need to be checked/verified hence it will take time to complete the transactions audit. Upon completion, report shall be placed before the Board for further necessary instruction.

- 2) Corporation was required to enter MOU with the administrative ministry in compliance of Corporate Governance Guidelines for CPSE 2010 but has not entered after financial year 2017-18 onwards. As informed by the management the Corporation has sent communications to the administrative Ministry, explaining the reasons due to which Corporation was unable to finalize the parameters/targets and seeking exemption from entering MOU. Further, as informed by the management, the Government scheme, for which NHDC is the implementing agency was revised on 25th October, 2021.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Corporation.

**For Navneet K Arora & Co LLP
Company Secretaries**

Sd/-

**CS Navneet Arora
Managing Partner**

**CS Navneet Arora
Managing Partner**

CS: 3214, COP: 3005

[ICSI Firm Unique Identification Code: P2009DE061500]

UDIN: F003214F001297375

Date: 24th September 2024

Place: New Delhi

प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण

1. हथकरघा परिदृश्य:

हथकरघा क्षेत्र कृषि के बाद आर्थिक गतिविधियों वाला सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र है और ग्रामीण तथा अर्ध-ग्रामीण आजीविका का एक अभिन्न हिस्सा है जो 35 लाख से अधिक बुनकरों और संबद्ध कामगारों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है।

07 अगस्त, 2019 को वस्त्र मंत्रालय द्वारा चौथी हथकरघा संगणना रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें 31 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया जहां हथकरघा बुनाई की कला का कार्य किया जाता है।

हथकरघा क्षेत्र के सुव्यवस्थित एवं सतत विकास और हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए भारत सरकार निम्नलिखित योजनाएं एवं कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है:-

क. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)

वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) तैयार किया गया है। योजना में हथकरघों के एकीकृत एवं सुव्यवस्थित विकास और हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए आवश्यकता आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया है। यह योजना बुनकरों को स्वयं सहायता समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि सहित सहकारी समूह के भीतर और बाहर कच्चे माल, डिजाइन इनपुट, प्रौद्योगिकी उन्नयन, प्रदर्शनियों के माध्यम से विपणन सहायता, शहरी हाट, विपणन परिसरों के रूप में स्थायी बुनियादी ढांचे का निर्माण करने आदि में सहयोग करती है।

एनएचडीपी के संघटक-

- क) क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी) (पहले ब्लॉक स्तरीय क्लस्टर के रूप में जाना जाता था)
- ख) हथकरघा विपणन सहायता जिसमें कवर नहीं किए गए और प्रतिभाशाली बुनकरों पर विशेष बल दिया गया है। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईएचटी) से संबंधित परियोजनाओं सहित अवसंरचना और विशेष परियोजनाएं
- ग) मेगा हथकरघा क्लस्टर खपहले व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) के रूप में जाना जाता था,
- घ) रियायती ऋण/बुनकर मुद्रा ऋण
- ङ) हथकरघा बुनकर कल्याण {पहले हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना (एचडब्ल्यूसीडब्ल्यूएस) के रूप में जाना जाता था}
- च) विविध घटक-
 - I. अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं
 - II. हथकरघा संगणना
 - III. प्रचार, विज्ञापन, निगरानी, प्रशिक्षण और योजना का मूल्यांकन
 - IV. बुनकरों/उनके बच्चों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस)/इग्नू के माध्यम से शिक्षा

ANNEXURE B TO DIRECTORS' REPORT

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT

1. HANDLOOM SCENARIO:

The handloom sector is one of the largest unorganized economic activities and constitutes an integral part of the rural and semi-rural livelihood which provides direct and indirect employment to more than 35 Lakh weavers and allied workers.

On August 07, 2019, 4th Handloom Census report was released by the Ministry of Textiles, involving 31 States and Union Territories which have the practice of art of Handloom weaving.

For holistic and sustainable development of handloom sector and welfare of handloom weavers, the Government of India is implementing following schemes and programmes :-

A. National Handloom Development Programme (NHDP)

National Handloom Development Programme (NHDP) has been formulated for its implementation during financial year 2021-22 to 2025-26. The scheme will follow need-based approach for integrated and holistic development of handlooms and welfare of handloom weavers. The scheme will support weavers, both within and outside the cooperative fold including Self Help Groups etc. towards raw material, design inputs, technology up-gradation, marketing support through exhibitions, create permanent infrastructure in the form of Urban Haats, marketing complexes etc.

Components of NHDP –

- a) Cluster Development Programme (CDP) (earlier known as Block Level cluster)
- b) Handloom Marketing Assistance with special emphasis on uncovered & talented weavers. Infrastructure & Special Projects including Indian Institutes of Handloom Technology (IIHT)-related projects
- c) Mega Handloom Cluster [earlier known as Comprehensive Handloom Cluster Development Scheme (CHCDS)]
- d) Concessional Credit/Weavers" MUDRA Loan
- e) Handloom Weavers" Welfare {earlier known as Handloom Weavers Comprehensive Welfare Scheme (HWCWS)}
- f) Miscellaneous Components-
 - I. Research & Development projects
 - II. Handloom Census
 - III. Publicity, Advertisement, Monitoring, Training & Evaluation of Scheme
 - IV. Education of weavers/their wards through National Institutes of Open Schooling (NIOS)/IGNOU

- V. परियोजना निगरानी प्रकोष्ठ,
- VI. हथकरघा हेल्पलाइन केंद्र
- VII. एनएचडीपी, एचडब्ल्यूसीडब्ल्यूएस, सीएचसीडीएस, एनईआरटीपीएस आदि की पूर्व में प्रतिबद्ध देनदारियां।

छ) कोई अन्य घटक

ख. कच्चा माल आपूर्ति योजना (आरएमएसएस)

हथकरघा क्षेत्र को कच्चे माल की आपूर्ति के लिए भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान 25 अक्टूबर 2021 से कच्चा माल आपूर्ति योजना (आरएमएसएस) के कार्यान्वयन हेतु इसके दिशानिर्देशों को संशोधित किया है।

यह योजना पात्र हथकरघा एजेंसियों के लिए मिल गेट मूल्य पर सभी प्रकार के यार्न के लिए उपलब्ध है। इस योजना के तहत, भारत सरकार द्वारा डिपो प्रचालन व्यय तथा परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति की जा रही है। इसके अलावा, हथकरघा बुनकरों को विद्युतकरघा तथा मिल क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने के उद्देश्य से सब्सिडीयुक्त यार्न मुहैया कराया जाता है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रतिपूर्ति आधार पर मात्रात्मक प्रतिबंधों के साथ सूती हैंक यार्न, घरेलू रेशम यार्न, ऊनी यार्न, लिनन तथा प्राकृतिक फाइबरों के मिश्रित यार्न पर 15% मूल्य सब्सिडी उपलब्ध है।

2. ताकत एवं कमजोरी:

निगम का 07 क्षेत्रीय कार्यालयों और 29 शाखा कार्यालयों के माध्यम से 29 राज्यों/सघ राज्य क्षेत्रों में एक राष्ट्रीय नेटवर्क है। निगम की मौजूदगी बाजार में हस्तक्षेप के एक प्रभावी उपकरण के रूप में कार्य करती है ताकि निजी व्यापारियों के एकाधिकार स्वरूप को प्रतिबंधित किया जा सके, जिससे कि हैंक यार्न दरों को उचित स्तर के भीतर रखा जा सके। निगम, क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए सामाजिक जिम्मेदारी का एक उत्तम कार्य करता है, जिसमें असंगठित क्षेत्र में गरीब कारीगर/हथकरघा बुनकर शामिल हैं, जो उच्च सांस्कृतिक विरासत और भारतीय संस्कृति के पारंपरिक गुणों वाली मदों के उत्पादन में लगे हुए हैं।

अगले कुछ वर्षों में विभिन्न स्तरों पर कुछ कार्मिक सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। विभिन्न स्तरों पर कार्मिकों की सेवा निवृत्ति से हुई रिक्तियों को भरने के लिए, निगम ने अपने मध्यम स्तर के अधिकारियों को आवश्यकताओं के आधार पर उच्च जिम्मेदारियों को लेने के लिए प्रशिक्षित/तैयार करने की योजना बनाई है। पिछले तीन वर्षों से वाईएसएस/आरएमएसएस के कार्यान्वयन के एनएचडीसी के मौजूदा व्यवसाय में विभिन्न कारणों से और प्रमुख रूप से विगत में कोविड-19 महामारी की वजह से कमी रही है, इसके अलावा निगम को अनिश्चित मांग का सामना करना पड़ रहा है और राज्य के शीर्ष निकायों से भुगतान में देरी हो रही है।

3. अवसर एवं आशंका:

हैंक यार्न उत्पादन का उपभोग करने वाले ऐसे हथकरघा क्षेत्र, जिनमें अभी पहुंच नहीं हुई है, उनमें पहुंच बनाकर व्यापार का विस्तार करने और विविधता लाने की एक बड़ी गुंजाइश है। एनएचडीसी सभी हथकरघा क्षेत्र से संबंधित विकास और हथकरघा बुनकर की उद्योग संबंधी आवश्यकताओं के लिए एक स्थान पर समाधान सुविधाप्रदाता बनने की आकांक्षा रखता है। इस संबंध में मौजूदा एनएचडीसी ढांचे का पुनर्गठन करके मौजूदा संसाधनों और प्रचालन दक्षता को अनुकूलतम बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

यार्न बाजार अच्छी तरह से विकसित है और निजी व्यापारियों के साथ प्रतिस्पर्धा है जो पहले से ही अच्छी तरह से स्थापित हैं और बुनकरों को तुलनात्मक रूप से बेहतर क्रेडिट और अन्य सुविधाएं प्रदान करते हैं। उसी से निपटने के लिए, निगम प्रतिस्पर्धी/सबसे कम दरों पर हथकरघा बुनकरों को यार्न प्रदान करने की दृष्टि से भारी मात्रा के लिए

- V. Project Monitoring Cell,
 - VI. Handloom Helpline Centre
 - VII. Earlier committed liabilities of NHDP, HWCWS, CHCDS, NERTPS etc.
- g) Any other component

B. Raw Material Supply Scheme (RMSS)

Government of India has revised the guidelines for raw material supply to Handloom sector namely Raw Material Supply Scheme (RMSS) w.e.f. from 25th October 2021, for its implementation during financial year 2021-22 to 2025-26.

This scheme makes available all types of yarn at Mill Gate Price to the eligible handloom agencies. Under this scheme, depot operating expenses and transportation expenses are being reimbursed by Government of India. Further, to provide the subsidized yarn to handloom weavers in order to compete with power loom and mill sector, 15% price subsidy on cotton hank yarn, domestic silk yarn, woolen yarn, linen yarn and blended yarn of natural fibre is available with quantity restrictions on reimbursement basis through Direct Benefit Transfer (DBT).

2. STRENGTH AND WEAKNESSES:

Corporation has a national network having presence in 29 States/Union Territories through 7 Regional Offices, and 29 Branch Offices. The presence of the Corporation serves as an effective tool to intervene the market so as to restrict the monopolistic character of the private traders, in order to keep the hank yarn rates within a reasonable level. Corporation serves a noble cause of social responsibility by catering to a sector, which consists of poor artisans/ handloom weavers in unorganized sector, engaged in the production of items of high cultural heritage and traditional value of Indian culture.

Few employees are going to superannuate at various levels in the next few years. To fill the vacuum that may be created by the superannuation of the employees at various levels, corporation has planned to train/ gear up its middle level executives to take up the higher responsibilities depending upon the requirements. For the last three years the existing business of NHDC of implementation of YSS/RMSS has taken a hit because of various reasons and of late majorly because of Covid 19 pandemic besides corporation is facing uncertain demand and delayed payments from state apex bodies.

3. OPPORTUNITIES AND THREATS:

There is a large scope to expand and diversify the business by reaching the untapped handloom sector consuming the hank yarn production. NHDC aspires to become a one stop solution for all handloom sector related development and industry related requirements of handloom weaver. In this regard the efforts are being made to optimize the existing resources and operational efficiency by restructuring the existing NHDC framework.

The yarn market is well developed and there is a competition with the private traders which are already well established and offer comparatively better credit and other facilities to the weavers. To combat the same, the corporation is obtaining and negotiating the yarn rates for bulk quantity discounts with a view to provide yarn to the handloom weavers at competitive/ lowest rates. Rates are placed on

यार्न दरों में छूट प्राप्त कर रहा है और बातचीत कर रहा है। हथकरघा बुनकर एजेंसियों द्वारा पहुंच के लिए दरों को निगम की वेबसाइट पर मासिक आधार पर रखा जाता है, जिससे बेहतर पारदर्शिता आती है।

4. संभावना:

निगम का मानना है कि यह साल दर साल नई ऊंचाइयों को हासिल करने के अपने विकास के प्लेटफार्म पर बना रहेगा। निगम अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए अपनी ताकत और कमजोरियों का फिर से आकलन करता है और उसी के अनुसार अपनी व्यावसायिक योजना तैयार करता है, जो निगम को अपने नए विकास क्षेत्र की पहचान करने में सक्षम करेगा।

5. संघटक-वार तथा उत्पाद-वार कार्य निष्पादन:

यार्न, हथकरघा क्षेत्र को आपूर्ति की जाने वाली मुख्य कच्चा माल है, जो निगम के कारोबार में सबसे अधिक योगदान देती है। इसका योगदान वर्ष 2023-24 के दौरान निगम के वर्ष 2022-23 के दौरान कुल कारोबार 94.38% से बढ़कर 95.59% हो गया है। रंग और रसायनों का प्रतिशत हिस्सा वर्ष 2022-23 के दौरान 5.62% से घटकर वर्ष 2023-24 के दौरान 4.41% रह गया है।

निगम के कार्यों का खंड-वार विश्लेषण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	खंड/उत्पाद	2023-24		2022-23	
		कारोबार	प्रतिशत	कारोबार	प्रतिशत
1	यार्न	1172.65	95.59%	1103.75	94.38%
2	रंग और रसायन	54.12	4.41%	65.73	5.62%
	कुल	1226.77	100.00%	1169.48	100.00%

6. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी उपयुक्तता:

निगम के पास आंतरिक नियंत्रण की एक प्रणाली है, जो लगातार विकसित हो रही है। आंतरिक नियंत्रण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, व्यापक आंतरिक लेखा परीक्षा नियमावली के अलावा, आंतरिक लेखा परीक्षकों को समय-समय पर आवश्यकता के आधार पर नए चेक पॉइंट की भी सलाह दी जाती है। बोर्ड की मंजूरी के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, निगम के आंतरिक लेखा परीक्षा स्वतंत्र चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा की गई थी। आंतरिक नियंत्रण और लेखा परीक्षा प्रणालियों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा सावधिक समीक्षा की जाती है और निरंतर सुधार के लिए जहां भी आवश्यक हो, सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

7. प्रचालनात्मक निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर विचार-विमर्श:

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान निगम का कारोबार वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 1169.48 करोड़ रुपए की तुलना में 1226.77 करोड़ रुपए हुआ है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए असाधारण मदों और कर से पहले 5.53 करोड़ रुपये का लाभ दर्ज किया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में 6.51 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था। निगम ने वित्त वर्ष 2023-24 में 5.47 करोड़ रुपये का कर पश्चात शुद्ध लाभ (पीएटी) अर्जित किया, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में 5.21 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था। निगम का निवल मूल्य 31 मार्च, 2023 को 81.63 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च, 2024 को 85.20 करोड़ रुपये हो गया है।

the corporation's website as well on monthly basis for access by the handloom weavers' agencies, resulting in better transparency.

4. **OUTLOOK:**

The corporation believes that it will continue to be on its growth platform achieving new heights year by year. To further strengthen its position the corporation keep re-assessing its strengths and weaknesses and preparing its business plan accordingly which shall enable the corporation to identify its new growth area.

5. **SEGMENT-WISE AND PRODUCT WISE PERFORMANCE:**

Yarn, being the main raw material supplied to the handloom sector, continues to be the highest contributor to the turnover of the corporation. Its contribution has increased from 94.38% of the total turnover of the corporation during the year 2022-23 to 95.59% during the year 2023-24. The percentage share of the dyes and chemicals has decreased from 5.62% during the year 2022-23 to 4.41% during the year 2023-24.

The segment wise analysis of the operations of the corporation is placed herein below:

(Rs. in crore)

S. No.	Segment/ product	2023-24		2022-23	
		Turnover	Percentage	Turnover	Percentage
1	Yarn	1172.65	95.59%	1103.75	94.38%
2	Dyes & chemicals	54.12	4.41%	65.73	5.62%
Total		1226.77	100.00%	1169.48	100.00%

6. **INTERNAL CONTROL SYSTEM AND THEIR ADEQUACY:**

The corporation has a system of internal control, which is continuously evolving to. In order to make the internal control more effective, besides comprehensive Internal Audit Manual, the new check points are also advised to the internal auditors from time to time on need basis. As per the approval of the Board, for FY 2023-24, the Internal Audit of the corporation was conducted by outside independent Chartered Accountants. The internal control and audit systems are being reviewed periodically by the Audit Committee and corrective measures are taken, wherever necessary, for continuous improvement.

7. **DISCUSSION ON FINANCIAL PERFORMANCE WITH RESPECT TO OPERATIONAL PERFORMANCE:**

The turnover of the corporation during the FY 2023-24 is Rs. 1226.77 crore as compared to Rs 1169.48 crore during FY 2022-23. A profit before extraordinary items and tax amounting to Rs. 5.53 Crore has been recorded for the F.Y. 2023-24 as compared to a profit of Rs. 6.51 crore in the FY 2022-23. Corporation earned a net profit after tax (PAT) of Rs. 5.47 crore in the FY 2023-24 in comparison to a profit of Rs. 5.21 crore in the FY 2022-23. The net worth of the corporation has increased from Rs. 81.63 crore as on 31st March, 2023 to Rs. 85.20 crore as on 31st March, 2024.

निगम का पुंजीगत ढांचा वित्त वर्ष 2023-24 में 100/- रुपए प्रत्येक के 19 लाख इक्विटी शेयर में विभाजित 19 करोड़ रुपए की प्रदत्त पूंजी के साथ अपरिवर्तित रहा। वित्त वर्ष 2023-24 में निगम को 5.47 करोड़ रुपये का लाभ हुआ। कंपनी के निदेशक मंडल ने समीक्षाधीन वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा कोष में 10.94 लाख रुपये हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, निदेशक मंडल द्वारा 164.05 लाख रुपये का लाभांश (पीएटी का 30%) की सिफारिश की गई है।

8. नियोजित कार्मिकों की संख्या सहित मानव संसाधन में विकास:

कार्मिकों की दक्षता निगम का मुख्य केंद्र बिंदु रही है। निगम के कार्मिकों के कौशल उन्नयन के लिए तकनीकी, प्रबंधकीय और आईटी क्षेत्रों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार, निगम के कार्मिकों की कुल संख्या 110 (पिछले वर्ष 116) है, जिसमें 09 (8.18%) अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी के कार्मिक, 06 (5.47%) अनुसूचित जनजाति (एसटी) से संबंधित कार्मिक, 21 (19.09%) अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी से संबंधित और 03 (2.72%) दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) श्रेणी से संबंधित कार्मिक शामिल हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण रहे हैं।

9. निगम का सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):

निगम ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधानों और संशोधित डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी सीएसआर नीति को संशोधित किया है। संशोधित नीति नामतः 'एनएचडीसी सीएसआर एवं स्थिरता नीति 2014' को दिनांक 24 नवंबर, 2014 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा मंजूरी के बाद इसे निगम की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया।

सीएसआर समिति की संरचना और अन्य संबंधित सूचना बोर्ड की रिपोर्ट के अनुबंध के अनुसार, निगम से संबंधित शासन प्रणाली की रिपोर्ट में दिया गया है, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

10. अभिरक्षक वक्तव्य:

निगम के उद्देश्यों, अनुमानों और अपेक्षाओं का वर्णन करने वाली प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में वक्तव्य लागू कानूनों और विनियमों के अर्थ में 'भावी वक्तव्य' हो सकते हैं। हालांकि, वास्तविक परिणाम व्यक्त या निहित से काफी हद तक भिन्न या भौतिक हो सकते हैं। निगम के प्रचालन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में भारत में राजनीतिक और आर्थिक वातावरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन शामिल हैं जिसमें देश में मुकदमेबाजी और हथकरघा गतिविधि शामिल है।

निदेशक मंडल की ओर से
बीना महादेवन
(अध्यक्ष)

दिनांक: 28 नवंबर 2024

स्थान: नई दिल्ली

The capital structure of the corporation remained unchanged with the paid-up capital of Rs.19 crore divided into 19.00 Lakh equity share of Rs.100/- each in the FY 2023-24. Corporation has earned a profit of Rs. 5.47 Crore for the FY 2023-24. The Board of Directors of your company, has decided to transfer Rs. 10.94 Lakh to Post-retirement Medical Corpus for the year under review. Further, dividend of Rs. 164.05 Lakh (30% of PAT) has been recommended by the Board of Directors.

8. DEVELOPMENT IN HUMAN RESOURCE INCLUDING NUMBER OF PERSONS EMPLOYED:

Employees' efficiency has been the key focus of the corporation. Various training programmes in technical, managerial and IT areas are organized for upgrading the skills of the employees of the corporation.

Total number of employees of the Corporation as on 31st March, 2024 stands at 110 (Previous year 116) which include 09 (8.18%) employees belonging to Scheduled Castes (SC) category, 06 (5.47%) employees belonging to Scheduled Tribes (ST) category, 21 (19.09%) employees belonging to Other Backward Classes (OBC) category and 03 (2.72%) employees belonging to Persons with Disabilities (PWD) category.

The Industrial relations have been cordial and remained peaceful during the year under review.

9. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR):

Corporation has revised its CSR Policy in accordance with the provisions of Section 135 of the Companies Act 2013 and revised DPE guidelines. The revised policy named 'NHDC CSR & Sustainability Policy 2014' has been uploaded on corporation's website, after its approval by the Board of Directors in its meeting held on 24th November, 2014.

The Composition of the CSR Committee and other related information are provided in the Report of Corporate Governance, as annexures to the Board's Report, which forms part of this Annual report

10. CAUTIONARY STATEMENT:

Statements in the Management Discussion and Analysis Report describing the corporation's objectives, projections and expectations may be 'forward looking statements' within the meaning of applicable laws and regulations. The actual results may, however, differ substantially or materially from those expressed or implied. Important developments that could affect the corporation's operations include significant changes in the political and economic environment in India that involves litigations and handloom activity in the country.

For and on behalf of Board of Directors

**Sd/-
Beena Mahadevan
Chairperson**

Date: 28 November 2024

Place: New Delhi

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए खातों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर निदेशक मंडल का उत्तर

क्र. सं.	सांविधिक लेखा परीक्षक की टिप्पणियां	निदेशक मंडल का उत्तर
1(क)	<p>एनएचडीसी के ऊपर उल्लिखित '7' क्षेत्रीय कार्यालय हैं जहां से हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हैंक यार्न की बिक्री/खरीद की जाती है जिस पर भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त कार्यालय, हथकरघा समय-समय पर घोषित योजना के अनुसार 15% सब्सिडी और अन्य दावे (जिसमें माल भाड़ा सब्सिडी और डिपो शुल्क शामिल हैं) प्रदान करता है। जैसा कि वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के वित्तीय खातों संबंधी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में बताया गया है, कंपनी के लखनऊ शाखा कार्यालय, जो वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन था, ने शुरू में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान वित्त वर्ष यानी 2018-19 की पहली तिमाही में क्रमशः 38504.00 लाख रुपये की कुल बिक्री और खरीद बुक की थी। इसमें से 19082.00 लाख रुपये की बिक्री और खरीद उक्त लखनऊ कार्यालय द्वारा ईआरपी लेखांकन प्रणाली में रद्द कर दी गई है।</p> <p>सीबीआई के पत्र के अनुसार, प्रबंधन और सीवीओ द्वारा फॉरेंसिक लेखा परीक्षा और सतर्कता जांच की गई थी। इस मामले पर फॉरेंसिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट क्रमशः फॉरेंसिक लेखा परीक्षा र और सीवीओ टीम द्वारा निदेशक मंडल के समक्ष 05.10.2021 को प्रस्तुत की गई थी। निदेशक मंडल के निर्देशों और सीबीआई के पत्र के अनुसार, इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए फॉरेंसिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सतर्कता जांच संबंधी रिपोर्ट सीबीआई को उपलब्ध करा दी गई है।</p> <p>इस संबंध में हमें सीबीआई से आगे का पत्राचार/रिपोर्ट प्राप्त हुआ। फॉरेंसिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में किए गए अवलोकन के अनुसार बही-खातों में किसी प्रविष्टि के दर्ज नहीं किया गया है, न इसका हिसाब ही दिया गया है इसलिए हम कुल देनदारों (नोट संख्या 15 (ii)) के साथ-साथ लेनदारों (संदर्भ संख्या 5 (ii)) में दिखाए जा रहे 19422.00 लाख रुपये के क्रमशः उक्त देनदारों और लेनदारों पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।</p>	<p>2018-19 की पहली तिमाही के दौरान 190.82 करोड़ रुपये की बिक्री और खरीद रद्द कर दी गई है और उपरोक्त मामले को सीबीआई और सीवीसी को भेज दिया गया है। सीबीआई के पत्र के अनुसार, प्रबंधन और सीवीओ द्वारा फॉरेंसिक ऑडिट और सतर्कता जांच की गई थी। इस मामले पर फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट क्रमशः फॉरेंसिक ऑडिटर और सीवीओ टीम द्वारा 05.10.2021 को निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। निदेशक मंडल के निर्देशों और सीबीआई के पत्र के अनुसार, इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट सीबीआई को प्रदान की गई है।</p> <p>सोसाइटियों/प्रयोक्ता एजेंसियों और आपूर्तिकर्ताओं से बकाया राशि का पता लगाने के लिए बोर्ड के अनुदेशों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2017 से सेबी के पैनल में शामिल फॉरेंसिक लेखा परीक्षक से लेन-देन लेखा परीक्षा शुरू कराई गई थी। लेन-देन लेखा परीक्षा अभी भी प्रक्रियाधीन है। लगभग 7000 प्रविष्टियों को एक दूसरे के साथ जांच/सत्यापित और मैप करने की आवश्यकता है, इसके पूरा होने पर, इसकी रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी और वास्तविक राशि का पता लगाने के बाद बोर्ड इस संबंध में आवश्यक निर्देश देगा।</p>

ANNEXURE C TO THE DIRECTORS REPORT

REPLY OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE COMMENTS OF THE STATUTORY AUDITORS ON THE ACCOUNTS FOR THE FY 2023-24

S. No.	Comments of Statutory Auditors	Reply of the Board of Directors
1 (a)	<p>NHDC having “7” Regional offices as mentioned above from where sale/purchase of Hank Yarn is undertaken to promote the Handloom Sector on which Government of India, Ministry of Textile office of the Development Commissioner, Handloom provide 15 % Subsidy and other claims (which includes freight subsidy and depot charges) as per scheme announced time to time. As pointed in Audit report on the Financial Accounts of FY 2018-19 and 2019-20 the Company’s Lucknow branch Office, which was under Varanasi Regional Office, had initially booked total Sales & Purchase during the Financial year 2018-19 amounting to Rs. 38504.00 Lakhs in the 1st Quarter of Financial year i.e. 2018-19 respectively. Out of this, Sales and Purchase to the tune of Rs. 19082.00 Lakhs have been cancelled by the said Lucknow Office in ERP accounting system.</p> <p>As per the CBI communication, the Forensic Audit and Vigilance probe were taken up by the management and the CVO. The Forensic Audit Report and the Vigilance Probe report on the matter were presented by the Forensic Auditor and the CVO team respectively, before the Board of Directors on 05.10.2021. As per the directions of the Board of Directors and the CBI letter, the Forensic Audit Report and the Vigilance Probe Report has been provided to CBI for further necessary action in this regard.</p> <p>Further communication/report received from CBI in this regard to us. No entries have been ascertained and accounted for in the books as per the observation made in Forensic Audit Report, hence we are unable to comment on the said debtors and creditors of Rs. 19422.00 Lakhs respectively being shown in total debtors (Refer Note No. 15(ii)) as well as Creditors (Refer Not No. 5 (ii)).</p>	<p>During the 1st Quarter of 2018-19, the sales and purchase to the tune of Rs. 190.82 Crores have been cancelled and the above matter has been referred to CBI and CVC. As per the CBI communication, the Forensic Audit and Vigilance probe were taken up by the management and the CVO. The Forensic Audit Report and the Vigilance Probe report on the matter were presented by the Forensic Auditor and the CVO team respectively, before the Board of Directors on 05.10.2021. As per the directions of the Board of Directors and the CBI letter, the Forensic Audit Report and the Vigilance Probe Report has been provided to CBI for further necessary action in this regard.</p> <p>As per instruction of the Board to ascertain the amount outstanding from the societies/user agencies and the suppliers, the transaction audit from a SEBI empaneled forensic auditor from 1st April, 2017 onwards has been initiated. Transaction audit is still under process. There being approximately 7000 entries needs to be checked / verified and mapped with each other, upon completion, the report of the same shall be presented to the Board and after ascertaining the actual amount, Board shall give necessary instruction in this regard.</p>

क्र. सं.	सांविधिक लेखा परीक्षक की टिप्पणियां	निदेशक मंडल का उत्तर
<p>1(ख)</p>	<p>01.03.2018 से 31.03.2018 के दौरान की गई 21579.00 लाख रुपये की बिक्री के कारण 2266.00 लाख रुपये का सेवा शुल्क और सब्सिडी घटक कंपनी द्वारा वित्त वर्ष 2018-2019 के दौरान वापस ले लिया गया था क्योंकि वस्त्र मंत्रालय (एमओटी) ने कंपनी को सब्सिडी राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की। इस तथ्य के परिणामस्वरूप कि वस्त्र मंत्रालय से 2157.93 लाख रुपये की सब्सिडी प्राप्त नहीं हुई थी, कंपनी ने भारत सरकार से देय प्राप्तियों में से 2157.93 लाख रुपये कम कर दिए और उसे आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम के रूप में बुक कर दिया। इसके अतिरिक्त, एनएचडीसी ने आपूर्तिकर्ताओं को सब्सिडी के रूप में 1815.00 लाख रुपये वितरित किए हैं, हालांकि यह राशि भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।</p> <p>कंपनी ने इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया है; इसलिए हम वितरित 1815.00 लाख रुपये की वसूली पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।</p>	<p>एनएचडीसी यार्न आपूर्ति योजना (पूर्ववर्ती योजना) को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है। वाईएसएस योजना के प्रावधानों के अनुसार, एनएचडीसी विभिन्न उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा दिए गए मांग-पत्रों की ओर से आपूर्तिकर्ताओं को आदेश देता है। पूर्ववर्ती योजना के अनुसार, प्रयोक्ता एजेंसियां लेन-देन मूल्य का 90% भुगतान करती हैं और शेष 10% का भुगतान भारत सरकार द्वारा एनएचडीसी के माध्यम से सब्सिडी के रूप में किया जाता है और एनएचडीसी आपूर्तिकर्ता मिलों को लेनदेन मूल्य का 100% जारी किया गया है, लेकिन भारत सरकार द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति नहीं की गई थी। इस मामले के लिए, एनएचडीसी ने उपयोगकर्ता एजेंसियों से केवल 90% हिस्सा प्राप्त किया और आपूर्तिकर्ता मिलों को 100% का भुगतान किया और 21.58 करोड़ रुपये की 10% सब्सिडी की राशि (यानी मार्च, 2018 की बिक्री के लिए 215.79 करोड़ रुपये का 10%) आपूर्तिकर्ताओं को डेबिट करके उनके खातों में समायोजित किया गया, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि भारत सरकार ने एनएचडीसी को सब्सिडी की उपरोक्त राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की थी।</p> <p>01.04.2018 से 30.06.2018 तक के लेनदेन को जांच एजेंसियों को भेज दिया गया है। सीबीआई के पत्र के अनुसार, प्रबंधन और सीवीओ द्वारा फॉरेंसिक ऑडिट और सतर्कता जांच की गई थी। इस मामले पर फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट क्रमशः फॉरेंसिक ऑडिटर और सीवीओ टीम द्वारा 05.10.2021 को निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। निदेशक मंडल के निर्देशों और सीबीआई के पत्र के अनुसार, इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट सीबीआई को प्रदान की गई है।</p> <p>सोसाइटियों/प्रयोक्ता एजेंसियों और आपूर्तिकर्ताओं से बकाया राशि का पता लगाने के लिए बोर्ड के अनुदेशों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2017 से सेबी के पैनल में शामिल फॉरेंसिक लेखा परीक्षक से लेन-देन लेखा परीक्षा शुरू कराई गई थी। लेन-देन लेखा परीक्षा अभी भी प्रक्रियाधीन है। लगभग 7000 प्रविष्टियों को एक दूसरे के साथ जांच/सत्यापित और मैप करने की आवश्यकता है। पूरा होने पर इसकी रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी और वास्तविक राशि का पता लगाने के बाद बोर्ड इस संबंध में आवश्यक निर्देश देगा।</p>
<p>1(ग)</p>	<p>कंपनी ने वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय में 3 वर्षों से अधिक समय से 24572.49 लाख रुपये की राशि के देनदारों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है, जिसमें से 19422.00 लाख रुपये वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दर्ज किए गए फर्जी, संदिग्ध लेनदेन से संबंधित हैं, जैसा कि ऊपर बिंदु संख्या (1) में संदर्भित है। इस प्रकार, विविध देनदारों के लिए प्रावधान 24572.49 लाख रुपये कम है और लाभ 24572.49 लाख रुपये अधिक है, जो कुल देनदारों में दर्शाया गया है (संदर्भ नोट संख्या 15 (ii))।</p>	<p>कृपया उपरोक्त बिंदु 1(क) का उत्तर देखें।</p>

S. No.	Comments of Statutory Auditors	Reply of the Board of Directors
1 (b)	<p>Service charge and subsidy component of Rs 2266.00 Lakhs on account of sales of Rs 21579.00 Lakhs made during 01.03.2018 to 31.03.2018 was reversed by the Company during F Y 2018-2019 as Ministry of Textiles (MOT) did not reimburse the subsidy amount to the company. Consequent to the fact that subsidy of Rs 2157.93 Lakhs was not received from the MOT, the company reduced Rs 2157.93 Lakhs from receivables due from Government of India and booked the same as advance to suppliers. Further in respect of same, NHDC has disbursed Rs 1815.00 Lakhs as subsidy to the suppliers, even though the same is not received from Government of India. The company has not provided any reply in this regard; hence we are unable to comment on the recoverability of Rs. 1815.00 Lakhs disbursed.</p>	<p>NHDC is the nodal agency for implementing Yarn Supply Scheme (YSS) (erstwhile scheme). As per the provisions of the YSS scheme, NHDC places the orders to the suppliers on behalf of the indents given by the various user agencies. As per the erstwhile scheme, the user agencies pay 90% of transaction value and rest of 10% is paid by Government of India in form of the subsidy through NHDC and NHDC releases 100% of transaction value to the Supplier Mills, but the same was not reimbursed by Government of India. For this case, NHDC received only 90% share from user agencies and paid 100% to the supplier mills, amount of 10% subsidy of Rs.21.58 crore (i.e.10% of Rs. 215.79 crore for the sales of March,2018) adjusted in their book of accounts by debiting the suppliers considering the fact the Government of India didn't reimburse the aforesaid amount of subsidy to the NHDC.</p> <p>The transaction from 01.04.2018 to 30.06.2018 has been referred to investigating agencies. As per the CBI communication, the Forensic Audit and Vigilance probe were taken up by the management and the CVO. The Forensic Audit Report and the Vigilance Probe report on the matter were presented by the Forensic Auditor and the CVO team respectively, before the Board of Directors on 05.10.2021. As per the directions of the Board of Directors and the CBI letter, the Forensic Audit Report and the Vigilance Probe Report has been provided to CBI for further necessary action in this regard.</p> <p>As per instruction of the Board to ascertain the amount outstanding from the societies/user agencies and the suppliers, the transaction audit from a SEBI empaneled forensic auditor from 1st April, 2017 onwards has been initiated. Transaction audit is still under process. There being approximately 7000 entries needs to be checked / verified and mapped with each other, upon completion, the report of the same shall be presented to the Board and after ascertaining the actual amount, Board shall give necessary instruction in this regard.</p>
1 (c)	<p>The Company has not made any provision against the Debtors for more than 3 years amounting to Rs 24572.49 Lakhs at Varanasi Regional Office out of which Rs 19422.00 Lakhs relates to bogus, dubious transactions entered by Varanasi Regional Office during F.Y 2018-19 as referred in point no (1) above. Thus, the provision for Sundry Debtors is lower by Rs. 24572.49 Lakhs and profit is more by 24572.49 Lakhs. respectively being shown in total debtors (Refer Note No. 15(ii)).</p>	<p>Please refer reply to Point 1(a) above.</p>

क्र. सं.	सांविधिक लेखा परीक्षक की टिप्पणियां	निदेशक मंडल का उत्तर
1(घ)	<p>कंपनी ने वित्त वर्ष 2018-19 में इंडियन ओवरसीज बैंक, लखनऊ शाखा द्वारा दो बार भुगतान किए गए 660.62 लाख रुपये की वसूली के लिए की गई कार्रवाई और कानूनी राय की स्थिति की कोई सूचना प्रदान नहीं की है। फॉरेंसिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार आज की तारीख तक पार्टीवार किए गए दोगुने/अधिक भुगतान का मिलान नहीं किया गया है। हम बैंक द्वारा दो बार भुगतान की गई 660.62 लाख रुपये की वसूली पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।</p>	<p>(i) उपर्युक्त मामले को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेज दिया गया है। सीबीआई के पत्र के अनुसार, प्रबंधन और सीवीओ द्वारा फॉरेंसिक ऑडिट और सतर्कता जांच की गई थी। इस मामले पर फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट क्रमशः फॉरेंसिक ऑडिटर और सीवीओ टीम द्वारा 05.10.2021 को निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। निदेशक मंडल के निर्देशों और सीबीआई के पत्र के अनुसार, इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट सीबीआई को प्रदान की गई है। लेन-देन लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट में भी इसका उल्लेख करने जा रहे हैं।</p> <p>(ii) इस संबंध में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है।</p> <p>(iii) इस मामले को बैंक के समक्ष उठाया गया है तथा निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई की गई है।</p> <p>(iv) यह मामला आरबीआई को भी भेजा गया है।</p> <p>(v) सोसायटियों/उपयोगकर्ता एजेंसियों और आपूर्तिकर्ताओं से बकाया राशि का पता लगाने के लिए बोर्ड के निर्देशानुसार, 1 अप्रैल, 2017 से एसईबीआई द्वारा पैनलबद्ध फॉरेंसिक ऑडिटर से लेनदेन ऑडिट शुरू किया गया लेन-देन का लेखा परीक्षण अभी भी प्रक्रियाधीन है। लगभग 7000 प्रविष्टियों की जांच/सत्यापन तथा एक दूसरे के साथ मैपिंग किए जाने की आवश्यकता है, कार्य पूरा होने पर इसकी रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी तथा वास्तविक राशि का पता लगाने के बाद बोर्ड इस संबंध में आवश्यक निर्देश देगा।</p>
2(क)	<p>जैसा कि नोट संख्या "6क" में बताया गया है कि 2529.77 लाख रुपये कॉर्पस फंड (मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स) में जमा है और तदनुसार तुलन पत्र के नोट 18 के अनुसार सावधि जमा में निवेश किए गए हैं। 31 मार्च 2017 तक कॉर्पस फंड (मार्केट कॉम्प्लेक्स) की सावधि जमा पर अर्जित ब्याज को संबंधित कॉर्पस फंड में जमा किया गया था, लेकिन वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान क्रमशः 122.00 लाख रुपये और 120.00 लाख रुपये की सावधि जमा राशि पर ब्याज को कॉर्पस फंड (मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स) में जमा करने के बजाय निगम की ब्याज आय के रूप में लिया गया है। तथापि, वित्त वर्ष 2019-20 से कॉर्पस फंड (मार्केट कॉम्प्लेक्स) के एफडीआर पर अर्जित ब्याज आय कॉर्पस फंड्स (मार्केट कॉम्प्लेक्स) में जमा कराई जा रही है।</p> <p>जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी इस मुद्दे पर विशेषज्ञ की राय लेने पर विचार कर रही है, क्योंकि इस मुद्दे के लिए विस्तृत विश्लेषण की आवश्यकता है तथा इसमें कर संबंधी निहितार्थ भी हैं। इसलिए हम ऊपर उल्लिखित कॉर्पस फंड में वापस की जाने वाली अतिरिक्त राशि पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।</p>	<p>इस संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई के लिए पिछले ब्याज आय का विस्तृत विश्लेषण और मिलान करने की आवश्यकता है, ताकि कंपनी अधिनियम, 2013 और आयकर अधिनियम, 1961 के तहत सबसे उपयुक्त लेखा सुधार/सुधारात्मक कार्रवाई का आकलन किया जा सके। इस संबंध में, निदेशक मंडल द्वारा निर्देशित अनुसार, विशेषज्ञ की राय मांगी जा रही है और तदनुसार, सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।</p> <p>इस संबंध में, निदेशक मंडल के निर्देशानुसार, आईसीएआई विशेषज्ञ सलाहकार समिति से विशेषज्ञ राय मांगी जा रही है और तदनुसार सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।</p>

S. No.	Comments of Statutory Auditors	Reply of the Board of Directors
1 (d)	<p>The Company has not provided any status of action taken and legal opinion for recovery of Rs 660.62 Lakhs paid twice by Indian Overseas Bank, Lucknow branch in Financial Year 2018-19 to various suppliers. As per Forensic Audit report till date party wise double/ excess payment made has not been reconciled. We are unable to comment on the recoverability of Rs 660.62 Lakhs paid twice by bank</p>	<p>(i) The above matter has been referred to CBI and CVC. As per the CBI communication, the Forensic Audit and Vigilance probe were taken up by the management and the CVO. The Forensic Audit Report and the Vigilance Probe report on the matter were presented by the Forensic Auditor and the CVO team respectively, before the Board of Directors on 05.10.2021. As per the directions of the Board of Directors and the CBI letter, the Forensic Audit Report and the Vigilance Probe Report has been provided to CBI for further necessary action in this regard. Transaction Auditor is going to mention the same in their report also.</p> <p>(ii) A police complaint has also been made in this regard.</p> <p>(iii) Matter has been taken up with the Bank and continuous follow ups have been made.</p> <p>(iv) Matter has also been referred to the RBI.</p> <p>(v) As per instruction of the Board to ascertain the amount outstanding from the societies/user agencies and the suppliers, the transaction audit from a SEBI empaneled forensic auditor from 1st April, 2017 onwards has been initiated. Transaction audit is still under process. There being approximately 7000 entries needs to be checked / verified and mapped with each other, upon completion, the report of the same shall be presented to the Board and after ascertaining the actual amount, Board shall give necessary instruction in this regard.</p>
2 (a)	<p>As stated in Note No. "6A" Rs. 2529.77 Lakhs is standing to the Credit of Corpus Fund (Marketing Complex) and correspondingly invested in Fixed Deposits as Per Note 18 of the Balance Sheet. Interest earned on Fixed Deposits of Corpus Funds (Market Complexes) till 31st March 2017, was credited to respective Corpus Fund, but during the financial year 2017-18 and 2018-19 the interest on fixed deposit amounting to Rs. 122.00 Lakhs and Rs. 120.00 Lakhs respectively has been taken as interest income of the Corporation instead of crediting to the Corpus Fund (Marketing Complex). However, FY 2019-20 onwards interest income earned on FDR of Corpus Funds (Market Complexes) has been crediting to Corpus Funds (Market Complexes).</p> <p>As informed to us, the company is exploring an expert opinion on this considering the issue required detailed analysis and also have tax implications. hence we are unable to comment on excess amount refundable to the Corpus Fund referred above.</p>	<p>Corrective action in this regard requires a detailed analysis and reconciliation of past interest income, so as to assess the most appropriate accounting treatment/ corrective action under the Companies Act, 2013 and the Income Tax Act, 1961.</p> <p>In this regard, as directed by the Board of Directors, expert opinion from the ICAI Expert Advisory Committee is being sought and corrective action shall be taken accordingly.</p>

क्र. सं.	सांविधिक लेखा परीक्षक की टिप्पणियां	निदेशक मंडल का उत्तर
2(ख)	<p>नोट संख्या '6(ख)' के अनुसार, 31-03-2024 तक कॉर्पस फंड (मेगा क्लस्टर) के क्रेडिट में 1278.72 लाख रुपये जमा थे। दिनांक 31 मार्च 2017 तक, वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान कॉर्पस फंड (मेगा क्लस्टर) में जमा करने के बजाय, सावधि जमा पर ब्याज को निगम की ब्याज आय के रूप में लिया गया है, हालांकि, वित्तीय वर्ष 2019-20 से, कॉर्पस फंड (मेगा क्लस्टर) की एफडीआर पर अर्जित ब्याज आय को कॉर्पस फंड (मेगा क्लस्टर) में जमा किया गया है।</p> <p>जैसा कि हमें सूचित किया गया है, कंपनी इस विषय पर विशेषज्ञ की राय लेने पर विचार कर रही है, क्योंकि इस मुद्दे के लिए विस्तृत विश्लेषण की आवश्यकता है और इसमें कर संबंधी निहितार्थ भी हैं। इसलिए हम ऊपर उल्लिखित कॉर्पस फंड में वापस की जाने वाली अतिरिक्त राशि पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।</p>	<p>जैसा कि उपरोक्त बिंदु 2(क) में उल्लेख किया गया है, आईसीएआई विशेषज्ञ सलाहकार समिति से विशेषज्ञ की राय ली जा रही है और तदनुसार सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।</p>
3	<p>कंपनी ने हुडको प्लाजा, बीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली में हैंडलूम मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स की स्थापना की है। जैसा कि बताया गया है, दुकानों पर किए गए पूरे खर्च की प्रतिपूर्ति आवंटियों द्वारा की जानी है और यदि आवंटियों से कोई वसूली नहीं होती है तो वस्त्र मंत्रालय को उक्त व्यय की प्रतिपूर्ति करनी होगी। लेखा परीक्षा नई दिल्ली के प्रधान निदेशक के कार्यालय द्वारा अपनी दिनांक 09/03/2022 की रिपोर्ट में निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गईं:</p> <p>(क) बकाया राशि का भुगतान न करने का कोई कारण रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं था। एनएचडीसी नोडल/कार्यान्वयन एजेंसी होने के नाते यह सुनिश्चित करने में विफल रही है कि 2017 के बाद एसडीएमसी को संपत्ति कर का वैधानिक भुगतान किया गया और इसके अलावा बिल्डर (हुडको) को ग्राउंट रेंट और रखरखाव शुल्क का बकाया भुगतान नहीं किया गया। इससे हुडको के साथ लीज डीड के निष्पादन पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा, जुर्माना लगेगा और एनएचडीसी के खिलाफ जुर्माना कार्रवाई की जा सकती है क्योंकि यह दुकानों का मूल आवंटिती है।</p> <p>(ख) एनएचडीसी ने उन लाभार्थी एजेंसियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है जिन्होंने अपने हिस्से का व्यय वापस नहीं किया, बल्कि वह स्वयं हुडको के प्रति डिफॉल्टर बन गई है।</p> <p>(ग) लाभार्थी एजेंसियों द्वारा बकाया राशि के भुगतान के लिए कोई और निर्देश या व्यवस्था नहीं है, जो एनएचडीसी को नियमित रूप से अपनी बकाया राशि का भुगतान कर रही हैं।</p>	<p>भारत सरकार (जीओआई) ने वर्ष 1996 में एक योजना शुरू की थी जिसका उद्देश्य प्रमुख शहरों और कस्बों में हथकरघा बुनकरों/एजेंसियों के स्थायी विपणन आउटलेट बनाने के उद्देश्य से विपणन परिसरों की स्थापना करके विपणन सहायता प्रदान करना था। हथकरघा विकास आयुक्त (विकास आयुक्त, हथकरघा) के कार्यालय द्वारा एनएचडीसी को उपरोक्त कार्यान्वयन के लिए एकमात्र नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया था।</p> <p>हुडको ने भीकाजी कामा प्लेस में मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स विकसित किया था और भूमि एवं विकास प्राधिकरण (एलएंडडीओ) से जमीन ली थी।</p> <p>हुडको और एलएंडडीओ के बीच समझौते पर हस्ताक्षर करने में देरी के कानूनी मुद्दे के कारण कॉम्प्लेक्स को 23 एजेंसियों/आवंटियों/एनएचडीसी को हस्तांतरित/उप-पट्टे पर नहीं दिया जा सका। समय-समय पर एनएचडीसी ने हुडको को दुकानों को सीधे आवंटियों को हस्तांतरित करने के लिए कई पत्र भेजे, लेकिन कोई समाधान नहीं किया गया।</p> <p>अप्रत्याशित परिस्थितियों और कोविड-19 महामारी के कारण मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स से संबंधित मुद्दे लंबित थे।</p> <p>बकाया भुगतान के लिए हुडको और आईएचसी के अधिकारियों के साथ दिनांक 05-04-2022 को एक बैठक की गई थी। बैठक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स के रहने वालों से जमीन का किराया/रखरखाव शुल्क/संपत्ति कर प्राप्त होने के बाद ही हुडको/आईएचसी/एसडीएमसी को बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स के सभी रहने वालों को तुरंत अपना बकाया चुकाने के लिए पत्र जारी किए गए थे। बकाया राशि प्राप्त होने के बाद ही दुकानों का पंजीकरण किया जाएगा। बकाया राशि की शीघ्र वसूली के लिए नियमित रूप से व्यक्तिगत दौरे और अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।</p>

S. No.	Comments of Statutory Auditors	Reply of the Board of Directors
2 (b)	<p>As Per Note No. "6(B)", As on 31-03-2024 Rs. 1278.72 Lakhs was standing to the Credit of Corpus Fund (Mega Cluster). Till 31st March 2017, the interest on fixed deposit has been taken as Interest income of the Corporation, instead of crediting to the Corpus Fund (Mega Cluster) during the financial year 2017-18 and 2018-19, However, from financial year 2019-20 onwards, interest income earned on FDR of Corpus Fund (Mega Cluster) has been credited to Corpus Funds (Mega Cluster).</p> <p>As informed to us, the company is exploring an expert opinion on this considering the issue required detailed analysis and also have tax implications. hence we are unable to comment on excess amount refundable to the Corpus Fund referred above.</p>	<p>As explained in above point 2(a), expert opinion from the ICAI Expert Advisory Committee is being sought and corrective action shall be taken accordingly.</p>
3	<p>The company has setting up the Handloom Marketing Complex at HUDCO Plaza, Bikaji Cama Place New Delhi. As informed, the entire expenditure incurred on the shops are required to be reimbursed by the allottees and if there is no recovery from allottees then the Ministry of Textile is required to reimburse the said expenditure. Following observations were made by office of Principal Director of Audit New Delhi in their report dt 09/03/2022:</p> <p>(a) No reason for non-payment of the dues were available on records. NHDC being the nodal / implementation agency, has failed to ensure that statutory payment of property tax made to SDMC after 2017 and further has not paid arrears of ground rent and the maintenance charges to the Builder (HUDCO). This may affect the execution of lease deed with HUDCO. Further, penalty charges would accrue and penalty action may be taken against the NHDC since it is the original allottee of the shops.</p> <p>(b) NHDC has not taken any action against the beneficiary agencies who did not reimburse their share of expenditure, instead it itself has become defaulter to HUDCO.</p> <p>(c) There is no further instruction or arrangement of payment of dues by the beneficiary agencies who have been paying their dues regularly to NHDC.</p>	<p>The Govt. Of India (GOI) floated a scheme in the year 1996 which aimed to provide marketing assistance by setting up Marketing Complexes with a view to create permanent marketing outlets of handloom weavers/agencies in major cities and towns. NHDC was appointed as the only nodal agency for implementing the above, by the office of Development Commissioner for Handlooms (DCHL).</p> <p>HUDCO had developed the marketing complex at Bhikaji Kama Place and had taken over the land from Land and Development Authority (L&DO).</p> <p>The Complex could not be transferred/sublet to the 23 agencies/allottees/NHDC due to legal issue of delay in signing of agreement between HUDCO and L&DO. Over the period of time, NHDC has sent various communications to HUDCO to transfer the shops directly to allottees but no redressal was provided.</p> <p>Due to unforeseen circumstances and Covid 19 pandemic, the issues related to marketing complexes were pending.</p> <p>A meeting was held on 05-04-2022 with officials of HUDCO and IHC for payment of dues. It has been clearly stated in the meeting that only after receipt of ground rent/maintenance charges/property tax from occupants of marketing complex, the dues shall be paid to HUDCO/IHC/SDMC. Letters were issued to all occupants of marketing complex to clear their dues immediately. Only after receipt of dues, the shops shall be registered. Personal visits and follows up are being made regularly for speedy recovery of dues.</p>

क्र. सं.	सांविधिक लेखा परीक्षक की टिप्पणियां	निदेशक मंडल का उत्तर
	<p>(घ) लाभार्थी एजेंसियों द्वारा बकाया राशि के भुगतान के लिए कोई और निर्देश या व्यवस्था नहीं है, जो एनएचडीसी को नियमित रूप से अपनी बकाया राशि का भुगतान कर रही हैं।</p> <p>(ङ) एनएचडीसी द्वारा आवंटित दुकानों से लाभार्थी एजेंसियों द्वारा बिक्री/व्यवसाय आदि का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया था, जिससे योजना के लाभों के संदर्भ में उनके प्रदर्शन की पुष्टि हो सके, जिसमें सरकार ने मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानों की खरीद के लिए हथकरघा एजेंसियों को 50% अनुदान सहायता के रूप में 335.00 लाख रुपये प्रदान किए हैं। यदि एनएचडीसी द्वारा बकाया राशि का भुगतान न किए जाने के कारण लीज डीड नहीं बनाई जाती है, तो योजना पर सरकारी व्यय व्यर्थ हो सकता है।</p>	<p>एनएचडीसी ने विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय से अनुरोध किया है कि एनएचडीसी को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में मुक्त किया जाए तथा डीसी (हथकरघा) कार्यालय आगे की आवश्यक कार्रवाई करने के लिए इसे अपने हाथ में ले ले। लंबित बकाया राशि की वसूली के लिए सभी लाभार्थी एजेंसियों को पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया। इसके अनुसार, कुछ एजेंसियों ने भुगतान कर दिया है तथा कुछ जल्द ही भुगतान करने को तैयार हैं। इसके अलावा, कुछ एजेंसियां दुकानें सरेंडर करने को तैयार हैं जबकि कुछ एजेंसियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।</p> <p>तदनुसार, एनएचडीसी द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।</p>
4	<p>एएस 22 के अनुसार, कंपनी को आस्थगित कर परिसंपत्तियों का उस सीमा तक पहचान करना आवश्यक है, जहां तक यह संभावना है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे, जिसके विरुद्ध अग्रेणीत घाटे और अनवशोषित मूल्यह्रास का उपयोग किया जा सकता है। हालांकि, हम देखते हैं कि कंपनी ने अग्रेणीत हानि और अनवशोषित मूल्यह्रास से संबंधित आस्थगित की गयी कर परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी है, जिसकी राशि 875.50 लाख रुपये बनती है। अग्रेणीत हानि पर डीटीए को मान्यता न देने के कारण 875.50 लाख रुपये के कर के बाद शुद्ध लाभ को कम करके आंका गया है और 875.50 लाख रुपये से आस्थगित कर परिसंपत्तियों को कम करके आंका गया है।</p>	<p>कृपया लेखांकन मानक 22 'आय पर करों के लिए लेखांकन' के पैरा 8 का संदर्भ लें, जिसे नीचे दोहराया गया है:</p> <p>'अनवशोषित मूल्यह्रास और घाटे को आगे ले जाना, जिसे भविष्य की कर योग्य आय के विरुद्ध सेट-ऑफ किया जा सकता है, को भी समय के अंतर के रूप में माना जाता है और इसके परिणामस्वरूप आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ बनती हैं, जो विवेक के विचार के अधीन हैं (पैराग्राफ 15-18 देखें)। इसके अलावा एएस 22 के पैरा 15 से 18 को भी नीचे दोहराया गया है:</p> <p>15. "पैरा 17 में बताई गई स्थितियों को छोड़कर, आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जानी चाहिए और आगे बढ़ाया जाना चाहिए, जब तक कि यह उचित निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिसके विरुद्ध ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वसूली की जा सकेगी।"</p> <p>16. "समय के अंतर के कर प्रभाव की पहचान करते समय, विवेक के विचार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए, आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल इस सीमा तक पहचाना और आगे बढ़ाया जाता है कि उनकी प्राप्ति की उचित निश्चितता हो। निश्चितता का यह उचित स्तर आम तौर पर उद्यम के पिछले रिकॉर्ड की जांच करके और भविष्य के लिए लाभ का यथार्थवादी अनुमान लगाकर हासिल किया जाएगा।"</p> <p>17. "जहां किसी उद्यम में कर कानूनों के तहत अनवशोषित मूल्यह्रास या घाटे को आगे ले जाने की व्यवस्था है, वहां आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जानी चाहिए, जहां इस बात की वास्तविक निश्चितता हो कि पर्याप्त भविष्य की कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिसके विरुद्ध ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियों को प्राप्त किया जा सकता है।"</p>

S. No.	Comments of Statutory Auditors	Reply of the Board of Directors
	(d) No records of sale/business etc. by beneficiary agencies, from the shops allotted, was maintained by NHDC to vouch their performance in terms of benefits of the scheme wherein the Government has provided 50% grant assistance to Handloom Agencies Rs 335.00 Lakhs for purchase of the shops of Marketing Complex. The government expenditure on the scheme may go waste if, lease deed is not made due to non-payment of dues by NHDC.	<p>NHDC has requested to O/o Development Commissioner (Handlooms) that NHDC may kindly be relieved as implementing agency and Office of DC (Handlooms) take over the same for further needful action. It was decided to issue letters to all the beneficiary agencies for recovery of pending dues. Pursuant to that, some agencies have made the payment and some are willing to make the payment soon. Further, some of the agencies are willing to surrender the shops whereas some agencies have not responded.</p> <p>Necessary action is being taken by NHDC accordingly.</p>
4	<p>According to AS 22, the company is required to recognize deferred tax assets to the extent it is probable that future taxable profits will be available against which the carried forward losses and unabsorbed depreciation can be utilized. However, we note that the company has not recognized deferred tax assets related to carried forward losses and unabsorbed depreciation, amounting to INR 875.50 Lakhs. Failure to recognize DTA on carried forward losses has resulted into understatement of Net profit after tax of INR 875.50 Lakhs and understatement of Deferred Tax assets by INR 875.50 Lakhs</p>	<p>Please refer to Para 8 of Accounting Standard 22 "Accounting for Taxes on Income" which is reiterated as below:</p> <p>"Unabsorbed depreciation and carry forward of losses which can be set-off against future taxable income are also considered as timing differences and result in deferred tax assets, subject to consideration of prudence (see paragraph 15-18)".</p> <p>Further Para 15 to 18 of AS 22 is also reiterated below:</p> <p>15. "Except in the situations stated in Para 17, deferred tax assets should be recognized and carried forward only to the extent that there is a reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized."</p> <p>16. "While recognizing the tax effect of timing differences, consideration of prudence cannot be ignored. Therefore, deferred tax assets are recognized and carried forward only to the extent that there is a reasonable certainty of their realization. This reasonable level of certainty would normally be achieved by examining the past record of the enterprise and by making realistic estimates of profit for the future."</p> <p>17. "Where an enterprise has unabsorbed depreciation or carry forward of losses under tax laws, deferred tax assets should be recognized only to the extent that there is virtual certainty supported by convincing evidence that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized."</p>

क्र. सं.	सांविधिक लेखा परीक्षक की टिप्पणियां	निदेशक मंडल का उत्तर
		<p>18. “कर कानूनों के तहत अनवशोषित मूल्यवृद्धि या घाटे को आगे ले जाने का अस्तित्व इस बात का ठोस सबूत है कि भविष्य में कर योग्य आय उपलब्ध नहीं हो सकती है। इसलिए, जब किसी उद्यम के पास हाल ही में घाटे का इतिहास होता है, तो उद्यम केवल उस सीमा तक आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता देता है, जिसमें समय के अंतर होते हैं, जिसके रिवर्स होने से पर्याप्त आय होगी या अन्य ठोस सबूत हैं कि पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके विरुद्ध ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियों को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में, इसकी मान्यता का समर्थन करने वाले साक्ष्य की प्रकृति का खुलासा किया जाता है।”</p> <p>एएस 22 के ऊपर उल्लिखित पैरा के मद्देनजर यह स्पष्ट है कि अग्रेणीत हानि और अनवशोषित मूल्यवृद्धि से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्तियां केवल तभी बनाई जा सकती हैं जब इस बात की उचित निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके विरुद्ध ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियों को वसूला जा सकता है। कंपनी को पिछले कुछ वर्षों (वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2021-22 तक) में घाटा हुआ था। और पिछले 2 वर्षों (यानी वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24) से इसका लाभ मार्जिन बहुत कम है, इसलिए पर्याप्त भविष्य की कर योग्य आय की उचित अनिश्चितता के कारण आगे ले जाए गए घाटे और अनवशोषित मूल्यवृद्धि से संबंधित कोई आस्थगित कर परिसंपत्ति नहीं बनाई गई।</p> <p>इसके अलावा, कर का भुगतान करने के लिए कंपनी के पास नीचे दिए गए 3 विकल्प उपलब्ध हैं:</p> <p>(i) मानक कर</p> <p>(ii) न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी)</p> <p>(iii) नई धारा 115बीएए के तहत कर</p> <p>उपरोक्त प्रत्येक विकल्प में आस्थगित कर की गणना अलग-अलग है। इसलिए, कंपनी इन विकल्पों पर विचार कर रही है और तदनुसार, प्रस्ताव को निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और निदेशक मंडल के निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।</p>
5.	<p>हमारी लेखा परीक्षा के दौरान, हमने पाया है कि कंपनी ने 124.46 लाख रुपये की न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट (एमएटी क्रेडिट) को मान्यता नहीं दी है, जिसमें से 40.78 लाख रुपये वित्त वर्ष 2022-23 से संबंधित हैं और 83.68 लाख रुपये (अनुमानित) वित्त वर्ष 2023-24 से संबंधित हैं। एमएटी क्रेडिट परिसंपत्ति को मान्यता देने में विफलता के परिणामस्वरूप 124.46 लाख रुपये की एमएटी क्रेडिट परिसंपत्ति को कम करके दिखाया गया है और 124.46 लाख रुपये के कर के बाद शुद्ध लाभ को कम करके दिखाया गया है।</p>	<p>न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) प्रावधानों के तहत, यदि सामान्य प्रावधानों के तहत देय कर इस न्यूनतम कर से कम है तो किसी कंपनी को बुक प्रॉफिट पर न्यूनतम कर का भुगतान करना आवश्यक होता है। इस एमएटी क्रेडिट को आगे बढ़ाया जा सकता है और भविष्य के वर्षों में तब सेट किया जा सकता है, जब नियमित कर देयता एमएटी देयता से अधिक हो।</p> <p>जैसा कि ऊपर बिंदु 4 में उत्तर में भी उल्लेख किया गया है, कंपनी को पिछले कुछ वर्षों (वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2021-22 तक) में घाटा हुआ है और पिछले 2 वर्षों (अर्थात् वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24) से इसका लाभ मार्जिन बहुत कम है, इसलिए कंपनी पर्याप्त भविष्य की कर योग्य आय की उचित अनिश्चितता के कारण एमएटी क्रेडिट को मान्यता नहीं दे रही थी।</p>

S. No.	Comments of Statutory Auditors	Reply of the Board of Directors
		<p>18. "The existence of unabsorbed depreciation or carry forward of losses under tax laws is strong evidence that future taxable income may not be available. Therefore, when an enterprise has a history of recent losses, the enterprise recognizes deferred tax assets only to the extent that it has timing differences the reversal of which will result in sufficient income or there is other convincing evidence that sufficient taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized. In such circumstances, the nature of evidence supporting its recognition is disclosed."</p> <p>In view of the above cited Paras of AS 22 it is clear that deferred tax assets related to carried forward losses and unabsorbed depreciation can only be created when there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized. The Company had incurred losses in the past few years (from FY 2018-19 to FY 2021-22). And it is having very thin profit margin from last 2 years (i.e. FY 2022-23 and FY 2023-24), therefore no deferred tax asset related to carried forward losses and unabsorbed depreciation was created due to reasonable uncertainty of sufficient future taxable income.</p> <p>Further, below 3 options are available to Company for paying Tax:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Standard Tax (ii) Minimum Alternate Tax (MAT) (iii) Tax under new Section 115BAA <p>Calculation of deferred tax is different in each of the above options. Therefore, the Company is exploring these options and accordingly proposal would be presented before the Board of Directors and necessary action would be taken as per the directions of the Board of Directors.</p>
5.	<p>During our audit, we noted that the company has not recognized Minimum Alternate Tax Credit (MAT Credit) amounting to INR 124.46 Lakhs out of which INR 40.78 Lakh pertains to FY22-23 and INR 83.68 Lakh (as estimated) pertains to FY23-24. The failure to recognize MAT Credit asset has resulted in an understatement of MAT Credit asset of INR 124.46 Lakhs and understatement of Net profit after tax of INR 124.46 Lakhs.</p>	<p>Under Minimum Alternate Tax (MAT) provisions, a Company is required to pay a minimum tax on book profits if the tax payable under normal provisions is lower than this minimum tax. This MAT credit can be carried forward and set off in future years when the regular tax liability exceeds the MAT liability.</p> <p>As also mentioned in reply in Point 4 above, the Company had incurred losses in the past few years (from FY 2018-19 to FY 2021-22). And it is having very thin profit margin from last 2 years (i.e. FY 2022-23 and FY 2023-24), therefore the Company was not recognizing MAT Credit due to reasonable uncertainty of sufficient future taxable income.</p>

क्र. सं.	सांविधिक लेखा परीक्षक की टिप्पणियां	निदेशक मंडल का उत्तर
		<p>इसके अलावा, कर का भुगतान करने के लिए कंपनी के पास नीचे दिए गए 3 विकल्प उपलब्ध हैं:</p> <p>(i) मानक कर</p> <p>(ii) न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी)</p> <p>(iii) नई धारा 115बीएए के तहत कर</p> <p>उपरोक्त प्रत्येक विकल्प में एमएटी क्रेडिट का उपचार और कर योग्य आय की गणना की विधि अलग-अलग है। इसलिए, कंपनी इन विकल्पों पर विचार कर रही है और तदनुसार, प्रस्ताव को निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और निदेशक मंडल के निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।</p>
6.	<p>वर्ष के दौरान, कंपनी ने लीज होल्ड अचल संपत्ति अर्जित/ खरीदी है। हालांकि, कंपनी ने अपनी लीज होल्ड भूमि का 2.09 लाख रुपये तक परिशोधन नहीं किया है, जिसके कारण वित्तीय विवरणों में लाभ को 2.09 लाख रुपये तक बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है और संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के वहन मूल्य को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है।</p>	<p>नोएडा में, प्रत्येक संपत्ति फ्रीहोल्ड आधार के बजाय लीजहोल्ड आधार पर बेची जाती है। इसलिए, भूमि को अपनी भूमि माना जाता है और इसलिए, इस भूमि पर कोई परिशोधन नहीं माना जाता है क्योंकि भूमि एक मूल्यह्रास योग्य संपत्ति नहीं है और इसका मूल्यह्रास नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसे हमेशा के लिए अंतिम माना जाता है और इसका कोई उपयोगी जीवन नहीं होता है।</p>
7.	<p>71.53 लाख रुपये का पुराना डेबिट बैलेंस 'अन्य चालू परिसंपत्तियों' के रूप में वर्गीकृत एफडीआर पर अर्जित ब्याज में प्राप्य दिखाई दे रहा है, जिसके लिए कंपनी द्वारा बैंक से कोई विवरण और शेष राशि की पुष्टि प्रदान नहीं की गई है। इसलिए, हम इस शेष राशि की वसूली पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।</p>	<p>एफ.डी.आर. पर उपार्जित ब्याज के कुछ पुराने लंबित मामले हैं। कंपनी एफ.डी.आर. पर उपार्जित ब्याज का वर्षवार मिलान किया जा रहा है और तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।</p>
8.	<p>सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार अधिनियम, नियम, विनियम, दिशानिर्देश, मानक आदि के निम्नलिखित प्रावधान 31.03.2024 तक लंबित</p> <p>i. जबकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4) और 149 (5) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम 2014 के नियम 4 के साथ, कंपनी को कंपनी के बोर्ड में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करना आवश्यक था। कंपनी के बोर्ड में दिनांक 17 अक्टूबर 2022 तक केवल दो स्वतंत्र निदेशक हैं। श्री अनिल कुमार सूद जिन्हें 18 अक्टूबर 2019 से तीन साल की अवधि या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया गया था, 17 अक्टूबर 2022 से अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में समाप्त हो गए हैं। साथ ही सुश्री योगिता सिंह जिन्हें 09 नवंबर 2021 से तीन साल की अवधि या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो कंपनी को आकस्मिक रिक्ति को तत्काल अगली बोर्ड बैठक या ऐसी रिक्ति की तारीख से तीन महीने के भीतर जो भी पहले हो, भरना था, लेकिन 31 मार्च 2024 तक नहीं भरा गया है,</p>	<p>इस बिंदु का उत्तर निदेशकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक घ में दिया गया है – वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों संबंधी उत्तर।</p>

S. No.	Comments of Statutory Auditors	Reply of the Board of Directors
		<p>Further, below 3 options are available to Company for paying Tax:</p> <p>(i) Standard Tax</p> <p>(ii) Minimum Alternate Tax (MAT)</p> <p>(iii) Tax under new Section 115BAA</p> <p>Treatment of MAT credit and method of calculation of Taxable Income is different in each of the above options. Therefore, the Company is exploring these options and accordingly proposal would be presented before the Board of Directors and necessary action would be taken as per the directions of the Board of Directors.</p>
6	<p>During the year, the company has acquired / purchased a Lease hold immovable property. However, the company has not amortized its leasehold land by INR 2.09 Lakhs, leading to overstatement of profits by INR 2.09 Lakhs in the financial statements and overstatement of carrying value of Property, Plant & Equipment's.</p>	<p>In NOIDA, every property is sold on leasehold basis instead of freehold basis. Therefore, the land is considered as own land and hence, no amortization has been considered on this land since land is not a depreciable property and cannot be depreciated as it is considered to last forever and not have a useful life.</p>
7	<p>An old debit balance of INR 71.53 Lakhs is appearing receivable in Interest accrued on FDR classified as "Other Current Assets" for which no detail and balance confirmation from Bank has been provided by the Company. Hence, we are unable to comment on the recoverability of this balance.</p>	<p>There are some old pending issues in Interest Accrued on FDR. The Company is in the process of preparing year wise reconciliation of Interest accrued on FDR and necessary action will be taken accordingly.</p>
8.	<p>As per Secretarial Audit Report following provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards etc. is pending as on 31.03.2024:</p> <p>i. Whereas in term of the provisions of Section 149 (4) & 149 (5) of the Companies Act,2013 read with rule 4 of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules 2014, the Company was required to appoint at least two Independent Directors on the Board of the Company. The Company has only two Independent Director on the Board till 17th October 2022. Shri Anil Kumar Sood who was appointed for a period of three years or till further orders, whichever is earlier w.e.f. 18th October 2019 has ceased as Non-Official Independent Director after completion of his tenure w.e.f. 17th October 2022. Also Ms. Yogita Singh who was appointed as Non-Official Independent Director for a period of three years or till further orders, whichever is earlier w.e.f. 09th November 2021 has resigned w.e.f. 11th November 2022. The Company was required to fill casual vacancy not later than immediate next Board Meeting or three months from the date of such vacancy whichever is earlier, but has not filled till 31st March</p>	<p>The reply to this point has been given under Annexure D to the Directors Report – Reply on the Observations of the Secretarial Auditors for the FY 2023-24.</p>

क्र. सं.	सांविधिक लेखा परीक्षक की टिप्पणियां	निदेशक मंडल का उत्तर
	<p>इसलिए कंपनी ने 16 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच की अवधि के लिए उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।</p> <p>ii. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (1) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (बोर्ड की बैठक और इसकी शक्तियां) नियम 2014 के नियम 6 के साथ, कंपनी को स्वतंत्र निदेशकों के बहुमत के साथ बोर्ड की एक लेखा परीक्षा समिति का गठन करना आवश्यक था। चूंकि श्री अनिल कुमार सूद 17 अक्टूबर 2022 से अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नहीं हैं और सुश्री योगिता सिंह ने 11 नवंबर 2022 से इस्तीफा दे दिया है, इसलिए निगम ने 16 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच की अवधि के लिए उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।</p> <p>iii. जबकि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 203 (4) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के लागू नियम के साथ, कंपनी को रिक्ति की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (कंपनी सचिव) की आकस्मिक रिक्ति को भरना आवश्यक था, कंपनी की कंपनी सचिव सुश्री अंजलि यादव ने 25 जुलाई 2022 से इस्तीफा दे दिया है और कंपनी को 24 जनवरी 2023 को या उससे पहले आकस्मिक रिक्ति को भरना आवश्यक था, लेकिन आज तक नहीं भरा गया है, इसलिए कंपनी ने 25 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2024 की अवधि के दौरान प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।</p> <p>iv. जबकि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के लिए जोखिम प्रबंधन नीति रखना आवश्यक था, 15 सितंबर 2023 को आयोजित उनकी बैठक में बोर्ड ने अपनाने और संचलन के उद्देश्य के लिए अनंतिम नीति को अपनाया है और इसे फिर से अनुमोदित करने की आवश्यकता है क्योंकि बोर्ड स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर काम पूरा कर रहा है।</p>	

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह./—
बीना महादेवन
अध्यक्ष

दिनांक: 28 नवंबर 2024

स्थान: नई दिल्ली

S. No.	Comments of Statutory Auditors	Reply of the Board of Directors
	<p>2024, hence the Company has not complied with the aforesaid provisions for the period between 16th January 2023 to 31st March 2024.</p> <p>ii. In term of the provisions of Section 177 (1) of the Companies Act, 2013 read with rule 6 of the Companies (Meeting of Board and its Powers) Rules 2014, the Company was required to constitute an Audit Committee of the Board with the majority of Independent Directors. As Mr. Anil Kumar Sood has ceased as Non-Official Independent Director after completion of his tenure w.e.f. 17th October 2022 and Ms. Yogita Singh has resigned w.e.f. 11th November 2022, hence the Corporation has not complied with the aforesaid provisions for the period between 16th January 2023 to 31st March 2024.</p> <p>iii. Whereas in term of the provisions of Section 203 (4) of the Companies Act 2013 read with the applicable rule of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, the Company was required to fill casual vacancy of Key Managerial Personnel (Company Secretary) within a period of six months from the date of such vacancy, Ms. Anjali Yadav, Company Secretary of the Company has resigned w.e.f. 25th July 2022 and Company was required to fill casual vacancy on or before 24th January 2023 but has not filled till date, hence Company has not complied with the provisions during the period from 25th January 2023 to 31st March 2024.</p> <p>iv. Whereas in term of the provisions of Section 134 (3) of the Companies Act 2013, the Company was required to have a Risk Management Policy, the board in their meeting held on 15th September 2023 has adopted provisional policy for adoption and circulation purpose and need to be ratified again as and Board is complete on appointment of Independent Directors.</p>	

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-
 Beena Mahadevan
 Chairperson

Date: 28 November 2024

Place: New Delhi

**वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सचिवीय
लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर उत्तर**

सं.	सचिवीय लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां	निदेशक मंडल का उत्तर
क)	जबकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) और 149(5) के प्रावधानों के साथ कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के अनुसार, कंपनी को कंपनी के बोर्ड में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करना आवश्यक कंपनी के बोर्ड में 17 अक्टूबर 2022 तक दो स्वतंत्र निदेशक हैं। कंपनी को आकस्मिक रिक्ति को तत्काल अगली बोर्ड बैठक या ऐसी रिक्ति की तारीख से तीन महीने के भीतर जो भी पहले हो, भरना था, लेकिन कंपनी ने 16 जनवरी 2023 से आज तक की अवधि के लिए उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।	17 अक्टूबर 2022 तक कंपनी के बोर्ड में दो स्वतंत्र निदेशक थे। एक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक, अर्थात् श्री अनिल कुमार सूद, जिन्हें 18 अक्टूबर 2019 से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया था, ने 17 अक्टूबर 2022 को अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। जबकि सुश्री योगिता सिंह, जिन्हें 09 नवंबर 2021 से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, ने भी 11 नवंबर 2022 से इस्तीफा दे दिया है। निगम एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी है और निदेशकों को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4) और 149 (5) के अनुपालन में बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए कंपनी प्रशासनिक मंत्रालय से लगातार अनुरोध कर रही है।
ख)	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (1) के उपबंधों के साथ पठित कंपनी (बोर्ड की बैठक और इसकी शक्तियां) नियमावली, 2014 के नियम 6 के अनुसार, कंपनी को स्वतंत्र निदेशकों के बहुमत के साथ बोर्ड की एक लेखा परीक्षा समिति का गठन करना आवश्यक था। चूंकि श्री अनिल कुमार सूद, गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक ने 17 अक्टूबर 2022 से इस्तीफा दे दिया है और सुश्री योगिता सिंह ने भी 11 नवंबर 2022 से इस्तीफा दे दिया है, इसलिए निगम ने 16 जनवरी 2023 से अब तक की अवधि के दौरान उपरोक्त उपबंधों का अनुपालन नहीं किया है।	17 अक्टूबर 2022 तक कंपनी के बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों की इष्टतम संख्या थी और तदनुसार, कंपनी नियमावली (बोर्ड की बैठक और इसकी शक्तियां) 2014 के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (1) के उपबंधों के अनुपालन में स्वतंत्र निदेशकों की पर्याप्त संख्या के साथ बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया था। कंपनी, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए प्रशासनिक मंत्रालय से लगातार अनुरोध करती रही है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति होने के बाद लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया जाएगा।
ग)	जबकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 (4) के उपबंधों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के लागू नियम के अनुसरण में, कंपनी को प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (कंपनी सचिव) की आकस्मिक रिक्ति को ऐसी रिक्ति की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर भरना आवश्यक था। कंपनी की कंपनी सचिव सुश्री अंजली यादव ने 25 जुलाई 2022 से इस्तीफा दे दिया है और कंपनी द्वारा आकस्मिक रिक्ति को 24 जनवरी 2023 को या उससे पहले भरना आवश्यक था, लेकिन उसे आज तक नहीं भरा गया है, इसलिए कंपनी ने 25 जनवरी 2023 से अब तक की अवधि के दौरान उपबंधों का अनुपालन नहीं किया है।	सुश्री अंजली ने 25.07.2022 से सीएस के पद से इस्तीफा दे दिया था। रिक्त पद को भरने के लिए 17.09.2022 को रिक्ति परिपत्र सं एनएचडीसी/एचआर/आरई/22/2 दिनांक 17.09.2022 के माध्यम से कंपनी सचिव के पद के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया था। प्राप्त आवेदनों के आधार पर, पद के लिए साक्षात्कार 30.01.2023 को आयोजित किया गया था, चयन समिति ने पद के लिए एक उम्मीदवार को उपयुक्त पाया था। उन्हें ऑफर लेटर जारी कर दिया गया, हालांकि उम्मीदवार ने एनएचडीसी में कार्यभार ग्रहण नहीं किया।

ANNEXURE D TO THE DIRECTORS REPORT

REPLY ON THE OBSERVATIONS OF THE SECRETARIAL AUDITORS FOR THE FY 2023-24

	OBSERVATIONS OF SECRETARIAL AUDITORS	REPLY OF THE BOARD OF DIRECTORS
a)	<i>Whereas in term of the provisions of Section 149(4) & 149(5) of the Companies Act, 2013 read with rule 4 of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, the Company was required to appoint at least two Independent Directors on the Board of the Company. Company has two Independent Director on the Board till 17th October 2022. Company was required to fill casual vacancy not later than immediate next Board Meeting or three months from the date of such vacancy whichever is earlier but the Company has not complied with the aforesaid provisions for the period from 16th January 2023 to till date.</i>	Company had two Independent Directors on the Board till 17th October 2022. One Non-Official Independent Director, namely Shri Anil Kumar Sood who was appointed for a period of three years or till further orders, whichever is earlier w.e.f. 18th October 2019 has completed his tenure on 17th October 2022. While Ms. Yogita Singh who was appointed as Non-Official Independent Director for a period of three years or till further orders, whichever is earlier w.e.f. 09th November 2021 has also resigned w.e.f. 11th November 2022. The Corporation is a wholly owned Government Company and Directors are appointed by the Hon'ble President of India. The Company had been constantly requesting to the administrative Ministry for appointing Independent Directors on the Board in compliance of Section 149(4) & 149(5) of the Companies Act, 2013.
b)	<i>In term of the provisions of Section 177(1) of the Companies Act, 2013 read with rule 6 of the Companies (Meeting of Board and its powers) Rules, 2014, the Company was required to constitute an Audit Committee of the Board with the majority of Independent Directors and the committee should be chaired by Independent Director along with that minimum of two Independent Directors attend the meeting of the Audit Committee. As Mr. Anil Kumar Sood, has ceased as Non-Official Independent Director after completion of his tenure w.e.f. 17th October 2022 and Ms Yogita Singh has resigned w.e.f. 11th November 2022, hence the Corporation has not complied with the aforesaid provisions for the period from 16th January 2023 to till date.</i>	Company had optimum number of Independent Directors on the Board till 17th October 2022 and accordingly Audit Committee of the Board was constituted with the sufficient number of Independent Directors and in compliance of provisions of Section 177(1) of the Companies Act, 2013 read with rule 6 of the Companies (Meeting of Board and its powers) Rules, 2014. The Company had been constantly requesting to the administrative Ministry for appointing Independent Directors on the Board. Once the independent directors are appointed Audit Committee shall be reconstituted.
c)	<i>Whereas in term of the provisions of Section 203(4) of the Companies Act, 2013 read with applicable rule of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, the Company was required to fill casual vacancy of Key Managerial Personnel (Company Secretary) within a period of six months from the date of such vacancy, Ms Anjali Yadav, Company Secretary of the Company has resigned w.e.f 25th July 2022 and Company was required to fill casual vacancy on or before 24th January 2023 but has not filled till date, hence Company has not complied with the provisions during the period from 25th January 2023 to till date.</i>	Ms. Anjali had resigned from the post of CS w.e.f. 25.07.2022. To fill up the vacant position an advertisement for the post of Company Secretary was issued on 17/09/2022 vide Vacancy Circular No. NHDC/HR/RE/22/2 dated 17/09/2022. Based on the applications received, interview for the post was conducted on 30.01.2023, the Selection Committee found one suitable candidate for the post. Offer letter was issued to him, however, the candidate did not join NHDC.

सं.	सचिवीय लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां	निदेशक मंडल का उत्तर
		<p>इसके अलावा, कंपनी सचिव के पद के लिए 15.04.2023 को रिक्ति परिपत्र सं एनएचडीसी/एचआर/आरई/23/3 दिनांक 15.04.2023 के माध्यम से फिर से विज्ञापन जारी किया गया था। प्राप्त आवेदनों के आधार पर पद के लिए साक्षात्कार आयोजित किया गया। साक्षात्कार में प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए चयन समिति ने एक उम्मीदवार को पद के लिए उपयुक्त पाया तथा तीन अन्य उम्मीदवारों को प्रतीक्षा सूची में रखा।</p> <p>ऑफर लेटर जारी किया गया लेकिन उन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया। इसके बाद, एक-एक करके सभी तीन प्रतीक्षा सूची वाले उम्मीदवारों को ऑफर लेटर जारी किए गए, लेकिन किसी ने भी एनएचडीसी में कार्यभार नहीं संभाला।</p> <p>इसके बाद, कंपनी सचिव के पद के लिए पुनः 10.08.2024 को रिक्ति परिपत्र संख्या एनएचडीसी/एचआर/आरई/2024/3, दिनांक 10.08.2024 के तहत विज्ञापन जारी किया गया और आवश्यक औपचारिकताएं प्रक्रियाधीन हैं।</p>
घ)	जबकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के पास जोखिम प्रबंधन नीति होना आवश्यक था बोर्ड ने 15 सितंबर 2023 को आयोजित अपनी बैठक में अपनाए और प्रसारित करने के उद्देश्य के लिए अनंतिम नीति अपनाई है और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर बोर्ड की पूरी तरह से सहमति होने पर इसे फिर से अनुमोदित करने की आवश्यकता है।	इसके अलावा 16.06.2023 को आयोजित बोर्ड की 177वीं बैठक में जोखिम प्रबंधन नीति का मसौदा बोर्ड के समक्ष रखा गया था और बाद में 15.09.2023 को आयोजित 178वीं बोर्ड बैठक में बोर्ड ने जोखिम प्रबंधन नीति पर विचार किया और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर बोर्ड द्वारा कार्य पूरा होने पर पुनः अनुसमर्थन के अधीन अपनी अनंतिम स्वीकृति प्रदान की।
ड)	लखनऊ शाखा कार्यालय में यार्न आपूर्ति योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के मामले में और पिछले वर्षों की हमारी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने 3 (तीन) अधिकारियों अर्थात् श्री रवीश टंडन, प्रबंधक (कॉम), श्री हसन अब्बास, अधिकारी (एफ एंड ए) और श्री बीके महापात्रा, वरिष्ठ अधिकारी (कॉम) को दोषी पाया और 11 मार्च 2022 को 'पद से हटाने' का दंड दिया गया। सेवा से हटाने का दंड, जो सरकार या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले सीपीएसई के तहत भविष्य के रोजगार के लिए अयोग्यता नहीं होगी और उनके खिलाफ क्रमशः 23 मार्च 2022 को 'अनिवार्य सेवानिवृत्ति' जुर्माना होगा।	निदेशक मंडल ने 15 जून, 2022 को प्रचलन द्वारा पारित संकल्प के तहत 1 अप्रैल, 2017 से लखनऊ शाखा कार्यालय की लेन-देन संबंधी लेखा परीक्षा करने का निर्देश दिया है ताकि उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त शेष राशि और आपूर्तिकर्ता एजेंसियों को देय तदनुसूची राशि और संबंधित अवधि के लिए एनएचडीसी को प्रतिपूर्ति/भुगतान की जाने वाली सब्सिडी की सही और वास्तविक राशि का पता लगाया जा सके। लेन-देन संबंधी लेखा परीक्षा अभी भी प्रक्रियाधीन है। लगभग 7000 प्रविष्टियों को संबंधित प्रविष्टियों को मैप करके जांच/सत्यापित करने की आवश्यकता है, इसलिए लेनदेन संबंधी लेखा परीक्षा को पूरा करने में समय लगेगा। यह कार्य पूरा होने पर, रिपोर्ट को आगे के आवश्यक निर्देश के लिए बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह./-
बीना महादेवन
अध्यक्ष

दिनांक: 28 नवंबर 2024

स्थान: नई दिल्ली

	OBSERVATIONS OF SECRETARIAL AUDITORS	REPLY OF THE BOARD OF DIRECTORS
		<p>Further, advertisement for the post of Company Secretary was again issued on 15/04/2023 vide Vacancy Circular No. NHDC/HR/RE/23/3 dated 15/04/2023. Based on the applications received, an interview for the post was conducted. Considering the performance in the interview, the Selection Committee found one suitable candidate for the post and also kept three more candidates on waitlist.</p> <p>An Offer letter was issued but she did not join. Thereafter, offer letters were issued to all three waitlisted candidates one by one, but no one joined NHDC.</p> <p>After that, the advertisement for the post of Company Secretary was again issued on 10/08/2024 vide Vacancy Circular No. NHDC/HR/RE/2024/3 dated 10/08/2024 and necessary formalities are under process.</p>
d)	<p><i>Whereas in term of the provisions of Section 134(3) of the Companies Act, 2013 the Company was required to have a Risk Management policy, the board in their meeting held on 15th September 2023 has adopted provisional policy for adoption and circulation purpose and need to be ratified again as and when Board is complete on appointment of Independent Directors.</i></p>	<p>A draft risk management policy was placed before the Board in its 177th Board Meeting held on 16.06.2023 and later in 178th Board meeting held on 15.09.2023 the Board considered the risk management policy and accorded its provisional approval subject to ratification again as and when Board is complete on appointment of Independent Directors.</p>
e)	<p><i>In the matter of irregularities in the implementation of Yarn Supply Scheme in Lucknow Branch Office and with reference to our Secretarial Audit Report of previous years, the Disciplinary Authority found 3 (three) officials namely- Shri Ravish Tandon, Manager (Comm), Shri Hasan Abbas, Officer (F&A) & Shri B.K. Mahapatra, Sr. Officer (Comm) guilty and imposed the 'Dismissal' on 11th March 2022, Removal from Service, which shall not be a disqualification for future employment under the Government or the CPSE owned or controlled by the Government' and 'Compulsory retirement' penalty on 23rd March 2022, against them respectively.</i></p>	<p>Board of Directors has directed vide resolution passed by circulation on 15th June, 2022 to conduct transaction audit of Lucknow branch office from 1st April, 2017 onwards so as to find out the true and actual amount of balance receivables from user agencies and corresponding amount payable to supplier agencies and subsidy due to be reimbursed / paid to NHDC for the related period. Transaction audit is still under process. There being approximately 7000 entries need to be checked/verified by mapping corresponding entries hence it will take time to complete the transactions audit. Upon completion, report shall be placed before the Board for further necessary instruction.</p>

For and on behalf of Board of Directors

**Sd/-
Beena Mahadevan
Chairperson**

Date: 28 November 2024

Place: New Delhi

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

(31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए)

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसरण में)

सेवा में,

सदस्य,

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड,

पंजीकृत कार्यालय: ए-2-5, सेक्टर- 2,

गौतम बुद्ध नगर, नोएडा,

उत्तर प्रदेश-201301

हमने राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि. (सीआईएन सं. यू17299यूपी1983जीओआई005974) (जिसे इसके पश्चात् कंपनी कहा गया है) (एनएचडीसी) द्वारा, लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे कॉर्पोरेट व्यवहार के पालन की सचिवीय लेखा परीक्षा की है। सचिवीय लेखा-परीक्षा इस तरीके से की गई थी जिसने हमें नैगमिक आचरणों/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने तथा उस पर अपने विचार व्यक्त करने का तर्कसंगत आधार प्रदान किया था।

सचिवीय लेखा-परीक्षा के दौरान पुस्तिकाओं, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फार्मों और फाइल किए गए रिटर्न (विवरणी) और कंपनी द्वारा रख-रखाव किए गए अन्य दस्तावेजों तथा कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के हमारे सत्यापन के आधार पर हम एतद्वारा यह सूचित करते हैं कि हमारी राय में, **31 मार्च, 2024** को समाप्त वित्तीय वर्ष को शामिल करते हुए लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने इसके अंतर्गत सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और इसके पश्चात् दी गई सूचना की पद्धति और उसके अधीन सीमा तक कंपनी में समुचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र भी हैं:-

हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी की पुस्तिकाओं, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फार्मों और फाइल किए गए रिटर्न (विवरणी) और कंपनी द्वारा रखरखाव किए गए अन्य दस्तावेजों की जांच, निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है:-

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
- (ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम 1956 ('एससीआरए') और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम-लागू नहीं क्योंकि कंपनी द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियां समीक्षाधीन अवधि के दौरान सूचीबद्ध नहीं थीं;
- (iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और विनियम तथा इसके अंतर्गत बनाए गए उप-नियम-लागू नहीं क्योंकि कंपनी द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियां समाप्त नहीं की गई है और वे समीक्षाधीन अवधि के दौरान सूचीबद्ध नहीं थीं;
- (iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधारियों की सीमा तक इसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम-लागू नहीं क्योंकि कंपनी ने समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान कोई ऐसा लेन-देन नहीं किया है;
- (v) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत उल्लिखित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश कंपनी पर लागू नहीं थे क्योंकि कंपनी की प्रतिभूतियां संगत लेखापरीक्षा अवधि के दौरान सूचीबद्ध नहीं थीं:-

Secretarial Audit Report

[For the Financial Year ended on 31st March, 2024]

[Pursuant to Section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No. 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To,

The Members,
National Handloom Development Corporation Limited
 Regd. Office: A-2-5, Sector-2, Udyog Marg,
 Gautam Buddha Nagar, Noida,
 Uttar Pradesh- 201301

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and adherence to good corporate practices by the **National Handloom Development Corporation Limited (CIN NO U17299UP1983GOI005974) (NHDC)** (hereinafter called the Company). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of Secretarial Audit, we hereby report that in our opinion, the Company has, during the audit period covering the financial year ended on **31st March 2024** complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board- Processes and Compliance-Mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the period ended on **31st March 2024** according to the provisions of:

- (i) The Companies Act, 2013 (**the Act**) and the Rules made thereunder;
- (ii) The Securities Contracts (Regulation) Act 1956 ('SCRA') and the rules made there under; - **not applicable as the securities issued by Company were not listed during the period under review;**
- (iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder; - **not applicable as the securities issued by Company are not dematerialized and were not listed during the period under review;**
- (iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings -**Not applicable as the Company has not made any such transaction during the financial year under review;**
- (v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act') **were not applicable to the company as the securities of the Company was not listed during the relevant audit period:**

- (क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयरों का व्यापक अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011;—
- (ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015;
- (ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (जारी पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम 2009;
- (घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014;
- (ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों जारी करना और सूचीबद्ध करना) विनियम, 2008;
- (च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिंग) विनियम, 2009;
- (छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों को वापस लेना) विनियम, 2018;
- (ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इश्यू और शेयर अंतरण एजेंट का पंजीयक) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और ग्राहक से संबंधित है; कंपनी, इश्यू के पंजीयक से संबंधित गतिविधियों में शामिल नहीं थी और यह शेयर अंतरण एजेंट के रूप में भी कार्य नहीं कर रही थी, अतएव, ये विनियम लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं थे।
- (vi) कंपनी के अन्य श्रम, पर्यावरण और लागू विशिष्ट अधिनियम/कानून, जिनकी पर्यावलोकन लेखा-परीक्षा के रूप में सचिवीय लेखा-परीक्षा की गई थी और यह सामान्यतः हमको उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों पर और कंपनी के प्रबंधन एवं अन्य लेखा-परीक्षा रिपोर्ट द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रबंधन पुष्टि प्रमाण-पत्र तथा अन्य पेशेवरों द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र पर आधारित/निर्भर था, कंपनी ने लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू निम्नलिखित अधिनियमों/कानूनों का पालन किया है;
- (क) भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग), भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के लिए कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी दिशानिर्देश-मार्च, 2010;
- (ख) कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी जमा-संबद्ध बीमा योजना, 1976 तथा कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952
- (ग) ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970
- (घ) मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961
- (ङ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
- (च) पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 और अन्य पर्यावरण कानूनों के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
- (छ) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) नियमावली, 2013 के साथ पठित कार्य-स्थल पर महिलाओं का यौन-उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013
- (ज) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

हमने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानदंडों के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है। हमने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों जैसे लागू वित्तीय कानूनों की जांच नहीं की है क्योंकि वे सांविधिक वित्तीय लेखा-परीक्षा और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अधीन रहे हैं।

- a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011; -
 - b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
 - c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009;
 - d) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014;
 - e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;
 - f) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009;
 - g) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018;
 - h) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Shares Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client; **The Company was not involved in the activities relating to Registrar to issue and also not acting as Share Transfer Agent hence the regulations were not applicable to the Company during the audit period;**
- (vi) Other labour, environment and specific applicable Acts / Laws to the Company for which Secretarial Audit was conducted as an overview audit and was generally based/ relied upon the documents provided to us and Management Confirmation Certificate provided by the Management of the Company & other audit report and certificates given by other professionals, the company has complied with the following Acts / Laws applicable to the Company during the audit period;
- (a) Guidelines on Corporate Social Responsibility for Central Public Sector Enterprises-March 2010 issued by the Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises (Department of Public Enterprises), Government of India.
 - (b) The Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act 1952 & The Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 and Employees Provident Fund Scheme, 1952
 - (c) The Contract Labour (Regulations and Abolition) Act 1970.
 - (d) Maternity Benefit Act 1961
 - (e) Minimum Wages Act, 1948
 - (f) Environment (Protection) Act 1986 read with The Environment (Protection) Rules 1986 and other Environment Laws.
 - (g) The Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013 read with The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Rules 2013.
 - (h) Right to Information Act 2005.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India. We have not examined the applicable financial laws, like direct and indirect tax laws, since the same have been subject to review by statutory financial audit and other designated professionals.

हम सूचित करते हैं कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानदंडों आदि का अनुपालन निम्नलिखित टिप्पणी के अध्याधीन किया है:-

- क) कंपनी ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए अपने वित्तीय विवरण, निदेशक रिपोर्ट और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को अनुमोदित और अपनाया है और 22 दिसंबर 2023 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लाभांश की घोषणा की है।
- ख) सुश्री अमृत राज, विकास आयुक्त हथकरघा (अतिरिक्त प्रभार) को 28 अप्रैल, 2023 से श्री संजय रस्तोगी के स्थान पर कंपनी का पदेन अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और बोर्ड ने 16 जून 2023 को आयोजित बोर्ड बैठक में संज्ञान में लिया। इसके अलावा सुश्री अमृत राज को 11 अक्टूबर 2023 से कंपनी के निदेशक पद से सेवानिवृत्त हो गई हैं।
- ग) भारत सरकार के आदेश संख्या 11/26/82-डीसीएच/एनएचडीसी/वॉल्यूम-1, दिनांक 16 जून 2023 के द्वारा श्री धीरेन्द्र कुमार, निदेशक (आईएफडब्ल्यू) को श्री रवीन्द्र मोहंती, पूर्व उप सचिव (आईएफडब्ल्यू) के स्थान पर कंपनी के बोर्ड में सरकारी निदेशक के रूप में दिनांक 16 जून 2023 से नियुक्त किया है और श्रीमती शुभ्रा के नाम पर पंजीकृत तीन शेयरों को सुश्री अमृत राज को और श्री रवींद्रनाथ मोहंती के नाम पर पंजीकृत एक शेयर को श्री धीरेन्द्र कुमार को हस्तांतरित किया गया और बोर्ड ने 16 जून 2023 को आयोजित बोर्ड बैठक में इसे संज्ञान में लिया गया।
- घ) 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निगम की इक्विटी शेयर पूंजी पर 8.234 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश की बोर्ड सिफारिश करता है, जो कुल मिलाकर 156.45 लाख रुपये (एक करोड़ छप्पन लाख पैंतालीस हजार रुपये मात्र) है, यानी पीएटी का 30%, जिसका भुगतान 15 सितंबर 2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक में कंपनी के मुनाफे से किया जाएगा और इसे 22 दिसंबर 2023 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया गया, जिसका भुगतान 18 जनवरी 2024 को शेयरधारकों को किया गया।
- (ड.) विकास आयुक्त हथकरघा, वस्त्र मंत्रालय के आदेश संख्या 10(4)/93-डीसीएच/एनएचडीसी, दिनांक 17 नवंबर 2023 के तहत श्रीमती (डॉ.) बीना महादेवन, विकास आयुक्त (हथकरघा) को 11 अक्टूबर 2023 से सुश्री अमृत राज, जिन्होंने विकास आयुक्त (हथकरघा) का प्रभार छोड़ दिया के स्थान पर कंपनी का पदेन अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और बोर्ड ने 22 दिसंबर 2023 को इसे संज्ञान में लिया।
- (च) सी एंड एजी ने पत्र संख्या/सीए.वी/सीओवाई/केंद्र सरकार, एनएचएनडीएल(12)/665, दिनांक 18 सितंबर, 2023 के माध्यम से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्मों को निगम के वैधानिक/शाखा लेखा परीक्षक के रूप में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए नियुक्त किया है और एम.बी. गुप्ता एंड कंपनी को वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया और बोर्ड ने 22 दिसंबर 2023 को आयोजित अपनी बैठक में इसे संज्ञान में लिया।
- (छ) सुश्री शुभ्रा 28 अप्रैल 2023 से कंपनी के निदेशक पद से सेवानिवृत्त हो गई हैं।
- (ज) श्री रवींद्रनाथ मोहंती 30 अप्रैल 2023 से कंपनी के निदेशक पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं।
- (झ) कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 4 फ्लोर वेगमैन बिजनेस पार्क टॉवर-1 प्लॉट नंबर 03 सेक्टर नॉलेज पार्क-III, सूरजपुर-कासना मेन रोड, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत, 201306 से ए-2-5, सेक्टर-2, उद्योग मार्ग, नोएडा (यूपी)-201301 गौतम बुद्ध नगर, नोएडा में 16 अप्रैल, 2024 से स्थानांतरित कर दिया गया है और 23 मार्च 2024 को आयोजित असाधारण आम बैठक में सदस्यों द्वारा इसे अनुमोदित किया गया।
- (ञ) जबकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) और 149(5) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पठित कंपनी को कंपनी के बोर्ड में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की आवश्यकता थी। 17 अक्टूबर 2022 तक कंपनी के बोर्ड में केवल दो स्वतंत्र निदेशक हैं। कंपनी को तत्काल अगली बोर्ड बैठक के बाद या ऐसी रिक्ति की तिथि से तीन महीने बाद, जो भी पहले हो, आकस्मिक रिक्ति

We report that during the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. as mentioned above subject to the following observation:

- a) The Company has approved and adopted its Financial Statement, Directors Report and Auditor's Report for the year ended 31st March 2023 and declare dividend for the financial year 2022-23 in the Annual General Meeting held on 22nd December 2023.
- b) **Ms. Amrit Raj**, Development Commissioner (Additional Charge) for Handlooms has been appointed as ex-officio Chairperson of the Company with effect from 28th April, 2023 and the board took the note of same in the Board Meeting held on 16th June 2023 in place of Shri Sanjay Rastogi. Further Ms. Amrit Raj has been retired from the directorship of the company w.e.f 11th October 2023
- c) GOI vide its order no. 11/26/82-DCH/NHDC/Vol.I dated 16th June 2023 has appointed **Sh. Dharendra Kumar, Director (IFW)**, as Govt. Director on the Board of the Company in place of Shri Rabindra Mohanty, former Deputy Secretary (IFW) w.e.f. 16th June 2023 and transfer of three shares registered in name of Smt. Shubhra, to Ms. Amrit Raj and one share registered in name of Sh. Rabindranath Mohanty to Sh. Dharendra Kumar and the board took the note of same in the Board Meeting held on 16th June 2023
- d) The Board recommend a final dividend of Rs 8.234 per equity share aggregating to Rs.156.45 Lakhs i.e. 30% of PAT (Rupees One Crore Fifty-Six Lakh Forty-Five Thousand only) on equity share capital of the Corporation for the financial year ended on 31st March, 2023 to be paid out of the profits of the Company in the Board Meeting held on 15th September 2023 and the same was approved by the shareholders in the Annual General Meeting held on 22nd December 2023 which was paid to shareholders on 18th January 2024.
- e) **Smt. (Dr.) Beena Mahadevan**, Development Commissioner for Handlooms vide order no. 10(4)/93-DCH/NHDC dated 17th November 2023 of Development Commissioner for Handlooms, Ministry of Textiles has been appointed as ex-officio Chairperson of the Company with effect from 11th October, 2023 in place of Ms. Amrit Raj who has relinquished the charge of Development Commissioner (Handlooms) and the board took the note of same on 22nd December 2023.
- f) C&AG appointed firms of Chartered Accountants as Statutory/ Branch Auditors of the Corporation for FY 2023-24 vide letter bearing No./ CA. V/ COY/ CENTRAL GOVERNMENT, NHANDL (12)/665 dated 18th September, 2023 and **M. B. Gupta & Co** has been appointed as the statutory auditor and the board took the note of same in their meeting held on 22nd December 2023
- g) **Ms. Shubhra** has been retired from the directorship of the company w.e.f 28th April 2023
- h) **Mr. Rabindranath Mohanty** has been retired from the directorship of the company w.e.f 30th April 2023
- i) The registered office of the company has been shifted from 4th Floor Wegmans Business Park Tower-1 Plot No.03 Sector Knowledge Park-III, Surajpur-Kasna Main Road, Gautam Buddha Nagar, Greater Noida, Uttar Pradesh, India, 201306 to A-2-5, Sector-2, Udyog Marg, Noida (UP)-201301 Gautam Budh Nagar, Noida w.e.f 16th April, 2024 in the board meeting held on 23rd March 2024 and the same was approved by the members in the Extra Ordinary General Meeting held on 23rd March 2024.
- j) **Whereas in term of the provisions of Section 149(4) & 149(5) of the Companies Act, 2013 read with rule 4 of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, the Company was required to appoint at least two Independent Directors on the Board of the Company. Company has two Independent Director on the Board till 17th October 2022.**

भरने की आवश्यकता थी, लेकिन कंपनी ने 16 जनवरी 2023 से अब तक के बीच की अवधि के लिए उक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

- (ट) इसके अलावा, कंपनी (बोर्ड की बैठक और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(1) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को अधिकांश स्वतंत्र निदेशकों के साथ बोर्ड की एक लेखा परीक्षा समिति का गठन करने की आवश्यकता थी और समिति की अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जानी चाहिए, साथ ही लेखापरीक्षा समिति की बैठक में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक उपस्थित होने चाहिए। श्री अनिल कुमार सूद दिनांक 17 अक्टूबर 2022 को अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नहीं रहे एवं सुश्री योगिता सिंह ने 11 नवंबर 2022 को इस्तीफा दे दिया है, अतः कंपनी ने 16 जनवरी 2023 अब तक के बीच की अवधि के लिए उक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।
- (ठ) जबकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 (4) के उपबंधों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के लागू नियम के अनुसरण में, कंपनी को प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (कंपनी सचिव) की आकस्मिक रिक्ति को ऐसी रिक्ति की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर भरना आवश्यक था। कंपनी की कंपनी सचिव सुश्री अंजली यादव ने 25 जुलाई 2022 से इस्तीफा दे दिया है और कंपनी द्वारा आकस्मिक रिक्ति को 24 जनवरी 2023 को या उससे पहले भरना आवश्यक था, लेकिन उसे आज तक नहीं भरा गया है, इसलिए कंपनी ने 25 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के दौरान उपबंधों का अनुपालन नहीं किया है।
- (ड) जबकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के पास जोखिम प्रबंधन नीति की आवश्यकता थी, 15 सितंबर 2023 को आयोजित अपनी बैठक में बोर्ड ने अपना और संचालन के उद्देश्य के लिए अंतिम नीति को अपनाया और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर बोर्ड द्वारा काम पूरा होने पर इसे फिर से अनुमोदित करने की आवश्यकता है।
- (ढ) पिछले वर्ष की हमारी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि लखनऊ शाखा कार्यालय में सूत आपूर्ति योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के मामले में प्रबंधन ने सूचित किया है कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने मामले पर, 3 (तीन) अधिकारियों – श्री रवीश टंडन, प्रबंधक (वाणिज्य), श्री हसन अब्बास, अधिकारी (एफएंडए) और श्री बी.के. महापात्रा, वरिष्ठ अधिकारी (वाणिज्य) को दोषी पाया है और 11 मार्च 2022 को 'बर्खास्तगी' लागू करते हुए, सेवा से निष्कासन, और 11 मार्च 2022 को 'बर्खास्तगी', सेवा से निष्कासन, जो सरकार या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले सीपीएसई के तहत भविष्य के रोजगार के लिए अयोग्यता नहीं होगी' और 23 मार्च 2022 को उनके खिलाफ क्रमशः 'अनिवार्य सेवानिवृत्ति' जुर्माना लगाया।

इसके अलावा, जैसा कि प्रबंधन द्वारा हमें सूचित किया गया है, निदेशक मंडल ने 15 जून, 2022 के परिपत्र द्वारा पारित संकल्प के तहत 1 अप्रैल, 2017 से लखनऊ शाखा कार्यालय की लेनदेन लेखा परीक्षा करने का निर्देश दिया है ताकि उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त शेष राशि तथा आपूर्तिकर्ता एजेंसियों को देय राशि और संबंधित अवधि के लिए एनएचडीसी को प्रतिपूर्ति/भुगतान की जाने वाली सब्सिडी की सही और वास्तविक राशि का पता लगाया जा सके। लेन-देन लेखा परीक्षा अभी प्रक्रियाधीन है। लगभग 7000 प्रविष्टियों की जांच/सत्यापन करने की आवश्यकता है इसलिए लेनदेन लेखा परीक्षा को पूरा करने में समय लगेगा। इसके पूरा होने पर, रिपोर्ट को आगे के आवश्यक निर्देश के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

आगे हम यह सूचित करते हैं कि:

1. हमारे अवलोकन और प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार डीपीई के दिशानिर्देश के अनुसार कंपनी को विभिन्न अनिवार्य और अन्य मापदंडों के लिए वस्त्र मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) संपन्न करना होता है तथापि, 2017-18 के पश्चात् ऐसा कोई एमओयू संपन्न नहीं किया गया है। प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार निगम ने उन कारणों को स्पष्ट करते हुए प्रशासनिक मंत्रालय को वह सूचना भेजी है जिनके कारण निगम मापदंडों/लक्ष्यों को अंतिम रूप देने में असमर्थ रहा था और एमओयू संपन्न करने की छूट मांगी थी। इसके अलावा, जैसा कि प्रबंधन

Company was required to fill casual vacancy not later than immediate next Board Meeting or three months from the date of such vacancy whichever is earlier but the Company has not complied with the aforesaid provisions for the period from 16th January 2023 to till date.

- k) **In term of the provisions of Section 177(1) of the Companies Act, 2013 read with rule 6 of the Companies (Meeting of Board and its powers) Rules, 2014, the Company was required to constitute an Audit Committee of the Board with the majority of Independent Directors and the committee should be chaired by Independent Director along with that minimum of two Independent Directors attend the meeting of the Audit Committee. As Mr. Anil Kumar Sood, has ceased as Non-Official Independent Director after completion of his tenure w.e.f. 17th October 2022 and Ms Yogita Singh has resigned w.e.f. 11th November 2022, hence the Corporation has not complied with the aforesaid provisions for the period from 16th January 2023 to till date.**
- l) **Whereas in term of the provisions of Section 203(4) of the Companies Act, 2013 read with applicable rule of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, the Company was required to fill casual vacancy of Key Managerial Personnel (Company Secretary) within a period of six months from the date of such vacancy, Ms Anjali Yadav, Company Secretary of the Company has resigned w.e.f 25th July 2022 and Company was required to fill casual vacancy on or before 24th January 2023 but has not filled till date, hence Company has not complied with the provisions during the period from 25th January 2023 to till date.**
- m) **Whereas in term of the provisions of Section 134(3) of the Companies Act, 2013 the Company was required to have a Risk Management policy, the board in their meeting held on 15th September 2023 has adopted provisional policy for adoption and circulation purpose and need to be ratified again as and when Board is complete on appointment of Independent Directors.**
- n) **In the matter of irregularities in the implementation of Yarn Supply Scheme in Lucknow Branch Office and with reference to our Secretarial Audit Report of previous years, the Disciplinary Authority found 3 (three) officials namely- Shri Ravish Tandon, Manager (Comm), Shri Hasan Abbas, Officer (F&A) & Shri B.K. Mahapatra, Sr. Officer (Comm) guilty and imposed the 'Dismissal' on 11th March 2022, Removal from Service, which shall not be a disqualification for future employment under the Government or the CPSE owned or controlled by the Government' and 'Compulsory retirement' penalty on 23rd March 2022, against them respectively.**

Further as informed by the management to us, Board of Directors has directed vide resolution passed by circulation on 15th June, 2022 to conduct transaction audit of Lucknow branch office from 1st April, 2017 onwards so as to find out the true and actual amount of balance receivables from user agencies and corresponding amount payable to supplier agencies and subsidy due to be reimbursed / paid to NHDC for the related period. Transaction audit was still under process. There being approximately 7000 entries need to be checked / verified hence it will take time to complete the transactions audit. Upon completion, report shall be placed before the Board for further necessary instruction.

We further report that:

- 1) As observed by us and also informed by the management, that in terms of the DPE guidelines, the Company has to enter into a Memorandum of Understanding (MOU) with Ministry of Textiles for various compulsory and other Parameters, however after 2017-18, no such MOU has been executed. As informed by the management the Corporation has sent communications to the administrative Ministry, explaining the reasons due to which Corporation was unable to finalize the parameters/

द्वारा सूचित किया गया है, सरकारी योजना, जिसके लिए एनएचडीसी कार्यान्वयन एजेंसी है, को 25 अक्टूबर, 2021 को संशोधित किया गया था।

2. कंपनी ने उपर्युक्त को छोड़कर, कार्यपालक, गैर-कार्यकारी निदेशकों एवं स्वतंत्र निदेशकों के समुचित संतुलन के साथ बोर्ड के गठन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई), के लिए कॉरपोरेट शासन (सीजी) दिशानिर्देश-2010 का अनुपालन किया है।
3. बोर्ड की बैठक निर्धारित करने के लिए कम से कम सात दिन अग्रिम में सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया गया है और इसके पश्चात कार्यसूची तथा कार्यसूची संबंधी विस्तृत नोट भी सभी निदेशकों को अग्रिम में भेजा गया था और बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर आगे की सूचना तथा स्पष्टीकरण मांगने और उसे प्राप्त करने तथा बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली विद्यमान है। अल्प नोटिस के मामले में, कंपनी ने आईसीएसआई के सचिवीय मापदंड-1 के खंड 1.3.7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 के लागू प्रावधानों का अनुपालन किया है।
4. अधिकांश निर्णयों पर कार्रवाई की जाती है जबकि असंतुष्ट सदस्य के विचार, यदि कोई हों, को नोट किया जाता है और उसे कार्यवृत्त में अभिलेखित किया जाता है।
5. निदेशकों ने नियुक्ति के लिए अपनी पात्रता, अपने स्वतंत्र रहने और निदेशकों तथा प्रबंधन कार्मिकों के व्यवसाय आचार संहिता एवं नैतिकता के अनुपालन के संबंध में प्रकटीकरण अपेक्षाओं का पालन किया है।

आगे हम यह सूचित करते हैं कि प्राप्त सूचना और रखरखाव किए गए अभिलेखों के आधार पर कंपनी में उचित व्यवस्था और प्रक्रियाएं हैं जो अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमनों और दिशानिर्देशों को मॉनिटर करने तथा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुरूप हैं।

आगे हम यह सूचित करते हैं कि लेखा-परीक्षा के दौरान निम्नलिखित के कोई दृष्टांत नहीं पाए गए:—

- क) सार्वजनिक/शेयरों का अधिमानी इश्यू/स्वेट इक्विटी
- ख) प्रतिभूतियों का बॉय-बैक
- ग) विलय/आमेलन/पुनर्निर्माण आदि और
- घ) विदेशी तकनीकी सहयोग

कृते नवनीत के.अरोड़ा एण्ड कंपनी एलएलपी
कंपनी सचिव

हस्ता./—

सीएस नवनीत अरोड़ा

प्रबंधन साझेदार

सीएस: 3214, सीओपी: 3005

[आईसीएसआई फर्म का विशिष्ट पहचान कोड: P2009DE061500]

यूडीआईएन: F003214F001297100

दिनांक: 24 सितंबर 2024

स्थान: नई दिल्ली

(नोट: यह रिपोर्ट समान तारीख के हमारे पत्र के साथ पढ़ी जाए जो 'अनुबंध-क' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है)।

targets and seeking exemption from entering MOU. Further, as informed by the management, the Government scheme, for which NHDC is the implementing agency, was revised on 25th October, 2021.

- 2) The Company has complied with Companies Act 2013, Corporate Governance (CG) Guidelines for Central Public Sector Enterprises (CPSE), 2010 issued by Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Department of Public Enterprises, Government of India in respect of constitution of the board with proper balance of Executive, Non-Executive Directors & Independent Directors except as stated above.
- 3) Adequate notice is given to all Directors to schedule the Board Meetings at least seven days in advance and agenda and detailed notes on agenda were also sent in advance to all the Directors subsequently, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting. In case of shorter notice, the Company has complied with the applicable provisions of Section 173 of the Companies Act 2013 read with clause 1.3.7 of the Secretarial Standard -1 of ICSI.
- 4) Majority decision is carried through while the dissenting member's views, if any, are captured and recorded as part of the minutes.
- 5) The Directors have complied with the disclosure requirements in respect of their eligibility of appointment, their being independent and compliance with the Code of Business Conduct & Ethics for Directors and Management Personnel;

We further report that based on the information received and records maintained there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with other applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period, there were no instances of:

- a) Public / Preferential Issue of Shares/ Sweat Equity.
- b) Buy-back of Securities.
- c) Merger / Amalgamation / Reconstruction etc. and
- d) Foreign Technical Collaborations.

For Navneet K Arora & Co LLP
Company Secretaries

Sd/-
CS Navneet Arora
Managing Partner
CS: 3214, COP: 3005
[ICSI Firm Unique Identification Code: P2009DE061500]
UDIN: F003214F001297100

Date : 24th September 2024

Place: New Delhi

[Note: This report is to be read with our letter of even date which is annexed as “**Annexure-A**” and forms an integral part of this report].

सेवा में,

सदस्य,

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड,

पंजीकृत कार्यालय: ए-2-5, सेक्टर- 2,

गौतम बुद्ध नगर, नोएडा,

उत्तर प्रदेश-201301

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ निम्नानुसार पढ़ा जाए:-

1. सचिवीय रिकॉर्ड के रखरखाव की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट में इन सचिवीय रिकॉर्ड पर राय व्यक्त करना है।
2. हमने लेखा परीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय रिकॉर्ड की विषय-वस्तु की सटीकता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित हों। हम मानते हैं कि जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का हमने पालन किया, वे हमारी राय के लिए एक युक्तिसंगत आधार प्रदान करते हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और बही खातों की सटीकता और उपयुक्तता की पुष्टि नहीं की है।
4. जहां भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन प्रस्तुतिकरण प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस क्षमता या प्रभावशीलता के बारे में है जिसके जरिए प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

कृते नवनीत के.अरोड़ा एण्ड कंपनी एलएलपी
कंपनी सचिव

ह./-

सीएस नवनीत अरोड़ा
प्रबंधन साझेदार

सीएस: 3214, सीओपी: 3005

दिनांक: 24 सितंबर, 2024

स्थान: नई दिल्ली

[आईसीएसआई फर्म का विशिष्ट पहचान कोड: P2009DE061500]

यूडीआईएन: F003214F001297100

Annexure – “A”

To,
The Members,
National Handloom Development Corporation Limited
Regd. Office: A-2-5, Sector-2, Udyog Marg,
Gautam Buddha Nagar, Noida,
Uttar Pradesh- 201301

Our report of even date is to be read along with this letter as under:

- 1) Maintenance of secretarial record is the responsibility of the Management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records on our audit.
- 2) We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial Records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.
- 3) We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and books of accounts of the Company.
- 4) Where ever required, we have obtained the Management Representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
- 5) The Compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of Management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.
- 6) The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the company.

For Navneet K Arora & Co LLP
Company Secretaries

Sd/-
CS Navneet Arora
Managing Partner
FCS: 3214, COP: 3005
[ICSI Firm Unique Identification Code: P2009DE061500]
UDIN: F003214F001297100

Date: 24th September 2024

Place: New Delhi

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्य

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (एनएचडीसी)

सापेक्ष राय

हमने राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड ('निगम') के स्टैंड-अलोन वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2024 तक बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन के विवरण और नगद प्रवाह विवरण का सारांश और उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट्स सहित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल हैं। उपरोक्त वित्तीय विवरणों में उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों—बेंगलुरु, कोलकाता, वाराणसी, पानीपत, हैदराबाद, कोयंबटूर और गुवहाटी के शाखा लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित रिटर्न शामिल किए गए हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों तथा संबंधित लेखा परीक्षकों का ब्यौरा इस प्रकार है:—

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	शाखा लेखा परीक्षकों का नाम एवं पता
1	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक	मेसर्स शंकर एम एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नंबर 3, द्वितीय तल, माइको लेआउट, महालक्ष्मीपुरम, बेंगलुरु 560 086
2	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	मेसर्स के एंड के एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सेंटर पॉइंट, 21 हेमंत बसु सारणी, 5वीं मंजिल, कमरा नं. 501, कोलकाता, पश्चिम बंगाल 700001
3	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	मेसर्स चटर्जी एंड चटर्जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बी 21/1 प्रथम तल, रथयात्रा मार्केट, रथयात्रा क्रॉसिंग, वाराणसी 221 001.
4	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, पानीपत, हरियाणा	मेसर्स बलराम एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एससीओ 3-4, सेक्टर -25, पार्ट 2, हुडा, पानीपत 132103
5	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाणा	मेसर्स आरबी एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, 8-3-945/103, बी1 और बी2, पैनाकॉम बिजनेस सेंटर, अमीरपेट, हैदराबाद। 500 073
6	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, कोयंबटूर, तमिलनाडु	मेसर्स जी.के.पी. एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, 10, डॉक्टर कॉलोनी, डॉ. राधाकृष्णन रोड गांधीपुरम, कोयंबटूर 641012
7	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, गुवहाटी, असम	मेसर्स राजेंद्र लीला एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सत्यनारायण ऑर्केड, प्रथम तल, 2 बाॅय लेन, हरबाला पथ, जी.एस. रोड, उलुबारी, गुवाहाटी, असम - 781007

हमारी राय एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, सापेक्ष राय खंड के लिए आधार में उल्लिखित मामले के प्रभावों को छोड़कर, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 यथासंशोधित ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित सूचना उसी रूप में दी गई है जैसा कि अपेक्षित है और 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार कंपनी के मामले की स्थिति, उसकी हानि, इक्विटी में परिवर्तन और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए उसके नकदी प्रवाह के बारे में भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष मत दिया गया है।

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

**TO
THE MEMBERS
NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (NHDC)**

Qualified Opinion

We have audited the accompanying standalone financial statements of **NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED**, ("the Company") which comprise the Balance Sheet as at March 31 2024, the Statement of Profit and Loss, the Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information. The aforesaid financial statements incorporate the returns for the year ended on that date of the Corporation's Regional Offices at- Bengaluru, Kolkata, Varanasi, Panipat, Hyderabad, Coimbatore and Guwahati audited by the respective branch auditors. The detail of Regional Offices and the respective Auditors is being indicated as under: -

Sl. No.	Name of the Regional Office	Name & Address of the Branch Auditors
1	National Handloom Development Corporation Limited, Bengaluru, Karnataka	M/s Shankar M & Associates, Chartered Accountants, No. 3, Second Floor, Mico Layout, Mahalakshmpuram, Bengaluru 560 086.
2	National Handloom Development Corporation Limited, Kolkata, West Bengal	M/s Kay & Kay Associates, Chartered Accountants Centre Point, 21 Hemanta Basu Sarani, 5 th Floor, Room no. 501, Kolkata, West Bengal 700001
3	National Handloom Development Corporation Limited, Varanasi, Uttar Pradesh	M/s Chatterjee & Chatterjee, Chartered Accountants B 21/1 First Floor, Rathyatra Market, Rathyatra Crossing, Varansi 221 001.
4	National Handloom Development Corporation Limited, Panipat, Haryana	M/s Balram & Associates, Chartered Accountants, SCO 3-4, Sector -25, Part 2, Hude, Panipat 132103.
5	National Handloom Development Corporation Limited, Hyderabad, Telangana.	M/s. RB Associates, Chartered Accountants, 8-3-945/103, B1 & B2, Pancom Business Centre, Ameerpet, Hyderabad. 500 073.
6	National Handloom Development Corporation Limited, Coimbatore, Tamilnadu	M/s G.K.P. Associates, Chartered Accountants 10, Doctor Colony, Dr. Radhakrishnan Road Gandhipuram Coimbatore 641 012.
7	National Handloom Development Corporation Limited, Guwahati, Assam	M/s Rajendra Leela & Associates, Chartered Accountants, Satyanarayan Archade, 1st Floor, 2nd Bye lane, Harabala Path, G. S. road, Ulubari, Guwahati, Assam - 781007

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion section of our report, the aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act, 2013, as amended ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2024, its profit and its cash flows for the year ended on that date.

सापेक्ष राय का आधार

- (क) ऊपर यथाउल्लिखित एनएचडीसी के 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जहां हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हैंक यार्न की बिक्री/खरीद की जाती है जिसमें भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय 10% सब्सिडी तथा समय-समय पर घोषित योजना के अनुसार अन्य दावे (जिसमें माल-भाड़ा सब्सिडी तथा डिपो प्रभार शामिल हैं) उपलब्ध कराता है। जैसा कि वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के वित्तीय लेखाओं के संबंध में हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में बताया गया है कि कंपनी के लखनऊ शाखा जो वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत था, ने शुरू में पिछले वर्ष 2018-19 के दौरान पिछले वर्ष अर्थात् 2018-19 की प्रथम तिमाही में 385.04 करोड़ रूपए की कुल बिक्री और खरीद की थी। इसमें से 190.82 करोड़ रूपए की बिक्री और खरीद को उक्त लखनऊ कार्यालय द्वारा ईआरपी लेखाकन प्रणाली में रद्द कर दिया गया।

सीबीआई पत्राचार के अनुसार, प्रबंधन और सीवीओ द्वारा फॉरेंसिक ऑडिट और सतर्कता जांच की गई थी। इस मामले पर फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट क्रमशः फॉरेंसिक ऑडिटर और सीवीओ टीम द्वारा निदेशक मंडल के समक्ष 05.10.2021 को प्रस्तुत की गई थी। निदेशक मंडल के निर्देशों और सीबीआई के पत्र के अनुसार, इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट सीबीआई को उपलब्ध करा दी गई है।

इस संबंध में हमें सीबीआई से आगे का पत्राचार/रिपोर्ट प्राप्त हुई। फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में की गई टिप्पणी के अनुसार बही खाते में कोई प्रविष्टि नहीं पाई गई है और न ही उनका लेखा-जोखा रखा गया है, इसलिए हम कुल देनदारों (संदर्भ नोट संख्या 15 (ii)) तथा लेनदारों (संदर्भ नोट संख्या 5 (ii)) में दिखाए गए क्रमशः 19422.00 लाख रुपये के उक्त देनदारों और लेनदारों के संबंध में टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

- (ख) 1.03.2018 से 31.03.2018 के दौरान 21579 लाख रु. की बिक्री के कारण 2266.00 लाख रुपये के एनएचडीसी सेवा शुल्क और सब्सिडी घटक कंपनी द्वारा वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान वापस कर दिया गया था क्योंकि वस्त्र मंत्रालय (एमओटी) ने कंपनी को सब्सिडी राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की थी। इस तथ्य के परिणामस्वरूप कि एमओटी से 2157.93 लाख रुपये की सब्सिडी प्राप्त नहीं हुई, कंपनी ने भारत सरकार से बकाया प्राप्तियों से 2157.93 करोड़ रुपये कम कर दिए और उसे आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम के रूप में बुक किया गया। इसके अलावा, एनएचडीसी ने भारत सरकार से यह राशि प्राप्त नहीं होने के बावजूद, आपूर्तिकर्ताओं को सब्सिडी के रूप में 1815.00 लाख रुपये का वितरण किया है।

कंपनी ने इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया है, इसलिए हम वितरित किए गए 1815.00 लाख रुपये की वसूली पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

- (ग) कंपनी ने वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय में 3 वर्षों से अधिक समय तक देनदारों के खिलाफ 24572.49 लाख रुपये की राशि का कोई प्रावधान नहीं किया है, जिसमें से 19422.00 लाख रुपये वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दर्ज किए गए फर्जी, संदिग्ध लेनदेन से संबंधित हैं, जैसा कि ऊपर बिंदु संख्या (1) में उल्लिखित है। इस प्रकार, विविध देनदारों के लिए प्रावधान 24572.49 लाख रुपये कम है और लाभ कुल देनदारों में क्रमशः 24572.49 लाख रुपये अधिक दिखाया गया है (संदर्भ नोट संख्या 15 (ii))।

- (घ) कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में इंडियन ओवरसीज बैंक, लखनऊ शाखा द्वारा विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं को दो बार भुगतान किए गए 660.62 लाख रुपये की वसूली के लिए की गई कार्रवाई और कानूनी राय की कोई स्थिति प्रदान नहीं की है। फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार आज तक पार्टीवार किए गए दोहरे/अतिरिक्त भुगतान का मिलान नहीं किया गया है। हम बैंक द्वारा दो बार भुगतान किये गये 660.62 लाख रुपये की वसूली पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

- (क) टिप्पणी सं. '6ए' में यथा उल्लिखित, 2529.77 लाख रूपए को कार्पस निधि (विपणन काम्प्लेक्स) में जमा किया गया है और तदनुसार उसे बैलेंस शीट की अनुसूची 18 के अनुसार मियादी जमा में निवेशित किया गया है। 31 मार्च, 2017 तक कार्पस निधि (विपणन काम्प्लेक्स) के मियादी जमा पर अर्जित ब्याज को संबंधित निधि संग्रह में जमा किया गया था लेकिन वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2018-19 में मियादी जमा के ब्याज क्रमशः 122.00 लाख रुपये एवं

Basis for Qualified Opinion

1. (a) NHDC having “7” Regional offices as mentioned above from where sale/purchase of Hank Yarn is undertaken to promote the Handloom Sector on which Government of India, Ministry of Textile office of the Development Commissioner, Handloom provide 15 % Subsidy and other claims (which includes freight subsidy and depot charges) as per scheme announced time to time. As pointed in Audit report on the Financial Accounts of FY 2018-19 and 2019-20 the Company’s Lucknow branch Office, which was under Varanasi Regional Office, had initially booked total Sales & Purchase during the Financial year 2018-19 amounting to Rs. 38504.00 Lakhs in the 1st Quarter of Financial year i.e. 2018-19 respectively. Out of this, Sales and Purchase to the tune of Rs. 19082.00 Lakhs have been cancelled by the said Lucknow Office in ERP accounting system.

As per the CBI communication, the Forensic Audit and Vigilance probe were taken up by the management and the CVO. The Forensic Audit Report and the Vigilance Probe report on the matter were presented by the Forensic Auditor and the CVO team respectively, before the Board of Directors on 05.10.2021. As per the directions of the Board of Directors and the CBI letter, the Forensic Audit Report and the Vigilance Probe Report has been provided to CBI for further necessary action in this regard.

Further communication/report received from CBI in this regard to us. No entries have been ascertained and accounted for in the books as per the observation made in Forensic Audit Report, hence we are unable to comment on the said debtors and creditors of Rs. 19422.00 Lakhs respectively being shown in total debtors (Refer Note No. 15(ii)) as well as Creditors (Refer Not No. 5 (ii)).

- (b) Service charge and subsidy component of Rs 2266.00 Lakhs on account of sales of Rs 21579.00 Lakhs made during 01.03.2018 to 31.03.2018 was reversed by the Company during F Y 2018-2019 as Ministry of Textiles (MOT) did not reimburse the subsidy amount to the company. Consequent to the fact that subsidy of Rs 2157.93 Lakhs was not received from the MOT, the company reduced Rs 2157.93 Lakhs from receivables due from Government of India and booked the same as advance to suppliers. Further in respect of same, NHDC has disbursed Rs 1815.00 Lakhs as subsidy to the suppliers, even though the same is not received from Government of India.

The company has not provided any reply in this regard; hence we are unable to comment on the recoverability of Rs. 1815.00 Lakhs disbursed

- (c) The Company has not made any provision against the Debtors for more than 3 years amounting to Rs 24572.49 Lakhs at Varanasi Regional Office out of which Rs 19422.00 Lakhs relates to bogus, dubious transactions entered by Varanasi Regional Office during F.Y 2018-19 as referred in point no (1) above. Thus, the provision for Sundry Debtors is lower by Rs. 24572.49 Lakhs and profit is more by 24572.49 Lakhs. respectively being shown in total debtors (Refer Note No. 15(ii)).
- (d) The Company has not provided any status of action taken and legal opinion for recovery of Rs 660.62 Lakhs paid twice by Indian Overseas Bank, Lucknow branch in Financial Year 2018-19 to various suppliers. As per Forensic Audit report till date party wise double/excess payment made has not been reconciled. We are unable to comment on the recoverability of Rs 660.62 Lakhs paid twice by bank

2. (a) As stated in Note No. “6A” Rs. 2529.77 Lakhs is standing to the Credit of Corpus Fund (Marketing Complex) and correspondingly invested in Fixed Deposits as Per Note 18 of the Balance Sheet. Interest earned on Fixed Deposits of Corpus Funds (Market Complexes) till 31st March 2017, was credited to respective Corpus Fund, but during the financial year 2017-18 and 2018-19 the interest

120.00 लाख रुपये को कार्पस निधि (विपणन काम्प्लेक्स) में जमा करने की बजाय निगम की ब्याज आय के रूप में माना गया है। जबकि वित्तीय वर्ष 2019-20 से कार्पस निधि (विपणन काम्प्लेक्स) के एफडीआर से अर्जित ब्याज आय को कार्पस निधि (विपणन काम्प्लेक्स) में जमा किया गया है।

जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी इस मुद्दे पर विशेषज्ञ की राय लेने पर विचार कर रही है, क्योंकि इस मुद्दे के लिए विस्तृत विश्लेषण की आवश्यकता है और इसके कर निहितार्थ भी हैं। इसलिए हम ऊपर उल्लिखित कॉर्पस फंड में वापस की जाने वाली अतिरिक्त राशि पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

- (ख) टिप्पण सं. '6(बी)' में उल्लेख किए गए अनुसार 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार 1278.72 लाख रुपए को कार्पस निधि (मेगा क्लस्टर) में जमा थे। 31, मार्च, 2017 तक वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में मियादी जमा के ब्याज को कार्पस निधि (मेगा क्लस्टर) में जमा करने की बजाय निगम की ब्याज आय के रूप में माना गया है। जबकि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कार्पस निधि (मेगा क्लस्टर) के एफडीआर से अर्जित ब्याज आय को कार्पस निधि (मेगा क्लस्टर) में जमा किया गया है।

जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी इस मुद्दे पर विशेषज्ञ की राय लेने पर विचार कर रही है, क्योंकि इस मुद्दे के लिए विस्तृत विश्लेषण की आवश्यकता है और इसके कर निहितार्थ भी हैं। इसलिए हम ऊपर उल्लिखित कॉर्पस फंड में वापस की जाने वाली अतिरिक्त राशि पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

3. कंपनी ने हुडको प्लाजा, बीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में हैंडलूम मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स की स्थापना की है। जैसा कि बताया गया है, दुकानों पर किए गए सम्पूर्ण व्यय की प्रतिपूर्ति आवंटियों द्वारा की जानी अपेक्षित है तथा यदि आवंटियों से कोई वसूली नहीं होती है तो वस्त्र मंत्रालय को उक्त व्यय की प्रतिपूर्ति करनी होगी। प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा नई दिल्ली के कार्यालय द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 09.03.2022 में निम्नलिखित टिप्पणियां की गईं:
- (क) बकाया राशि का भुगतान न करने का कोई कारण रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं था। एनएचडीसी नोडल/कार्यान्वयन एजेंसी होने के नाते यह सुनिश्चित करने में विफल रही है कि 2017 के बाद एसडीएमसी को संपत्ति कर का वैधानिक भुगतान किया गया और इसके अलावा बिल्डर (हुडको) को ग्राउंट रेंट और रखरखाव शुल्क का बकाया भुगतान नहीं किया गया। इससे हुडको के साथ लीज डीड के निष्पादन पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा, जुर्माना लगेगा और एनएचडीसी के खिलाफ जुर्माना कार्रवाई की जा सकती है क्योंकि यह दुकानों का मूल आवंटी है।
- (ख) एनएचडीसी ने उन लाभार्थी एजेंसियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है जिन्होंने अपने हिस्से के व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की, इसके बजाय यह स्वयं हुडको का डिफॉल्टर बन गया है।
- (ग) लाभार्थी एजेंसियों द्वारा बकाया राशि के भुगतान के लिए कोई और निर्देश या व्यवस्था नहीं है, जो एनएचडीसी को नियमित रूप से अपनी बकाया राशि का भुगतान कर रही हैं।
- (घ) एनएचडीसी द्वारा आवंटित दुकानों में से लाभार्थी एजेंसियों द्वारा बिक्री/व्यवसाय आदि का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया था जिससे कि योजना के लाभों के संदर्भ में उनके प्रदर्शन की पुष्टि की जा सके, जिसमें सरकार ने हथकरघा एजेंसियों को विपणन कॉम्प्लेक्स की दुकानों की खरीद के लिए 335.00 लाख रुपये की 50% अनुदान सहायता प्रदान की है। यदि एनएचडीसी द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं किए जाने के कारण लीज डीड निष्पादित नहीं की जाती है तो योजना पर सरकारी खर्च व्यर्थ जा सकता है।
4. एस 22 के अनुसार, कंपनी को, स्थगित कर परिसंपत्तियों को उस सीमा तक मान्यता देना आवश्यक है, जहां तक यह संभावना है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके विरुद्ध आगे ले जाए गए घाटे और अनवशोषित मूल्यह्रास का उपयोग किया जा सकता है। हालांकि, हमने संज्ञान में लिया कि कंपनी ने आगे ले जाए गए घाटे और अनवशोषित मूल्यह्रास से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्तियों जिसकी राशि 875.50 लाख रुपये है, को मान्यता नहीं दी है। अशोषित घाटे पर डीटीए को मान्यता देने में विफलता के परिणामस्वरूप 875.50 लाख रुपये के कर के बाद शुद्ध लाभ को कम करके दिखाया गया है और 875.50 लाख रुपये से आस्थगित कर परिसंपत्तियों को कम करके दिखाया गया है।

on fixed deposit amounting to Rs. 122.00 Lakhs and Rs. 120.00 Lakhs respectively has been taken as interest income of the Corporation instead of crediting to the Corpus Fund (Marketing Complex). However, FY 2019-20 onwards interest income earned on FDR of Corpus Funds (Market Complexes) has been crediting to Corpus Funds (Market Complexes).

As informed to us, the company is exploring an expert opinion on this considering the issue required detailed analysis and also have tax implications. hence we are unable to comment on excess amount refundable to the Corpus Fund referred above.

- (b) As Per Note No. "6(B)", As on 31-03-2024 Rs. 1278.72 Lakhs was standing to the Credit of Corpus Fund (Mega Cluster). Till 31st March 2017, the interest on fixed deposit has been taken as Interest income of the Corporation, instead of crediting to the Corpus Fund (Mega Cluster) during the financial year 2017-18 and 2018-19, However, from financial year 2019-20 onwards, interest income earned on FDR of Corpus Fund (Mega Cluster) has been credited to Corpus Funds (Mega Cluster).

As informed to us, the company is exploring an expert opinion on this considering the issue required detailed analysis and also have tax implications. hence we are unable to comment on excess amount refundable to the Corpus Fund referred above.

3. The company has setting up the Handloom Marketing Complex at HUDCO Plaza, Bikaji Cama Place New Delhi. As informed, the entire expenditure incurred on the shops are required to be reimbursed by the allottees and if there is no recovery from allottees then the Ministry of Textile is required to reimburse the said expenditure. Following observations were made by office of Principal Director of Audit New Delhi in their report dt 09/03/2022:

- (a) No reason for non-payment of the dues were available on records. NHDC being the nodel / implementation agency, has failed to ensure that statutory payment of property tax made to SDMC after 2017 and further has not paid arrears of ground rent and the maintenance charges to the Builder (HUDCO). This may affect the execution of lease deed with HUDCO. Further, penalty charges would accrue and penalty action may be taken against the NHDC since it is the original allottee of the shops.
- (b) NHDC has not taken any action against the beneficiary agencies who did not reimburse their share of expenditure, instead it itself has become defaulter to HUDCO.
- (c) There is no further instruction or arrangement of payment of dues by the beneficiary agencies who have been paying their dues regularly to NHDC.
- (d) No records of sale/business etc. by beneficiary agencies, from the shops allotted, was maintained by NHDC to vouch their performance in terms of benefits of the scheme wherein the Government has provided 50% grant assistance to Handloom Agencies Rs 335.00 Lakhs for purchase of the shops of Marketing Complex. The government expenditure on the scheme may go waste if, lease deed is not made due to non-payment of dues by NHDC.

4. According to AS 22, the company is required to recognize deferred tax assets to the extent it is probable that future taxable profits will be available against which the carried forward losses and unabsorbed depreciation can be utilized. However, we note that the company has not recognized deferred tax assets related to carried forward losses and unabsorbed depreciation, amounting to INR 875.50 Lakhs. Failure to recognize DTA on carried forwarded losses has resulted into understatement of Net profit after tax of INR 875.50 Lakhs and understatement of Deferred Tax assets by INR 875.50 Lakhs

5. हमारे ऑडिट के दौरान, हमने पाया कि कंपनी ने 124.46 लाख रुपये की न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट (एमएटी क्रेडिट) को मान्यता नहीं दी है, जिसमें से 40.78 लाख रुपये वित्त वर्ष 22–23 से संबंधित हैं और 83.68 लाख रुपये (अनुमानित) वित्त वर्ष 23–24 से संबंधित हैं। एमएटी क्रेडिट परिसंपत्ति को मान्यता देने में विफलता के परिणामस्वरूप 124.46 लाख रुपये की एमएटी क्रेडिट परिसंपत्ति को कम दर्शाया गया है तथा 124.46 लाख रुपये के कर के बाद शुद्ध लाभ को कम दर्शाया गया है।
6. वर्ष के दौरान, कंपनी ने लीज होल्ड अचल संपत्ति अर्जित/खरीदी है। हालाँकि, कंपनी ने अपनी लीजहोल्ड भूमि का 2.09 लाख रुपये का परिशोधन नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणों में लाभ को 2.09 लाख रुपये अधिक दिखाया गया है और संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के वहन मूल्य को भी अधिक दिखाया गया है।
7. 71.53 लाख रुपये का पुराना डेबिट बैलेंस 'अन्य चालू परिसंपत्तियों' के रूप में वर्गीकृत एफडीआर पर अर्जित ब्याज में प्राप्य दिखाई दे रहा है, जिसके लिए कंपनी द्वारा बैंक से कोई विवरण और शेष राशि की पुष्टि प्रदान नहीं की गई है। इसलिए, हम इस शेष राशि की वसूली पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। .
8. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार अधिनियम, नियम, विनियम, दिशानिर्देश, मानक आदि के निम्नलिखित प्रावधान 31.03.2024 तक लंबित हैं:
 - I. जबकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4) और 149 (5) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम 2014 के नियम 4 के साथ, कंपनी को कंपनी के बोर्ड में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करना आवश्यक था। 17 अक्टूबर 2022 तक कंपनी के बोर्ड में केवल दो स्वतंत्र निदेशक हैं। श्री अनिल कुमार सूद, जिन्हें 18 अक्टूबर 2019 से तीन वर्षों की अवधि के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया था, का कार्यकाल 17 अक्टूबर 2022 से उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में पद से हट गए हैं। इसके अलावा सुश्री योगिता सिंह, जिन्हें 09 नवंबर 2021 से तीन साल की अवधि या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, ने 11 नवंबर 2022 से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी को आकस्मिक रिक्ति को तत्काल अगली बोर्ड बैठक या ऐसी रिक्ति की तारीख से तीन महीने के भीतर जो भी पहले हो, भरना था, लेकिन 31 मार्च 2024 तक नहीं भरा गया है, इसलिए कंपनी ने 16 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच की अवधि के लिए उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।
 - II. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (1) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (बोर्ड की बैठक और उसकी शक्तियाँ) नियम 2014 के नियम 6 के साथ, कंपनी को स्वतंत्र निदेशकों के बहुमत के साथ बोर्ड की एक लेखा परीक्षा समिति का गठन करना आवश्यक था। चूंकि श्री अनिल कुमार सूद का कार्यकाल 17 अक्टूबर 2022 से पूरा होने के बाद गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में समाप्त हो गया है और सुश्री योगिता सिंह ने 11 नवंबर 2022 से इस्तीफा दे दिया है, अतः कंपनी ने 16 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच की अवधि के लिए उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।
 - III. जबकि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 203 (4) के उपबंधों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम 2014 के लागू नियम के अनुसार कंपनी को ऐसी रिक्ति की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (कंपनी सचिव) की आकस्मिक रिक्ति को भरना आवश्यक था। कंपनी की कंपनी सचिव सुश्री अजलि यादव ने 25 जुलाई 2022 से इस्तीफा दे दिया है और कंपनी को 24 जनवरी 2023 को या उससे पहले नैमित्तिक रिक्ति को भरना था लेकिन उसे आज तक नहीं भरा गया है। इसलिए कंपनी ने 25 जनवरी से 31 मार्च 2024 की अवधि के दौरान प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

5. During our audit, we noted that the company has not recognized Minimum Alternate Tax Credit (MAT Credit) amounting to INR 124.46 Lakhs out of which INR 40.78 Lakh pertains to FY22-23 and INR 83.68 Lakh (as estimated) pertains to FY23-24. The failure to recognize MAT Credit asset has resulted in an understatement of MAT Credit asset of INR 124.46 Lakhs and understatement of Net profit after tax of INR 124.46 Lakhs.
6. During the year, the company has acquired / purchased a Lease hold immovable property. However, the company has not amortized its leasehold land by INR 2.09 Lakhs, leading to overstatement of profits by INR 2.09 Lakhs in the financial statements and overstatement of carrying value of Property, Plant & Equipment's.
7. An old debit balance of INR 71.53 Lakhs is appearing receivable in Interest accrued on FDR classified as "Other Current Assets" for which no detail and balance confirmation from Bank has been provided by the Company. Hence, we are unable to comment on the recoverability of this balance.
8. As per Secretarial Audit Report following provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards etc. is pending as on 31.03.2024:
 - i. Whereas in term of the provisions of Section 149 (4) & 149 (5) of the Companies Act, 2013 read with rule 4 of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules 2014, the Company was required to appoint at least two Independent Directors on the Board of the Company. The Company has only two Independent Director on the Board till 17th October 2022. Shri Anil Kumar Sood who was appointed for a period of three years or till further orders, whichever is earlier w.e.f. 18th October 2019 has ceased as Non-Official Independent Director after completion of his tenure w.e.f. 17th October 2022. Also Ms. Yogita Singh who was appointed as Non-Official Independent Director for a period of three years or till further orders, whichever is earlier w.e.f. 09th November 2021 has resigned w.e.f. 11th November 2022. The Company was required to fill casual vacancy not later than immediate next Board Meeting or three months from the date of such vacancy whichever is earlier, but has not filled till 31st March 2024, hence the Company has not complied with the aforesaid provisions for the period between 16th January 2023 to 31st March 2024.
 - ii. In term of the provisions of Section 177 (1) of the Companies Act, 2013 read with rule 6 of the Companies (Meeting of Board and its Powers) Rules 2014, the Company was required to constitute an Audit Committee of the Board with the majority of Independent Directors. As Mr. Anil Kumar Sood has ceased as Non-Official Independent Director after completion of his tenure w.e.f. 17th October 2022 and Ms. Yogita Singh has resigned w.e.f. 11th November 2022, hence the Corporation has not complied with the aforesaid provisions for the period between 16th January 2023 to 31st March 2024.
 - iii. Whereas in term of the provisions of Section 203 (4) of the Companies Act 2013 read with the applicable rule of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, the Company was required to fill casual vacancy of Key Managerial Personnel (Company Secretary) within a period of six months from the date of such vacancy, Ms. Anjali Yadav, Company Secretary of the Company has resigned w.e.f. 25th July 2022 and Company was required to fill casual vacancy on or before 24th January 2023 but has not filled till date, hence Company has not complied with the provisions during the period from 25th January 2023 to 31st March 2024.

IV. जबकि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के लिए जोखिम प्रबंधन नीति रखना आवश्यक था, 15 सितंबर 2023 को आयोजित उनकी बैठक में बोर्ड ने अपना और संचालन के उद्देश्य के लिए अनंतिम नीति को अपनाया है और इसे फिर से अनुमोदित करने की आवश्यकता है क्योंकि बोर्ड स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर काम पूरा कर रहा है।

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा (एसए) संबंधी मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की अपनी लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां खंड में आगे वर्णित किया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी 'आचार संहिता' के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही अधिनियम और उसके तहत नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ, हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

एसए 701 के अनुसार प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों की रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है क्योंकि यह एक असूचीबद्ध कंपनी है।

मामले की प्रमुखता

1. जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट 15(i) और 5(i) में स्पष्ट किया गया है, देनदारों और लेनदारों से प्राप्त शेष राशि की पुष्टि बकाया राशि का क्रमशः 6.51% और 7.15% है, परिणामी समायोजन, जिसका प्रभाव यदि कोई है तो पता लगाने योग्य नहीं है और उस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है।
2. वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 6सी(ii) का संदर्भ लें, जिसमें निगम ने निधियों पर अर्जित ब्याज को उक्त कॉर्पस फंड (टीएफसी) में जमा नहीं किया है।
3. संदर्भ नोट 8(i), वेतन बकाया (वेतन संशोधन) के लिए प्रावधान 1147 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1147 लाख रुपये)
4. नोट संख्या 16 का संदर्भ लें, एचडीएफसी बैंक के पास नकद और नकद समकक्षों में 0.89 लाख रुपये का पुराना बकाया शेष दिखाई दे रहा है। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार खाते की स्थिति "अवरुद्ध निष्क्रिय" है और एचडीएफसी बैंक ने आरबीआई डेफ खाते में 0.89 लाख रुपये स्थानांतरित कर दिए हैं।

उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना की प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचना में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, बोर्ड की रिपोर्ट के अनुबंधों, व्यवसाय जिम्मेदारी रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन और शेरधारक की सूचना सहित बोर्ड की रिपोर्ट में सम्मिलित सूचना शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारी राय के दायरे में अन्य जानकारी नहीं आती है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन संबंधी निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करने में, विचार है कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ तथ्यगत रूप से असंगत है या हमारी लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त हमारे ज्ञान या अन्यथा तथ्यगत रूप से गलत प्रतीत होती है।

- iv. Whereas in term of the provisions of Section 134 (3) of the Companies Act 2013, the Company was required to have a Risk Management Policy, the board in their meeting held on 15th September 2023 has adopted provisional policy for adoption and circulation purpose and need to be ratified again as and Board is complete on appointment of Independent Directors.

We conducted our audit of the financial statements in accordance with the Standards on Auditing (SAs), as specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the 'Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements' section of our report. We are independent of Company's in accordance with the 'Code of Ethics' issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act and the Rules there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

Key Audit Matters

Reporting of key Audit matters as per SA 701 is not applicable to the Company as it is an unlisted Company.

Emphasis of Matter

1. As explained in Note 15(i) and 5 (i) to the financial statements, balance confirmation received from Debtors and Creditors is 6.51% and 7.15% respectively of amount outstanding, consequential adjustments, effect of which if any is not ascertainable and cannot be commented upon.
2. Refer to Note No. 6C(ii) of the financial statements wherein the corporation has not credited Interest earned on the funds towards the said corpus fund (TFC).
3. Refer to Note 8(i), Provision for Salary arrear (Pay revision) amounting to INR 1147 Lakhs (PY: INR 1147 Lakhs)
4. Refer to Note No. 16, an old outstanding balance of Rs 0.89 Lakhs is appearing in Cash & Cash equivalents with HDFC Bank. As per bank statement status of account is "Blocked Dormant" and HDFC bank has transferred Rs. 0.89 Lakhs to RBI Deaf account.

Our opinion is not modified in respect of above matter.

Information Other than Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the presentation of the other information. The other information comprises the information included in the Management Discussion and Analysis, Board's Report including Annexure to Board's Report, Business responsibility Report, Corporate Governance and Shareholder's Information, but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अन्य जानकारी एक तथ्यगत गलत विवरण है। तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

जब हम वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं और यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें कोई तथ्यगत विवरण गलत है, तो हमें इस मामले को उन लोगों तक पहुंचाना होगा जिन पर शासन का प्रभार है और संबंधित कानूनों और विनियमों के तहत लागू होने वाली आवश्यक कार्रवाई करनी होगी।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 ('अधिनियम') की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष राय देते हैं, जिसमें अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानक शामिल हैं, जिन्हें कंपनी (लेखा मानक) नियम 2021 के साथ पढ़ा जाए। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों का रखरखाव उचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्डों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, जो एक सही और निष्पक्ष राय देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले गलत बयानों से मुक्त हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की कारोबार जारी रखने, कारोबार जारी रखने से संबंधित मामलों के प्रकटन, जैसा लागू हो, और लेखांकन के कारोबार जारी रखने के आधार का प्रयोग करके क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी के परिसमापन या संचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से तथ्यगत गलत विवरणों, चाहे उसका कारण धोखाधड़ी हो या त्रुटि, से मुक्त है और लेखा परीक्षकों रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन, आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार आयोजित कोई लेखा परीक्षा तथ्यगत गलत विवरण का हमेशा पता लगाएगी। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें तथ्यगत माना जाता है, यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, उनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद की जा सकती है।

एसए के अनुसार किसी लेखा परीक्षा के तहत, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम भी:

- वित्तीय विवरणों के तथ्यगत गलत विवरण के जोखिमों की पहचान करते हैं और उनका आकलन करते हैं, चाहे इसका कारण धोखाधड़ी हो या त्रुटि, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करते हैं, और ऐसे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप किसी तथ्यगत गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप किसी गलत विवरण से कहीं अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत प्रतिनिधित्व, या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड शामिल हो सकता है।

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of the other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take necessary actions, as applicable under the relevant laws and regulations.

Responsibility of Management for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Company Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the accounting standards specified under section 133 of the Act, read with the Companies (Accounting Standard) Rules 2021. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors is also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- परिस्थितियों में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं। अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता क्या है।
- उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करते हैं।
- लेखांकन के आधार पर कारोबार को जारी रखने के संबंध में प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त लेखा परीक्षा संबंधी साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई ऐसी तथ्यन्त अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी के कारोबार को जारी रखने की उसकी सामय के संबंध में महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि तथ्यगत अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी राय को संशोधित करने के लिए लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त है, पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथारि भविष्य की घटनाएं या स्थितियां कंपनी के कारोबार को जारी रखने के समापन का कारण बन सकती है।
- प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति संरचना और सामग्री और इस बात का मूल्यांकन करते हैं कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का प्रतिनिधित्व इस तरह से करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करता है।
- तथ्यपरकता वित्तीय विवरणों में गलत विवरण का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाती है कि इससे वित्तीय विवरणों के यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखा परीक्षा संबंधी कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी चिन्हित गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक तथ्यपरकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों में लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और समय और लेखा परीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों के बारे में शासन के प्रभारी लोगों के साथ संभार करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई ऐसी महत्वपूर्ण कमी शामिल है जिसकी हम अपनी लेखा परीक्षा के दौरान पहचान करते हैं।

हम शासन के प्रभारी लोगों को भी इस आशय का एक विवरण प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के बारे में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। और उन्हें सभी संबंधों और ऐसे अन्य मामलों के बारे में सूचित करते हैं जिनके बारे में उचित रूप से यह माना जाता है कि हमें अपनी स्वतंत्रता के संबंध में उनका वहन करना ही होगा, और जहां लागू हो, यहां संबंधित सुरक्षा उपाय।

अन्य मामले

हमने कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल 7 क्षेत्रीय कार्यालयों के वित्तीय विवरणों/सूचना की लेखा परीक्षा नहीं की, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना 31 मार्च, 2024 तक 41382.12 लाख रुपये की कुल परिसंपत्ति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए 121517.37 लाख रुपये के कुल राजस्व को दर्शाती है, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में माना गया है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखा परीक्षा शाखा के ऐसे लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और जहां तक इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों का संबंध है, हमारी राय पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों का ऑडिट एक अन्य ऑडिटर द्वारा किया गया, जिसने 28 सितंबर, 2023 को उन विवरणों पर एक संशोधित राय व्यक्त की।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं किया गया है।

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Materiality is the magnitude of misstatement in the financial statements that, individually or in aggregate, make it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Other Matters

We did not audit the financial statements / information of "7" Regional offices included in the standalone financial statements of the Company whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs. 41382.12 Lakhs as at 31st March, 2024 and total revenues of Rs.127792.59 Lakhs (Including Grants in aid reimbursement and miscellaneous income) for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. The financial statements/information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these branches, is based solely on the report of such branch auditors.

The financial statements of the Company for the year ended 31st Mar 2023 were audited by another auditor who expressed a modified opinion on those statements on 28th Sep, 2023.

Our opinion is not modified in respect of the above matters.

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं संबंधी रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसार, भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश) की अपेक्षानुसार, हम अनुबंध 'क' में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों संबंधी एक विवरण देते हैं।
2. हम अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार, कंपनी के बही-खातों और अभिलेखों की ऐसी जांच के आधार पर, जिसे हमने उचित समझा और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निदेशों और उप-निदेशों के संबंध में अनुबंध-ख में हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार अपनी रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं।
3. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:-
 - (क) हमने उपर्युक्त सापेक्ष राय पैरा के लिए आधार में यथासंदर्भित के सिवाय उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरण की मांग की है और उन्हें प्राप्त किया है जो हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे लेखा परीक्षा के उद्देश के लिए आवश्यक थे;
 - (ख) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(g) के तहत रिपोर्टिंग पर नीचे पैराग्राफ 3(h)(vi) में उल्लिखित मामले को छोड़कर, पैराग्राफ के लिए योग्य राय के आधार में वर्णित मामलों के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित खाता बही रखी गई है, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है;
 - (ग) अनुच्छेद के लिए योग्य राय के आधार में वर्णित मामलों के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर, शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के तहत लेखापरीक्षित कंपनियों के शाखा कार्यालयों के खातों पर रिपोर्ट हमें भेजी गई है और हमारे द्वारा इस रिपोर्ट को उचित रूप से तैयार किया गया है।
 - (घ) पैराग्राफ के लिए योग्य राय के आधार में वर्णित मामलों के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर, इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण लेखा पुस्तकों के साथ सहमत हैं;
 - (ङ) पैराग्राफ के लिए योग्य राय के आधार में वर्णित मामलों के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, जिन्हें कंपनी (लेखा मानक) नियम 2021 के साथ पढ़ा जाए, जैसा कि संशोधित किया गया है।
 - (च) खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित संशोधन अधिनियम की धारा 143(3)(ख) के तहत रिपोर्टिंग पर ऊपर पैराग्राफ 3(ख) और कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(g) के तहत रिपोर्टिंग पर नीचे पैराग्राफ 3(ज)(vi) में बताए गए हैं।
 - (छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन संबंधी प्रभावशीलता के संबंध में अनुबंध 'ग' में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन संबंधी प्रभावशीलता के संबंध में एक अपरिवर्तित राय व्यक्त करती है।
 - (ज) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामलों के संबंध में, जैसा कि हमारी राय में संशोधित किया गया है और हमारी

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, we give in the "Annexure "A" a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.
2. We are enclosing our report in terms of section 143 (5) of the Act, on the basis of such checks of the books and records of the Company as we considered appropriate and according to the information and explanations given to us, in the Annexure "B" on the directions and sub directions issued by Comptroller and Auditor General of India.
3. As required by Section 143 (3) of the Act, we report that:
 - (a) we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit except as referred in basis for Qualified Opinion para above;
 - (b) Except for the effects / possible effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion for Paragraph, the proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books except for the matter stated in the paragraph 3(h)(vi) below on reporting under rule 11(g) of the companies (Audit and Auditors) Rules, 2014;
 - (c) Except for the effects / possible effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion for Paragraph, The reports on the accounts of the branch offices of the Companies audited u/s 143(8) of the Act by Branch Auditors have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report.
 - (d) Except for the effects / possible effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion for Paragraph, the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account;
 - (e) Except for the effects / possible effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion for Paragraph, in our opinion, the aforesaid Standalone financial statements comply with the Accounting Standards specified under section 133 of the Act, read with Companies (Accounting Standards) Rules 2021, as amended thereof.
 - (f) The modifications relating to the maintenance of accounts and other matters connected there with are as stated in the paragraph 3 (b) above on reporting under Section 143(3)(b) of the Act and paragraph 3(h)(vi) below on reporting under Rule 11(g) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014.
 - (g) with respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in Annexure "C"; our report expresses a modified opinion on the adequacy and operating effectiveness of Company's internal controls over financial reporting.
 - (h) with respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended in our opinion and to

जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

- i कंपनी के पास कोई लंबित मुकदमा नहीं है जो इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा।
- ii कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए कोई तथ्यगत संभावित नुकसान नहीं था।
- iii ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।
- iv (क) प्रबंधन ने यह प्रस्तुत किया है कि, इसकी जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ('मध्यस्थों') सहित किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं में या किसी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं को अथवा में कोई भी धनराशि (या तो ऋण ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के धन से) इस समझ के साथ चाहे लिखित में दर्ज किया गया हो अथवा अन्यथा, अग्रिम अथवा ऋण या निवेशित नहीं की गई है, मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी ('अंतिम लाभार्थियों') द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचान किए गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की सुविधा प्रदान करेगी।
- (ख) प्रबंधन ने यह प्रस्तुत किया है कि अपनी जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी को विदेशी संस्थाओं (वित्तपोषण पक्षकारों) सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से कोई धन प्राप्त नहीं हुआ है, इस समझ के साथ चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्तपोषण पक्षकारों (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचान किए गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की सुविधा प्रदान करेगी।
- ग) उन लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया था, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उपरोक्त (i) और (ii) के तहत प्रावधान किए गए नियम 11 (ड) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत प्रस्तुतियों में कोई तथ्यगत गलत विवरण है।
- v पिछले वर्ष के लिए घोषित ऐसे लाभांश के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान किया गया अंतिम लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुसार, जैसा लागू हो, होगा। इसके अलावा, जैसा कि संलग्न वित्तीय विवरणों के नोट 3(ii) में कहा गया है, कंपनी के निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव किया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है, जैसा लागू हो।
- vi हमारी जांच के आधार पर, जिसमें नमूना जांच शामिल थी, कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) रिकॉर्ड के रखरखाव के संबंध में अपने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें लेखांकन सॉफ्टवेयर में पूरे वर्ष के दौरान ऑडिट ट्रेल सुविधा सक्षम नहीं थी, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित हुई है।

the best of our information and according to the explanations given to us:

- i. The Company does not have any pending litigations which would impact its financial position.
- ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.
- iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.
- iv. a) The Management has represented that, to the best of its knowledge and belief, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other persons or entities, including foreign entities (“Intermediaries”), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company (“Ultimate Beneficiaries”) or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.
b) The Management has represented that, to the best of its knowledge and belief, no funds have been received by the Company from any persons or entities, including foreign entities (“Funding Parties”), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Parties (“Ultimate Beneficiaries”) or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.
- c) Based on the audit procedures that were considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e) as provided under (i) and (ii) above contain any material mis-statement.
- v. The final dividend paid by the Company during the year ended 31 March 2024 in respect of such dividend declared for the previous year is in accordance with section 123 of the Act, as applicable. Further, as stated in note 3(ii) to the accompanying standalone financial statements, the Board of Directors of the Company have proposed final dividend for the year ended 31 March 2024 which is subject to the approval of the members at the ensuing Annual General Meeting. The dividend proposed is in accordance with section 123 of the Act, as applicable.
- vi. Based on our examination which included test checks, the company has used accounting software for maintaining its books of accounts except in respect of maintenance of Property, Plant, and Equipment (PPE) records, wherein the accounting software did not have the audit trail feature enabled throughout the year, which has a feature of recording audit trail (edit log) facility and the same has operated throughout the year for all relevant transactions recorded in the software. Further during the course of our audit we did not come across any instance of audit trail feature being tempered with.

"चूंकि कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान 1 अप्रैल 2023 से लागू है, इसलिए रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल के संरक्षण पर कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

एम. बी. गुप्ता एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 006928N

(जगदीश गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता संख्या 525377
यूडीआईएन: 24525377BKAMDM1307

दिनांक: 30 सितंबर 2024
स्थान: नोएडा

“As the proviso to Rule 3(1) of the Companies (Accounts) Rules 2014 is applicable from 1st April 2023, reporting under Rule 11(g) of the Companies (Audit and Auditors) Rules 2014 on preservation of audit trail as per statutory requirements for record retention is not applicable for the financial year ending 31st March 2024.

For M. B. Gupta & Co.
Chartered Accountants
FRN: 006928N

(Jagdish Gupta)
Partner
Membership No. 525377
UDIN: 24525377BKAMDM1307

Date: 30th September 2024
Place: Noida

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट से संबंधित अनुबंध 'क'

(राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के सदस्यों के लिए समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अन्य विधि और विनियामक अपेक्षाओं के तहत पैराग्राफ "1" में उल्लिखित)

(अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के तहत पैराग्राफ 1 में संदर्भित। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के सदस्यों को हमारी सम रिपोर्ट के हमारे स्वतंत्र खंड में संदर्भित अनुबंध)

हम सूचित करते हैं कि:

- i (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रख रही है।
 - (ख) हमें सूचित किया गया है कि कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिक सत्यापन प्रबंधन द्वारा नहीं बल्कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा किया गया था। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऐसे सत्यापन में कोई भौतिक विसंगतियां नहीं पाई गईं, सिवाय इसके कि नवल जैन एंड कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में, अधिकांश मामलों में परिसंपत्तियों का स्थान और परिसंपत्तियों का विशिष्ट कोड तथा कुछ मामलों में परिसंपत्तियों का विवरण नहीं दिया गया है।
 - (ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमें प्रदान किए गए वाहन विलेखों की जांच के आधार पर, हम सूचित करते हैं कि, स्वामित्व संबंधी विलेख, जिसमें भूमि और भवन की सभी अचल संपत्तियां शामिल हैं जो फ्रीहोल्ड हैं, कंपनी के नाम पर हैं, मुंबई में 5वीं मंजिल पर अपार्टमेंट नंबर 13, 14, 15, सीबीडी में प्लॉट नंबर 4, सेक्टर 11 का क्षेत्रफल 221.7 वर्ग मीटर के सिवाय, उक्त अपार्टमेंट के लिए नाम संबंधी विलेख में अभी तक पंजीकृत नहीं है, जैसा कि तुलन पत्र की तारीख में है।
 - (घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (परिसंपत्तियों का उपयोग करने के अधिकार सहित) और अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (i) (घ) लागू नहीं होता है।
 - (ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में यथासंशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के खिलाफ न तो कोई कार्यवाही शुरू की गई है न लंबित है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (i) (ङ) लागू नहीं होता है।
- ii (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा उचित अंतरालों पर वस्तु सूची का भौतिक सत्यापन किया गया है और ऐसे सत्यापन पर कोई तथ्यगत विसंगतियां नहीं पाई गई हैं।
 - (ख) कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर वर्ष के दौरान किसी भी समय बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपए से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है और इसलिए आदेश के खंड 3 (ii) (ख) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- iii रिकॉर्ड की जांच के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पक्षों को कोई अथवा प्रतिभूति प्रदान नहीं की है या सुरक्षित या असुरक्षित ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है।

Annexure - A to the Independent Auditors' Report

(Referred to in paragraph 1 under 'report on other legal and regulatory requirements. The Annexure referred to in our Independent section of our report to the Members of National Handloom Development Corporation Limited of even date)

We report that:

- i. (a) According to the information and explanations given to us, the Company is maintaining proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of Property, Plant and Equipment and intangible assets,
- (b) We are informed that Property, Plant and Equipment of the Company were not physically verified by management but by the internal auditor during F. Y. 2023-24. According to the information and explanations given to us, no material discrepancies were noticed on such verification, except that in the physical verification report provided to us by Naval Jain & Company, in most of the cases the location of assets and unique code of assets and in few cases description of the assets is not mentioned.
- (c) According to the information and explanation given to us and based on the examination of conveyance deeds provided to us, we report that, the title deeds, comprising all the immovable properties of land and building which are freehold, are held in the name of the Company except in Mumbai, the apartment bearing no 13,14,15 on 5th floor, plot no 4, sector 11 at CBD measuring 221.7 sq.mt, the title deeds for the said apartment is yet to registered, as at the balance sheet date.
- (d) The Company has not revalued any of its property, Plant & Equipment (including right to use assets) and intangible assets during the year. According, paragraph 3(i)(d) of the Order is not applicable.
- (e) According to the information and explanation given to us, there are no proceedings initiated or pending against the Company as at March 31, 2024 for holding any benami property under the Benami Transaction (Prohibition) Act, 1988 (as amended in 2016) and Rules made thereunder. Accordingly, paragraph 3 (i) (e) of the Order is not applicable
- ii. (a) According to the information and explanations given to us, physical verification of Inventory has been conducted at reasonable intervals by the management and no material discrepancies were noticed on such verification;
- (b) The Company has not been sanctioned working capital limits in excess of five crore rupees, in aggregate, at any point of time during the year from Banks or financial institutions on the basis of security of current assets and hence reporting under clause 3(ii) (b) of the order is not applicable.
- iii. On the basis of examination of records and according to the information and explanations given to us, the Company has not made investment in / provided any guarantee or security/ granted any loans or advances in the nature of loans, secured or unsecured, to companies, firms, Limited Liability Partnerships or other parties Accordingly, paragraph 3 (iii) of the Order is not applicable.

- iv हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के उपबंध के तहत कोई ऋण या गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है या कोई निवेश नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3 (iv) कंपनी पर लागू होता है।
- v हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 के उपबंधों के अर्थ के भीतर जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं की है। इसलिए उक्त आदेश का खंड v कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- vi हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, निगम को लागत रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के तहत लागत रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए कंपनी के संबंध में निर्धारित नहीं किया है।
- vii हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार:
- (क) वस्तु और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारियों सहित अविवादित सांविधिक देय राशियों के संबंध में बही-खातों में काटी गई/अर्जित राशि राज्य बीमा, आयकर, सेवा कर, मूल्यवर्धित कर, उपकर और अन्य सामग्री सांविधिक देय राशि आमतौर पर कंपनी द्वारा नियमित रूप से उचित अधिकारियों के पास जमा की जाती है।
- (ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, वस्तु और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारियों सहित कोई अविवादित सांविधिक देय नहीं है: राज्य बीमा, आयकर, सेवा कर, मूल्यवर्धित कर, उपकर और अन्य सांविधिक बकाया 31 मार्च, 2024 तक देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया थे।
- (ग) खंड (क) में उल्लिखित ऐसी कोई सांविधिक देय राशि नहीं है जिसे विवाद के कारण जमा नहीं किया गया हो।
- viii हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखा बहियों में ऐसा कोई लेनदेन नहीं है जिसे आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यर्पित या प्रकटित किया गया हो और दर्ज न किया गया हो। तदनुसार, आदेश का पैरा 3 (viii) लागू नहीं होता है।
- ix (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने किसी ऋणदाता से कोई ऋण या अन्य उधार नहीं लिया है। इसलिए आदेश के खंड 3 (ix) (a) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया जाता है।
- (ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और वर्ष की शुरुआत में कोई बकाया सावधि ऋण नहीं है और इसलिए, आदेश के खंड 3 (ix) (x) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (घ) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई अल्पकालिक निधियां नहीं जुटाई हैं और इसलिए आदेश के खंड 3 (ix) (घ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (ङ) कंपनी की कोई सहायक कंपनी/सहयोगी/संयुक्त उद्यम नहीं है और तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3 (ix) (च) लागू नहीं होते हैं।

- iv. According to the information and explanation given to us, the company has not granted any loans or guarantees or security or made any investment to which provision of section 185 and 186 of the Companies Act, 2013. Accordingly paragraph 3 (iv) of the Order is not applicable to the Company.
- v. According to the information and explanations given to us, the Company has not accepted any deposits from the public within the meaning of the provisions of Section 73 to 76 of the Companies Act, 2013. Hence clause v of the said order is not applicable to the Company.
- vi. According to the information and explanations given to us, the Corporation is not required to maintain the cost records, as the central Government has not prescribed in respect of the Company to maintain the Cost records under sub section (1) of section 148 of the of the Companies Act, 2013.
- vii. According to the information and explanations given to us:
- (a) Amounts deducted / accrued in the books of accounts in respect of undisputed statutory dues including goods and service tax, provident fund, employees; state insurance, income-tax, service Tax, value added tax, cess and other material statutory dues have been generally regularly deposited by the Company with the appropriate authorities.
 - (b) According to the information and explanations given to us, there are no undisputed statutory dues including goods and service tax, provident fund, employees; state insurance, income-tax, service Tax, value added tax, cess and other material statutory dues were in arrears as at March 31, 2024 for a period of more than six months from the date they became payable.
 - (c) There is no statutory dues referred to in clause (a), which have not been deposited on account of dispute.
- viii. According to the information and explanation given to us, there is no transactions not recorded in the books of accounts that have been surrendered or disclosed as income during the year in the Tax assessments under Income Tax Act, 1961 (43 of 1961). Accordingly, paragraph 3 (viii) of the Order is not applicable.
- ix. (a) According to the information and explanation given to us, the Company has not taken any loans or other borrowing from any lender. Hence reporting under clause 3 (ix)(a) of the order is not applicable.
- (b) According to the information and explanation given to us, the Company is not declared wilful defaulter by any Bank or financial institution or Government or any Government authority or other lender.
- (c) According to the information and explanation given to us, the Company has not taken any term loan during the year and there is no outstanding term loan at the beginning of the year and hence, reporting under clause 3 (ix)(c) of the order is not applicable.
- (d) According to the information and explanation given to us, the Company during the year has not raised any short-term funds and hence, reporting under clause 3 (ix)(d) of the order is not applicable.
- (f) The Company does not have any subsidiaries / associates / joint-ventures and accordingly, paragraphs 3 (ix) (f) of the Order are not applicable.

- (च) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है और इसलिए आदेश के खंड 3(ix) (छ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- x (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश अथवा आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटाई है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (x) (क) लागू नहीं होता है।
- (ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों (पूर्णतः आंशिक अथवा वैकल्पिक परिवर्तनीय) का कोई अधिमाम्य आवंटन अथवा निजी नियोजन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (x) (ख) लागू नहीं होता है।
- xi (क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं की गई है और कंपनी पर कोई तथ्यगत धोखाधड़ी नहीं देखी गई है।
- (ख) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक केंद्र सरकार के पास कोई रिपोर्ट दायर नहीं की गई है।
- (ग) कंपनी को वर्ष के दौरान कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
- xii हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आदेश का खंड (xii) लागू नहीं होता है क्योंकि कंपनी निधि कंपनी नहीं है।
- xiii हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमें उपलब्ध कराए गए कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन किया है और वित्तीय विवरणों के नोट 25(ii) के तहत उसका उचित रूप से खुलासा किया गया है तथा वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के प्रावधानों के अनुपालन में है।
- xiv (क) हमारी राय में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों के मद्देनजर आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है।
- (ख) हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में वर्ष के दौरान और अब तक कंपनी को जारी की गई लेखा परीक्षा वर्ष की आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया है।
- xv हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और समग्र आधार पर समीक्षा के आधार पर, वर्ष के दौरान कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ अधिनियम की धारा 192 के संदर्भ में गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (xv) लागू नहीं होता है।
- xvi (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और समग्र आधार पर समीक्षा के आधार पर, कंपनी वित्तपोषण कार्यकलाप में नहीं लगी है और इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के अंतर्गत पंजीकृत होना अपेक्षित नहीं है।
- (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार समूह में कोई कोर निवेश कंपनी नहीं है (जैसा कि कोर निवेश कंपनियां (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 में परिभाषित किया गया है) और तदनुसार आदेश के खंड 3 (xvi) (घ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- xvii कंपनी को हमारे लेखापरीक्षा में शामिल वित्तीय वर्ष और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कोई नकद हानि नहीं हुई है।

- (g) The Company, has not raised any loans during the year and hence, reporting under clause 3 (ix)(g) of the order is not applicable.
- x. (a) According to the information and explanation given to us, the company has not raised any money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) during the year. Accordingly, paragraph 3(x)(a) of the order is not applicable.
- (b) According to the information and explanation given to us, the company has not made any preferential allotment or private placement of Shares or convertible debentures (fully, partly or optional convertible) during the year. Accordingly, paragraph 3(x)(b) of the order is not applicable.
- xi. (a) No Fraud by the Company and no material fraud on the Company has been noticed or reported during the year.
- (b) No report under sub-section (12) of section 143 of the Companies Act has been filed in form ADT- 4 as prescribed under Rule 13 of Companies (Audit & Auditors) Rules 2014 with the central Government, during the year and up to the date of this report.
- (c) The Company has not received any whistle blower complaint during the year.
- xii. According to the information and explanations given to us, clause (xii) of the order is not applicable as the Company is not a Nidhi Company.
- xiii. According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company provided to us, the Company has entered into transactions with the related parties and the same has been appropriately disclosed vide Note 25(ii) of the financial statements and the same has been in compliance with the provisions of section 177 and 188 of Companies Act, 2013.
- xiv. (a) In our opinion the internal audit system needs to be improved in view of observations made at Internal Financial Control report.
- (b) we have considered, the internal audit reports for the year under audit, issued to the Company during the year and till date, in determining the nature, timing and extent of our audit procedures.
- xv. According to the information and explanations given to us and on the basis of review on an overall basis, the Company during the year has not entered into non cash transactions, in terms of section 192 of the Act, with directors or persons connected with them. Accordingly, paragraph 3(xv) of the order is not applicable.
- xvi. (a) According to the information and explanations given to us and on the basis of review on an overall basis, the Company is not engaged in financing activity and hence is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934.
- (b) As per information and explanations given to us there is no Core Investment Company with in the Group (as defined in the Core Investment Companies (Reserve Bank) Directions, 2016) and accordingly reporting under clause 3(xvi)(d) of the Order is not applicable.
- xvii. The Company has not incurred any Cash Loss during the Financial year covered by our audit and immediately preceding financial year.

- xviii वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं आया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(xviii) लागू नहीं होता है।
- xix वित्तीय अनुपातों, वित्तीय सहायता की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की बढ़ती और अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी और हमारे ज्ञान के आधार पर और कंपनी द्वारा उपलब्ध सबूतों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख को कोई ऐसी तथ्यगत अनिश्चितता मौजूद हो जो यह दर्शाती हो कि कंपनी तुलन पत्र की तारीख पर विद्यमान, जब भी वे तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय हो जाती है, अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। तथापि, हम यह कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन नहीं है। हम आगे यह कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम ना तो कोई गारंटी देते हैं और ना ही कोई ऐसा आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा निर्वहन किया जाएगा।
- xx हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी के अनुसार, कंपनी को उक्त अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 महीने की अवधि के भीतर अधिनियम की अनुसूची टप्प में निर्दिष्ट निधि में चल रही या चल रही परियोजना के अलावा अन्य परियोजना के संबंध में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) की किसी भी अप्रयुक्त राशि को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है।
- xxi ये कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण है, इसलिए आदेश के खंड 3 (xxi) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

कृते एम. बी. गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 006928N

(जगदीश गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता संख्या 525377
यूडीआईएन: 24525377BKAMD1307

स्थान: नोएडा
दिनांक: 30.09.2024

- xviii. There has been no resignation of the Statutory Auditors of the Company during the year. Accordingly, paragraph 3(xviii) of the order is not applicable.
- xix. On the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realisation of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements and our knowledge and based on our examination of the evidences available the Company, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as on the date of the audit report indicating that Company is not capable of meeting its liabilities existing at the date of Balance Sheet as and when they fall due within a period of one year from the Balance Sheet date. We however, state that this is not an assurance as to the future viability of the Company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the Balance Sheet date, will get discharged by the Company as and when they fall due.
- xx. In our opinion and according to the information given to us, the Company is not required to transfer any unspent amount of Corporate Social Responsibility (CSR) in respect of ongoing or other than ongoing project to a fund specified in schedule VII of the Act within a period of 6 months of the expiry of the financial year in compliance with second proviso of sub-section (5) of section 135 of the said act.
- xxi. These are the standalone financial statements of the Company, hence reporting under clause 3(xxi) of the order is not applicable.

For M. B. Gupta & Co.
Chartered Accountants
FRN: 006928N

(Jagdish Gupta)
Partner
Membership No. 525377
UDIN: 24525377BKAMDM1307

Place: Noida

Date: 30.09.2024

स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट से संबंधित अनुबंध 'ख'

(राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारी रिपोर्ट के अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं के तहत पैराग्राफ "II" में उल्लिखित)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देश, जिसमें वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (स्टैंडअलोन) के वार्षिक खातों की लेखा परीक्षा के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जांच किए जाने वाले क्षेत्रों को दर्शाया गया है

क्र.सं.	विवरण	हमारा जवाब
1.	क्या कंपनी में आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेन-देन की प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो वित्तीय निहितार्थ सहित लेखाओं की सत्यनिष्ठा के संबंध में आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन-देन की प्रक्रियाओं के निहितार्थ, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाए।	हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी में यह व्यवस्था है और निगम सभी लेखांकन लेन-देन प्रक्रिया ईआरपी के माध्यम से करता है। ईआरपी व्यवस्था में वित्तीय लेखांकन (एफआई), नियंत्रक (सीओ), बिक्री तथा वाणिज्यिक बिलिंग आदि जैसी सभी प्रक्रियाएं कार्यान्वित की गई हैं।
2.	क्या ऋण के भुगतान न किए जाने की कंपनी की असमर्थता के कारण लेनदार द्वारा मौजूदा ऋण अथवा माफीध्रुण को बट्टे खाते में डालने/ऋणों/ब्याजज के मामलों की कोई पुनर्संरचना की गयी है? यदि हां, तो उसके वित्तीय प्रभाव का उल्लेख कीजिए।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच और क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा ऋण/उधार/ब्याज आदि का कोई पुनर्गठन/माफी/बट्टे खाते में डालने जैसा कुछ नहीं किया गया है।
3.	क्या केन्द्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली धनराशि का उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया? विषय परिवर्तन मामलों की सूची उपलब्ध कराएं।	केन्द्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली धनराशि का निर्धारित नियमों व शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा-जोखा रखा गया/उपयोग किया गया।

कृते एम. बी. गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 006928N

(जगदीश गुप्ता)
भागीदार

सदस्यता संख्या 525377

यूडीआईएन: 24525377BKAMDM1307

दिनांक: 30 सितंबर 2024

स्थान: नोएडा

ANNEXURE “B” TO THE INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

(Referred to in paragraph “II” under ‘Report on Other Legal and Regulatory Requirements section of our report to the Members of **National Handloom Development Corporation Limited** of even date)

Directions issued by the Comptroller & Auditor General of India under Section 143(5) of the Companies Act, 2013 indicating the areas to be examined by the Statutory Auditors during the course of audit of annual accounts of National handloom development Corporation Limited (Standalone) for the FY 2023-24

1.	Whether the Company has system in place to process all the accounting transactions through IT system. If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any may be stated.	As per the information and explanations given to us, the Regional Office has a system in place and the corporation process all the accounting transactions through ERP. ERP system has been implemented for all the processes like Financial accounting (FI), Controlling (CO), Sale and Commercial billing etc.
2.	Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver / write off of debts / loans / interest etc. made by a lender due to the company’s inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated.	According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company and as per the report obtained from the Regional Offices, there has been no restructuring/ waiver/ write off of debts/ loans/ interest etc. made by a lender due to the company’s inability to repay the loan
3.	Whether fund received / receivable for specific schemes from Central / State agencies were properly accounted for / Utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.	Funds received / receivable for specific schemes from Central / State agencies were properly accounted for / utilized as per the provided terms and conditions.

For M. B. Gupta & Co.
Chartered Accountants
FRN: 006928N

(Jagdish Gupta)
Partner
Membership No. 525377
UDIN: 24525377BKAMD1307

Date: 30th September 2024
Place: Noida

स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट से संबंधित अनुबंध 'ग'

(31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं के संबंध में राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों संबंधी हमारी समान तारीख की रिपोर्ट के लिए उल्लिखित अनुबंध)

कंपनी अधिनियम, 2013 ('एक्ट')की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों संबंधी रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2024 तक राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड ('कंपनी') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है, जो उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारी लेखा परीक्षा के साथ संयोजन है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी निदेशक मंडल चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा संबंधी मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों के आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो कंपनी की नीतियों का पालन, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा संबंधी मार्गदर्शन नोट ('मार्गदर्शन नोट') और लेखा परीक्षण से संबंधित मानकों के अनुसार, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू सीमा तक, अपनी लेखा परीक्षा की है, जिसे आईसीएआई द्वारा जारी किया गया था एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माना जाता है, ये दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू होते हैं तथा इन दोनों को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए हैं उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए यह आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और योजना बनाएं और लेखा परीक्षा करें ताकि इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और यदि ऐसे नियंत्रण सभी तथ्यगत मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी प्रचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आंकलन करना कि कोई तथ्यगत कमजोरी मौजूद है और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण एवं मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं जिसमें वित्तीय विवरणों के तथ्यगत गलत विवरण के जोखिम का आंकलन शामिल है, जाहे इसका कारण धोखाधड़ी हो या त्रुटि।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

ANNEXURE “C” TO THE INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT

ANNEXURE REFERED TO IN OUR REPORT OF EVEN DATE ON THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS OF THE NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED ON THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH,2024

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 (“the Act”)

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED** (“the Company”) as on March 31, 2024 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management’s Responsibility for Internal Financial Controls

The board of directors of the Company is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Company’s policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors’ Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company’s internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the “Guidance Note”) and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor’s judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company’s internal financial controls system over financial reporting.

वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो:

- (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित है, जो उचित ब्यौरे को कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और विन्यास को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं:
- (2) इस आशय का उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, और यह कि कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार किए जा रहे हैं; और
- (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण की रोकथाम, उपयोग या निपटान या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करती हैं जो वित्तीय विवरणों पर तथ्यगत प्रभाव डाल सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना शामिल है, जिसकी वजह से त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण तथ्यगत विवरण गलत हो सकते हैं और इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं, कि स्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर बिगड़ सकता है।

सापेक्ष राय

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, 31 मार्च 2024 तक वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कमजोरियों की पहचान की गई है, जो कि कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर है, जिसमें भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार किया गया है।

1. कंपनी के पास वर्ष के अंत में एफडीआर शेष पर अर्जित ब्याज सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं थी। कंपनी को शेष राशि के सत्यापन के साथ ब्याज आय की रिकॉर्डिंग में उचित आंतरिक नियंत्रण रखना चाहिए। इससे संभावित रूप से एफ.डी.आर. शेष, ब्याज आय को अधिक या कम दर्शाया जा सकता है।
2. कंपनी के पास प्रदर्शनी व्यय के चालान प्राप्त करने, दिए गए अग्रिमों का समाधान करने, कट-ऑफ तिथि पर अनुमान के आधार पर प्रदर्शनी व्यय की रिकॉर्डिंग और अनुदान प्राप्य में संबंधित प्रविष्टियों के लिए उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं थी। इसके अलावा, व्ययों की प्रविष्टियां करने और अनुदान प्राप्तियों की संगत प्रविष्टियां करने में भी देरी होती है।

‘महत्वपूर्ण कमजोरी’ वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में कमी, या कमियों का संयोजन है, जिससे यह उचित संभावना बनी रहती है कि कंपनी के वार्षिक या अंतरिम वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलत विवरण को समय पर रोका या पता नहीं लगाया जा सकेगा।

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A Company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that

- (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Company;
- (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the Company; and
- (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Qualified Opinion

According to the information and explanations given to us and based on our audit, the following material weaknesses have been identified in the operating effectiveness of the Company's Internal financial controls over financial reporting as at 31st March 2024 based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

1. The Company did not have an appropriate internal control system to ensure Interest Accrued on FDR balances as at year end. The company should make proper internal control in recording of Interest Income with verification of the balances. This could potentially result in overstatement or understatement of FDR balances, Interest income.
2. The Company did not have an appropriate internal control system for obtaining invoices of exhibition expenses, performing reconciliation of advances given, recording of Exhibition expenses on estimation basis on cut-off date and corresponding entries in grant receivable. Further, there are delays in making entries of expenses and corresponding entries of Grants receivables.

A 'material weakness' is a deficiency, or a combination of deficiencies, in internal financial control over financial reporting, such that there is a reasonable possibility that a material misstatement of the company's annual or interim financial statements will not be prevented or detected on a timely basis.

हमारी राय में, नियंत्रण मानदंडों के उद्देश्यों की प्राप्ति पर ऊपर वर्णित महत्वपूर्ण कमजोरियों के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने सभी महत्वपूर्ण मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखा है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जो कि 'भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण' पर आधारित था।

हमने कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में लागू लेखापरीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में ऊपर पहचानी गई और बताई गई महत्वपूर्ण कमजोरियों पर विचार किया है, और ये महत्वपूर्ण कमजोरियां कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करती हैं।

एम. बी. गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 006928N

(जगदीश गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता संख्या 525377
यूडीआईएन: 24525377BKAMDM1307

दिनांक: 30 सितंबर, 2024

स्थान: नोएडा

In our opinion, except for the effects/possible effects of the material weaknesses described above on the achievement of the objectives of the control criteria, the Company has maintained, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as of 31st March 2024, based on “the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India”

We have considered the material weaknesses identified and reported above in determining the nature, timing, and extent of audit tests applied in our audit of standalone financial statements of the Company, and these material weaknesses do not affect our opinion on the standalone financial statements of the Company.

For M. B. Gupta & Co.
Chartered Accountants
FRN: 006928N

(Jagdish Gupta)
Partner
Membership No. 525377
UDIN: 24525377BKAMDM1307

Date: 30th September 2024
Place: Noida

अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा हमें जारी निर्देशों/उप-निर्देशों के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के खातों की लेखापरीक्षा की है और हम 30 सितंबर, 2024 की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करके प्रमाणित करते हैं कि हमने हमें जारी किए गए सभी निर्देशों/उप-निर्देशों का अनुपालन किया है।

एम.बी. गुप्ता एंड कंपनी के लिए
(चार्टर्ड अकाउंटेंट)
एफ.आर. संख्या 006928एन

जगदीश गुप्ता
भागीदार
(सदस्यता संख्या 525377)

दिनांक: 30 सितंबर 2024

स्थान: नोएडा

COMPLIANCE CERTIFICATE

We have conducted the audit, of accounts of National Handloom Corporation Limited for the year ended 31st March, 2024 in accordance with the directions/sub-directions issued to us by the C & AG of India under Section 143(5) of the Companies Act, 2013 and we Certify that we have complied with all the directions/sub-directions issued to us by submitting our report dated 30th September, 2024.

For M. B. Gupta & Co.
(Chartered Accountants)
F R No. 006928N

Jagdish Gupta
Partner
(Membership No.525377)

Date: 30th September 2024
Place: Noida

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग संरचना के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसरण में स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह निर्दिष्ट है कि यह उनके द्वारा 30 सितंबर 2024 की उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है।

मैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के तहत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्य संचालन संबंधी कागजात को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चयनात्मक जांच तक सीमित है।

अपनी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मेरे ज्ञान में कोई महत्वपूर्ण बात नहीं आई है जो अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर किसी टिप्पणी या पूरक को जन्म दे।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के लिए और उसकी ओर से

(विनीता मिश्रा)
लेखा परीक्षा महानिदेशक
(उद्योग और कॉर्पोरेट कार्य)
नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 26 नवंबर, 2024


COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2024

The preparation of financial statements of National Handloom Development Corporation Limited for the year ended 31 March 2024 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013(Act) is the responsibility of the management of the Company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 30 September 2024.

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of National Handloom Development Corporation Limited for the year ended 31 March 2024 under section 143(6) (a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit, nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

**For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India**



**(Vinita Mishra)
Director General of Audit
(Industry & Corporate Affairs)
New Delhi**

Place: New Delhi

Date: 26 NOV 2024

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
31 मार्च 2024 के अनुसार बैलेंस शीट

(रुपये लाख में)

	विवरण	नोट सं.	31.03.2024 के अनुसार	31.03.2023 के अनुसार
	1	2	3	4
I.	इक्विटी और देयताएं			
1	शेयरधारक की निधियां			
क)	शेयर पूंजी	2	1,900.00	1,900.00
ख)	रिजर्व और अधिशेष	3	6,620.33	6,262.72
2	गैर-चालू देयताएं			
क)	दीर्घकालिक प्रावधान	4	418.43	391.92
3	चालू देनदारियां			
क)	व्यापार देनदारियां	5		
i	सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया		2,984.24	3,412.68
	सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य		27,751.67	28,330.56
ii	लेनदारों का कुल बकाया			
ख)	अन्य चालू देनदारियां (कॉपेस)	6	10,420.11	13,042.71
ग)	अन्य चालू देनदारियां	7	8,316.19	8,401.34
घ)	अल्पकालिक प्रावधान	8	1,581.41	1,574.91
	कुल		59,992.38	63,316.84
II.	परिसंपत्तियां			
1	गैर चालू संपत्तियां			
क)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति			
i)	संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	9	4,166.41	1,114.08
ii)	अमूर्त संपत्ति	10	11.49	17.06
ख)	आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	11	338.61	322.44
ग)	लंबी अवधि के ऋण और अग्रिम	12	-	-
घ)	अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	13	6.94	3.08
2	वर्तमान संपत्ति			
क)	माल सूची	14	372.95	258.04
ख)	व्यापार प्राप्य	15	28,053.21	29,027.65
ग)	नकद और नकदी के समकक्ष	16	9,736.22	12,067.63
घ)	अल्पावधि ऋण और अग्रिम	17	8,228.92	8,680.69
ड)	अन्य मौजूदा परिसंपत्तियां (कॉपेस)	18	8,763.62	11,383.61
च)	अन्य मौजूदा परिसंपत्तियां	19	314.01	442.56
	कुल		59,992.38	63,316.84

संलग्न नोट 1 से 38 वित्तीय लेखाओं का अभिन्न अंग हैं।

निदेशक मण्डल की ओर से

ह/-,
जितेंद्र वी. पुरोहित
उप महाप्रबंधक
(वित्त एवं लेखा/सी.एफ.ओ)

ह/-,
रीता प्रेम हेमराजानी
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन - 0009478824

ह/-
बीना महादेवन
अध्यक्ष
डीआईएन सं. 0009478824

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एमबी गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
एफआरन नं.006928N

दिनांक: 30 सितंबर 2024
स्थान: नई दिल्ली

भागीदार : जगदीश गुप्ता
स. नं. 525377

यूडीआईएन: 24525377BKAMDM1307

NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2024

(Rs. In Lakhs)

	PARTICULARS	NOTE NO.	As at 31-03-2024	As at 31-03-2023
	1	2	3	4
I.	EQUITY AND LIABILITIES			
1	Shareholder's funds			
a)	Share Capital	2	1,900.00	1,900.00
b)	Reserves and Surplus	3	6,620.33	6,262.72
2	Non- current liabilities			
a)	Long term provisions	4	418.43	391.92
3	Current liabilities			
a)	Trade payables	5		
	-total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises		2,984.24	3,412.68
	-total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises		27,751.67	28,330.56
b)	Other current liabilities (Corpus)	6	10,420.11	13,042.71
c)	Other current liabilities	7	8,316.19	8,401.34
d)	Short term provisions	8	1,581.41	1,574.91
	TOTAL		59,992.38	63,316.84
II.	ASSETS			
1	Non current assets			
a)	Property, Plant and Equipment and Intangible Assets			
i)	Property, Plant and Equipment	9	4,166.41	1,114.08
ii)	Intangible assets	10	11.49	17.06
b)	Deferred tax Assets (Net)	11	338.61	322.44
c)	Long term loans and advances	12	-	-
d)	Other non current assets	13	6.94	3.08
2	Current assets			
a)	Inventories	14	372.95	258.04
b)	Trade receivable	15	28,053.21	29,027.65
c)	Cash and bank balances	16	9,736.22	12,067.63
d)	Short term loans and advances	17	8,228.92	8,680.69
e)	Other current assets (Corpus)	18	8,763.62	11,383.61
f)	Other current assets	19	314.01	442.56
	TOTAL		59,992.38	63,316.84

The accompanying Notes 1 to 38 form an integral part of Financial Statements.

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-
Jitendra V Purohit
DGM(F&A)/CFO

Sd/-
Rita Prem Hemrajani
Managing Director
DIN No. – 0009478824

Sd/-
Beena Mahadevan
Chairperson
DIN No. - 03483417

As per our Report of even date
For M. B. Gupta & Co.
Chartered Accountants
F.R. No. : 006928N

Date: 30 September 2024
Place: New Delhi

Jagdish Gupta : Partner
M. No. : 525377
UDIN: 24525377BKAMDM1307

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(रुपये लाख में)

विवरण	नोट सं.	वित्त वर्ष 2023-24 (01-04-2023 जव 31-03-2024) के लिए	वित्त वर्ष 2022-23 (01-04-2022 जव 31-03-2023) के लिए
I. (क) कार्य संचालनों से प्राप्त राजस्व	20	1,22,676.69	1,16,948.44
(ख) यार्न आपूर्ति योजना/कच्ची सामग्रीआपूर्ति योजना के अंतर्गत व्यय की प्रतिपूर्ति के निमित्त सहायता अनुदान	20	4,670.49	4,220.42
II. अन्य आय	21	831.57	1,021.84
III. कुल राजस्व (I+II)		1,28,178.75	1,22,190.70
IV. व्यय:			
व्यापार में स्टॉक की खरीद	22	1,22,596.54	1,16,730.37
परिवहन/डिपो प्रभारों की प्रतिपूर्ति	23	2,291.58	1,994.62
व्यापार में सूची/स्टॉक में परिवर्तन	24	(114.91)	(34.94)
कर्मचारी लाभ संबंधी व्यय	25	1,919.62	1,983.35
वित्तीय लागत	26	-	-
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	9 & 10	48.75	51.06
अन्य व्यय	27	884.50	815.15
कुल व्यय		1,27,626.08	1,21,539.60
V. आपवादिक और असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ (III-IV)		552.67	651.10
VI. आपवादिक मदें	28	-	0.50
VII. असाधारण मदों और कर से पहले लाभ (V-VI-VII)		552.67	650.60
VIII. असाधारण मदें		-	-
IX. कर पूर्व लाभ (VIII-IX)		552.67	650.60
X. कर व्यय:			
1 वर्तमान कर (विगत वर्ष)	29	(61.65)	-
2 वर्तमान कर (प्रावधान)	29	83.68	105.76
3 आस्थगित कर-चालू वर्ष	11	(16.17)	23.35
XII. निरंतर संचालन से अवधि के दौरान लाभ (हानि) (X-XI)		546.82	521.49
XIII. परिचालन बंद करने से लाभ/हानि		-	-
XIV. परिचालन बंद करने का कर व्यय		-	-
XV. परिचालन बंद करने से लाभ/(हानि) (कर पश्चात) (XIII-XIV)		-	-
XVI. उक्त अवधि के लिए लाभ (हानि) (XII + XV)		546.82	521.49
XVII. (i) प्रति इक्विटी शेयर आय (असाधारण मदों से पूर्व)			
(1) मूलभूत		28.78	27.45
(2) मिश्रित		28.78	27.45
(ii) प्रति इक्विटी शेयर आय (असाधारण मदों के पश्चात)			
(1) मूलभूत		28.78	27.45
(2) मिश्रित		28.78	27.45

संलग्न नोट 1 से 38 वित्तीय लेखाओं का अभिन्न अंग हैं।

निदेशक मण्डल की ओर से

ह/-
जितेंद्र वी. पुरोहित
उप महाप्रबंधक
(वित्त एवं लेखा/सी.एफ.ओ)

ह/-
रीता प्रेम हेमराजानी
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन - 0009478824

ह/-
बीना महादेवन
अध्यक्ष
डीआईएन सं. 0009478824

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एमबी गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
एफआरन नं.006928N

दिनांक: 30 सितंबर 2024
स्थान: नई दिल्ली

भागीदार : जगदीश गुप्ता
स. नं. 525377

यूडीआईएन: 24525377BKAMDM1307

NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2024

(Rs. In Lakhs)

	PARTICULARS	NOTE NO.	For FY 2023-24 (01-04-2023 to 31-03-2024)	For FY 2022-23 (01-04-2022 to 31-03-2023)
I. (a)	Revenue from operations	20	1,22,676.69	1,16,948.44
(b)	Grant in-aid against reimbursement of expenditure under Yarn Supply Scheme/Raw Material Supply Scheme	20	4,670.49	4,220.42
II.	Other Income	21	831.57	1,021.84
III.	Total Income (I+II)		1,28,178.75	1,22,190.70
IV.	Expenses:			
	Purchases of stock in trade	22	1,22,596.54	1,16,730.37
	Reimbursement of Transportation/depot charges	23	2,291.58	1,994.62
	Changes in inventories/stock in trade	24	(114.91)	(34.94)
	Employee benefits expenses	25	1,919.62	1,983.35
	Finance costs	26	-	-
	Depreciation and amortization expenses	9 & 10	48.75	51.06
	Other expenses	27	884.50	815.15
	Total Expenses		1,27,626.08	1,21,539.60
V.	Profit before exceptional and extraordinary items and tax (III-IV)		552.67	651.10
VI.	Exceptional items	28	-	0.50
VIII.	Profit before extraordinary items and tax (V-VI-VII)		552.67	650.60
IX	Extraordinary Items		-	-
X	Profit before tax (VIII- IX)		552.67	650.60
XI	Tax expense:			
1	Current Tax (Previous year)	29	(61.65)	-
2	Current Tax (Provision)	29	83.68	105.76
3	Deferred Tax -Current Year	11	(16.17)	23.35
XII.	Profit / (Loss) for the year from continuing operations (X - XI)		546.82	521.49
XIII.	Profit / (Loss) from discontinuing operations		-	-
XIV.	Tax expenses of discontinuing operations		-	-
XV.	Profit / (Loss) from discontinuing operations (after tax) (XIII-XIV)		-	-
XVI.	Profit / (Loss) for the year (XII + XV)		546.82	521.49
XVII. (i)	Earnings per equity share (Before extra ordinary items)			
(1)	Basic		28.78	27.45
(2)	Diluted		28.78	27.45
(ii)	Earnings per equity share (After extra ordinary items)			
(1)	Basic		28.78	27.45
(2)	Diluted		28.78	27.45

The accompanying Notes 1 to 38 form an integral part of Financial Statements.

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-
Jitendra V Purohit
DGM(F&A)/CFO

Sd/-
Rita Prem Hemrajani
Managing Director
DIN No. – 0009478824

Sd/-
Beena Mahadevan
Chairperson
DIN No. - 03483417

As per our Report of even date
For M. B. Gupta & Co.
Chartered Accountants
F.R. No. : 006928N

Date: 30 September 2024
Place: New Delhi

Jagdish Gupta : Partner
M. No. : 525377
UDIN: 24525377BKAMDM1307

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण'

(रुपये लाख में)

	विवरण	2023-24	2022-23
(क)	प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	कर पूर्व लाभ	552.67	650.60
	समायोजन :		
i	मूल्यहास	48.75	51.06
ii	विकासात्मक गतिविधियों पर व्यय/संबंधित निधि पर प्रभारित चिकित्सा कोष	(32.76)	(34.94)
iii	वर्ष के दौरान वापस लिखा गया प्रावधान	(53.42)	(157.42)
iv	बैंक/वाहन ऋण/अन्य से ब्याज	(563.32)	(717.90)
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ	(48.08)	(208.60)
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन (नकद और बैंक शेष को छोड़कर)		
	वृद्धि/कमी:		
i	मालसूची	(114.91)	(34.94)
ii	बुक-ऋण	978.09	2,786.71
iii	ऋण एवं अग्रिम	451.77	278.69
iv	प्राप्य	128.55	(3,630.79)
v	व्यापार एवं अन्य देयता	(910.58)	(1,459.06)
	प्रचालनों से प्राप्त नकद	484.84	(2,267.98)
	घटाएं : आयक भुगतान/देय	(127.61)	(120.07)
	परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (क)	357.23	(2,388.04)
(ख)	निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
i	अचल संपत्तियों की बिक्री	0.63	-
ii	अचल संपत्तियों/डब्ल्यूआईपी में वृद्धि	(3,096.14)	(18.23)
iii	बैंक/वाहन ऋण/अन्य से ब्याज	563.32	717.90
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (ख)	(2,532.19)	699.68
(ग)	वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
i	लाभांश का भुगतान	(156.45)	-
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (ग)	(156.45)	-
(घ)	नकद और नकद समतुल्य में शुद्ध परिवर्तन (क+ख+ग)	(2,331.41)	(1,688.36)
(ङ.)	नकद और नकद समकक्ष-प्रारंभिक शेष राशि	12,067.63	13,755.99
(च)	कुल	9,736.22	12,067.63
(छ)	नकद और नकद समतुल्य- अंतिम शेष	9,736.22	12,067.63
	नकद और नकद समकक्ष दर्शाना:		
1	रोकड़ शेष	-	-
2	चालू और सावधि जमा खाते में बैंकों में शेष राशि	9,736.22	12,067.63
	कुल	9,736.22	12,067.63

टिप्पणी: 1. आईसीएआई द्वारा जारी एएस-3 में निर्धारित अप्रत्यक्ष पद्धति के तहत नकद प्रवाह विवरण तैयार किया गया है।
2. संलग्न नोट 1 से 38 वित्तीय लेखाओं का अभिन्न अंग हैं।
3. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां भी लागू हो, पुनः एकत्रित/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

निदेशक मण्डल की ओर से

ह/-
जितेंद्र वी. पुरोहित
उप महाप्रबंधक
(वित्त एवं लेखा/सी.एफ.ओ)

ह/-
रीता प्रेम हेमराजानी
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन - 0009478824

ह/-
बीना महादेवन
अध्यक्ष
डीआईएन सं. 0009478824

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एमबी गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
एफआरन नं.:006928N

दिनांक: 30 सितंबर 2024
स्थान: नई दिल्ली

भागीदार : जगदीश गुप्ता
स. नं. 525377
यूडीआईएन: 24525377BKAMD1307

NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LTD
CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024

(Rs. in lakhs)

PARTICULARS	For FY 2023-24 (01-04-2023 to 31-03-2024)	For FY 2022-23 (01-04-2022 to 31-03-2023)
(A) CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
Profit before tax	552.67	650.60
Adjustments :		
i Depreciation	48.75	51.06
ii Expenditure on developmental activities/medical corpus charged to relevant fund	(32.76)	(34.94)
iii Provision written back during the year	(53.42)	(157.42)
iv Interest from bank/ vehicle loan/ others	(563.32)	(717.90)
OPERATING PROFIT BEFORE WORKING CAPITAL CHANGES	(48.08)	(208.60)
CHANGES IN WORKING CAPITAL (Excluding Cash & Bank Balances)		
Increase/Decrease in:		
i Inventories	(114.91)	(34.94)
ii Book-debts	978.09	2,786.71
iii Loans & Advances	451.77	278.69
iv Receivables	128.55	(3,630.79)
v Trade & other Payables	(910.58)	(1,459.06)
Cash Generated from Operations	484.84	(2,267.98)
Less : Income Tax paid/Payable	(127.61)	(120.07)
NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	357.23	(2,388.04)
(B) CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
i Sale of Fixed Assets	0.63	-
ii Addition to Fixed Assets/W.I.P	(3,096.14)	(18.23)
iii Interest from bank/ vehicle loan/ others	563.32	717.90
NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	(2,532.19)	699.68
(C) CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
i Payment of Dividend	(156.45)	-
NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	(156.45)	-
(D) NET CHANGES IN CASH AND BANK BALANCE (A+B+C)	(2,331.41)	(1,688.36)
(E) CASH AND BANK BALANCE- OPENING	12,067.63	13,755.99
(F) TOTAL	9,736.22	12,067.63
(G) CASH AND BANK BALANCE- CLOSING	9,736.22	12,067.63
Cash & Bank Balance represent :		
1 Cash in Hand	-	-
2 Balance with Banks in Current & Fixed deposit Account	9,736.22	12,067.63
Total	9,736.22	12,067.63

Notes :

- Cash flow statement has been prepared under the indirect method as set out in the AS-3, issued by the ICAI.
- The accompanying Notes 1 to 38 form an integral part of Financial Statements.
- Previous year's figures have been regrouped/ re-classified wherever applicable.

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-
Jitendra V Purohit
DGM(F&A)/CFO

Sd/-
Rita Prem Hemrajani
Managing Director
DIN No. – 0009478824

Sd/-
Beena Mahadevan
Chairperson
DIN No. - 03483417

As per our Report of even date
For M. B. Gupta & Co.
Chartered Accountants
F.R. No. : 006928N

Date: 30 September 2024
Place: New Delhi

Jagdish Gupta : Partner
M. No. : 525377
UDIN: 24525377BKAMDM1307

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

(क) इक्विटी शेयर पूंजी		(लाख रु. में)	
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि	
1,900.00	-	1,900.00	

(ख) अन्य इक्विटी		(लाख रु. में)							
लघित आर्बटन में शेयर आवेदन की धनराशि	मिश्रित वित्तीय साधनों का इक्विटी घटक	रिजर्व और शेष	अन्य व्यापक आय से ऋण साधन	कैश प्लो हेजेज पर प्रभावी मांग	पुनर्मुल्यांकन अधिशेष	विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरणों का परिवर्तित करने पर वित्तीय मतभेद	अन्य व्यापक आय की अन्य मदें (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	शेयर वारंट के निरुद्ध प्राप्त धन	कुल
		पूंजी रिजर्व	प्रतिभूति प्रीभियम रिजर्व	विकास क्रियाकलाप और धिकित्सा कार्पस के लिए अन्य रिजर्व (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	प्रतिधारित आय				
-	-	-	-	69.84	6,192.87	-	-	-	6,262.71
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	156.45	-	-	-	156.45
-	-	-	-	10.94	546.82	-	-	-	557.75
-	-	-	-	32.76	10.94	-	-	-	43.70
-	-	-	-	48.02	6,572.30	-	-	-	6,620.32

संलग्न नोट 1 से 38 वित्तीय लेखाओं का अभिन्न अंग है।

निदेशक मण्डल की ओर से

ह/-
जितेंद्र वी. पुरोहित
उप महाप्रबंधक
(वित्त एवं लेखा/सी.एफ.ओ)

ह/-
रीता प्रेम हेमराजानी
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन - 0009478824

ह/-
बीना महादेवन
अध्यक्ष
डीआईएन सं. 0009478824
समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एमबी गुप्ता एंड कंपनी
चाटर्ड एकाउन्टेंट्स
एफआरएन नं.006928N

दिनांक: 30 सितंबर 2024
स्थान: नई दिल्ली

भागीदार : जगदीश गुप्ता
सं. नं. 525377
यूडीआईएन: 24525377BKAMD1307

NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LTD, LUCKNOW
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2024

(A) Equity Share Capital (Amount in Rs. Lakhs)

Balance at the beginning of the reporting period	Balance at the end of the reporting period
1,900.00	1,900.00
-	-

(B) Other Equity (Rs. in Lakhs)

	Share application money pending allotment	Equity component of compound financial instruments	Reserves and Surplus				Debt instruments through other Comprehensive income	Effective portion on Cash Flow Hedges	Revaluation Surplus	Exchange differences on translating the financial statements of a foreign operation	Other items of other comprehensive Income (specify nature)	Money received against share warrants	Total
			Capital Reserve	Securities Premium Reserve	Other Reserves (specify nature) Reserve for Development Activity and Medical Corpus	Retained earnings							
Balance at the beginning of the reporting period	-	-	-	69.84	6,192.87	-	-	-	-	-	-	6,262.71	
Changes in accounting policy of prior period errors	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Restated balance at the beginning of the reporting period	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Comprehensive Income for the year	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dividends	-	-	-	-	156.45	-	-	-	-	-	-	156.45	
Transfer to retained earnings	-	-	-	10.94	546.82	-	-	-	-	-	-	557.75	
Any other change (to be specified)	-	-	-	32.76	10.94	-	-	-	-	-	-	43.70	
Balance at the end of the reporting period	-	-	-	48.02	6,572.30	-	-	-	-	-	-	6,620.32	

The accompanying Notes 1 to 38 form an integral part of Financial Statements.

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-
Jitendra V Purohit
DGM(F&A)/CFO

Sd/-
Rita Prem Hemrajani
Managing Director
DIN No. – 0009478824

Sd/-
Beena Mahadevan
Chairperson
DIN No. - 03483417

As per our Report of even date
For M. B. Gupta & Co.
Chartered Accountants
F.R. No. : 006928N

Date: 30 September 2024
Place: New Delhi

Jagdish Gupta : Partner
M. No. : 525377
UDIN: 24525377BKAMD1307

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

1. महत्वपूर्ण लेखाकरण पद्धतियाँ:

i लेखा तैयार करने का आधार :

वित्तीय वक्तव्य भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों (जीएएपी) का अनुपालन करने के लिए तैयार किए गए हैं, जिसमें कंपनी अधिनियम 2013 के तहत अधिसूचित लेखाकरण मानक के संबंधित प्रावधानों भी शामिल हैं। वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत पद्धतियों के अंतर्गत प्रोद्भूत आधार पर तैयार किए गए हैं। लेखांकन नीतियों को कंपनी द्वारा नियमित रूप से लागू किया गया है, सिवाय इसके कि किसी नए जारी लेखांकन-मानक को हाल ही में अपनाया गया हो या किसी मौजूदा लेखांकन-मानक के संशोधन से अब तक उपयोग में आ रही किसी भी लेखांकन-नीति में परिवर्तन की आवश्यकता है, या अन्यथा प्रकट किया गया है।

ii संपत्ति, संयंत्र और उपकरण :

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (मूर्त परिसंपत्तियाँ) अधिग्रहण की लागत पर बताए गए हैं (आंतरिक माल-भाड़ा, कर या किसी खरीद/निर्माण/संस्थापना से संबंधित हुये आकस्मिक व्यय को जोड़कर, एवं जीएसटी इनपुट क्रेडिट को छोड़कर संचित मूल्यह्रास और क्षति, यदि कोई हो)। 5,000 रुपये से कम मूल्य की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद और अधिग्रहण की तारीख से 12 महीने से कम समय में उपयोग होने वाले को राजस्व व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। पूंजीगत कार्य-प्रगति में वह संपत्ति, संयंत्र और उपकरण भी शामिल है जो अभी तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) की तारीख तक उपयोग हेतु पूर्णतः तैयार नहीं हैं किन्तु प्रत्यक्ष लागत का मूल्य निर्धारित करती है, अन्य संबंधित आकस्मिक व्यय और प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लागतें।

सॉफ्टवेयर (अमूर्त परिसंपत्तियाँ) को उनके स्थायी उपयोगी जीवन कार्यकाल के आधार पर यथोचित मूल्यांकन करने के बाद पूंजीकृत किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के निपटान पर आए लाभ और हानि को लाभ-हानि विवरण में स्वीकृत किया गया है।

iii मूल्यह्रास:

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर मूल्यह्रास का आंकलन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-11 में विनिर्दिष्ट संपत्ति की उपयोग हेतु जीवनकाल की सरल रेखा पद्धति के द्वारा किया जाता है। वर्ष के दौरान खरीदे गए/बिक्री किए गए संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर हुये मूल्यह्रास को मासिक आधार पर आनुपातिक रूप से प्रभारित किया जाता है। वर्ष के दौरान खरीदी गई अचल परिसंपत्तियाँ जिनकी लागत 5000 रुपये से अधिक न हो, उनका मूल्यह्रास 100% की दर पर किया जाता है। सॉफ्टवेयर का मूल्यह्रास 10 वर्षों की अनुमानित उपयोगी जीवनकाल के बाद माना गया है।

iv परिसंपत्तियों की क्षति:

किसी परिसंपत्ति की क्षति तब होती है जब परिसंपत्ति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक है। एक क्षति को उस वर्ष के लाभ और हानि लेखा के विवरण में प्रभारित किया जाता है, जिस वर्ष में किसी परिसंपत्ति की पहचान की जाती है। पूर्व लेखा-अवधियों में पहचानी गयी परिसंपत्ति क्षति को, वसूली योग्य अनुमानित राशि में परिवर्तन आने पर उलट दिया जाता है।

v अनुदान:

सहायता अनुदानों के सापेक्ष व्यय विशिष्ट प्रयोजनों के संबंध में किए गए हैं और उन्हें सरकार से प्राप्त विशिष्ट अनुदान के अनुसार समायोजित किया गया है। सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान/प्राप्तियों को इसके अंतिम संग्रह की निश्चितता को ध्यान में रखते हुए प्रोद्भूत आधार पर स्वीकार किया जाता है।

vi माल सूची:

स्टॉक का मूल्य निर्धारण लागत मूल्य पर या शुद्ध वसूली मूल्य पर, जो भी न्यूनतम हो, के आधार पर किया जाता है। विक्रय वापसी के कारण या अन्य किसी कारण मार्गस्थ माल को खरीद मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है।

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2024

1. SIGNIFICANT ACCOUNTS POLICIES

i. Basis of preparation of Accounts:

The financial statements have been prepared to comply with the Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAPs), including the Accounting Standards notified under the relevant provisions of the Companies Act, 2013. The financial statements have been prepared under the historical cost convention on an accrual basis. The accounting policies have been consistently applied by the company, except where a newly issued accounting standard is initially adopted or a revision to an existing accounting standard requires a change in the accounting policy hitherto in use, or as otherwise disclosed.

ii. Property, Plant & Equipment:

Property, Plant and Equipment (Tangible Assets) are stated at cost of acquisition (inclusive of inward freight, taxes and incidental expenses related to purchase/construction/ installation and exclusive of GST input credit less accumulated depreciation and impairment loss, if any. Purchase of Property, Plant and Equipment less than Rs. 5,000 and/or having useful life of less than 12 months from the date of acquisition are recognized as revenue expenditure. Capital work-in-progress comprises cost of Property, Plant and Equipment that are not yet ready for their intended use at the balance sheet date and are carried at cost comprising direct cost, related incidental expenses and other directly attributable costs.

The software (Intangible Assets) is capitalized where it is reasonably estimated that the software has an enduring useful life.

Profit or loss on disposal of property, plant & equipment is recognized in the Statement of Profit & Loss.

iii. Depreciation:

Depreciation on Property, Plant and Equipment is provided on straight-line method as per useful life of the assets specified in Schedule II of the Companies Act, 2013. Depreciation on Property, Plant and Equipment purchased/ sold during the year is proportionately charged on monthly basis. Software is depreciated over an estimated useful life of 10 years.

iv. Impairment of Assets:

An asset is impaired when the carrying amount of the asset exceeds its recoverable amount. An impairment loss is charged to Statement of Profit and Loss Account in the year in which an asset is identified as impaired. An impairment loss recognized in prior accounting periods is reversed if there has been a change in the estimate of recoverable amount.

v. Grants:

The expenses against Grants-in-aid have been incurred on specific purposes and are adjusted accordingly in specific grant received from Government. Grants/ Receivable from Government are recognized on accrual basis keeping in view the certainty of its ultimate collection.

vi. Inventories:

The valuation of stocks is at cost or net realizable value, whichever is lower. Goods-in-transit due to sales return or otherwise are valued at purchase price.

vii नकदी और नकदी समतुल्य:

नकदी प्रवाह विवरण में प्रस्तुति के उद्देश्य से, नकदी और नकदी समतुल्य में हाथ में नकदी, वित्तीय संस्थानों के पास कॉल पर रखी गई जमाराशियाँ, तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता वाले अन्य अल्पकालिक अत्यधिक लिक्विड निवेश शामिल हैं जो आसानी से नकदी की ज्ञात मात्रा में परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं।

viii राजस्व अभिज्ञान:

यार्न, रंग-रसायन और फ़ैब्रिक की बिक्री का आंकलन, ग्राहकों को प्रेषित उत्पादों के आधार पर किया जाता है। बिक्री का खुलासा शुद्ध जीएसटी, तथा आवृत्ति/अस्वीकृति के आधार पर किया जाता है।

ब्याज की आय को बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए समय-अनुपात के आधार पर स्वीकार किया गया है।

ix व्यय का वर्गीकरण:

सभी व्यय और आय का लेखांकन साधारण लेखा शीर्ष के अंतर्गत किया जाता है। जहां भी आवश्यक हुआ है, वहां कार्यात्मक आधार पर व्यय का आवंटन किया गया है।

x अतिदेय बिलों पर ब्याज:

अतिदेय बिलों पर विलंबित भुगतानों के लिए ब्याज उनके लिए तय की गई क्रेडिट की शर्तों के अनुसार प्रदान किया गया है। जो अतिदेय ब्याज वसूले नहीं हुये हैं उन्हें आस्थगित उपार्जित ब्याज के रूप में दर्शाया गया है।

xi वित्त शुल्क:

रंग एवं रसायनों के ग्राहकों हेतु लगाए गए वित्त शुल्क को उसके अंतिम संग्रह में अनिश्चितता को देखते हुए "प्राप्ति के आधार पर राजस्व" के रूप में स्वीकार किया गया है।

xii सेवानिवृत्ति के लाभों का लेखाकरण:

- (क) एएस-15 के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेच्युटी के प्रति देयता प्रदान की जाती है।
- (ख) एएस-15 के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर अवकाश नकदीकरण के प्रति देयता प्रदान की जाती है।
- (ग) निगम के नियमों के अनुसार अवकाश यात्रा रियायत को अनुमति दी जाती है और उस वर्ष के खातों में प्रविष्टि की जाती है जिसमें कर्मचारियों द्वारा इसका लाभ उठाया जाता है।

xiii पूर्व अवधि संबंधी समायोजन:

पूर्व अवधि संबंधी समायोजन, मूलभूत त्रुटियों और चूक के सुधार किए जाने से पूर्व अवधि के लिए लागू प्रयोज्य समायोजन हैं।

xiv विकास क्रियाकलापों के लिए आरक्षित:

भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से अतिरिक्त व्यय सहित अपने स्वयं के स्रोतों से निगम द्वारा विकासात्मक क्रियाकलापों पर किए गए व्यय को सीधे विकासात्मक क्रियाकलापों के लिए आरक्षित (रिजर्व) से प्रभारित किया जाता है, जिन्हें निगम के लाभ से बाहर विनियोजित किया गया है।

vii. Cash and cash equivalents:

For the purpose of presentation in the Cash Flow Statement, Cash and cash equivalents include cash on hand, deposits held at call with financial institutions, other short-term highly liquid investments with original maturities of three months or less that are readily convertible into known amounts of cash and which are subject to an insignificant risk of changes in value.

viii. Revenue Recognition:

Sales of yarn, dyes & chemical and fabrics are accounted on dispatch of products to customers. Sales are disclosed net of GST and returns/ rejections.

Interest income is recognized on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the rate applicable.

ix. Classification of Expenditure:

All expenses and Incomes are accounted for under natural heads of account. Wherever necessary, allocation of expenditure on the functional basis has been made.

x. Interest on Overdue bills:

Interest on overdue bills has been provided for delayed payments as per terms of credit decided with them. The unrealized overdue interest is shown as Deferred Accrued Interest.

xi. Finance Charge:

Finance charges levied on customers of Dyes & Chemicals are recognized as revenue on receipt basis in view of uncertainty in its ultimate collection.

xii. Accounting of Retirement Benefits:

- (a) Liability towards Gratuity is provided based on the actuarial valuation as per AS-15.
- (b) Liability towards Leave Encashment is provided based on the actuarial valuation as per AS-15.
- (c) Leave travel concession is allowed as per rules of the corporation and booked in accounts in the year in which it is availed by the employees.

xiii. Prior Period Adjustments:

Prior Period Adjustments are those adjustments applicable to prior periods arising from correction of fundamental errors & omissions.

xiv. Reserve for Developmental Activities:

Expenditure incurred by the Corporation on developmental activities from its own sources including expenditure incurred over and above the grant-in-aid received from Government of India are charged to Reserve for Developmental Activities directly which have been appropriated out of profits of the Corporation.

xv संदिग्ध ऋणों का प्रावधान:

तीन वर्ष से अधिक समय से बकाया गैर-कॉर्पस विविध देनदारों के बेकार और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान नहीं किया गया है, जिनके विरुद्ध समान राशि के लेनदारों के पास बकायाध्देय राशि है।

3 वर्षों से अधिक समय से बकाया विभिन्न देनदारों के बेकार और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

xvi खंड-वार (सेगमेंट) लेखाकरण नीति:

खण्ड-वार लेखाकरण नीतियां निगम की लेखाकरण नीतियों के अनुरूप हैं। तथापि, खण्ड रिपोर्टिंग के लिए निम्नलिखित विशिष्ट लेखाकरण नीतियों का पालन किया गया है:

खण्ड राजस्व में अंतर-खण्ड राजस्व सहित सेगमेंट के लिए निर्धारित/आवंटित किए जाने योग्य बिक्री और अन्य आय सम्मिलित है। जो आय पूर्णतया निगम से संबंधित है और खण्ड के लिए आवंटित किए जाने योग्य नहीं है, उनको 'अन्य गैर-आवंटन योग्य आय' में सम्मिलित किया जाता है।

जो व्यय सीधे खण्ड के लिए निर्धारित/आवंटित किए जाने योग्य है, उन्हें खण्ड परिणाम के निर्धारण के लिए लिए विचार किया जाता है। जो व्यय पूर्णतया निगम से संबंधित है और खण्ड के लिए आवंटित किए जाने योग्य नहीं है, उनको 'अन्य गैर-आवंटन योग्य व्यय' में सम्मिलित किया जाता है।

खण्ड परिसंपत्तियों और देनदारियों में संबंधित खण्डों के साथ सीधे तौर पर अभिज्ञेय शामिल हैं। गैर-आवंटन योग्य निगमित संपत्ति और देनदारियां उन परिसंपत्तियों और देनदारियों को प्रदर्शित करती हैं जो पूर्णतया निगम से संबंधित हैं और किसी भी खण्ड के लिए आवंटित किए जाने योग्य नहीं हैं।

xvii आय पर कर:

चालू अवधि के लिए आय कर का निर्धारण, आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार और मूल्यांकनों/अपीलों के संभावित परिणामों के आधार पर परिकल्पित कर-योग्य आय और जमा कर के आधार पर किया जाता है।

किसी वर्ष में भुगतान किया गया न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) को वर्तमान कर के रूप में लाभ और हानि विवरण पर प्रभाषित किया जाता है। कंपनी केवल इस हद तक एक परिसंपत्ति के रूप में उपलब्ध मैट क्रेडिट को मान्यता देती है कि इस बात के ठोस सबूत हैं कि कंपनी निर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान करेगी, यह वह अवधि है जिसके लिए मैट क्रेडिट को आगे ले जाने की अनुमति दी जाती है।

लेखाकरण आय और कर योग्य आय के समयान्तराल हेतु आस्थगित कर का निर्धारण उस वर्ष की कर-दरों और कर-कानूनों का उपयोग करके रखा जाता है जो तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) की तिथि पर अधिनियमित है या प्रभावित रूप से अधिनियमित की गई हो। समयान्तराल के द्वारा उत्पन्न परिसंपत्ति पर आस्थगित कर को इस हद तक मान्यता दी जाती है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी।

xviii अनुमानों का उपयोग:

वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आंकलन और अनुमानों की आवश्यकता होती है, जो वित्तीय वक्तव्य की तारीख को परिसंपत्तियों और देनदारियों की कथित राशि और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की कथित राशि को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि में मान्यता दी गई है जिसमें परिणाम ज्ञात/भौतिककृत होते हैं।

xv. Provision of doubtful debts:

Provision for bad and doubtful debts of non-corpus sundry debtors outstanding for more than three years against which creditors of same amount is outstanding/payables are not provided for.

Provision for bad and doubtful debts of corpus sundry debtors outstanding for more than 3 years are not provided for.

xvi. Segment Accounting Policy:

Segment Accounting policies are in line with the accounting policies of the corporation. However, the following specific accounting policies have been followed for segment reporting:

Segment Revenue includes sales and other income directly identifiable with/ allocable to the segments including inter-segment revenue. The income, which relate to the corporation as a whole and not allocable to the segments is included in "Other Un-allocable Income".

Expenses that are directly identifiable with/ allocable to the segments are considered for determining the segments result. The expenses, which relate to the corporation as a whole and not allocable to the segments are included under "Other Un-allocable Expenditure".

Segment assets and liabilities include those directly identifiable with the respective segments. Un-allocable corporate assets and liabilities represent the assets and liabilities that relate to the corporation as a whole and not allocable to any segment.

xvii. Taxes on Income:

Tax income for the current period is determined on the basis of taxable income and tax credits computed in accordance with the provisions of Income Tax Act 1961 and based on the expected outcome of assessments/ appeals.

Minimum Alternate Tax (MAT) paid in a year is charged to the Statement of Profit and Loss as current tax. The Company recognizes MAT credit available as an asset only to the extent that there is convincing evidence that the company will pay normal income tax during the specified period, i.e. the period for which MAT credit is allowed to be carried forward.

Deferred tax for timing difference between the book profits and taxable income for the year is accounted using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the Balance Sheet date. Deferred tax asset arising from the timing difference is recognized to the extent there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available.

xviii. Use of estimates:

The preparation of financial statements requires estimates and assumptions to be made that affect the reported amount of assets and liabilities on the date of the financial statements and the reported amount of revenues and expenses during the reporting period. Difference between the actual results and estimates are recognized in the period in which the results are known/ materialized.

xix प्रावधान और आकस्मिक व्यय:

एक प्रावधान को तब मान्यता दी जाती है जब पिछले प्रसंग के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है और यह संभव है कि किसी संसाधन के बहिर्वाह की आवश्यकता उस दायित्व को निपटाने के लिए होगी जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। इनकी प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख पर समीक्षा की जाती है और मौजूदा अनुमानों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है। आकस्मिक देनदारियों का खुलासा इनमें शामिल तथ्य और कानूनी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद किया जाता है।

xix. Provision and Contingencies:

A provision is recognized when there is a present obligation as a result of past event and it is probable that an outflow of a resource will be required to settle the obligation, in respect of which a reliable estimate can be made. These are reviewed at each Balance Sheet date and adjusted to reflect the current estimates. Contingent liabilities are disclosed after an evaluation of the fact and legal aspects of the matter involved.

2 शेयर पूंजी

विवरण		31.03.2022 के अनुसार (लाख रु. में)		31.03.2023 के अनुसार (लाख रु. में)
प्राधिकृत				
20,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 20,00,000 इक्विटी शेयर) प्रत्येक 100/-रु.		2,000.00		2,000.00
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त				
प्रत्येक 100/- रुपये के 18,98,465 इक्विटी शेयर को वि. आ. हथकरघा का कार्यालय के माध्यम से भारत सरकार द्वारा धारित नकद में पूरी तरह से भुगतान किया गया (पिछले वर्ष: प्रत्येक 100/- रुपये के 18,98,465 के इक्विटी शेयर)	1,898.46		1,898.46	
प्रत्येक 100/- रुपये के 1,535 इक्विटी शेयर पूरी तरह से भुगतान के बिना नकद में प्राप्त किया जा रहा है (कंपनी के निगमन व्यय के बदले डीसीएच कार्यालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को आवंटित शेयर (पिछले वर्ष 1,535 इक्विटी शेयर 100/- रुपये के प्रत्येक)	1.54	1,900.00	1.54	1,900.00
कुल		1,900.00		1,900.00

इक्विटी शेयरों से जुड़े नियम/अधिकार

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है जिसका सममूल्य 100 रुपये प्रति शेयर है।

निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश, यदि कोई हो, आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन होगा।

नये शेयरों का निर्गमन, शेयरों का हस्तांतरण, पूंजी की वापसी, शेयरों का उप-विभाजन और समेकन आदि भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन के अधीन हैं।

शेयरों की संख्या का मिलान

शेयरों की संख्या का मिलान

विवरण	31.03.2024 के अनुसार	31.03.2023 के अनुसार
प्रारंभिक इक्विटी शेयर	19,00,000.00	19,00,000.00
जोड़े: शेयरों की संख्या, वर्ष के दौरान जारी शेयर पूंजी/अभिदत्त'	-	-
घटाएँ: कटौती	-	-
शेष जमा राशि	19,00,000.00	19,00,000.00

वर्ष के अंत में प्रमोटर्स की शेयरधारिता और 5 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी रखने वाले शेयरधारकों द्वारा कंपनी में रखे गए शेयरों की संख्या

शेयरधारक का नाम	31.03.2024 के अनुसार		31.03.2023 के अनुसार		परिवर्तित % वर्ष के दौरान
	शेयरों की संख्या	% धारित	शेयरों की संख्या	% धारित	
भारत के राष्ट्रपति	19,00,000	100	19,00,000	100	-

नोट: [भारत के राष्ट्रपति के नामित शेयरधारकों द्वारा धारित 7 शेयर (पिछले वर्ष 7 शेयर) लाभकारी हैं।

2 SHARE CAPITAL

Particulars		As at 31-03-2024 (Rs.in Lakhs)		As at 31-03-2023 (Rs.in Lakhs)
Authorized				
20,00,000 Equity shares (Previous year 20,00,000 Equity shares) of Rs. 100/- each		2,000.00		2,000.00
Issued, Subscribed & Paid-up				
18,98,465 Equity shares of Rs. 100/- each fully paid in cash held by Government of India through DCH office (Previous year: '18,98,465 Equity shares of Rs. 100/- each)	1,898.46		1,898.46	
1,535 Equity shares of Rs. 100/- each fully paid up without payment being received in cash (Shares allotted to The President of India through DCH Office against company's incorporation expenses (Previous year 1,535 equity shares of Rs. 100/- each)	1.54	1,900.00	1.54	1,900.00
TOTAL		1,900.00		1,900.00

Terms / rights attached to equity shares

The Company has only one class of equity shares having a par value of Rs. 100 per share.

Dividend proposed, if any, by Board of Directors is subject to the approval of the shareholders in the ensuing Annual General Meeting.

Issue of new shares, transfer of shares, repayment of Capital, sub division and consolidation of share etc. are subject to approval of the President of India.

Reconciliation of number of shares

Particulars	As at 31-03-2024	As at 31-03-2023
Opening Equity shares	19,00,000.00	19,00,000.00
Add: No. of shares , Share Capital issued /subscribed during the year	-	-
Less: Deduction	-	-
Closing balance	19,00,000.00	19,00,000.00

Shareholding of Promoters and No. of shares in the company held by shareholders holding more than 5 percent at the end of year

Name of the shareholder	As at 31-03-2024		As at 31-03-2023		% Change during the year
	No. of Shares	% holding	No. of Shares	% holding	
President of India	19,00,000	100	19,00,000	100	-

Note: {7 Shares (previous year 7 shares) held by nominee shareholders of the President of India being the beneficial shareholder.}

3 रिजर्व एवं अधिशेष

(रुपये लाख में)

विवरण	31.03.2024 के अनुसार (रु.)	31.03.2023 के अनुसार (रु.)
(क) रिजर्व		
(I) पिछली तुलन-पत्र के अनुसार विकासात्मक कार्यों के लिए रिजर्व	24.62	24.62
जोड़ें : राशि लाभ एवं हानि के विवरण से अंतरित की गई	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
कुल(i)	24.62	24.62
(II) सेवानिवृत्ति के बाद अंतरित की गयी चिकित्सा निधि	45.23	30.16
जोड़ें : लाभ और हानि के विवरण से हस्तांतरित राशि	10.94	50.01
जोड़ें : वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग	32.76	34.94
कुल(ii)	23.41	45.23
कुल(i+ii)	48.03	69.84
(ख) अधिशेष		
पिछली तुलन-पत्र के अनुसार	6,192.87	5,721.38
जोड़ें: लाभ और हानि के विवरण से हस्तांतरित राशि – वर्तमान वर्ष का लाभ	546.82	521.49
घटाएं:-		
लाभांश	156.45	-
लाभांश पर नैगमिक कर	-	-
विकासात्मक गतिविधियों के लिए आरक्षित निधि में अंतरित राशि	-	-
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा कोष में स्थानांतरित राशि	10.94	50.01
अधिशेष (ख)	6,572.30	6,192.87
कुल (क+ख)	6,620.33	6,262.72

- बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कर पश्चात लाभ के 30% की दर से 164.05 लाख रुपये (पिछले वर्ष 156.45 लाख रुपये) का अंतिम लाभांश देने की संस्तुति की है। यह भुगतान वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में शेयरधारक की मंजूरी के अधीन है।
- वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 'सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा कोष' में 10.94 लाख रुपये (पिछले वर्ष 50.00 लाख रुपये) का योगदान दिया गया है। बोर्ड के निर्देशानुसार, उक्त चिकित्सा कोष का उपयोग करके सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 'सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना' के तहत चिकित्सा लाभ की अनुमति दी जाती है।

4. गैर मौजूदा देयताएं – अन्य गैर मौजूदा देयताएं

विवरण	31-03-2024 के अनुसार	31-03-2023 के अनुसार
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	418.43	391.92
कुल	418.43	391.92

एस-15 के अनुसार कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधानों में बदलाव के लिए नोट संख्या 8 देखें।

3 RESERVES & SURPLUS

(Rs. in Lakhs)

	Particulars	As at 31-03-2024	As at 31-03-2023
(A)	RESERVES:		
(I)	Reserve for developmental Activities as per last Balance sheet	24.62	24.62
	Add : Amount transferred from Statement of Profit & Loss	-	-
	Less : Utilization during the year	-	-
	Total(i)	24.62	24.62
(II)	Post Retirement Medical Corpus As per last Balance sheet	45.23	30.16
	Add : Amount transferred from Statement of Profit & Loss	10.94	50.01
	Add : Interest Earned during the year	-	-
	Less: Utilization during the year	32.76	34.94
	Total(ii)	23.41	45.23
	Total(i+ii)	48.03	69.84
(B)	SURPLUS		
	As per last Balance sheet	6,192.87	5,721.38
	Add: Amount transferred from Statement of Profit & Loss-Current year profit	546.82	521.49
	Less:-		
	Dividend	156.45	-
	Amount transferred to reserve for developmental activity	-	-
	Amount transferred to post retirement medical corpus	10.94	50.01
	SURPLUS(B)	6,572.30	6,192.87
	TOTAL (A+B)	6,620.33	6,262.72

- i) The Board has recommended a final dividend of Rs. 164.05 Lakhs (Previous year Rs. 156.45 lakhs) @ 30% of profit after tax for the financial year 2023-24. This payment is subject to the approval of shareholder in the Annual General meeting (AGM).
- ii) An amount of Rs. 10.94 Lakhs (Previous year Rs. 50.00 Lakhs) has been contributed to the "post retirement medical corpus" during FY 2023-24. The medical benefit under "post retirement medical scheme" is allowed to the superannuated employees by utilising the said medical corpus, as per direction of board.

4 NON CURRENT LIABILITIES – LONG TERM PROVISIONS

Particulars	As at 31-03-2024 (Rs. in Lakhs)	As at 31-03-2023 (Rs. in Lakhs)
Provision for Employee Benefits	418.43	391.92
TOTAL	418.43	391.92

Refer Note No. 8 for movement in provisions towards Employee Benefit as per AS -15.

5 वर्तमान देयताएँ – व्यापार देयताएँ

विवरण	31.03.2024 के अनुसार	31.03.2023 के अनुसार
– सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया	2,984.24	3,412.68
– सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया	27,751.67	28,330.56
कुल	30,735.91	31,743.24

- i) शेष राशि की पुष्टि एक सतत प्रक्रिया है। वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्ष के अंत में शेष राशि सभी लेनदारों और अन्य पक्षों को पुष्टि के लिए भेज दी गई है, हालांकि, पुष्टि निम्नानुसार प्राप्त हुई है: –

विवरण	कुल		31-03-2024 के अनुसार प्राप्त पुष्टि		31-03-2023 के अनुसार शेष राशि की पुष्टि का %	
	एजेंसियों की संख्या	बकाया राशि (₹.)	एजेंसियों की संख्या	बकाया राशि (₹.)	एजेंसियों की संख्या (%)	बकाया राशि (₹.) (%)
ग्राहक/अन्य से अग्रिम	351	30,735.91	154.00	2,197.58	43.87%	7.15%

- i) ऊपर दर्शाए गए पुष्टिकृत शेषों में वे शेष शामिल नहीं हैं, जहाँ कोई विवाद है, बल्कि केवल वे शेष शामिल हैं जहाँ अंतर/समाधान के कारण प्रविष्टियाँ दोनों पक्षों को स्वीकार्य हैं। पुष्टि के लिए लंबित शेषों की समीक्षा की जाएगी और उचित समय पर उनका समाधान किया जाएगा और इन मामलों में यदि कोई समायोजन आवश्यक है, तो समाधान होते ही उसे किया जाएगा।
- ii) 30,735.91 लाख रुपये (पिछले वर्ष 31,743.24 लाख रुपये) के लिए देय व्यापार में लखनऊ शाखा कार्यालय से संबंधित 25,405.91 लाख रुपये (पिछले वर्ष – 25,405.91 लाख रुपये) की राशि शामिल है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, उपर्युक्त मामला फॉरेंसिक ऑडिटर और सतर्कता विभाग द्वारा जांच के अधीन था। फॉरेंसिक ऑडिटर और सतर्कता जांच की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और बोर्ड के निर्देशानुसार इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए सीबीआई को भेज दी गई है। बोर्ड के निर्देशानुसार, समितियों/उपयोगकर्ता एजेंसियों और आपूर्तिकर्ताओं से बकाया राशि का पता लगाने के लिए 1 अप्रैल 2017 से लेनदेन का ऑडिट शुरू किया गया है, संकलन के बाद रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।
- iii) विविध लेनदारों में लघु उद्योगों को देय 786.14 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1208.07 लाख रुपये) की राशि शामिल है, जो वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक 30 दिनों से अधिक समय से बकाया है। उपरोक्त अनुसार लघु उद्योगों के लेनदारों को देय राशि उनके साथ व्यवस्था पर आधारित है, जिसमें संबंधित देनदारों से भुगतान की वसूली के बाद उन्हें भुगतान जारी किया जाएगा।
- iv) उपरोक्त के अलावा, कोई भी सूक्ष्म और लघु उद्यम नहीं है, जिसके लिए कंपनी पर वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में 45 दिनों से अधिक का बकाया है। यह जानकारी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत प्रकट की जानी आवश्यक है और निगम के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर ऐसे पक्षों की पहचान की गई है। इस पर लेखा परीक्षकों ने भरोसा किया है।

v) व्यापारिक देयताओं की अवस्था निर्धारण अनुसूची:

31.03.2024 के अनुसार

लाख रु. में

विवरण	देय नहीं	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				कुल
		एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
एमएसएमई	-	2,597.01	61.00	49.31	276.92	2,984.24
अन्य	-	2,140.34	32.66	15.80	156.96	2,345.76
विवादित देय – एमएसएमई	-	-	-	-	-	-
विवादित देय – अन्य	-	-	-	-	25,405.91	25,405.91
	-	4,737.35	93.66	65.11	25,839.79	30,735.91

5 CURRENT LIABILITIES – TRADE PAYABLES

Particulars	As at 31-03-2024 (Rs. in Lakhs)	As at 31-03-2023 (Rs. in Lakhs)
-total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises	2,984.24	3,412.68
-total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises	27,751.67	28,330.56
Total	30,735.91	31,743.24

- i) The balance confirmation is a continuous process. The year end balances as at the end of current reporting period has been sent to all the creditors and other parties for confirmation, however, confirmation has been received as follows:-

Particulars	Total		Confirmation received as on 31-03-2023		% of Confirmation of balances as on 31-03-2022	
	No. of agencies	Amount outstanding	No. of agencies	Amount outstanding	No. of agencies	Amount outstanding
		(Rs.)		(Rs.)		(%)
Trade payables	351	30,735.91	154.00	2,197.58	43.87%	7.15%

The confirmed balances shown above do not include those, where there is any dispute, but only those balances where the entries on account of difference/ reconciliation are acceptable to both the parties. The balances which are pending for confirmation will be reviewed and reconciled in due course and the adjustment, if any, required in these cases will be made as soon as reconciled.

- ii) Trade Payable for Rs. 30,735.91 Lakhs (Previous year Rs. 31,743.24 Lakhs) include a sum of Rs. 25,405.91 Lakhs (Previous year - Rs. 25,405.91 Lakhs) relating to Lucknow branch office. During FY 2020-21, the aforementioned matter was under investigation by Forensic Auditor & Vigilance department. Reports of the Forensic Auditor and Vigilance probe have been received and the same have been sent to CBI for further necessary action in this regard is as per directions of the Board. As per the directions of the Board, to ascertain amount outstanding from the societies/user agencies and the suppliers, transaction audit from 1st April 2017 onwards has been initiated, on compilation, the report same will be presented to the Board.
- iii) Sundry Creditors includes a sum of Rs. 786.14 Lakhs (Previous year Rs. 1208.07 Lakhs) payable to Small Scale Industries, outstanding for more than 30 days as at the end of current reporting period. The amount due to creditors being small scale industries as above is based on the arrangement with them, wherein, the payment will be released to them after realization of the payment from the corresponding debtors.
- iv) Besides above, there are no micro and small enterprises, to whom the company owes dues which are outstanding for more than 45 days as at the end of current reporting period. This information is required to be disclosed under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 and has been determined to the extent such parties had been identified on the basis of information available with the corporation. This has been relied upon by the auditors.

v) Ageing Schedule of Trade Payables :

As on 31.03.2024

Rs. In Lakhs

Particulars	Not Due	Outstanding for following periods from due date of payment				Total
		Less than 1 year	1 to 2 years	2 to 3 years	More than 3 years	
MSME	-	2,597.01	61.00	49.31	276.92	2,984.24
Others	-	2,140.34	32.66	15.80	156.96	2,345.76
Disputed dues – MSME	-	-	-	-	-	-
Disputed dues – Others	-	-	-	-	25,405.91	25,405.91
Total	-	4,737.35	93.66	65.11	25,839.79	30,735.91

31.03.2023 के अनुसार

लाख रु. में

विवरण	देय नहीं	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				कुल
		एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
एमएसएमई	-	3,287.65	94.15	11.29	19.59	3,412.68
अन्य	-	2,435.27	27.96	4.86	456.55	2,924.65
विवादित देय – एमएसएमई	-	-	-	-	-	-
विवादित देय – अन्य	-	-	-	-	25,405.91	25,405.91
कुल	-	5,722.92	122.11	16.15	25,882.06	31,743.24

6 मौजूदा देयता (संग्रह)

विवरण	31-03-2024 के अनुसार		31-03-2023 के अनुसार	
(क) संग्रह निधि (मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स)				
क) भारत सरकार से आज तक प्राप्ति	825.81		825.81	
ख) घटाएं: समायोजित/आज तक सरकार को लौटाई गई राशि	481.59		481.59	
ग) सरकार को वापिस किए जाने योग्य मूलधन(क-ख)	344.22		344.22	
घ) आज तक के समायोजन सहित एजेंसियों से वसूल की गई राशि	988.92		988.92	
ङ) घटाएं: एजेंसियों की ओर से परिसरों के लिए जगह/अन्य खर्च आदि के अधिग्रहण के लिए भुगतान की गई राशि	967.60		967.60	
च) एजेंसियों को वापिस किए जाने योग्य (घ-ङ)	21.32		21.32	
छ) शेष राशि (ए-बीडी-ई) या (सीएफ)		365.54		365.54
ज) आज तक के विविध व्यय को घटाकर अर्जित ब्याज की राशि		2,164.23		1,991.01
'कुल (छ+ज)		2,529.77		2,356.55

- उपयोगकर्ता एजेंसियों की ओर से मुंबई, इंदौर, जयपुर और नई दिल्ली में मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स की एकमुश्त खरीद के लिए कुल 825.81 लाख रुपये (पिछले वर्ष 825.81 लाख रुपये) की राशि भारत की सरकार द्वारा प्रदान की गई थी। शुरु में उन्हें संग्रह राशि (मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स) खाते में जमा करने के बाद, फंड का उपयोग मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स की खरीद के लिए किया गया है। उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त 988.92 लाख रुपये (पिछले वर्ष 988.92) की राशि को संग्रह राशि में जमा कर दिया गया है और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स की स्थापना पर खर्च किए गए 967.60 लाख रुपये (पिछले वर्ष 967.60 लाख रुपये) को संग्रह राशि में चार्ज किया गया है।
- वर्ष 2023-24 के दौरान, विविध व्यय यदि कोई हो, को समायोजित करने के बाद, अव्ययित कॉर्पस फंड से सृजित सावधि जमा पर अर्जित ब्याज 173.22 लाख रुपये (पिछले वर्ष 139.88 लाख रुपये) की राशि को कॉर्पस फंड (विपणन परिसर) में जमा किया गया है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स कॉर्पस में ब्याज जमा नहीं किए जाने के संबंध में सुधारात्मक कार्यवाई बोर्ड के अनुमोदन के बाद की जाएगी।

As on 31.03.2023

Rs. In Lakhs

Particulars	Not Due	Outstanding for following periods from due date of payment				Total
		Less than 1 year	1 to 2 years	2 to 3 years	More than 3 years	
MSME	-	3,287.65	94.15	11.29	19.59	3,412.68
Others	-	2,435.27	27.96	4.86	456.55	2,924.65
Disputed dues – MSME	-	-	-	-	-	-
Disputed dues – Others	-	-	-	-	25,405.91	25,405.91
Total	-	5,722.92	122.11	16.15	25,882.06	31,743.24

6 CURRENT LIABILITIES – CORPUS

(Rs. In Lakhs)

Particulars	As at 31-03-2024 (Rs. in Lakhs)		As at 31-03-2023 (Rs. in Lakhs)	
(A) Corpus Fund (Marketing Complex)				
a) Receipt from Govt. of India upto date	825.81		825.81	
b) Less: Amount adjusted/ refunded to Govt. upto date	481.59		481.59	
c) Principle amount refundable to Govt. (a-b)	344.22		344.22	
d) Amount realized from agencies including adjustments upto date	988.92		988.92	
e) Less: Amount paid for acquisition of space/ other expenses etc. for complexes on behalf of agencies upto date	967.60		967.60	
f) Refundable to agencies (d-e)	21.32		21.32	
g) Balance (a-b+d-e) or (c+f)		365.54		365.54
h) Amount of Interest earned less miscellaneous expenditure upto date		2,164.23		1,991.01
Total (g+h)		2,529.77		2,356.55

- i) Total Funds amounting to Rs. 825.81 Lakhs (Previous Year Rs. 825.81 Lakhs) for outright purchases of Marketing Complexes at Mumbai, Indore, Jaipur, and New Delhi on behalf of user agencies were provided by the Govt. of India. After initially crediting them to Corpus Fund (Marketing Complex) Account, the funds have been utilized for purchase of Marketing Complexes. The amount of Rs. 988.92 Lakhs (Previous Year Rs. 988.92 Lakhs) received from user agencies has been credited to the corpus fund and expenditure incurred on setting up of marketing complexes amounting to Rs. 967.60 Lakhs (Previous Year Rs. 967.60 Lakhs) has been charged to the corpus fund.

During the year 2023-24, interest earned on fixed deposits created from unspent corpus fund, after adjusting the Misc. expenditure if any, amounting to Rs 173.22 Lakhs (Previous Year Rs. 139.88 Lakhs) has been credited to the Corpus Funds (Marketing Complex). Further, corrective action with respect to interest not credited to Marketing Complex Corpus for the financial year 2017-18 and 2018-19 shall be taken after approval of the Board.

विवरण	31-03-2024 के अनुसार	31-03-2023 के अनुसार
(ख) कार्पस निधि (मेगा क्लस्टर)		
क) आज तक भारत सरकार से प्राप्ति	950.00	950.00
ख) अर्जित ब्याज की राशि	328.72	241.16
ग) घटाएं : आय के लिए हस्तांतरण	-	-
कुल	1,278.72	1,191.16

सरकार के निर्देशों के अनुसार, भारत सरकार द्वारा जारी कुल 950.00 लाख की राशि(पिछले वर्ष 950.00 लाख रुपये) का उपयोग मेगा क्लस्टर में हथकरघा बुनकरों को यार्न आपूर्ति की व्यवस्था के लिए वाराणसी, शिवसागर, गोड्डा, मुर्शिदाबाद और प्रकाशम मेगा क्लस्टर में हथकरघा बुनकरों को यार्न की आपूर्ति के लिए किया गया है। वर्ष 2023-24 के दौरान 87.56 लाख (पिछले वर्ष- 70.89 लाख रुपये) का ब्याज कॉर्पस फंड (मेगा क्लस्टर) में जमा किया गया है। इसके अलावा, मेगा क्लस्टर कॉर्पस में जमा नहीं किए गए ब्याज के संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई बोर्ड के अनुमोदन के बाद की जाएगी।

विवरण	31-03-2024 के अनुसार	31-03-2023 के अनुसार
(ग) संग्रह निधि(व्यापार सुविधा केंद्र)		
क) आज तक भारत सरकार से प्राप्ति	26,869.17	26,869.17
ख) आज तक किए गए समायोजन/प्रस्तुत की गई यूसी की राशि और अन्य खर्चे	441.56	441.56
ग) अनुदान खाते में अंतरित राशि	72.36	72.36
घ) कुल (क+ख+ग)	26,499.97	26,499.97
ङ) घटाएं: आजतक परियोजना प्रबंधन एजेंसी को हस्तांतरित राशि (एनबीसीसी) (घ)	26,031.08	26,031.08
च) घटाएं: आज तक की आर्किटेक्ट शुल्क (सिक्का)	371.95	371.95
शेष राशि (घ+ङ+च)	96.94	96.94

- किए गए समायोजन/प्रस्तुत की गई यूसी की राशि और अन्य व्यय रु. 369.20 लाख (पिछले वर्ष रु. 369.20 लाख) रु.उपयोगिता प्रमाणपत्र 72.36 लाख रूपए अनुदान खाते में अंतरित कर दिया गया है,
- कॉर्पस फंड (टीएफसी) पर कोई ब्याज नहीं जोड़ा गया है क्योंकि टीएफसी के सापेक्ष वसूली योग्य राशि 152.17 लाख रुपये (पिछले वर्ष 152.17 लाख रुपये) पड़ी है, जिसे नोट सं. 17 के अनुसार अलग से वसूली योग्य दिखाया गया है।

विवरण	31-03-2024 के अनुसार	31-03-2023 के अनुसार
घ) हथकरघा पार्क पोचमपल्ली		
क) केंद्र/राज्य से प्राप्ति	2,900.00	2,900.00
ख) वर्ष के दौरान प्राप्ति	-	-
ग) अर्जित ब्याज की राशि/व्यय घटाएं	1,133.21	915.84
घ) भुगतान की गई ब्याज की राशि	670.38	670.38
ङ) कुल (ए+बी+सी-डी)	3,362.83	3,145.46
च) घटाएं: पोचमपल्ली को हस्तांतरित राशि (अग्रिम भुगतान)	100.00	100.00
छ) घटाएं: कच्चे माल के लिए हस्तांतरित राशि	100.00	100.00
शेष राशि (ङ+च+छ)	3,162.83	2,945.46

Particulars	As at 31-03-2024 (Rs. in Lakhs)		As at 31-03-2023 (Rs. in Lakhs)	
(B) Corpus Fund (Mega Cluster)				
a) Receipt from Govt. of India upto date		950.00		950.00
b) Amount of interest earned		328.72		241.16
c) Less : transfer to income		-		-
Total		1,278.72		1,191.16

As per Government directives, the total fund released by Govt. of India amounting to Rs. 950.00 Lakhs (Previous Year Rs. 950.00 Lakhs) for supply of yarn to the handloom weavers in Varanasi, Sivsagar, Godda, Murshidabad and Prakasham Mega cluster have been utilized for arranging the yarn supply to handloom weavers in Mega Cluster. During the year 2023-24, interest of Rs. 87.56 Lakhs (Previous Year - Rs. 70.89 Lakhs) has been credited to the Corpus Funds (Mega Cluster). Further, corrective action with respect to interest not credited to Mega Cluster Corpus shall be taken after approval of the Board.

Particulars	As at 31-03-2024 (Rs. in Lakhs)		As at 31-03-2023 (Rs. in Lakhs)	
(C) Corpus Fund (Trade Facilitation Centre)				
a) Receipt from Govt. of India upto date	26,869.17		26,869.17	
b) Amount of Adjustment/UC Submitted & Other expenses up to date	441.56		441.56	
c) Amount transferred to Grant account	72.36		72.36	
d) Total (d) =(a-b+c)		26,499.97		26,499.97
e) Less: Amount transferred to Project Management Agency upto date(NBCC) (e)		26,031.08		26,031.08
f) Less : Architect fee upto date(SIKKA) (f)		371.95		371.95
Balance (d-e-f)		96.94		96.94

- i) Amount of Adjustment/UC Submitted & Other expenses Rs. 369.20 Lakhs (Previous Year Rs. 369.20 Lakhs). Utilisation certificate for Rs. 72.36 Lakhs has been transferred to grant account.
- ii) No Interest on Corpus fund (TFC) is added as there is recoverable amount lying against TFC amounting to Rs. 152.17 Lakhs (Previous year Rs. 152.17 Lakhs) which is separately showing as recoverable vide Note No. 17.

Particulars	As at 31-03-2024 (Rs. in Lakhs)		As at 31-03-2023 (Rs. in Lakhs)	
(D) Pochampally for Handloom Park				
a) Receipt from Central / State	2,900.00		2,900.00	
b) Receipt during the year	-		-	
c) Amount of Interest earned/ Less Expenses	1,133.21		915.84	
d) Amount of Interest paid	670.38		670.38	
e) Total (a+b+c-d)		3,362.83		3,145.46
f) Less: Amount transferred to Pochampally (Advance paid)		100.00		100.00
g) Less: Amount transferred for Raw Material		100.00		100.00
Balance (e-f-g)		3,162.83		2,945.46

विवरण	31.03.2024 के अनुसार (लाख रु. में)	31.03.2023 के अनुसार (लाख रु. में)
(इ) संग्रह निधि (हथकरघा संवर्धन सहायता योजना)		
क) आज तक भारत सरकार से प्राप्ति	1,206.72	1,206.72
क) आज तकनोल एजेंसियों से प्राप्ति	1,803.45	1,803.45
ग) अर्जित ब्याज की राशि	516.99	472.15
घ) घटाएं: जारी की गई राशि	2,864.43	2,860.48
कुल	662.73	621.84

विवरण	31.03.2024 के अनुसार (लाख रु. में)	31.03.2023 के अनुसार (लाख रु. में)
(च) समर्थ-वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना		
क) आज तक भारत सरकार से प्राप्ति	3,669.34	3,659.64
ख) घटाएं रु जारी की गई राशि	3,499.39	3,454.92
कुल	169.95	204.72
(छ) निधि संग्रह (क्लस्टर विकास)	1,656.49	1,659.10
(ज) सेंट्रल नोडल एजेंसी (सीएनए)	862.68	3,966.94
कुल योग (क+ख+ग+घ+इ+ज)	10,420.11	13,042.71

7 वर्तमान देयताएं – अन्य वर्तमान देयताएं

विवरण	31.03.2024 के अनुसार (लाख रु. में)	31.03.2023 के अनुसार (लाख रु. में)
ग्राहकों/अन्य लोगों से अग्रिम राशि	2,247.13	2,427.14
जमा –अन्य	100.00	100.00
सुरक्षा जमा	18.02	20.14
सरकार अनुदान/भागीदारी राशि	337.57	725.18
प्रतिधारण धन	3.42	3.42
अग्रिम धन	61.43	31.70
सब्सिडी, परिवहन और डिपो को देय	4,602.20	4,103.24
सांविधिक देयताएं	131.60	89.49
अन्य देयताएं	814.82	901.03
कुल	8,316.19	8,401.34

Particulars	As at 31-03-2024 (Rs. in Lakhs)	As at 31-03-2023 (Rs. in Lakhs)
(E) Corpus Fund (Hathkargha Samverdhan Sahayata Yojana)		
a) Receipt from Govt. of India upto date	1,206.72	1,206.72
b) Receipt from Nodal agencies upto date	1,803.45	1,803.45
c) Amount of interest earned	516.99	472.15
d) Less : Amount Released	2,864.43	2,860.48
Total	662.73	621.84

Particulars	As at 31-03-2024 (Rs. in Lakhs)	As at 31-03-2023 (Rs. in Lakhs)
a) Receipt from Govt. of India upto date	3,669.34	3,659.64
b) Less : Amount Released	3,499.39	3,454.92
Total	169.95	204.72
(G) Corpus fund (Cluster development)	1,656.49	1,659.10
(H) Central Nodal Agency (CNA)	862.68	3,966.94
GRAND TOTAL (A+B+C+D+E+G+H)	10,420.11	13,042.71

7 CURRENT LIABILITIES – OTHER CURRENT LIABILITIES

Particulars	As at 31-03-2024 (Rs. in Lakhs)	As at 31-03-2023 (Rs. in Lakhs)
Advance from customers/ others	2,247.13	2,427.14
Deposits - Others	100.00	100.00
Security deposits	18.02	20.14
Govt. grants/participation money	337.57	725.18
Retention money	3.42	3.42
Earnest money	61.43	31.70
Subsidy, Transportation and depot payable	4,602.20	4,103.24
Statutory Liabilities	131.60	89.49
Other Liabilities	814.82	901.03
Total	8,316.19	8,401.34

लाख रुपये में

विवरण	31-03-2024 तक शेष राशि	वर्ष के दौरान/ हस्तांतरण	31-03-2024 को शेष
सरकारी अनुदान/सहभागिता राशि	725.18	387.61	337.57

8 वर्तमान देयताएं – अल्पकालिक प्रावधान

(राशि लाख में)

	31-03-2024 के अनुसार	31-03-2023 के अनुसार
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	1,497.73	1,469.14
अन्य	83.68	105.77
कुल	1,581.41	1,574.91

i) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कुल प्रावधानों (दीर्घकालिक और अल्पावधि) का प्रवाह नीचे दिया गया है:

(राशि लाख में)

विवरण	31.03.2023 के अनुसार शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	कुल	भुगतान/ उपयोग/ शुल्क लिया गया	वर्ष के दौरान रिटर्न बैंक/ समायोजन	31.03.2024 को शेष राशि
आय कर	105.77	83.68	189.44	44.11	(61.65)	83.68
उपार्जित अवकाश	486.98	101.44	588.41	95.56	-	492.86
उपदान देयता के लिए प्रावधान	77.11	52.97	130.08	-	-	130.08
अनुग्रह राशि का प्रावधान	149.98	146.23	296.20	149.98	-	146.23
वेतन बकाया का प्रावधान (वेतन संशोधन)	1,147.00	-	1,147.00	-	-	1,147.00
	1,966.83	384.31	2,351.14	289.65	(61.65)	1,999.84

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए मूल वेतन डीए के 15% की दर से 146.23 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की गई है (पिछले वर्ष 149.98 लाख रुपये)।

ii) परिभाषित लाभ योजना

अवकाश नकदीकरण और ग्रेच्युटी के दायित्व को संशोधित एएस-15 के अनुसार अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा निर्धारित दायित्व के वर्तमान मूल्य के आधार पर मान्यता दी जाती है।

(Rs. In Lakhs)

Particulars	Balance as on 31-03-2023	Adjustment/ Transfer during the year	Balance as on 31-03-2024
Govt. grants/participation money	725.18	387.61	337.57

8 CURRENT LIABILITIES – SHORT TERM PROVISIONS

(Rs. In Lakhs)

Particulars	As at 31-03-2024 (Rs. in Lakhs)	As at 31-03-2023 (Rs. in Lakhs)
Provision for Employee Benefits	1,497.73	1,469.14
Others	83.68	105.77
TOTAL	1,581.41	1,574.91

i) Movement of total provisions (Long term and Short term) during Financial Year 2023-24 is given below:

(Rs. In Lakhs)

Particulars	Balance as on 31-03-2023	Addition during the year	Total	Payment/ utilization/ charged off	Written back / Adjustment during the year	Balance as on 31-03-2024
Income tax	105.77	83.68	189.44	44.11	(61.65)	83.68
Accrued leave	486.98	101.44	588.41	95.56	-	492.86
Provision for gratuity liability	77.11	52.97	130.08	-	-	130.08
Provision for ex-gratia	149.98	146.23	296.20	149.98	-	146.23
Provision for Salary Arrears (pay revision)	1,147.00	-	1,147.00	-	-	1,147.00
	1,966.83	384.31	2,351.14	289.65	(61.65)	1,999.84

The Ex-gratia amounting to Rs. 146.23 Lakhs @ 15% of Basic +DA has been provided for FY 2023-24 (Previous year Rs. 149.98 Lakhs).

ii) Defined Benefit Plan

The obligation for leave encashment and gratuity is recognized based on the present value of obligation determined by actuarial valuation using the Projected Unit Credit Method as per revised AS-15.

क) प्रमुख बीमांकिक मान्यताएं

विवरण	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
छूट दर (प्रति वर्ष)	7.21%	7.35%
मुआवजा स्तरों में वृद्धि की दर	8%	8%
योजना परिसंपत्तियों पर वापसी की अपेक्षित दर (ग्रेच्युटी के मामले में)	7.67%	6.78%
सेवानिवृत्ति आयु	58 वर्ष	
मृत्यु दर तालिका	100% आईएएलएम (2012 - 14)	100% आईएएलएम (2012 - 14)
औसत निकासी दर	निकासी दर	निकासी दर
30 वर्ष तक	2%	2%
31 से 44 वर्ष तक	2%	2%
44 वर्ष से अधिक	2%	2%

छूट दर आम तौर पर बैलेंस शीट की तारीख पर सरकारी बॉन्ड पर उपलब्ध बाजार प्रतिफल पर आधारित होती है, जो देनदारियों से मेल खाने वाली अवधि के लिए लाभ भुगतान की मुद्रा से संबंधित होती है। वेतन वृद्धि दर वेतन वृद्धि के संबंध में कंपनी का दीर्घकालिक सर्वोत्तम अनुमान है और एस-15 में दिए गए अनुसार मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति, व्यवसाय योजना, मानव संसाधन नीति और दीर्घकालिक आधार पर अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखती है।

ख) दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(राशि लाख रु. में)

विवरण	2022-23			
	अवकाश नकदीकरण	ग्रेच्युटी (वित्तपोषित)	अवकाश नकदीकरण	ग्रेच्युटी (वित्तपोषित)
वर्ष की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	486.98	840.43	473.92	860.96
अधिग्रहण समायोजन	10.63	8.59	-	-
ब्याज लागत	35.79	61.77	32.42	58.89
पिछली सेवा लागत	-	-	-	-
वर्तमान सेवा लागत	44.46	45.86	38.60	49.51
योजना प्रतिभागियों द्वारा योगदान	-	-	-	-
कटौती लागत / (क्रेडिट)	-	-	-	-
निपटान लागत / (क्रेडिट)	-	-	-	-
भुगतान किया गया लाभ	(106.21)	(176.86)	(83.59)	(128.82)
एक्चुरियल (लाभ) / हानि	21.20	(15.27)	25.62	(0.10)
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य			486.98	840.43
चालू देयता	74.42	108.04	95.06	187.98
गैर चालू देयता		656.48	391.92	652.45
कुल	492.86	764.53	486.98	840.43

a) Principal actuarial assumptions

Particulars	2023-24	2022-23
Discount rate (per annum)	7.21%	7.35%
Rate of increase in compensation levels	8%	8%
Expected rate of return on plan assets (in case of gratuity)	7.67%	6.78%
Retirement age	58 Years	
Mortality table	100% of IALM (2012 - 14)	100% of IALM (2012 - 14)
Average withdrawal rate	Withdrawal rate	Withdrawal rate
Upto 30 years	2%	2%
From 31 to 44 years	2%	2%
Above 44 years	2%	2%

The discount rate is generally based upon the market yields available on Government bonds at the Balance Sheet date relevant to currency of benefit payments for a term that matches the liabilities. Salary growth rate is company's long term best estimate as to salary increases & takes account of inflation, seniority, promotion, business plan, HR policy and other relevant factors on long term basis as provided in AS-15.

b) Changes in present value of obligation
(Rs. In Lakhs)

Particulars	2023-24		2022-23	
	Leave Encashment	Gratuity (Funded)	Leave Encashment	Gratuity (Funded)
Present Value of Obligation as at the beginning of the year	486.98	840.43	473.92	860.96
Acquisition Adjustment	10.63	8.59	-	-
Interest Cost	35.79	61.77	32.42	58.89
Past Service Cost	-	-	-	-
Current Service Cost	44.46	45.86	38.60	49.51
Contribution by Plan Participants	-	-	-	-
Curtailment Cost/ (Credit)	-	-	-	-
Settlement Cost/ (Credit)	-	-	-	-
Benefit Paid	(106.21)	(176.86)	(83.59)	(128.82)
Actuarial (gains)/ loss	21.20	(15.27)	25.62	(0.10)
Present Value of Obligation as at the end of the year	492.86	764.53	486.98	840.43
Current Liability	74.42	108.04	95.06	187.98
Non Current Liability	418.43	656.48	391.92	652.45
Total	492.86	764.53	486.98	840.43

ग) योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(राशि लाख रु. में)

विवरण	2023-24		2022-23	
	अवकाश नकदीकरण	ग्रे च्युटी (वित्तपोषित)	अवकाश नकदीकरण	ग्रे च्युटी (वित्तपोषित)
वर्ष के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का वर्तमान मूल्य	-	763.32	-	838.44
अधिग्रहण समायोजन	-	-	-	-
योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित रिटर्न		51.75	-	58.86
एक्चुरियल लाभ/(हानि)		(7.82)	-	(6.38)
नियोक्ता का योगदान	-	4.05	-	1.23
भुगतान किया गया लाभ	-	(176.86)	-	(128.82)
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	634.45	-	763.32

घ) वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों के कुल उचित मूल्य में योजना परिसंपत्तियों की प्रत्येक श्रेणी का प्रतिशत

(राशि लाख रु. में)

विवरण	2023-24		2022-23	
	अवकाश नकदीकरण	ग्रे च्युटी (वित्तपोषित)	अवकाश नकदीकरण	ग्रे च्युटी (वित्तपोषित)
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियाँ	-	100%	-	100%

ई) परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य और परिसंपत्तियों के उचित मूल्य का मिलान

(राशि लाख रु. में)

विवरण	2023-24		2022-23	
	अवकाश नकदीकरण	ग्रे च्युटी (वित्तपोषित)	अवकाश नकदीकरण	ग्रे च्युटी (वित्तपोषित)
वर्ष के अंत में वित्तपोषित दायित्व का वर्तमान मूल्य		764.53	-	840.43
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		634.45	-	763.32
बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त वित्तपोषित (परिसंपत्ति)/देयता	-	130.08	-	77.11
वर्ष के अंत में वित्तपोषित दायित्व का वर्तमान मूल्य		-	486.98	-
बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त वित्तपोषित शुद्ध देयता		-	486.98	-

c) Changes in the Fair value of Plan Assets

(Rs. In Lakhs)

Particulars	2023-24		2022-23	
	Leave Encashment	Gratuity (Funded)	Leave Encashment	Gratuity (Funded)
Present Value of Plan Asset as at the beginning of the year	-	763.32	-	838.44
Acquisition Adjustment	-	-	-	-
Expected Return on Plan Assets	-	51.75	-	58.86
Actuarial gain/ (loss)	-	(7.82)	-	(6.38)
Employers Contribution	-	4.05	-	1.23
Benefit Paid	-	(176.86)	-	(128.82)
Fair Value of Plan Assets as at the end of the year	-	634.45	-	763.32

d) Percentage of each Category of plan Assets to total Fair Value of Plan Assets as at the end of the year

(Rs. In Lakhs)

Particulars	2023-24		2022-23	
	Leave Encashment	Gratuity (Funded)	Leave Encashment	Gratuity (Funded)
Funds managed by Insurer	-	100%	-	100%

e) Reconciliation of the Present Value of Defined Benefit Obligation and the Fair Value of Assets

(Rs. In Lakhs)

Particulars	2023-24		2022-23	
	Leave Encashment	Gratuity (Funded)	Leave Encashment	Gratuity (Funded)
Present Value of Funded Obligation as at the end of the year	-	764.53	-	840.43
Fair Value of Plan Assets as at the end of the year	-	634.45	-	763.32
Funded (Asset)/ Liability recognised in the Balance Sheet	-	130.08	-	77.11
Present Value of Unfunded Obligation as at the end of the year	492.86	-	486.98	-
Unfunded Net Liability Recognised in the Balance Sheet	492.86	-	486.98	-

च) लाभ और हानि खाते के विवरण में मान्य व्यय

(राशि लाख रु. में)

विवरण	2023-24		2022-23	
	अवकाश नकदीकरण	ग्रेच्युटी (वित्तपोषित)	अवकाश नकदीकरण	ग्रेच्युटी (वित्तपोषित)
वर्तमान सेवा लागत		45.86	38.60	49.51
पिछली सेवा लागत		-	-	-
अधिग्रहण समायोजन	-	-	-	-
ब्याज लागत	35.79	61.77	32.42	58.89
योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित रिटर्न	-	(51.75)	-	(58.86)
कटौती लागत / (क्रेडिट)	-	-	-	-
निपटान लागत / (क्रेडिट)	-	-	-	-
भुगतान किया गया लाभ	-	-	-	-
शुद्ध बीमांकिक (लाभ) / हानि	21.20	(7.45)	25.62	6.28
लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त कुल व्यय	101.45	48.43	96.64	55.82

छ) परिभाषित लाभ दायित्व का संवेदनशीलता विश्लेषण

(राशि लाख रु. में)

विवरण	ग्रेच्युटी (वित्तपोषित)	अवकाश नकदीकरण
	2023-24	
-छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव		
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	764.53	492.86
क) 0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	(21.69)	(17.37)
ख) 0.50% की कमी के कारण प्रभाव	23.16	18.71
-वेतन दर में परिवर्तन का प्रभाव		
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	764.53	492.86
क) 0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	22.87	18.40
ख) 0.50% की कमी के कारण प्रभाव	(21.64)	(17.34)

f) Expenses recognised in the Statement of Profit and Loss Account

(Rs. In Lakhs)

Particulars	2023-24		2022-23	
	Leave Encashment	Gratuity (Funded)	Leave Encashment	Gratuity (Funded)
Current Service Cost	44.46	45.86	38.60	49.51
Past Service Cost	-	-	-	-
Acquisition Adjustment	-	-	-	-
Interest Cost	35.79	61.77	32.42	58.89
Expected Return on Plan Assets	-	(51.75)	-	(58.86)
Curtailement Cost/ (Credit)	-	-	-	-
Settlement Cost/ (Credit)	-	-	-	-
Benefit Paid	-	-	-	-
Net actuarial (gains)/ loss	21.20	(7.45)	25.62	6.28
Total Expenses recognised in the Profit and Loss Account	101.45	48.43	96.64	55.82

g) Sensitivity Analysis of the Defined Benefit Obligation

(Rs. In Lakhs)

Particulars	Gratuity (Funded)	Leave Encashment
	FY 2023-24	
-Impact of change in discount rate		
Present Value of obligation at the end of the year	764.53	492.86
a) Impact due to increase of 0.50%	(21.69)	(17.37)
b) Impact due to decrease of 0.50%	23.16	18.71
-Impact of change in Salary rate		
Present Value of obligation at the end of the year	764.53	492.86
a) Impact due to increase of 0.50%	22.87	18.40
b) Impact due to decrease of 0.50%	(21.64)	(17.34)

9 गैर मौजूदा परिसंपत्तियां-वास्तविक परिसंपत्तियां

(राशि लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए										31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	
	भूमि	भवन	फर्नीचर एवं फिक्सर	कार्यालय एवं विद्युत उपकरण	विद्युत उपकरण और स्थापना	कार्यालय उपकरण	प्रयोगशाला उपकरण	वाहन	कम्प्यूटर			कुल
									कम्प्यूटर एवं डाटा प्रोसेसिंग यूनिट	सर्वर एवं नेटवर्क		
सकल ब्लॉक												
वर्ष की शुरुआत के अनुसार	759.09	356.01	136.22	-	228.12	99.61	4.34	43.75	122.59	24.53	1,774.27	1,757.87
वर्ष के दौरान वृद्धि	2,364.44	648.84	3.33	-	0.52	0.67	-	44.18	34.18	-	3,096.15	16.40
वर्ष के दौरान स्थानांतरण/ बिक्री/ समायोजन	-	-	(9.20)	-	(1.97)	(0.31)	-	(0.02)	(2.82)	(5.23)	(19.54)	(7.74)
वर्ष के दौरान स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.74
वर्ष के अंत तक	3,123.53	1,004.84	130.35	-	226.67	99.97	4.34	87.91	153.96	19.30	4,850.88	1,774.27
अवमूल्यन												
वर्ष की शुरुआत के अनुसार	-	130.35	105.34	-	166.01	89.96	4.06	37.43	103.25	23.80	660.19	617.29
वर्ष के दौरान स्थानांतरण/ बिक्री/ समायोजन	-	-	(9.20)	-	(1.97)	(0.31)	-	(0.02)	(2.19)	(5.23)	(18.90)	(8.80)
वर्ष के दौरान स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास (आर्क्षित और अधिशेष में स्थानांतरण)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास (लाम और हानि खाते में स्थानांतरण)	-	6.04	8.35	-	15.11	1.45	0.06	3.48	8.71	(0.00)	43.18	42.90
वर्ष के अंत तक	-	136.39	104.49	-	179.16	91.10	4.11	40.89	109.78	18.57	684.47	660.19
निवल ब्लॉक												
वर्ष की शुरुआत के अनुसार	759.09	225.66	30.88	-	62.11	9.65	0.29	6.33	19.34	0.73	1,114.08	1,140.58
वर्ष के अंत तक	3,123.53	868.46	25.86	-	47.52	8.88	0.23	47.02	44.18	0.73	4,166.41	1,114.08

- (i) अचल संपत्तियों में कार्यालय भवन, संपत्ति की लंबित हस्तांतरण औपचारिकता और उपयुक्त अधिकारियों के साथ पंजीकरण, मुंबई में रु.33.58 लाख (पिछले वर्ष 33.58 लाख रुपये) की राशि शामिल है, जिसके लिए कच्चा ले लिया गया है, लेकिन जब खर्च किया जाएगा तो इसके लिए पंजीकरण शुल्क लिया जाएगा।
- (ii) किसी परिसंपत्ति को तब खराब हुआ माना जाता है जब परिसंपत्ति की वहन लागत उसके वसूली योग्य मूल्य से अधिक हो जाती है। उस परिसंपत्ति की खराब संबंधी हानि को उस वर्ष में लाम और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है जिसमें परिसंपत्ति को खराब हुआ के रूप में पहचाना जाता है। वर्ष के अंत में निगम के बही खातों में प्रदर्शित होने वाली संपत्ति का मूल्य वह है जिस पर वे उसमें दिखाई दे रहे हैं और हानि, यदि कोई हो, को बैलेंस शीट नोट 28 में दिखाया गया है।
- (iii) भूमि और भवन की सभी अचल संपत्ति जो फ्रीहोल्ड है, को कम्पनी के नाम पर तुलन-पत्र की तारीख में रखा जाता है।
- (iv) वर्ष के दौरान, कंपनी ने शून्य डब्ल्यूडीवी वाले 17.14 लाख रुपये के सकल ब्लॉक को बड़े खातों में डाल दिया।

9 NON CURRENT ASSETS- TANGIBLE ASSETS

(Rs. In Lakhs)

Items	For the year ended 31st March 2024										For the year ended 31st March 2023	
	Land	Building	Furniture & Fixture	Office And Electrical Equipments	Electrical Equipment And Installation	Office Equipment	Laboratory Equipments	Vehicle	COMPUTERS			TOTAL
									Computer & Data processing Units	Servers & Networks		
GROSS BLOCK												
As at beginning of the year	759.09	356.01	136.22	-	228.12	99.61	4.34	43.75	122.59	24.53	1,774.27	1,757.87
Addition during the year	2,364.44	648.84	3.33	-	0.52	0.67	-	44.18	34.18	-	3,096.15	16.40
Transfer/ Sale/ Adjustments during the year	-	-	(9.20)	-	(1.97)	(0.31)	-	(0.02)	(2.82)	(5.23)	(19.54)	(7.74)
Transfer to during the year	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.74
As at end of the year	3,123.53	1,004.84	130.35	-	226.67	99.97	4.34	87.91	153.96	19.30	4,850.88	1,774.27
DEPRECIATION												
As at beginning of the year	-	130.35	105.34	-	166.01	89.96	4.06	37.43	103.25	23.80	660.19	617.29
Transfer/ Sale/ Adjustments during the year	-	-	(9.20)	-	(1.97)	(0.31)	-	(0.02)	(2.19)	(5.23)	(18.90)	(8.80)
Transfer to during the year	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80
Depreciation during the year (Transfer to Reserve and Surplus)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciation during the year (Transfer to Profit and Loss account)	-	6.04	8.35	-	15.11	1.45	0.06	3.48	8.71	(0.00)	43.18	42.90
As at end of the year	-	136.39	104.49	-	179.16	91.10	4.11	40.89	109.78	18.57	684.47	660.19
NET BLOCK												
As at beginning of the year	759.09	225.66	30.88	-	62.11	9.65	0.29	6.33	19.34	0.73	1,114.08	1,140.58
As at end of the year	3,123.53	868.46	25.86	-	47.52	8.88	0.23	47.02	44.18	0.73	4,166.41	1,114.08

- i) Fixed Assets include office building, pending transfer formality of the property and registration with the Appropriate Authorities, amounting to Rs. 33.58 Lakhs (Previous year Rs. 33.58 Lakhs) at Mumbai, for which possession has been taken but Registration charges for the same will be capitalized as and when incurred.
- ii) An asset is treated as impaired when the carrying cost of asset exceeds its recoverable value. An impairment loss is charged to the statement of profit and loss in the year in which the asset is identified as impaired. The assets as appearing in the books of accounts of the corporation at year end have the value at which they are appearing therein and the impairment, if any, has been shown in the Note 28 to the balance sheet.
- iii) The title deeds compressing all the Immovable Property of Land and Building which are free hold, are held in the name of the company as at the balance sheet date.
- iv) During the year, the Company has written off gross block amounting to Rs. 17.14 Lakhs having zero WDV.

10 गैर मौजूदा परिसंपत्तियां—वास्तविक परिसंपत्तियां

(लाख रुपये में)

विवरण	कम्प्यूटर साफ्टवेयर	
	मौजूदा समीक्षा अवधि के लिए	पिछली समीक्षा अवधि के लिए
समग्र ब्लॉक		
वर्ष की शुरुआत के अनुसार	248.91	248.91
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
वर्ष के दौरान स्थानांतरण / बिक्री / समायोजन	-	-
वर्ष के दौरान स्थानांतरण	-	-
वर्ष के अंत तक	248.91	248.91
मूल्यहास		
वर्ष की शुरुआत के अनुसार	231.85	223.69
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
वर्ष के दौरान स्थानांतरण	-	-
सामान्य रिजर्व में हस्तांतरण	-	-
वर्ष के दौरान मूल्यहास	5.57	8.16
वर्ष के अंत तक	237.42	231.85
निवल ब्लॉक (खंड)		
वर्ष की शुरुआत के अनुसार	17.06	25.22
वर्ष के अंत तक	11.49	17.06

11 आस्थगित कर देयता (निवल)

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है:

(लाख रुपये में)

आस्थगित कर देयता और आस्थगित कर देयता के घटक	31.03.2024 के अनुसार		31.03.2023 के अनुसार	
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां	आस्थगित कर देयता	आस्थगित कर परिसंपत्तियां	आस्थगित कर देयता
पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति / (देयता) (ए)	322.44		345.79	
रिपोर्टिंग अवधि (बी) के दौरान आस्थगित कर में बदलाव निम्नलिखित के कारण आस्थगित कर देयताएं उत्पन्न होती हैं:				
खाता बही के अनुसार मूल्यहास योग्य संपत्ति और कर मूल्यहास के अनुसार बड़े खाते डाले गए मूल्य के बीच अंतर		16.93		5.67
अवैतनिक वैधानिक देयता को लाभ एवं हानि खातों में डेबिट किया गया		1.25		
अन्य आस्थगित कर परिसंपत्ति के कारण समय अंतर उत्पन्न होता है— (वीआरएस)		15.77		16.22
अन्य आस्थगित कर देयता समय में अंतर उत्पन्न कर रही है		0.00		
निम्नलिखित के कारण सृजित आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ:				
आयकर दर प्रावधान के आधार पर संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों आदि के लिए प्रावधान	4.38		(2.45)	
अवकाश वेतन का प्रावधान	1.96		4.36	

10 NON CURRENT ASSETS- INTANGIBLE ASSETS

(Rs. In Lakhs)

	COMPUTER SOFTWARE	
	For the year ended 31st March 2024	For the year ended 31st March 2023
GROSS BLOCK		
As at beginning of the year	248.91	248.91
Addition during the year	-	-
Transfer/ Sale/ Adjustments during the year	-	-
Transfer to during the year	-	-
As at end of the year	248.91	248.91
DEPRECIATION		
As at beginning of the year	231.85	223.69
Adjustment during the year	-	-
Transfer to during the year	-	-
Transfer to general reserve	-	-
Depreciation during the year	5.57	8.16
As at end of the year	237.42	231.85
NET BLOCK		
As at beginning of the year	17.06	25.22
As at end of the year	11.49	17.06

11 DEFERRED TAX ASSETS (Net)

The break up of net deferred tax assets as at the end of current reporting period is as under:

Components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liability	As at 31-03-2024		As at 31-03-2023	
	Deferred Tax Assets (Rs. In Lakhs)	Deferred Tax Liability (Rs. In Lakhs)	Deferred Tax Assets (Rs. In Lakhs)	Deferred Tax Liability (Rs. In Lakhs)
Net Deferred Tax Asset / (Liability) as at the end of previous reporting period (A)	322.44		345.79	
Movement in Deferred Tax during the reporting period (B)				
Deferred Tax Liabilities created on account of :				
Difference between book value of depreciable assets as per books of accounts and written down value as per tax depreciation		16.93		5.67
Unpaid statutory Liability debited to Profit & Loss Accounts		1.25		
Other deferred tax asset giving rise to timing difference- (VRS)		15.77		16.22
Other deferred tax liability giving rise to timing difference		0.00		
Deferred Tax Assets created on account of :				
Provision for doubtful debts and advances etc. based on Income Tax Rate of Provision	4.38		(2.45)	

ग्रेच्युटी का प्रावधान	43.43		-	
मृत कर्मचारी योजना के लिए प्रावधान	0.36		(0.51)	
कुल	50.12	33.95	1.40	21.89
चालू रिपोर्टिंग अवधि के दौरान लाभ और हानि विवरण में प्रभारित शुद्ध परिसंपत्ति / (देयता) (बी)			(20.49)	
पिछले वर्षों का समायोजन (सी)			(2.86)	
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति / (देयता) (ए)(बी)(सी)			322.44	

नोट – शुद्ध परिसंपत्ति / (देयता) 16.17 लाख रुपये (पिछले वर्ष 23.35 लाख रुपये) को लाभ और हानि खाते में डाला गया।

12 गैर चालू परिसंपत्तियां – दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम

विवरण	31-03-2024 के अनुसार (रु. लाख में)	31-03-2023 के अनुसार (रु. लाख में)
कुल	-	-

कंपनी ने प्रमोटरों, निदेशकों, KMPS और अन्य संबंधित पार्टियों को ऋण की प्रकृति में कोई भी ऋण और अग्रिम प्रदान नहीं किया है जो कि मांग पर या चुकौती की किसी भी शर्त या अवधि के बिना चुकाया जा सकता है।

13 गैर चालू परिसंपत्तियां – अन्य

विवरण	31-03-2024 के अनुसार (रु. लाख में)	31-03-2023 के अनुसार (रु. लाख में)
सुरक्षा जमा राशि	6.94	3.08
कुल	6.94	3.08

कंपनी ने भौतिक रूप से उचित अंतराल पर इन्वेंट्री की पुष्टि की है और इस तरह के सत्यापन के दौरान इन्वेंट्री के प्रत्येक वर्ग के कुल योग में 10% या उससे अधिक की कोई विसंगति नहीं है।

14 वमौजूदा परिसंपत्तियां (असंग्रहित)

विवरण	31-03-2024 के अनुसार (रु. लाख में)	31-03-2023 के अनुसार (रु. लाख में)
(प्रबंधन द्वारा मूल्यांकित और प्रमाणित)		
माल बिक्री में, लागत पर या शुद्ध प्राप्त मूल्य (अप्रचलन के लिए कम लिखा गया), जो भी कम हो से लिया गया है	372.95	258.04
दूसरी जगह ले जाया जाता सामान	-	-
कुल	372.95	258.04

कंपनी ने भौतिक रूप से उचित अंतराल पर इन्वेंट्री की पुष्टि की है और इस तरह के सत्यापन के दौरान इन्वेंट्री के प्रत्येक वर्ग के कुल योग में 10% या उससे अधिक की कोई विसंगति नहीं है।

Provision for leave salary	1.96		4.36	
Provision for gratuity	43.43		-	
Provision for Deceased Employee Scheme	0.36		(0.51)	
Total	50.12	33.95	1.40	21.89
Net Asset / (Liability) charged to Statement of Profit and Loss during the current reporting period (B)	16.17		(20.49)	
Previous Years adjustment (C)			(2.86)	
Net Deferred Tax Asset / (Liability) as at the end of current reporting period (A)+(B)+(C)	338.61		322.44	
Note - Net Asset / (Liability) of Rs. 16.17 Lakhs (Previous year Rs. 23.35 Lakhs) charged to Profit and Loss account.				

Note - Net Asset / (Liability) of Rs. 16.17 Lakhs (Previous year Rs. 23.35 Lakhs) charged to Profit and Loss account.

12 NON CURRENT ASSETS - LONG TERM LOAN AND ADVANCES

Particulars	As at 31-03-2024 (Rs. in Lakhs)	As at 31-03-2023 (Rs. in Lakhs)
TOTAL	-	-

The company has not granted any loan and advances in the nature of loan to promoters, directors, KMPS and other related parties that are repayable on demand or without specified any terms or period of repayment.

13 NON CURRENT ASSETS – OTHERS

Particulars	As at 31-03-2024 (Rs. in Lakhs)	As at 31-03-2023 (Rs. in Lakhs)
Security Deposit	6.94	3.08
TOTAL (b)	6.94	3.08

14 CURRENT ASSETS - INVENTORIES

Particulars	As at 31-03-2024 (Rs. in Lakhs)	As at 31-03-2023 (Rs. in Lakhs)
(As taken, valued and certified by the management)		
Stock-in-trade - At cost (less written off for obsolescence) or net realizable value, whichever is less.	372.95	258.04
Goods in Transit	-	-
TOTAL	372.95	258.04

The Company has physically verified the inventories at reasonable intervals and there are no discrepancies of 10% or more in the aggregate of each class of inventories were noticed during such verification.

15 वर्तमान परिसंपत्तियां— व्यापार प्राप्य

विवरण	31-03-2024 के अनुसार (रु. लाख में)		31-03-2023 के अनुसार (रु. लाख में)	
	विविध देनदार (असुरक्षित)			
i) छह महीने से अधिक				
— अच्छा माना गया	25,576.18		25,853.46	
— संदिग्ध माना गया	561.18		564.83	
	26,137.36		26,418.29	
—घटाएं: संदिग्ध के लिए प्रावधान	(561.18)	25,576.18	(564.83)	25,853.46
ii) अन्य (अच्छा माना गया)		2,477.03		3,174.19
कुल		28,053.21		29,027.65
i) शेष राशि की पुष्टि एक सतत प्रक्रिया है। वर्तमान समीक्षावधि के अंत में वर्ष के अंत में शेष सभी व्यापार प्राप्तियों को पुष्टि के लिए भेज दिया गया है, हालांकि, पुष्टि निम्नानुसार प्राप्त हुई है:-				

विवरण	कुल		31-03-2024 के अनुसार प्राप्त पुष्टि		31-03-2023 के अनुसार शेष की पुष्टि का %	
	एजेंसियों की सं.	बकाया राशि (लाख रु में)	एजेंसियों की संख्या	बकाया राशि (लाख रु में)	एजेंसियों की संख्या (%)	बकाया राशि (%)
व्यापार की प्राप्ति	1,116.00	28,614.39	282.00	1,861.64	25.27%	6.51%

- i) ऊपर दर्शाए गए पुष्टिकृत शेषों में वे शेष शामिल नहीं हैं, जहाँ कोई विवाद है, बल्कि केवल वे शेष शामिल हैं जहाँ अंतर/समाधान के कारण प्रविष्टियाँ दोनों पक्षों को स्वीकार्य हैं। पुष्टि के लिए लंबित शेष राशि की समीक्षा की जाएगी और उचित समय पर उनका समाधान किया जाएगा और इन मामलों में यदि कोई समायोजन आवश्यक है, तो समाधान यथाशीघ्र किया जाएगा।
- ii) 28,614.39 लाख रुपये के व्यापार प्राप्तियों (पिछले वर्ष 29,592.48 लाख रुपये) में लखनऊ शाखा कार्यालय द्वारा की गई बिक्री से संबंधित 24,564.75 लाख रुपये (पिछले वर्ष – 24,564.75 लाख रुपये) की राशि शामिल है। उपर्युक्त मामला वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, फॉरेंसिक ऑडिटर और सतर्कता विभाग द्वारा जांच के अधीन था। फॉरेंसिक ऑडिटर और सतर्कता जांच की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए इसे सीबीआई को भेज दिया गया है। तदनुसार, मामले को बोर्ड के निर्देशानुसार निपटाया जाएगा। बोर्ड के निर्देशानुसार, समितियों/उपयोगकर्ता एजेंसियों और आपूर्तिकर्ताओं से बकाया राशि का पता लगाने के लिए 1 अप्रैल 2017 से लेनदेन का ऑडिट शुरू किया गया है, जो बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।
- iii) 28,614.39 लाख रुपये के लिए व्यापार प्राप्य (पिछले वर्ष 29,592.48 लाख रुपये) में 190.18 लाख रुपये (पिछले वर्ष 189.77 लाख रुपये) की राशि शामिल है, जिसके लिए निगम द्वारा उपयुक्त न्यायालयों में मुकदमा दायर किया गया है। इसके अलावा, व्यापार प्राप्य में 189.24 लाख रुपये (पिछले वर्ष 189.24 लाख रुपये) शामिल है, जो वस्त्र की आपूर्ति के सापेक्ष प्राप्य शामिल हैं, जिसमें निगम के पास लेनदारों को संबंधित बकाया है, जोकि वसूली के बाद ही देय है। फैंब्रिक लेनदारी 210.11 लाख रुपये (पिछले वर्ष 210.11 लाख रुपये) हैं। व्यापार प्राप्तियों में 20 लाख रुपये की राशि भी शामिल है। 1097.00 लाख रुपये (पिछले वर्ष 755.20 लाख रुपये) जिसमें निगम द्वारा कॉर्पस फंड (क्लस्टर विकास) के रूप में प्राप्त रिवॉल्विंग एडवांस के सापेक्ष आपूर्ति की गई है।
- iv) व्यापार प्राप्य न तो कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों के लिए अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से प्राप्य हैं, न ही कोई व्यापार या अन्य प्राप्य क्रमशः फर्म या निजी कंपनियों से देय हैं जिनमें कोई भी निदेशक भागीदार/निदेशक या सदस्य है।

15 CURRENT ASSETS- TRADE RECEIVABLE

Particulars	As on		As on	
	31-03-2024 (Rs. In Lakhs)		31-03-2023 (Rs. In Lakhs)	
SUNDRY DEBTORS (unsecured)				
i) Over six months				
- Considered good	25,576.18		25,853.46	
- Considered doubtful	561.18		564.83	
	26,137.36		26,418.29	
- Less: Provision for doubtful debts	(561.18)	25,576.18	(564.83)	25,853.46
ii) Others (Considered good)		2,477.03		3,174.19
TOTAL		28,053.21		29,027.65
i) The balance confirmation is a continuous process. The year end balances as at the end of current reporting period has been sent to all the Trade Receivables for confirmation, however, confirmation has been received as follows:-				

Particulars	Total		Confirmation received as on		% of Confirmation of	
	No. of agencies	Amount outstanding (Rs. In Lakhs)	No. of agencies	Amount outstanding (Rs. In Lakhs)	No. of agencies (%)	Amount outstanding (%)
Trade Receivables	1,116.00	28,614.39	282.00	1,861.64	25.27%	6.51%

The confirmed balances shown above do not include those, where there is any dispute, but only those balances where the entries on account of difference/ reconciliation are acceptable to both the parties. The balances which are pending for confirmation will be reviewed and reconciled in due course and the adjustment, if any, required in these cases will be made as soon as reconciled.

- ii) Trade Receivables for Rs. 28,614.39 Lakhs (Previous year Rs. 29,592.48 Lakhs) include a sum of Rs. 24,564.75 Lakhs (Previous year - Rs. 24,564.75 Lakhs).relating to sale made by Lucknow branch office. During FY 2020-21, the aforementioned matter was under investigation by Forensic Auditor & Vigilance department. Reports of the Forensic Auditor and Vigilance probe have been received and the same have been sent to CBI for further necessary action in this regard. Accordingly, the matter will be dealt as per directions of the Board. As per the direction of the Board, to ascertain amount outstanding from the societies/user agencies and the suppliers, transaction audit from 1st April 2017 onwards has been initiated, on compilation, the report same will be presented to the Board.
- iii) Trade Receivables for Rs. 28,614.39 Lakhs (Previous year Rs. 29,592.48 Lakhs) include a sum of Rs. 190.18 Lakhs (Previous year Rs. 189.77 Lakhs) for which suits have been filed by the corporation with appropriate courts. Further, Trade Receivables include Rs.189.24 Lakhs (Previous year Rs. 189.24 Lakhs) receivable against supply of fabric wherein the corporation is having corresponding dues to creditors, payable only after realization. The fabric creditors are Rs. 210.11 Lakhs (Previous year Rs. 210.11 Lakhs). Trade Receivables also includes a sum of Rs. 1097.00 Lakhs (Previous year Rs. 755.20 Lakhs) wherein supplies have been made against the revolving advance received by the corporation as Corpus Fund (Cluster Development).

- v) दिनांक 16.06.2023 की 177वीं बोर्ड बैठक द्वारा स्वीकृत लेखांकन नीति में बदलाव के कारण वर्ष के दौरान 3 वर्षों से अधिक समय से बकाया गैर-कॉर्पस निधियों के विरुद्ध 129.10 लाख रुपये (पिछले वर्ष – 154.31 लाख रुपये) के संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान प्रदान नहीं किया गया है। हालांकि दिनांक 15.09.2023 की 178वीं बोर्ड बैठक की स्वीकृती के अनुसार 561.18 लाख रुपये (पिछले वर्ष – 564.83 लाख रुपये) की बकाया राशि को बही खातों में जारी रखा जा रहा है।
- vi) संशयात्मक व्यापार प्राप्तियों के लिए प्रावधान का विवरण नीचे दिया गया है: –

लाख रूप में

विवरण	31-03-2023 के अनुसार शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	कुल	वसूल/समायोजित राशि	वर्ष के दौरान बड़े खातों में डाला गया	31-03-2024 के अनुसार शेष
संदिग्ध व्यापार प्राप्तियों के लिए प्रावधान	564.83	18.14	582.97	21.79	-	561.18

vii) व्यापार प्राप्य की अनुसूची बनाना:

31.03.2024 के अनुसार

लाख रूप में

विवरण	अदेय	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
		6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – अच्छा माना जाता है	-	2,477.61	33.78	115.88	70.22	869.60	3,567.08
ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – संदिग्ध माना जाता है	-	-	-	-	-	312.92	312.92
i) विवादित व्यापार प्राप्तियां अच्छी मानी जाती हैं	-	-	-	-	-	-	-
iv) विवादित व्यापार प्राप्तियां संदिग्ध मानी जाती हैं	-	-	-	-	-	24,734.39	24,734.39
कुल	-	2,477.61	33.78	115.88	70.22	25,916.91	28,614.39

31.03.2023 के अनुसार

लाख रूप में

विवरण	अदेय	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
		6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – अच्छा माना जाता है	-	3,133.02	372.24	107.93	30.42	837.82	4,481.44
ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – संदिग्ध माना जाता है	-	-	-	-	-	361.34	361.34
i) विवादित व्यापार प्राप्तियां अच्छी मानी जाती हैं	-	-	-	-	-	-	-
iv) विवादित व्यापार प्राप्तियां संदिग्ध मानी जाती हैं	-	-	-	-	-	24,749.70	24,749.70
कुल	-	3,133.02	372.24	107.93	30.42	25,948.86	29,592.48

- iv) Trade receivables are neither receivable from directors or other officers of the company either severally or jointly with any other person, nor any trade or other receivable are due from firm or private companies respectively in which any director is a partner/ director or member.
- v) Provision for doubtful debts of Rs. 129.10 Lakhs (Previous Year - Rs. 154.31 Lakhs) against the non-corpus funds outstanding for more than 3 Years have not been provided for during the year due to change in accounting policy approved vide. 177th Board meeting dtd. 16.06.2023. However, balance outstanding of Rs. 561.18 Lakhs (Previous Year - Rs. 564.83 Lakhs) is being continued in books of accounts vide board meeting approved in 178th board meeting dtd 15.09.2023.
- vi) The details of provision for doubtful Trade Receivables is placed herein below:-

(Rs. In Lakhs)

Particulars	Balance as on 31-03-2023	Addition during the year	Total	Amount realized/ adjusted	Written off during the year	Balance as on 31-03-2024
Provision for doubtful Trade Receivables.	564.83	18.14	582.97	21.79	-	561.18

vii) Ageing Schedule of Trade Receivables :

As at 31.03.2024

(Rs. In Lakhs)

Particulars	Not Due	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
		Less than 6 months	6 months -1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
i) Undisputed Trade receivables – considered good	-	2,477.61	33.78	115.88	70.22	869.60	3,567.08
ii) Undisputed Trade Receivables – considered doubtful	-	-	-	-	-	312.92	312.92
i) Disputed Trade Receivables considered good	-	-	-	-	-	-	-
iv) Disputed Trade Receivables considered doubtful	-	-	-	-	-	24,734.39	24,734.39
Total	-	2,477.61	33.78	115.88	70.22	25,916.91	28,614.39

As on 31.03.2023

(Rs. In Lakhs)

Particulars	Not Due	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
		Less than 6 months	6 months -1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
i) Undisputed Trade receivables – considered good	-	3,133.02	372.24	107.93	30.42	837.82	4,481.44
ii) Undisputed Trade Receivables – considered doubtful	-	-	-	-	-	361.34	361.34
i) Disputed Trade Receivables considered good	-	-	-	-	-	-	-
iv) Disputed Trade Receivables considered doubtful	-	-	-	-	-	24,749.70	24,749.70
Total	-	3,133.02	372.24	107.93	30.42	25,948.86	29,592.48

16 वर्तमान संपत्ति – नकद और नकद समतुल्य

विवरण	31-03-2024 के अनुसार (रु. लाख में)	31-03-2023 के अनुसार (रु. लाख में)
(क) नकद और नकद समकक्ष		
अनुसूचित बैंक के पास शेष राशि*	1,654.91	1,599.88
–गैर–अनुसूचित बैंक के पास शेष राशि	-	0.35
(ख) अन्य बैंक शेष राशि		
एफडीआर	8,081.31	10,467.40
कुल	9,736.22	12,067.63

*अनुसूचित बैंक के पास शेष राशि में 0.89 लाख रुपये (पिछले वर्ष – 0.89 लाख रुपये) शामिल हैं, जो बैंक खाते से संबंधित है, जो बैंक के साथ लंबित केवाईसी औपचारिकताओं के कारण निष्क्रिय हो गया है।

अनुसूचित बैंक के पास शेष राशि में बैंक द्वारा अनजाने में किए गए डुप्लिकेट डेबिट के लिए 7.73 लाख रुपये (पिछले वर्ष – शून्य) शामिल हैं।

17 मौजूदा परिसंपत्तियां – अल्प अवधि के ऋण और अग्रिम

विवरण	31-03-2024 के अनुसार (रु. लाख में)		31-03-2023 के अनुसार (रु. लाख में)	
(i) ऋण (असुरक्षित, अच्छा माना जाता है)				
– कर्मचारियों को वाहन ऋण		-		0.06
(ii) अग्रिम (अप्रतिभूत)				
(नकद या वस्तु में वसूली योग्य या मूल्य प्राप्त करने के लिए)				
– आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम राशि				
– अच्छा माना गया	2,412.50		2,417.01	
– संदिग्ध माना गया	11.22		11.22	
	2,423.72		2,428.23	
– घटाएं: संदिग्ध के लिए प्रावधान	-11.22	2,412.50	-11.22	2,417.01
(iii) स्टाफ को अग्रिम				
– अच्छा माना गया	24.87		19.56	
– संदिग्ध माना गया	1.26		1.26	
	26.13		20.82	
– घटाएं: संदिग्ध के लिए प्रावधान अग्रिम	(1.26)	24.87	(1.26)	19.56
(iv) अन्य को अग्रिम				
– अच्छा माना गया	534.74		612.60	
– संदिग्ध माना गया	1.35		1.35	
	536.09		613.95	
–घटाएं: संदिग्ध के लिए प्रावधान अग्रिम	(1.35)	534.74	(1.35)	612.60
(v) पूर्वदात व्यय		15.58		18.04
(vi) स्रोत पर कर कटौती सहित अग्रिम आयकर		53.24		53.42
(vii) जीएसटी प्राप्य		122.65		56.73

16 CURRENT ASSETS - CASH & BANK BALANCES

Particulars	As at 31-03-2024 (Rs. in Lakhs)	As at 31-03-2023 (Rs. in Lakhs)
(a) Cash and Cash equivalents		
-Balances with scheduled bank *	1,654.91	1,599.88
-Balances with non- scheduled bank	-	0.35
(b) Other Bank Balances		
-FDR	8,081.31	10,467.40
TOTAL	9,736.22	12,067.63

*Balances with scheduled bank include Rs. 0.89 Lakh (previous year - Rs. 0.89 Lakh) pertains to Bank account which has become dormant due to pending KYC formalities with Bank.

Balances with scheduled bank include Rs. 7.73 Lakhs (previous year - Nil) towards duplicate debit made by Bank inadvertently.

17 CURRENT ASSETS - SHORT TERM LOANS AND ADVANCES

Particulars	As at 31-03-2024 (Rs. in Lakhs)		As at 31-03-2023 (Rs. in Lakhs)	
(i) Loans (Unsecured, considered good)				
- Vehicle loan to staff		4.24		-
(ii) Advances (Unsecured)				
(Recoverable in cash or kind or for value to be received)				
- Advance to suppliers				
- Considered good	2,408.74		2,412.50	
- Considered doubtful	11.22		11.22	
	2,419.96		2,423.72	
- Less: Provision for doubtful advances	(11.22)	2,408.74	(11.22)	2,412.50
(iii) Advance to staff (Unsecured)				
- Considered good	24.87		19.56	
- Considered doubtful	1.26		1.26	
	26.13		20.82	
- Less: Provision for doubtful advances	(1.26)	24.87	(1.26)	19.56
(iv) Advance to others (Unsecured)				
- Considered good	534.74		612.60	
- Considered doubtful	1.35		1.35	
	536.09		613.95	
- Less: Provision for doubtful advances	(1.35)	534.74	(1.35)	612.60
(v) Prepaid expenses		15.58		18.04
(vi) Advance income tax including tax deducted at source		53.24		53.42
(vii) GST receivable		122.65		56.73
(viii) DEPOSITS (Unsecured but considered good)				

(viii)	जमा (असुरक्षित लेकिन अच्छा माना जाता है)				
	- सरकारी विभागों के पास			-	-
	- परिसरों/अन्य के किराए के लिए				
	- अच्छा माना गया	17.56		37.38	
	- संदिग्ध माना गया	0.86		0.86	
		18.42		38.24	
	- घटाएं: संदिग्ध के लिए प्रावधान जमा	(0.86)	17.56	(0.86)	37.38
(ix)	प्राप्य				
	- भारत सरकार से सहायता अनुदान के विरुद्ध		4,995.68		5,408.35
	- प्राप्य दावे		40.25		40.25
	- मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स/अन्य के सापेक्ष बकाया				
	- अच्छा माना गया	11.37		21.85	
	- संदिग्ध माना गया	33.42		16.64	
		44.79		38.50	
	- घटाएं: संदिग्ध के लिए प्रावधान प्राप्य	(33.42)	11.37	(16.64)	21.85
(x)	उपयोग कर्ता एजेंसी से प्राप्य व्याज				
	आस्थगित उपार्जित ब्याज				
	- अच्छा माना गया	-		-	
	- संदिग्ध माना गया	179.35		179.35	
		179.35		179.35	
	- घटाएं: संदिग्ध के लिए प्रावधान ब्याज	(179.35)	-	(179.35)	-
	कुल		8,228.92		8,680.69

i) संदिग्ध परिसंपत्तियों के प्रावधान का विवरण नीचे दिया गया है:-

(लाख रूपए में)

	विवरण	31-03-2023 के अनुसार शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	कुल	वसूली/समायोजित की गई राशि	वर्ष के दौरान बढ़ते खाते में डाली गई राशि	31.03.2024 को शेष राशि
क)	आपूर्तिकर्ताओं को संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान।	11.22	-	11.22	-	-	11.22
ख)	कर्मचारियों को संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान।	1.26	-	1.26	-	-	1.26
ग)	अन्य को संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान।	1.35	-	1.35	-	-	1.35
घ)	संदिग्ध जमाराशियों के लिए प्रावधान।	0.86	-	0.86	-	-	0.86
ङ)	संदिग्ध प्राप्य के लिए प्रावधान।	16.64	16.78	33.42	-	-	33.42
च)	संदिग्ध आस्थगित उपार्जित ब्याज के लिए प्रावधान।	179.35	-	179.35	-	-	179.35
	कुल	210.68	16.78	227.46	-	-	227.46

	- With Government departments		-		-
	- For rent of complexes/ others				
	- Considered good	17.56		37.38	
	- Considered doubtful	0.86		0.86	
		18.42		38.24	
	- Less: Provision for doubtful deposits	(0.86)	17.56	(0.86)	37.38
(ix)	RECEIVABLES				
	- From the Government of India against grant-in-aid		4,995.68		5,408.35
	- Claims receivable		40.25		40.25
	- Outstanding against marketing Complex/ others				
	- Considered good	11.37		21.85	
	- Considered doubtful	33.42		16.64	
		44.79		38.50	
	- Less: Provision for doubtful receivables	(33.42)	11.37	(16.64)	21.85
(x)	Interest outstanding from user Agencies				
	Deferred accrued Interest				
	- Considered good	-		-	
	- Considered doubtful	179.35		179.35	
		179.35		179.35	
	- Less: Provision for doubtful interest	(179.35)	-	(179.35)	-
	TOTAL		8,228.92		8,680.69

i) The details of provision for doubtful assets is placed herein below:-

(Rs. In Lakhs)

Particulars	Balance as on 31-03-2023	Addition during the year	Total	Amount realized/ adjusted	Written off during the year	Balance as on 31-03-2024
a) Provision for doubtful advances to suppliers.	11.22	-	11.22	-	-	11.22
b) Provision for doubtful advances to staff.	1.26	-	1.26	-	-	1.26
c) Provision for doubtful advances to others.	1.35	-	1.35	-	-	1.35
d) Provision for doubtful deposits.	0.86	-	0.86	-	-	0.86
e) Provision for doubtful receivables.	16.64	16.78	33.42	-	-	33.42
f) Provision for doubtful deferred accrued interest.	179.35	-	179.35	-	-	179.35
Total	210.68	16.78	227.46	-	-	227.46

- ii) कंपनी ने प्रमोटरों, निदेशकों, कंपनीएम्एस और अन्य संबंधित पक्ष को ऋण के स्वरूप में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है, जो मांग पर या पुनर्भुगतान की अवधि की शर्तों की दृष्टि से निर्दिष्ट किए बिना चुकाए जा सकते हैं ।
- iii) आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम राशि 2,419.97 लाख रुपये (पिछले वर्ष 2423.72 लाख रुपये) में 2157.93 लाख रुपये की राशि शामिल है, जिसमें वर्ष 2017-2018 के लिए यार्न आपूर्ति योजना के तहत 10% यार्न सब्सिडी घटक शामिल है। 2157.93 लाख रुपये की 10% सब्सिडी की राशि (यानी 215.79 करोड़ रुपये का 10% मार्च, 2018 की बिक्री के लिए) एनएचडीसी को उपयोगकर्ता एजेंसियों से केवल 90% हिस्सा प्राप्त हुआ और आपूर्तिकर्ता मिलों के लिए 100% का भुगतान किया गया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार मार्च 2018 की सब्सिडी की उपरोक्त राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की, निगम ने आपूर्तिकर्ताओं को जमा सब्सिडी को समायोजित किया है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, उपरोक्त मामला फोरेंसिक ऑडिटर और सतर्कता विभाग द्वारा जांच के अधीन था। फोरेंसिक ऑडिटर की रिपोर्ट और सतर्कता जांच प्राप्त हुई है और इसे आगे की कार्रवाई के लिए सीबीआई को भेज दिया गया है। इसके अलावा, इस संबंध में पहले ही प्राप्त सी एंड ए जी की टिप्पणियां वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत कर दी गई हैं। बोर्ड के निदेशक के अनुसार, सोसाइटियों/प्रयोक्ता एजेंसियों और आपूर्तिकर्ताओं से बकाया राशि का पता लगाने के लिए, लेन-देन का 1 अप्रैल 2017 से ऑडिट शुरू किया गया है, इसके पूरा होने पर बोर्ड के निर्देशों के अनुसार रिपोर्ट को प्रस्तुत बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
- iv) 2,419.97 लाख रुपये के आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम (पिछले वर्ष 2423.72 लाख रुपये) में 7.27 लाख रुपये (पिछले वर्ष 7.27 लाख रुपये) की राशि शामिल हैं, जिसके लिए उपयुक्त न्यायालयों में निगम द्वारा मुकदमा द्वारा दायर किया गया है।
- v) भारत सरकार से अनुदान सहायता के तहत प्राप्त होने वाली राशि में 1502.59 लाख रुपए (पिछले वर्ष 2455.08 लाख रुपए) शामिल हैं, जो उन प्रसंगों के संबंध में हैं जिनमें सरकार को दावे प्रस्तुत किए जाने हैं।

विवरण	31-03-2023 के अनुसार शेष	वर्ष के दौरान खर्च की गई अतिरिक्त राशि और जमा किया गया यूसी	वर्ष के दौरान समायोजन और जमा की जाने वाली शेष राशि, अनुदान शेष	भारत सरकार से वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	31-03-2024 के अनुसार शेष
यार्न आपूर्ति सब्सिडी योजना					
10% हैंक यार्न सब्सिडी	1,951.60	12,807.29	-	12,351.60	2,407.29
वाईएसएस दावे (एमजीपीएस)	1,001.66	4,670.54	-	4,586.40	1,085.80
कार्पस सहित अन्य अनुदान	2,455.08	2,352.81	(580.80)	2,724.49	1,502.59
कुल	5,408.34	19,830.64	(580.80)	19,662.49	4,995.68

- vi) अनुदान सहायता के तहत भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि में वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2022-23 के लिए सीएनए प्रबंधन शुल्क के संबंध में 24 लाख रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये) शामिल हैं।
- vii) जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, 179.35 लाख रुपये (पिछले वर्ष 179.35 लाख रुपये) के लिए स्थगित उपार्जित ब्याज के संबंध में, निगम द्वारा उचित न्यायालय में वाद दायर किया गया है।
- viii) जीएसटी प्राप्य में रिफंड/समायोजन के रूप में 47.26 लाख रुपये शामिल हैं।

- ii) The company has not granted any loan or advance in the nature of loan to promoters, directors, KMP and other related parties that are repayable on demand or without specified any terms of period of repayment.
- iii) Advances to suppliers amounting to Rs. 2,419.97 Lakhs (Previous year Rs. 2423.72 Lakhs) including a sum of Rs 2157.93 Lakhs of 10% yarn subsidy component under Yarn Supply Scheme for the year 2017-2018. The amount of 10% subsidy of Rs. 2157.93 Lakhs (i.e.10% of Rs.215.79 crore for the sales of March,2018) NHDC received only 90% share from user agencies and paid 100% to the supplier mills. Considering the fact that the Ministry of Textiles, Government of India didn't reimburse the aforesaid amount of subsidy of March 2018, Corporation adjusted the subsidy amount by debiting to the suppliers. During PY 2020-21, the aforementioned matter was under investigation by Forensic Auditor & Vigilance department. Reports of the Forensic Auditor and Vigilance probe have been received and the same have been sent to CBI for further necessary action in this regard. Further, comments of C&AG received in this regard have already been submitted to the Ministry of Textiles, Government of India. As per the director of the Board, to ascertain amount outstanding from the societies/user agencies and the suppliers, transaction audit from 1st April 2017 onwards has been initiated, on compilation, the report same will be presented to the Board for further necessary directions in this regard.
- iv) Advances to suppliers of Rs. 2,419.97 Lakhs (Previous year Rs. 2,423.72 Lakhs) include a sum of Rs. 7.27 Lakhs (Previous year Rs. 7.27 Lakhs) for which suit have been filed by the Corporation with appropriate courts.
- v) Receivable from Government of India against grant-in-aid includes Rs. 1502.59 Lakhs (Previous year Rs. 2455.08 Lakhs) in respect of events wherein claims are to be submitted to the Government.

Particulars	Balance as on 31-03-2023	Addition, Amount spent during the year & UC submitted	Adjustment during the year & Balance UC to be submitted, Grant Balance	Amount received during the year from Govt.of India	Balance as on 31-03-2024
Yarn Supply Subsidy Scheme/ Raw Material Supply Scheme					
10%/15% Hank Yarn Subsidy	1,951.60	12,807.29	-	12,351.60	2,407.29
YSS CLAIMS (MGPS)	1,001.66	4,670.54	-	4,586.40	1,085.80
Other Grants Including Corpus	2,455.08	2,352.81	(580.80)	2,724.49	1,502.59
Total	5,408.34	19,830.64	(580.80)	19,662.49	4,995.68

- vi) Receivable from Government of India against grant-in-aid includes Rs. 24 Lakhs (Previous year Rs. Nil) in respect of CNA management charges for Financial Year 2023-24 and 2022-23.
- vii) In respect of Deferred accrued interest for Rs. 179.35 Lakhs (Previous year Rs. 179.35 Lakhs) as shown above, the suit has been filed by the corporation with appropriate court.
- viii) GST receivable includes Rs. 47.26 Lakhs on account of refund / adjustment.

18 अन्य चालू परिसंपत्तियाँ (कॉर्पस)

विवरण	31-03-2024 के अनुसार	31-03-2023 के अनुसार
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है		
(क) संग्रह निधि का नियोजन (विपणन परिसर)	2,529.77	2,356.55
(ख) संग्रह का नियोजन (मेगा कलस्टर)	1,278.72	1,191.16
(ग) संग्रह निधि का नियोजन (व्यापार सुविधा केंद्र)	96.94	96.94
(घ) संग्रह निधि पोचमपल्ली का नियोजन	3,162.83	2,945.46
(ङ) हथकरघा संवर्धन सहायता योजना	662.73	621.84
(च) समर्थ – वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण की योजना	169.96	204.72
(छ) सेंट्रल नोडल एजेंसी (सीएनए)	862.67	3,966.94
कुल	8,763.62	11,383.61

उपरोक्त कॉर्पस निधियों का निवेश सावधि जमा और चालू खाते/केंद्रीय नोडल खाते (सीएनए) में किया जाता है।

19 चालू परिसंपत्तियाँ – अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

विवरण	31-03-2024 के अनुसार (रु. लाख में)		31-03-2023 के अनुसार (रु. लाख में)	
क) ब्याज अर्जित किंतु प्राप्त नहीं हुआ		301.55		397.33
ख) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा कॉर्पस				
– चिकित्सा कॉर्पस के सापेक्ष एफडीआर	12.46		45.23	
– शेड्यूल बैंक के साथ शेष चालू खाता	-	12.46	-	45.23
कुल (क+ख)		314.01		442.56

20 परिचालकों से राजस्व

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)
(क) बिक्री कम रिटर्न		
– यार्न		
– यार्न आपूर्ति योजना/कच्चा माल आपूर्ति योजना	1,16,548.92	1,09,092.46
– सामान्य योजना	716.12	1,283.14
– रंग और रसायन	5,411.65	6,572.84
– फैब्रिक	-	-
कुल (क)	1,22,676.69	1,16,948.44
(ख) यार्न आपूर्ति योजना/कच्चा माल आपूर्ति योजना के तहत व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए सहायता अनुदान		
यातायात भुगतान	1,842.71	1,539.36
डिपो प्रभार	448.87	455.26
सेवा शुल्क	2,378.91	2,225.80
कुल (ख)	4,670.49	4,220.42
कुल(क+ख)	1,27,347.18	1,21,168.86

18 OTHER CURRENT ASSETS (CORPUS)

	Particulars	As at 31-03-2024 (Rs. in Lakhs)	As at 31-03-2023 (Rs. in Lakhs)
	Unsecured, considered good		
(A)	Deployment of Corpus Fund (Marketing Complexes)	2,529.77	2,356.55
(B)	Deployment of Corpus Fund (Mega Cluster)	1,278.72	1,191.16
(C)	Deployment of Corpus Fund (Trade Facilitation Centre)	96.94	96.94
(D)	Deployment of Corpus Fund Pochampally	3,162.83	2,945.46
(E)	Hathkargha Samverdhan Sahayeta Yojana	662.73	621.84
(F)	Samarth - Scheme for Capacity Building in Textiles Sector	169.96	204.72
(H)	Central Nodal Agency (CNA)	862.67	3,966.94
	TOTAL	8,763.62	11,383.61

The above Deployment of Corpus funds are in fixed deposit and current account / Central Nodal Account (CNA).

19 CURRENT ASSETS - OTHER CURRENT ASSETS

	Particulars	As at 31-03-2024 (Rs. in Lakhs)		As at 31-03-2023 (Rs. in Lakhs)	
A)	Interest accrued but not received		301.55		397.33
B)	<u>Post Retirement Medical Corpus</u>				
	-FDR against Medical Corpus	12.46		45.23	
	-Balance with Scheduled Bank in Current Account	-	12.46	-	45.23
	TOTAL (A+B)		314.01		442.56

20 REVENUE FROM OPERATIONS

	Particulars	For the year ended 31-03-2024 (Rs. In Lakhs)	For the year ended 31-03-2023 (Rs. In Lakhs)
(a)	Sales less returns		
	-Yarn		
	- Yarn Supply Scheme/Raw Material Supply Scheme	1,16,548.92	1,09,092.46
	- General Scheme	716.12	1,283.14
	-Dyes & chemicals	5,411.65	6,572.84
	-Fabrics	-	-
	Total (a)	1,22,676.69	1,16,948.44
(b)	Grant-in-aid against reimbursement of expenditure under Yarn Supply Scheme/Raw Material Supply Scheme		
	-Transportation Charges	1,842.71	1,539.36
	-Depot Charges	448.87	455.26
	-Service charges	2,378.91	2,225.80
	Total (b)	4,670.49	4,220.42
	TOTAL (a+b)	1,27,347.18	1,21,168.86

- i) यार्न आपूर्ति योजना/कच्चा माल आपूर्ति योजना के अंतर्गत यार्न की आपूर्ति के कारण व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए अनुदान सहायता राशि 4670.49 लाख रुपये (पिछले वर्ष 4220.42 लाख रुपये) को उपार्जित आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।

21 अन्य योजना

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)
विविध रसीद/निविदा शुल्क	-	0.80
डिपो शुल्क प्राप्त हुआ	70.86	12.73
बैंक/वाहन ऋण/अन्य से ब्याज	73.69	30.35
नकद छूट/कमीशन	717.90	637.71
प्रावधान देनदारियां/अधिकता के वापस लिया गया	1.97	0.74
प्रावधान जो अब वापस लेने की आवश्यकता नहीं है	150.09	0.00
कुल	1,021.84	682.33

- i) बैंक/वाहन ऋण/अन्य से प्राप्त ब्याज 108.42 लाख रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये) है, जो पिछले वर्षों के एफडीआर पर ब्याज आय का प्रत्यावर्तन है।
- ii) देयताएं/अतिरिक्त प्रावधान वापस लिखे गए:
वित्त वर्ष 2023-24 - 48.41 लाख रुपये में 47.67 लाख रुपये शामिल हैं, जो पिछले वर्षों के व्यवसाय संवर्धन व्यय के प्रावधान का प्रत्यावर्तन है।
वित्त वर्ष 2022-23 - वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 150.09 लाख रुपये की अनुग्रह राशि का प्रावधान है, जो निदेशक मंडल के अनुसार 15.09.2023 की 178वीं बोर्ड बैठक में अनुमोदन के बाद 150.00 लाख रुपये की राशि को वापस कर दिया गया है।
देयताएं/अतिरिक्त प्रावधान वापस लिखे गए:
वित्त वर्ष 2023-24 - 48.41 लाख रुपये में 47.67 लाख रुपये शामिल हैं, जो पिछले वर्षों के व्यवसाय संवर्धन व्यय के प्रावधान का प्रत्यावर्तन है।
वित्त वर्ष 2022-23 - वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 150.09 लाख रुपये की अनुग्रह राशि का प्रावधान है, जो निदेशक मंडल के अनुसार 15.09.2023 की 178वीं बोर्ड बैठक में अनुमोदन के बाद 150.00 लाख रुपये की राशि को वापस कर दिया गया है।
- iii) 5.01 लाख रुपये (पिछले वर्ष 7.33 लाख रुपये) के लिए अब लिखित रूप से प्रावधान की आवश्यकता नहीं है, यह संदिग्ध ऋणों से की गई वसूली के संबंध में है। खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया गैर-कॉर्पस व्यापार प्राप्तियों के आधार पर किया जाता है और आपूर्तिकर्ताओं के साथ कोई बैंक टू बैंक व्यवस्था नहीं की जाती है, जिन्हें वसूली के लिए संदिग्ध माना जाता है।

22 व्यापारिक में स्टॉक की खरीद

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)
खरीद घटाकर लाभ		
यार्न	1,17,365.26	1,10,390.91
रंग एवं रसायन	5,231.28	6,339.46
फैब्रिक्स	-	-
कुल	1,22,596.54	1,16,730.37

- i) वर्ष 2023-24 के दौरान सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) (एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) से खरीद का मूल्य 65,832.37 लाख रुपये (कुल खरीद का 53.70%) है, जबकि पिछले वर्ष 2022-23 के दौरान यह 52,432.71 लाख रुपये (कुल खरीद का 44.92%) था।

- i) Grant in aid against reimbursement of expenditure under Yarn Supply Scheme/Raw Material Supply Scheme amounting to Rs. 4670.49 Lakhs (Previous year Rs. 4220.42 Lakhs) on account of supply of yarn has been accounted for on accrual basis.

21 OTHER INCOME

Particulars	For the year ended 31-03-2024 (Rs. In Lakhs)	For the year ended 31-03-2023 (Rs. In Lakhs)
Miscellaneous receipt/ tender Fees	127.76	70.86
Depot charges received	83.41	73.69
Interest from bank/ vehicle loan/ others	563.32	717.90
Cash discount/ commission	3.66	1.97
Liabilities/ excess provisions written back	48.41	150.09
Provision no longer required written back	5.01	7.33
TOTAL	831.57	1,021.84

- i) Interest from bank/ vehicle loan/ others is net off Rs. 108.42 Lakhs (Previous year Rs. Nil) being the reversal of Interest Income on FDR for earlier years.
- ii) Liabilities/ excess provisions written back:
 FY 2023-24 - Rs. 48.41 Lakhs includes Rs. 47.67 Lakhs being the reversal of provision for business promotion expenses for earlier years.
 FY 2022-23 - Rs. 150.09 Lakhs is provision for ex gratia for the FY 2018-19 amounting to Rs. 150.00 Lakhs which has been reversed as per the Board of Directors, vide board meeting approved in 178th board meeting dtd 15.09.2023.
- iii) Provision no longer required written back for Rs. 5.01 Lakhs (Previous year Rs. 7.33 Lakhs) is with respect to recovery made from doubtful debts. Provision for bad and doubtful debts is made based on non-corpus Trade Receivables outstanding for more than three years and no back to back arrangement with suppliers are considered doubtful of recovery are invariably provided.

22 PURCHASES OF STOCK IN TRADE

Particulars	For the year ended 31-03-2024 (Rs. In Lakhs)	For the year ended 31-03-2023 (Rs. In Lakhs)
Purchases less returns		
-Yarn	1,17,365.26	1,10,390.91
-Dyes & chemicals	5,231.28	6,339.46
-Fabrics	-	-
TOTAL	1,22,596.54	1,16,730.37

- i) The value of purchases from Micro and Small Enterprises (MSEs) (including MSEs owned by SC/ ST entrepreneurs) during the year 2023-24 is Rs. 65,832.37 Lakhs (53.70 % of total purchases) as against Rs. 52,432.71 Lakhs (44.92 % of total purchases) during the previous year 2022-23.

23 परिवहन/डिपो शुल्क

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)
परिवहन शुल्क	1,842.71	1,539.36
डिपो शुल्क	448.87	455.26
कुल	2,291.58	1,994.62

- i) यार्न आपूर्ति योजना/कच्चा माल आपूर्ति योजना के अंतर्गत यार्न की आपूर्ति के कारण परिवहन एवं डिपो शुल्क की राशि 2291.58 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1994.62 लाख रुपये) उपार्जन आधार पर दर्ज की गई है। उपयोगकर्ता एजेंसियों को देय परिवहन एवं डिपो शुल्क का प्रावधान योजना के अनुसार किया गया है।

24 तैयार माल की सूची में परिवर्तन प्रगति पर है और स्टॉक व्यापार में है

(रु. लाख में)

विवरण	आरंभिक स्टॉक 01-04-2023 को	अंतिम स्टॉक 31-03-2024 को	वृद्धि (-)/ कमी (+)
यार्न	235.46	350.32	(114.86)
रंग एवं रसायन	22.58	22.63	(0.05)
फैब्रिक्स	-	-	-
कुल	258.04	372.95	(114.91)

विवरण	आरंभिक स्टॉक 01-04-2022 को	अंतिम स्टॉक 31-03-2023 को	वृद्धि (-)/ कमी (+)
यार्न	203.76	235.46	(31.70)
रंग एवं रसायन	19.34	22.58	(3.24)
फैब्रिक्स	-	-	-
कुल	223.10	258.04	(34.94)

23 कर्मचारी लाभ व्यय

	विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)
क)	वेतन एवं मजदूरी		
	वेतन और भत्ता	1,317.39	1,371.02
	लीज पर आवास सहित वेतन एवं भत्ते (प्रबंध निदेशक)	53.01	66.31
	अवकाश नकदीकरण – उपार्जित अवकाश के प्रावधान सहित	101.44	96.64
	अनुग्रह राशि (प्रबंध निदेशक के 5.98 लाख रुपये सहित)	146.23	149.98

23 TRANSPORTATION/ DEPOT CHARGES

Particulars	For the year ended 31-03-2024 (Rs. In Lakhs)	For the year ended 31-03-2023 (Rs. In Lakhs)
Transportation Charges	1,842.71	1,539.36
Depot Charges	448.87	455.26
TOTAL	2,291.58	1,994.62

- i) Transportation and depot charges under Yarn Supply Scheme/Raw Material Supply Scheme amounting to Rs. 2291.58 Lakhs (Previous year Rs. 1994.62 Lakhs) on account of supply of yarn has been accounted for on accrual basis. Provision for transportation and depot charges payable to the user agencies has been made in accordance with the scheme.

24 CHANGES IN INVENTORIES OF FINISHED GOODS WORK IN PROGRESS AND STOCK IN TRADE

(Rs. In Lakhs)

Particulars	OPENING STOCK ON 01-04-2023	CLOSING STOCK ON 31-03-2024	INCREASE (-)/ DECREASE (+)
YARN	235.46	350.32	(114.86)
DYES & CHEMICALS	22.58	22.63	(0.05)
FABRICS	-	-	-
TOTAL	258.04	372.95	(114.91)

Particulars	OPENING STOCK ON 01-04-2022	CLOSING STOCK ON 31-03-2023	INCREASE (-)/ DECREASE (+)
YARN	203.76	235.46	(31.70)
DYES & CHEMICALS	19.34	22.58	(3.24)
FABRICS	-	-	-
TOTAL	223.10	258.04	(34.94)

25 EMPLOYEE BENEFITS EXPENSES

	Particulars	For the year ended 31-03-2024 (Rs. In Lakhs)	For the year ended 31-03-2023 (Rs. In Lakhs)
a)	Salary & Wages		
	Salary and allowances	1,317.39	1,371.02
	Salary & allowances Including Lease accommodation (Managing Director)	53.01	66.31
	Leave encashment (Including provision for accrued leave)	101.44	96.64
	Ex-Gratia (Including Managing Director Rs. 5.98 Lakhs)	146.23	149.98

	भर्ती पर व्यय	4.56	1.90
	चिकित्सा व्यय	16.33	30.33
	कार्मिकों को प्रशिक्षण	2.46	1.78
	उप जोड़ (क)	1,641.42	1,717.97
ख)	पीएफ एवं अन्य निधि में अंशदान		
	सीपीएफ और एफपीएफ/ईडीएलआई योजना/एनपीएस में नियोक्ता का योगदान	168.62	170.40
	ग्रेच्युटी	48.43	55.82
	उप जोड़ (ख)	217.05	226.22
ग)	कर्मचारी कल्याण व्यय		
	कर्मचारी कल्याण व्यय (मानदेय, इनाम वर्दी और पोशाक सहित)	53.41	30.81
	मृतक कर्मचारी को भुगतान योजना	7.74	8.35
	उप जोड़ (ग)	61.15	39.16
	जोड़ (क+ख+ग)	1,919.62	1,983.35

क) लेखांकन मानक-15 'कर्मचारी लाभ' के अनुसार, लेखा मानक में परिभाषित कर्मचारी लाभों का प्रकटीकरण नीचे दिया गया है:

परिभाषित अंशदान योजना

परिभाषित अंशदान योजना में योगदान, जिसे वर्ष के लिए व्यय के रूप में माना गया है, निम्नानुसार है:

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)
सीपीएफ/एफपीएफ/एनपीएस/डीडीई और ईडीएलआई योजनाओं में नियोक्ता का योगदान।	176.36	178.76

निगम की भविष्य निधि को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 17 के तहत छूट दी गई है। छूट की शर्त यह निर्धारित करती है कि नियोक्ता वैधानिक दर के सापेक्ष ट्रस्ट द्वारा घोषित ब्याज दर में अच्छी कमी, यदि कोई हो, तो करेगा।

ii) वर्ष 2023-24 के दौरान प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों (केएमपी) को भुगतान किया गया पारिश्रमिक निम्नानुसार है: –
(लाख रुपये में)

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक			
		प्रबंध निदेशक	सीएफओ	कंपनी सचिव	कुल
01.	कुल वेतन	55.74	27.47	-	83.21
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन				-
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलाभों का मूल्य				-
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ				-

Recruitment Expenses	4.56	1.90
Medical expenses	16.33	30.33
Training to personnel	2.46	1.78
Sub Total (a)	1,641.42	1,717.97
b) Contribution to PF & other Fund		
Employers contribution to CPF & FPF/ EDLI scheme/NPS	168.62	170.40
Gratuity	48.43	55.82
Sub Total (b)	217.05	226.22
c) Staff Welfare expenses		
Staff welfare expenses (including honorarium, reward uniform & liveries)	53.41	30.81
Payment to Deceased Employee Scheme	7.74	8.35
Sub Total (c)	61.15	39.16
Total (a+b+c)	1,919.62	1,983.35

- i) As per Accounting Standard -15 "Employee Benefits", the disclosures of Employee Benefits as defined in the Accounting Standard is given below:-

Defined Contribution Plan

Contribution to Defined Contribution Plan, recognized as expense for the year is as under:

Particulars	For year ended 31-03-2024 (Rs. In Lakhs)	For year ended 31-03-2023 (Rs. in Lakhs)
Employer's contribution to CPF/ FPF/NPS/DDE & EDLI Schemes.	176.36	178.76

Corporation's provident fund is exempted u/s 17 of Employee's Provident Fund Act, 1952. Condition to exemptions stipulates that the employer shall make good deficiency, if any, in the interest rate declared by the trust against the statutory rate.

- ii) Remuneration paid to Key Managerial Personnels (KMP) during the year 2023-24 is as below:-

(Rs. In Lakhs)

SI No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			
		MD	CFO	Co. Secretary	TOTAL
01.	Gross Salary	55.74	27.47	-	83.21
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act, 1961				-
	(b) Value of Perquisites u/s 17(2) of Income Tax Act, 1961				-
	(c) Profits in lieu of salary u/s 17(3) of Income Tax Act, 1961				-

02.	स्टॉक विकल्प				-
03.	स्वेट इक्विटी				-
04.	कमीशन				
	– लाभ के % के रूप में				-
	– अन्य, दर्शाएं				-
05.	अन्य, कृपया दर्शाएं	20.05			20.05
	कुल	71.81	25.52	3.50	100.83

26 वित्तीय लागत

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)
बैंक/अन्य को ब्याज	-	-
अन्य उधार लागत	-	-
कुल	-	-

27 अन्य व्यय

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)
(क) प्रशासनिक व्यय		
यात्रा व्यय	75.25	49.59
लेखा परीक्षकों को भुगतान	5.79	5.83
बोर्ड बैठक खर्च (बैठक शुल्क)	4.56	14.58
किताबें और पत्रिकाएं	0.42	0.33
वाहन व्यय	19.98	17.84
बिजलीघानी शुल्क	19.40	19.23
बीमा	10.63	13.18
कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	125.35	112.00
सदस्यता शुल्क और सब्सक्रिप्शन (अंशदान)	2.93	6.91
कार्यालय रखरखाव	21.87	16.44
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	22.02	16.93
डाक/टेलीग्राम/टेलीफोन और टेलेक्स	21.67	24.18
किराया, दरें और कर (वसूली का शुद्ध)	124.69	120.61
मरम्मत एवं रखरखाव	30.77	21.30
सेवा वाहन व्यय	50.27	52.15
जनशक्ति व्यय	60.85	35.38
सुरक्षा व्यय	40.19	35.82
विज्ञापन और प्रचार	1.04	4.63

02.	Stock Option				-
03.	Sweat Equity				-
04.	Commission				
	- as % of Profit				-
	- others, specify.....				-
05.	Others, please specify - Lease rent	3.25			3.25
	TOTAL	58.99	27.47	-	86.46

26 FINANCE COSTS

Particulars	For the year ended 31-03-2024 (Rs. In Lakhs)	For the year ended 31-03-2023 (Rs. In Lakhs)
Interest to bank/ others	-	-
Other Borrowing cost	-	-
Total	-	-

27 OTHER EXPENSES

	Particulars	For the year ended 31-03-2024 (Rs. In Lakhs)	For the year ended 31-03-2023 (Rs. In Lakhs)
(a)	ADMINISTRATIVE EXPENSES		
	Travelling expenses	75.25	49.59
	Payment to auditors	5.79	5.83
	Board meeting expenses (Including Sitting fees)	4.56	14.58
	Books & periodicals	0.42	0.33
	Conveyance expenses	19.98	17.84
	Electricity/water charges	19.40	19.23
	Insurance	10.63	13.18
	Legal & professional charges	125.35	112.00
	Membership fees & subscription	2.93	6.91
	Office upkeep	21.87	16.44
	Printing & stationery	22.02	16.93
	Postage/telegram/telephone & telex	21.67	24.18
	Rent, rates & taxes (net of recoveries)	124.69	120.61
	Repair & maintenance	30.77	21.30
	Service vehicle expenses	50.27	52.15
	Manpower Expenses	60.85	35.38
	Security expenses	40.19	35.82
	Advertisement & publicity	1.04	4.63
	Business promotion	43.46	74.11

व्यवसाय संवर्धन	43.46	74.11
छूट, कमीशन और छूट	0.00	0.73
बैंक शुल्क	3.92	2.09
माल ढुलाई और अन्य शुल्क	48.38	63.41
बैठक व्यय	6.80	5.08
सॉफ्टवेयर कार्यान्वयन/रखरखाव व्यय	85.70	67.38
डेटा प्रविष्टि शुल्क	35.37	32.78
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर व्यय	-	-
विविध व्यय	5.02	2.64
कुल	866.36	815.15

i) लेखा परीक्षकों को किया गया भुगतान निम्नानुसार है:-

लेखा परीक्षा शुल्क	5.27	5.27
अन्य क्षमता	0.52	0.56
कुल	5.79	5.83

- ii) चालू वर्ष के जनशक्ति व्यय को सीएनए प्रबंधन शुल्क के सापेक्ष सरकार से दावा किए गए पिछले वर्ष की प्रतिपूर्ति के 12 लाख रुपये से घटा दिया गया है।
- iii) व्यापार संवर्धन व्यय में चालू वित्त वर्ष के दौरान स्वीकृत बजट के अतिरिक्त प्रदर्शनी और अन्य आयोजनों/गतिविधियों पर किए गए व्यय शामिल हैं।
- iv) धारा 135 के अंतर्गत आने वाली कंपनी के लिए सीएसआर व्यय का प्रकटीकरण:

क. वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली राशि	शून्य
ख. पूर्व वर्ष की अप्रयुक्त अग्रेषित राशि (अतिरिक्त खर्च)	शून्य
ग. किए गए खर्च की राशि	शून्य
घ. वर्ष के अंत में कमी (प्रयुक्त की गयी अग्रेषित अधिक राशि)	शून्य
ड. पिछले वर्ष की कुल कमी	शून्य
च. कमी के कारण	लागू नहीं
छ. सीएसआर गतिविधियों का स्वरूप	शून्य
ज. पार्टी लेनदेन से संबन्धित ब्यौरा – एएस के अनुसार कंपनी द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट के लिए अंशदान	लागू नहीं
झ. वर्ष के दौरान प्रावधान में बदलाव	

(लाख रुपये में)

	चालू वर्ष में किया गया भुगतान	भुगतान अभी नहीं किया गया	कुल
	-	-	-
कुल	-	-	-

Discount, commission & rebate	0.00	0.73
Bank charges	3.92	2.09
Freight & other charges	48.38	63.41
Meeting expenses	6.80	5.08
Software implementation/ maintenance expenses	85.70	67.38
Data entry charges	35.37	32.78
Expenses on Corporate Social Responsibility	-	-
Miscellaneous expenses	5.02	2.64
TOTAL (a)	866.36	815.15

i) **Payment made to auditors is as below:-**

Audit Fee	5.27	5.27
Other Capacity	0.52	0.56
TOTAL	5.79	5.83

- ii) Manpower expenses of current year has been netted off by Rs. 12 Lakhs of previous year reimbursement claimed from the Government against CNA management charges.
- iii) Business promotion expenses includes expenses incurred on exhibition and other events/ activities over and above the sanctioned budget during the current financial year.
- iv) Disclosure of CSR Expenditure for Company covered under section 135:

a. Amount required to be spent during the year	Nil
b. Amount unspent (excess spent) carried forward from earlier year	Nil
c. Amount of expenditure incurred	Nil
d. Shortfall at the end of the year (excess amount spent carried forward)	Nil
e. Total of previous years shortfall	Nil
f. Reason for shortfall	NA
g. Nature of CSR activities	Nil
h. Details of related party transactions, - contribution to trust controlled by Co as per AS	NA
i. Movement in provision during the year	

(Rs. In Lakhs)

Particulars	Paid during current year	Yet to be paid	Total
	-	-	-
Total	-	-	-

ख) अन्य

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)
संदिग्ध देनदारों के लिए प्रावधान	18.14	-
आपूर्तिकर्ता को संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-
कुल(ख)	18.14	-
(i) वर्ष के दौरान, 3 वर्ष से अधिक समय से बकाया गैर-कॉर्पस निधियों के विरुद्ध 129.10 लाख रुपये (पिछले वर्ष – 154.31 लाख रुपये) के संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान नहीं किया गया है, जैसा कि 177वीं बोर्ड बैठक दिनांक 16.06.2023 को बताया गया। इससे लाभ में 129.10 लाख रुपये (पिछले वर्ष – 154.31 लाख रुपये) की वृद्धि हुई है।		
कुल (क+ख)	884.50	815.15

28 असाधारण वस्तुएं

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)
क) बट्टे खाते में डाली गई राशि		
परिसंपत्तियों की बिक्री पर नुकसान	-	-
देनदारों को बट्टे खाते में डालना	-	-
उप योग(क)	-	-
ख) पूर्व अवधि समायोजन	-	0.50
कुल (क+ख)	-	0.50

29 कर व्यय-वर्तमान कर

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)
चालू वर्ष के लिए आयकर	83.68	105.76
पिछले वर्ष के लिए आयकर	(61.65)	-
कुल	22.02	105.76

वर्ष के दौरान खातों में 83.68 लाख रुपये (पिछले वर्ष 105.76 लाख रुपये) के आयकर का प्रावधान किया गया है।

(b) OTHERS

Particulars	For the year ended 31-03-2024 (Rs. In Lakhs)	For the year ended 31-03-2023 (Rs. In Lakhs)
Provision for doubtful debtors	18.14	-
Provision for doubtful advances to supplier	-	-
TOTAL (b)	18.14	-
(i) During the year, provision for doubtful debts of Rs. 129.10 Lakhs (Previous Year - Rs. 154.31 Lakhs) against the non- corpus funds outstanding for more than 3 Years have not been provided, vide. 177th Board meeting dtd. 16.06.2023. This has led to increase in profit by Rs. 129.10 Lakhs (Previous Year - Rs. 154.31 Lakhs)		
TOTAL (a+b)	884.50	815.15

28 EXCEPTIONAL ITEMS

	Particulars	For the year ended 31-03-2024 (Rs. In Lakhs)	For the year ended 31-03-2023 (Rs. In Lakhs)
a)	WRITE OFF		
	Loss on sale of assets	-	-
	Write off debtors	-	-
	Sub Total (a)	-	-
b)	Prior Period Adjustments	-	0.50
	Total (a+b)	-	0.50

29 TAX EXPENSES - Current Tax

Particulars	For the year ended 31-03-2024 (Rs. In Lakhs)	For the year ended 31-03-2023 (Rs. In Lakhs)
Income Tax for Current year	83.68	105.76
Income Tax for earlier year	(61.65)	-
Total	22.02	105.76

During the year provision for income tax of Rs. 83.68 Lakhs (Previous year Rs. 105.76 Lakhs) has been made in the accounts.

30 अंश और विभाजक में शामिल मदों के लिए स्पष्टीकरण सहित अनुपात

विवरण	अंश	विभाजक	31.03.2024 के अनुसार	31.03.2023 के अनुसार	परिवर्तन का %	परिवर्तन का कारण (25% से अधिक)
(क) वर्तमान अनुपात	वर्तमान संपत्ति	वर्तमान में दायित्व	1.09	1.13	-3.82%	
(ख) ऋण इक्विटी अनुपात			लागू नहीं	लागू नहीं		
(ग) कर्ज सेवा कवरेज अनुपात			लागू नहीं	लागू नहीं		
(घ) इक्विटी अनुपात पर रिटर्न	करों के बाद शुद्ध लाभ	औसत शेयरधारक की इक्विटी	28.78%	27.45%	-4.86%	
(ङ) इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात,	बेचे गए माल की कीमत	औसत इन्वेंटरी	388.58	485.22	-19.92%	
(च) व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात,	संचालन से राजस्व	औसत व्यापार प्राप्य	4.30	3.84	11.81%	
(ज) व्यापार देय टर्नओवर अनुपात,	व्यापार में स्टॉक की खरीद	औसत व्यापार देय	3.92	3.32	18.08%	
झ) शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात,	संचालन से राजस्व	शुद्ध पूंजी नियोजित	14.40	14.33	0.50%	
(त्र) शुद्ध लाभ अनुपात,	करों के बाद शुद्ध लाभ	संचालन से राजस्व	0.45%	0.45%	0.04%	
(ट) नियोजित पूंजी पर रिटर्न,	ब्याज और करों से पहले कमाई	शुद्ध पूंजी नियोजित	0.07	0.09	17.88%	
(ठ) निवेश पर प्रतिफल।	करों के बाद शुद्ध लाभ	कुल शुद्ध संपत्ति	6.42%	6.39%	-0.46%	

31 क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी का विवरण

कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया, इसलिए इससे संबंधित प्रकटीकरण लागू नहीं है।

32 बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन कंपनी के विरुद्ध कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

33 कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार कंपनी का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत किसी कंपनी के साथ कोई लेनदेन नहीं हुआ था

34 कंपनी की कोई मूल कंपनी नहीं है और तदनुसार, कंपनी (लेयर्स की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के तहत निर्धारित लेयर्स की संख्या का अनुपालन विचाराधीन वर्ष के लिए लागू नहीं है।

35 वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कोई व्यवस्था योजना नहीं है।

36 कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) को इस समझ के साथ (चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा) अग्रिम, ऋण या निवेश नहीं किया है (चाहे उधार ली गई धनराशि हो या शेयर प्रीमियम हो या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि हो) कि मध्यस्थ (i) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी (अंतिम

30 Ratios with explanation for items included in numerator & denominator

Particulars	Numerator	Denominator	As at 31-03-2024	As at 31-03-2023	% of Variance	Reason for Variance (more than 25%)
(a) Current Ratio,	Current Assets	Current Liability	1.09	1.13	-3.82%	
(b) Debt-Equity Ratio,			NA	NA		
(c) Debt Service Coverage Ratio			NA	NA		
(d) Return on Equity Ratio	Net Profit after taxes	Average Shareholder's Equity	28.78%	27.45%	-4.86%	
(e) Inventory Turnover Ratio	Cost of goods Sold	Average Inventory	388.58	485.22	-19.92%	
(f) Trade Receivables Turnover Ratio	Revenue from operations	Average trade receivables	4.30	3.84	11.81%	
(g) Trade Payables Turnover Ratio	Purchases of stock in trade	Average trade payables	3.92	3.32	18.08%	
(h) Net Capital Turnover Ratio	Revenue from operations	Net Capital Employed	14.40	14.33	0.50%	
(i) Net Profit Ratio	Net Profit after taxes	Revenue from operations	0.45%	0.45%	0.04%	
(j) Return on Capital Employed	Earning before Interest and taxes	Net Capital Employed	0.07	0.09	17.88%	
(k) Return on Investment	Net Profit after taxes	Total net worth	6.42%	6.39%	-0.46%	

31 The details of crypto currency or virtual currency.

The company did not trade or invest in crypto currency or virtual currency during the financial year hence, disclosure relating to it are not applicable.

32 There is no proceeding initiated or are pending again the company for holding any benami Property under the Benami transaction (prohibition) act, 1988 (45 of 1988) and rules made there under.

33 The company did not have any transaction with company stuck off under section 248 of Company act, 2013 or section 560 of Company act, 1956 considering the information available with the company.

34 The company do not have any parents company and accordingly, compliance with the number of layers prescribed under clause (87) of section 2 of the act read with Company (restriction on number of layers) Rules, 2017 is not applicable for the year under consideration.

35 There are no scheme of arrangements approved by the Competent Authority in terms of section 230 of the Company act, 2013 during the year.

36 The company has not advanced or loaned or invested funds (either borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) to any other person(s) or entity (ies) including foreign entities (intermediaries) with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the

लाभार्थियों) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को ऋण देगा या निवेश करेगा या (ii) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी सुरक्षा या इस प्रकार की सुविधा प्रदान करेगा।

37 कंपनी के पास ऐसा कोई लेन-देन नहीं है जो लेखा पुस्तकों में दर्ज न हो, जिसे किसी भी वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो।

38 अन्य टिप्पणियाँ

I आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं

क) आकस्मिक देयताएं:-

- कंपनी के खिलाफ अदालती मामले – शून्य (पिछले वर्ष शून्य)
- मेसर्स यू पी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पक्ष में जारी बैंक गारंटी – रु. 2,00,000 (पिछले वर्ष रु. 2,00,000)
- चूंकि संबंधित बिक्री कर प्राधिकारियों द्वारा निर्धारण को अंतिम रूप दिए जाने तक राशि का पता लगाने योग्य नहीं है, इसलिए सूत, रंग और रसायन और फैब्रिक की बिक्री के संबंध में केंद्रीय और विभिन्न राज्य बिक्री कर अधिनियमों के प्रावधान के तहत बिक्री कर देयता और जीएसटी, यदि कोई हो, का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

ख) प्रतिबद्धता:-

शून्य

II कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III भाग II के अनुसार अतिरिक्त जानकारी:-

क) उत्पादन की लाइसेंस एवं स्थापित क्षमता – लागू नहीं।

ख) प्रारंभिक स्टॉक, खरीद, बिक्री और अंतिम स्टॉक के संबंध में मात्रात्मक जानकारी निम्नानुसार है:-

ख) प्रारंभिक स्टॉक, खरीद, बिक्री और अंतिम स्टॉक के संबंध में मात्रा संबंधी जानकारी निम्नानुसार है: -

क्रम सं.	विवरण	यार्न		रंग एवं रसायन		फैब्रिक	
		यूनिट लाख में	मूल्य लाख में	यूनिट लाख में	मूल्य लाख में	यूनिट लाख में	मूल्य लाख में
1	प्रारंभिक स्टॉक – मौजूदा वर्ष	0.22	235.47	0.29	22.58	-	-
	-पिछले वर्ष	0.24	203.77	0.24	19.34	-	-
2	खरीद – मौजूदा वर्ष	341.56	1,17,365.26	45.09	5,231.28	-	-
	-पिछले वर्ष	307.58	1,10,390.91	41.96	6,339.46	-	-
3	बिक्री – मौजूदा वर्ष	341.35	1,17,265.04	45.04	5,411.65	-	-
	- पिछले वर्ष	307.60	1,10,375.59	41.91	6,572.84	-	-
4	अंतिम स्टॉक – मौजूदा वर्ष	0.43	350.32	0.33	22.63	-	-
	- पिछले वर्ष	0.22	235.47	0.29	22.58	-	-

ग) (i) रंगों और रसायनों के संबंध में सीआईएफ आधार पर आयात का मूल्य शून्य रुपये है (पिछले वर्ष शून्य रुपये) और (ii) कच्चे माल (iii) घटकों और स्पेयर पार्ट्स (iv) पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में शून्य रुपये है (पिछले वर्ष – शून्य रुपये)

intermediary shall (i) directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company (Ultimate Beneficiaries) or (ii) provide any guarantee security or the like to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

- 37 The Company do not have any transaction which are not recorded in the books of accounts that has been surrendered or disclosed as income in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 during any of the years.

38 OTHER NOTES

I Contingent Liabilities and Commitments

A) Contingent Liabilities:-

- (i) Court cases against the company - Nil (Previous year Nil)
- (ii) Bank guarantee issued in favour of M/s U P Pollution Control Board - Rs. 2,00,000 (Previous year Rs. 2,00,000).
- (iii) Since the amount is not ascertainable pending finalization of assessment by the concerned sales tax authorities, no provision for sales tax liability & GST, if any, under the provision of Central and various State Sales Tax Acts has been made in respect of sales of yarn, dyes & chemicals and fabrics.

B) Commitment:-

Nil

II Additional information pursuant to Schedule III Part II to the Companies Act, 2013:-

A) Licensed and installed capacity of production - Not applicable.

B) Quantitative information in respect of Opening Stock, Purchases, Sales and Closing stock are as under:-

Sl. No.	Particulars	YARN		DYES & CHEMICAL		FABRIC	
		Unit in Lakhs	Rs. In Lakhs	Unit in Lakhs	Rs. In Lakhs	Unit in Lakhs	Rs. In Lakhs
1	Opening Stock - Current Year	0.22	235.47	0.29	22.58	-	-
	- Previous Year	0.24	203.77	0.24	19.34	-	-
2	Purchase - Current Year	341.56	1,17,365.26	45.09	5,231.28	-	-
	- Previous Year	307.58	1,10,390.91	41.96	6,339.46	-	-
3	Sale - Current Year	341.35	1,17,265.04	45.04	5,411.65	-	-
	- Previous Year	307.60	1,10,375.59	41.91	6,572.84	-	-
4	Closing Stock - Current Year	0.43	350.32	0.33	22.63	-	-
	- Previous Year	0.22	235.47	0.29	22.58	-	-

C) Value of Import on CIF basis in respect of (i) Dyes & chemicals is Rs. Nil (Previous year Rs. Nil) and in respect of (ii) Raw Material (iii) Components & spare parts (iv) Capital goods is Rs. Nil (Previous year – Rs. Nil).

D) Earnings in Foreign Currency – Rs. Nil (Previous Year- Rs. Nil).

- घ) विदेशी मुद्रा में आय – शून्य रुपये (पिछले वर्ष– शून्य रुपये)
 ङ) विदेशी मुद्रा में किया गया व्यय – शून्य रुपये (पिछले वर्ष – शून्य रुपये)
 च) आयातित कच्चे माल, स्पेयर पार्ट्स और खपत किए गए घटकों का मूल्य – शून्य रुपये (पिछले वर्ष – शून्य रुपये)

III खंडवार रिपोर्टिंग

आईसीएआई द्वारा जारी एएस-17 अर्थात सेगमेंट रिपोर्टिंग की आवश्यकताओं के अनुसार, यार्न, डाईज एवं केमिकल्स और फ़ैब्रिक्स से युक्त रिपोर्टिंग सेगमेंट के रूप में गतिविधिवार वित्तीय जानकारी निम्नानुसार है:-

(राशि लाख में)

	विवरण	यार्न	रंग एवं रसायन	फ़ैब्रिक्स	कुल
क)	प्राथमिक सूचना				
1	खंड-वार राजस्व	1,17,265.04	5,411.65	-	1,22,676.69
2	खंड-वार परिणाम	1,154.21	163.28	-	1,317.49
3	अनाबंटित ओवरहेड	-	-	-	1,513.19
4	बैंक एवं अन्य से ब्याज	-	-	-	563.15
5	अन्य आय	-	-	-	185.22
6	अवधि पूर्व समायोजन	-	-	-	-
7	सीएसआर व्यय				-
8	कर से पूर्व लाभ	-	-	-	552.68
9	पिछले वर्ष के समायोजन सहित कर का प्रावधान	-	-	-	(22.02)
10	आस्थगित कर	-	-	-	16.17
11	कर पश्चात लाभ	-	-	-	546.82
12	खंड-वार परिसंपत्तियां	34,302.89	1,887.89	143.44	36,334.22
13	गैर-आवंटित नैगमिक परिसंपत्तियां (वित्तीय परिसंपत्ति सहित)।	-	-	-	23,658.15
14	कुल परिसंपत्तियां				59,992.38
15	खंड-वार देनदारियों में बैंक से उधार लेना शामिल है	34,302.89	1,887.89	143.44	36,334.22
16	गैर-आवंटित नैगमिक देनदारियां (बैंक उधार सहित)	-	-	-	23,658.15
17	कुल देनदारियां				59,992.38
18	खंड-वार अवमूल्यन	15.53	-	-	48.75

टिप्पणी: खंड-वार राजस्व में कोई अंतर-खंड लेनदेन नहीं है।

(राशि रु. में)

ख)	द्वितीयक सूचना	क्षेत्र का नाम	सेगमेंट राजस्व
1	उस खंड के लिए भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार खंड राजस्व जिसका राजस्व सभी भौगोलिक क्षेत्रों के कुल राजस्व का 10% या अधिक है।	क्षे. का.- कोयंबटूर	36,857.18
		क्षे. का. - हैदराबाद	19,966.01
		क्षे. का. - बेंगलुरु	14,586.87
		क्षे. का. - पानीपत	17,525.96
		क्षे. का.-कोलकाता	18,014.28

- E) Expenditure incurred in foreign Currency - Rs. Nil (Previous year - Rs. Nil).
- F) Value of imported raw material, spare parts and components consumed - Rs. Nil (Previous year - Rs. Nil).

III Segment Reporting

In accordance with the requirements of AS-17, i.e. Segment Reporting as issued by ICAI, Activity wise financial information as reporting segments consisting of Yarn, Dyes & Chemicals and Fabric is as under:-

(Rs. In Lakhs)

	Particulars	Yarn	Dyes & Chemicals	Fabrics	Total
A)	Primary information				
1	Segment wise Revenue	1,17,265.04	5,411.65	-	1,22,676.69
2	Segment wise Results	1,154.21	163.28	-	1,317.49
3	Unallocated overheads	-	-	-	1,513.19
4	Interest from Bank & others	-	-	-	563.15
5	Other Income	-	-	-	185.22
6	Prior period adjustments	-	-	-	-
7	CSR Expenditure				-
8	Profit before tax	-	-	-	552.68
9	Provision for Tax including earlier year adjustments	-	-	-	(22.02)
10	Deferred tax	-	-	-	16.17
11	Profit after tax	-	-	-	546.82
12	Segment-wise assets	34,302.89	1,887.89	143.44	36,334.22
13	Unallocable Corporate Assets (Including Financial Assets).	-	-	-	23,658.15
14	Total Assets				59,992.38
15	Segment wise liabilities includes Bank Borrowing	34,302.89	1,887.89	143.44	36,334.22
16	Unallocable Corporate liabilities (Including Bank Borrowings)	-	-	-	23,658.15
17	Total liabilities				59,992.38
18	Depreciation segment-wise	15.53	-	-	48.75

Notes:- i. There is no inter segment transaction in segment-wise revenue.

(Rs. In Lakhs)

B)	Secondary Information	Name of the Region	Segment Revenue
1	Segment Revenue by geographical area for the segment whose revenue is 10% or more of total revenue of all geographical segments.	RO Coimbatore	36,857.18
		RO Hyderabad	19,966.01
		RO Bengaluru	14,586.87
		RO Panipat	17,525.96
		RO Kolkata	18,014.28

		क्षेत्र का नाम	संपत्ति
2	उस खंड की संपत्ति की भौगोलिक स्थिति के आधार पर संपत्ति का सेगमेंट जिसकी संपत्ति सभी भौगोलिक क्षेत्रों की कुल संपत्ति का 10% या अधिक है।	क्षे. का. वाराणसी	25,641.83
		क्षेत्र का नाम	फिक्स संपत्ति में वृद्धि
3	उस खंड के लिए अचल संपत्तियों में वृद्धि जहां संपत्ति सभी भौगोलिक क्षेत्रों की कुल संपत्ति का 10% या अधिक है।	शून्य	शून्य

IV संलग्न नोट 1 से 38 वित्तीय लेखाओं का अभिन्न अंग हैं।

V पिछले वर्ष के आँकड़ों को वर्तमान वर्ष के आँकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए जहाँ कहीं आवश्यक हो, पुनः कास्ट/पुनः समूहित किया गया है।

VI जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, आंकड़ों को निकटतम लाखों रुपये में पूर्णांकित किया गया है।

पुनर्वर्गीकरण की प्रकृति	पुनर्वर्गीकृत प्रत्येक मद की मात्रा		पुनर्वर्गीकरण का कारण
	31.03.2024 के अनुसार	31.03.2023 के अनुसार	
अब तक, अन्य चालू वित्तीय देनदारियों में दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता को शामिल किया गया था। अनुसूची III में संशोधनों के तहत आवश्यकता के अनुसार इसे 'अल्पकालिक उधारी' के तहत एक अलग लाइन के रूप में पेश किया गया है और पिछले वर्ष के आंकड़े को फिर से स्पष्ट किया गया है।	लागू नहीं	लागू नहीं	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची iii में संशोधनों द्वारा अपेक्षित
पहले लीज देनदारियों को अन्य वित्तीय देनदारियों के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया था, हालांकि अनुसूची III में संशोधन के तहत आवश्यकता के अनुसार, इसे उधार और पिछले वर्ष के बाद 'वित्तीय देनदारियों' के तहत बैलेंस शीट पर अलग लाइन आइटम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आंकड़े को तदनुसार पुनः वर्गीकृत किया गया है।	लागू नहीं	लागू नहीं	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची iii में संशोधनों द्वारा अपेक्षित

निदेशक मण्डल की ओर से

ह/-
जितेंद्र वी. पुरोहित
उप महाप्रबंधक
(वित्त एवं लेखा/सी.एफ.ओ)

ह/-
रीता प्रेम हेमराजानी
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन - 0009478824

ह/-
बीना महादेवन
अध्यक्ष
डीआईएन सं. 0009478824

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एमबी गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरन नः 006928N

दिनांक: 30 सितंबर 2024
स्थान: नई दिल्ली

भागीदार : जगदीश गुप्ता
स. नं. 525377
यूडीआईएन: 24525377BKAMDM1307

		Name of the Region	Assets
2	Segment assets by geographical location of assets of the segment whose assets are 10% or more of total assets of all geographical segments.	RO Varanasi	25,641.83
		Name of the Region	Addition to Fixed Assets
3	Additions to fixed assets for the segment where assets are 10% or more of the total assets of all geographical segments.	NIL	NIL

- IV The accompanying Notes 1 to 38 form an integral part of Financial Statements.
- V The figures of previous year have been re-casted/ re-grouped wherever necessary to render them comparable with the figures of current year.
- VI Figures have been rounded off to the nearest rupees in Lakhs unless specified otherwise.

Nature of reclassification	Amount of each item reclassified		Reason for the reclassification
	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023	
Hitherto, Current maturities of long term borrowings was included in Other Current Financial Liabilities. As per the requirement under amendments to Schedule III, the same has been presented under "Short Term Borrowings" as a separate line and previous year figure has been reclassified.	NA	NA	As required by Amendments to Schedule III to the Companies Act, 2013
Earlier Lease Liabilities were presented as part of Other Financial Liabilities, however as per the requirement under amendments to Schedule III, the same has been presented as separate line item on the face of Balance Sheet under the head "Financial Liabilities" after Borrowings and previous year figure has been reclassified accordingly.	NA	NA	As required by Amendments to Schedule III to the Companies Act, 2013

For and on behalf of Board of Directors

Jitendra V Purohit
DGM(F&A)/CFO

Rita Prem Hemrajani
Managing Director
DIN No. - 0009478824

Beena Mahadevan
Chairperson
DIN No. - 03483417

As per our Report of even date
For M. B. Gupta & Co.
Chartered Accountants
F.R. No. : 006928N

Date: 30 September 2024
Place: New Delhi

Jagdish Gupta
Partner
M. No. : 525377
UDIN: 24525377BKAMDM1307

i) अनुदान का विवरण

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए सरकारी अनुदान और प्रतिभागियों के पैसे का विवरण

(राशि लाख में)

क्रम सं.	विवरण	31.03. 2023 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त		कुल	वर्ष के दौरान लेनदेन			कुल	31.03.2024 को शेष
			सरकार से	प्रतिभागियों / अन्य से		व्यय	रिफंड अंतरण	रिटर्न / समायोजन / अंतरण		
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	7	8		9 (7+8)	10 (6+9)
230063	सीएचडीएस-वाराणसी मेगा क्लस्टर 4 नंबर एक्सटेंशन काउंटर	(2.87)	-	-	(2.87)	-	-	-	-	(2.87)
230083	सिल्क फ़ैब, चेन्नई 2019-20	23.84	-	-	23.84	-	-	-	-	23.84
230084	सिल्क फ़ैब, मुंबई 2019-20	14.87	-	-	14.87	-	-	-	-	14.87
230085	सिल्क फ़ैब, एर्नाकुलम 2019-20	23.96	-	-	23.96	-	-	-	-	23.96
230087	एसएचई (सिल्क फ़ैब), देहरादून 2019-20	23.15	-	-	23.15	-	-	-	-	23.15
230088	एसएचई (सिल्क फ़ैब), भुवनेश्वर 2019-20	23.82	-	-	23.82	-	-	-	-	23.82
230089	एसएचई (सिल्क फ़ैब), पुणे 2019-20	22.60	19.21	-	3.39	-	-	3.39	(3.39)	-
230090	एसएचई (सिल्क फ़ैब), चंडीगढ़ 2019-20	17.17	-	-	17.17	-	-	-	-	17.17
230092	एसएचई (सिल्क फ़ैब), भोपाल 2019-20	16.02	15.94	-	0.09	-	-	0.09	(0.09)	0.00
230093	एसएचई (सिल्क फ़ैब), जम्मू 2019-20	23.83	23.83	-	-	-	-	-	-	-
230094	एसएचई (सिल्क फ़ैब), कोयंबटूर 2019-20	9.01	9.01	-	-	-	-	-	-	-
230095	एसएचई (सिल्क फ़ैब), अमृतसर 2019-20	9.24	9.24	-	-	-	-	-	-	-
230096	एसएचई (सिल्क फ़ैब), विशाखापत्तनम 2019-20	9.26	4.57	-	4.69	-	-	4.69	(4.69)	-
230097	एसएचई (सिल्क फ़ैब), रायपुर 2019-20	5.36	5.36	-	-	-	-	-	-	-
230098	एसएचई (सिल्क फ़ैब), नागपुर 2019-20	19.82	19.82	-	-	-	-	-	-	-
230099	एसएचई (सिल्क फ़ैब), पटना 2019-20	6.40	3.73	-	2.67	-	-	2.67	(2.67)	-
230100	एसएचई (सिल्क फ़ैब), बेंगलुरु 2019-20	9.97	9.97	-	-	-	-	-	-	-
230101	एसएचई (सिल्क फ़ैब), गुवाहाटी 2019-20	6.74	6.74	-	-	-	-	-	-	-
230102	एसएचई (सिल्क फ़ैब), हैदराबाद 2019-20	-	-	-	-	-	-	14.00	(14.00)	(14.00)
230103	एसएचई (सिल्क फ़ैब), दिल्ली 2019-20	20.41	20.41	-	-	-	-	-	-	-
230104	एसएचई (हैंडलूम ऑफ इंडिया), ग्रेटर नोएडा 2019-20	21.80	21.80	-	-	-	-	-	-	-
230106	एसएचई (हैंडलूम ऑफ इंडिया), वाराणसी 2019-20	16.19	16.19	-	-	-	-	-	-	-
230107	एसएचई (वूल फ़ैब), लखनऊ 2019-20	8.29	6.76	-	1.52	-	-	1.52	(1.52)	-
230109	एसएचई (वूल फ़ैब), भोपाल 2019-20	9.83	8.88	-	0.95	-	-	0.95	(0.95)	-
230110	नेशनल हैंडलूम एक्सपो, लखनऊ 2019-20	33.92	23.91	-	10.01	-	-	-	-	10.01
230111	नेशनल हैंडलूम एक्सपो, इंदौर 2019-20	6.38	5.45	-	0.93	-	-	0.93	(0.93)	-
230112	एनएलएसएचई जबलपुर (2019-2020)	9.42	9.42	-	-	-	-	-	-	-
230113	एनएलएसएचई आगरा (2019-2020)	-	-	-	-	-	-	14.00	(14.00)	(14.00)
230114	एनएलएसएचई जोधपुर (2019-2020)	2.21	2.21	-	-	-	-	-	-	-
230115	एनएलएसएचई जमशेदपुर (2019-2020)	7.81	7.81	-	-	-	-	-	-	-
230117	नेशनल हैंडलूम एक्सपो नई दिल्ली (2019-2020)	28.77	24.97	-	3.80	-	-	3.80	(3.80)	-
233154	एनएचडीसी का विपणन सहायता घटक	(2.90)	-	-	(2.90)	-	-	-	-	(2.90)
233167	सिल्क फ़ैब चेन्नई (2018-19)	9.43	-	-	9.43	-	-	-	-	9.43
233199	सिल्क फ़ैब अहमदाबाद 2019-2020	15.83	-	-	15.83	-	-	-	-	15.83
233200	क्लस्टर विकास कार्यक्रम (बर्दवान)	(1.20)	-	-	(1.20)	-	-	-	-	(1.20)
233203	सिल्क फ़ैब प्रदर्शनी 2019-2020 लेह-लद्दाख	14.50	-	-	14.50	-	-	-	-	14.50
233204	सिल्क फ़ैब प्रदर्शनी 2019-2020 जबलपुर	7.05	-	-	7.05	-	-	-	-	7.05
233205	सहयोग और प्रायोजन अबाहोनी-2019 (महात्मा गांधी)	1.50	-	-	1.50	-	-	-	-	1.50
233301	सूचना शिक्षा और संचार के लिए किराया	(48.05)	-	-	(48.05)	-	-	-	-	(48.05)
233302	एचधएल पार्ट्स की आपूर्ति के लिए अनुदान	(9.17)	-	-	(9.17)	-	-	-	-	(9.17)

i) Grant Statement

DETAILS OF GOVERNMENT GRANTS & PARTICIPANTS MONEY FOR THE CURRENT REPORTING PERIOD

(Rs. In Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Balance As On 31.03.2023	Received During The Year		Total	Transactions During The Year			Total	Balance As On 31.03.2024
			From Govt.	From Participants/ Others		Expenses	Refund Transfer	Refund/ Adjustment/ Transfer		
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	7	8		9 (7+8)	10 (6+9)
230063	Chds-Varanasi Mega Cluster 4 No.Extension Counter	(2.87)	-	-	(2.87)	-	-	-	-	(2.87)
230083	SILK FAB , CHENNAI 2019-20	23.84	-	-	23.84	-	-	-	-	23.84
230084	SILK FAB , MUMBAI 2019-20	14.87	-	-	14.87	-	-	-	-	14.87
230085	SILK FAB , ERNAKULAM 2019-20	23.96	-	-	23.96	-	-	-	-	23.96
230087	SHE (Silk Fab), Dehradun 2019-20	23.15	-	-	23.15	-	-	-	-	23.15
230088	SHE (Silk Fab), Bhubaneswar 2019-20	23.82	-	-	23.82	-	-	-	-	23.82
230089	SHE (Silk Fab), Pune 2019-20	22.60	19.21	-	3.39	-	-	3.39	(3.39)	-
230090	SHE (Silk Fab), Chandigarh 2019-20	17.17	-	-	17.17	-	-	-	-	17.17
230092	SHE (Silk Fab), Bhopal 2019-20	16.02	15.94	-	0.09	-	-	0.09	(0.09)	0.00
230093	SHE (Silk Fab), Jammu 2019-20	23.83	23.83	-	-	-	-	-	-	-
230094	SHE (Silk Fab), Coimbatore 2019-20	9.01	9.01	-	-	-	-	-	-	-
230095	SHE (Silk Fab), Amritsar 2019-20	9.24	9.24	-	-	-	-	-	-	-
230096	SHE (Silk Fab), Vishakhapatnam 2019-20	9.26	4.57	-	4.69	-	-	4.69	(4.69)	-
230097	SHE (Silk Fab), Raipur 2019-20	5.36	5.36	-	-	-	-	-	-	-
230098	SHE (Silk Fab), Nagpur 2019-20	19.82	19.82	-	-	-	-	-	-	-
230099	SHE (Silk Fab), Patna 2019-20	6.40	3.73	-	2.67	-	-	2.67	(2.67)	-
230100	SHE (Silk Fab), Bengaluru 2019-20	9.97	9.97	-	-	-	-	-	-	-
230101	SHE (Silk Fab), Guwahati 2019-20	6.74	6.74	-	-	-	-	-	-	-
230102	SHE (Silk Fab), Hyderabad 2019-20	-	-	-	-	-	-	14.00	(14.00)	(14.00)
230103	SHE (Silk Fab), Delhi 2019-20	20.41	20.41	-	-	-	-	-	-	-
230104	SHE (Handloom of India), Greater Noida 2019-20	21.80	21.80	-	-	-	-	-	-	-
230106	SHE (Handloom of India), Varanasi 2019-20	16.19	16.19	-	-	-	-	-	-	-
230107	SHE (Wool Fab), Lucknow 2019-20	8.29	6.76	-	1.52	-	-	1.52	(1.52)	-
230109	SHE (Wool Fab), Bhopal 2019-20	9.83	8.88	-	0.95	-	-	0.95	(0.95)	-
230110	National Handloom Expo, Lucknow 2019-20	33.92	23.91	-	10.01	-	-	-	-	10.01
230111	National Handloom Expo, Indore 2019-20	6.38	5.45	-	0.93	-	-	0.93	(0.93)	-
230112	NLSHE JABALPUR (2019-2020)	9.42	9.42	-	-	-	-	-	-	-
230113	NLSHE AGRA (2019-2020)	-	-	-	-	-	-	14.00	(14.00)	(14.00)
230114	NLSHE JODHPUR (2019-2020)	2.21	2.21	-	-	-	-	-	-	-
230115	NLSHE JAMSHEDPUR (2019-2020)	7.81	7.81	-	-	-	-	-	-	-
230117	National Handloom Expo New Delhi (2019-2020)	28.77	24.97	-	3.80	-	-	3.80	(3.80)	-
233154	MARKETING ASSISTANCE COMPONENT OF NHDC	(2.90)	-	-	(2.90)	-	-	-	-	(2.90)
233167	Silk Fab Chennai (2018-19)	9.43	-	-	9.43	-	-	-	-	9.43
233199	SILK FAB AHMEDABAD 2019-2020	15.83	-	-	15.83	-	-	-	-	15.83
233200	CLUSTER DEV. PROGRAMME (BURDWAN)	(1.20)	-	-	(1.20)	-	-	-	-	(1.20)
233203	SILK FAB EXHIBITION 2019-2020 LEH-LADDAKH	14.50	-	-	14.50	-	-	-	-	14.50
233204	SILK FAB EXHIBITION 2019-2020 JABALPUR	7.05	-	-	7.05	-	-	-	-	7.05
233205	COLLABORATION AND SPONSORSHIP OF ABAHONI -2019 (MAHATMA GANDHI)	1.50	-	-	1.50	-	-	-	-	1.50

क्रम सं.	विवरण	31.03. 2023 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त		कुल	वर्ष के दौरान लेनदेन			कुल	31.03.2024 को शेष
			सरकार से	प्रतिभागियों/ अन्य से		व्यय	रिफंड अंतरण	रिटर्न/ समायोजन/ अंतरण		
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	7	8		9 (7+8)	10 (6+9)
233303	2000 बैटरी लिंकड इन्वर्टर लाइटिंग यूनिट के वितरण के लिए अनुदान	(56.33)	-	-	(56.33)	-	-	-	-	(56.33)
233304	ब्लिलस जिले के लिए प्रशासनिक लागत हेतु अनुदान	(2.57)	-	-	(2.57)	-	-	-	-	(2.57)
233305	ब्लिलस, डब्ल्यूएससी वाराणसी के लिए संविदात्मक कर्मचारियों की भर्ती हेतु अनुदान	(4.67)	-	-	(4.67)	-	-	-	-	(4.67)
233307	सीएफसी वाराणसी के लिए अनुदान	28.04	-	-	28.04	-	-	-	-	28.04
233336	6 आईआईएचटीएस को पुरस्कार/पुरस्कार वितरण के लिए अनुदान	(6.78)	-	-	(6.78)	-	-	-	-	(6.78)
233337	मल्टीपल बूटी मशीन के परिचय के लिए अनुदान	(0.05)	-	-	(0.05)	-	-	-	-	(0.05)
233338	चार पहिया वाहन और विविध एक्सपेंशन के लिए अनुदान। डब्ल्यूएससी वाराणसी	(0.96)	-	-	(0.96)	-	-	-	-	(0.96)
233339	6 डब्ल्यूएससी के लिए डेस्कटॉप की आपूर्ति के लिए अनुदान	(0.30)	-	-	(0.30)	-	-	-	-	(0.30)
233350	इंडिया हैंड लूम ब्रांड	53.12	-	-	53.12	-	-	-	-	53.12
233400	बुनकर जागरूकता शिविर	(7.60)	-	-	(7.60)	-	-	-	-	(7.60)
233406	क्राफ्ट म्यूजियम नई दिल्ली में डिजाइनर चौपाल का आयोजन 1 अगस्त 2017	2.64	-	-	2.64	-	-	-	-	2.64
233407	गुवाहाटी में 7 अगस्त 2017 को तीसरा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया	54.14	-	-	54.14	-	-	-	-	54.14
233408	अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र मेला 31 जुलाई से 2 अगस्त 2017 तक	60.33	-	-	60.33	-	-	-	-	60.33
233412	22.09.2017 को उद्घाटन कार्यक्रम टीएफसी एवं सीएम	2.41	-	-	2.41	-	-	-	-	2.41
233418	अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस	1.39	-	-	1.39	-	-	-	-	1.39
233419	हस्तकला सहयोग शिविर (घरण 1)	37.65	-	-	37.65	-	-	-	-	37.65
233420	हस्तकला सहयोग शिविर (घरण 2)	10.68	-	-	10.68	-	-	-	-	10.68
233423	स्वदेशी मेला चंडीगढ़ 2017-2018	5.00	-	-	5.00	-	-	-	-	5.00
233427	सीएफसी वाराणसी मेगा हैंडलूम क्लस्टर में 15 बुनकर चौपालें	(0.03)	-	-	(0.03)	-	-	-	-	(0.03)
233432	पीएमटीए (टीएफसी) जेएलएल	1.22	-	-	1.22	-	-	-	-	1.22
233437	12.03.2018 को फ्रांसीसी राष्ट्रपति की टीएफसी यात्रा	8.97	-	-	8.97	-	-	-	-	8.97
233438	दीन दयाल हस्तकला संकुल व्यापार संग्रहालय केंद्र (टीएफसी) मुगतान	29.65	-	-	29.65	-	-	-	-	29.65
233441	कौशांबी महोत्सव 2018 (4 अप्रैल 2018 से 5 अप्रैल 2018)	0.99	-	-	0.99	-	-	-	-	0.99
233442	लखनऊ में एचएसएफ 2018 का चौथा संस्करण 05.10.2018 से 08.10.2018 तक आयोजित किया	1.66	-	-	1.66	-	-	-	-	1.66
233443	जीआई पंजीकृत हथकरघा/हस्तशिल्प उत्पादों पर 12 फिल्मों (2018-2019)	1.40	-	-	1.40	-	-	-	-	1.40
233444	जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करना (एनएचडीपी के तहत)	14.05	-	-	14.05	-	-	-	-	14.05
233445	सिल्क फ़ैब रायपुर 2018-2019	2.88	-	-	2.88	-	-	-	-	2.88
233450	6वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2020-2021 वि.आ. हस्तशिल्प	(16.47)	-	-	(16.47)	16.47	-	-	16.47	-
233453	7वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2021-22	145.90	99.83	-	46.07	-	-	-	-	46.07
233501	7 सीएफसी के निर्माण के लिए अनुदान	124.96	-	-	124.96	-	-	-	-	124.96
233502	सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी), वाराणसी के लिए अनुदान	(10.82)	-	-	(10.82)	-	-	-	-	(10.82)
233504	डिजाइन डेव और पैटर्न मेकिंग- वाराणसी	(0.18)	-	-	(0.18)	-	-	-	-	(0.18)

Sl. No.	Particulars	Balance As On 31.03.2023	Received During The Year		Total	Transactions During The Year			Total	Balance As On 31.03.2024
			From Govt.	From Participants/ Others		Expenses	Refund Transfer	Refund/ Adjustment/ Transfer		
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	7	8		9 (7+8)	10 (6+9)
233301	GRANT FOR INFORMATION EDUCATION & COMMUNICATION	(48.05)	-	-	(48.05)	-	-	-	-	(48.05)
233302	GRANT FOR SUPPLY OF H/L PARTS	(9.17)	-	-	(9.17)	-	-	-	-	(9.17)
233303	GRANT FOR DISTRIBUTION OF 2000 BATTERY LINKED INVERTER LIGHTING UNITS	(56.33)	-	-	(56.33)	-	-	-	-	(56.33)
233304	GRANT FOR ADMN. COST FOR DIST. OF BLILUS	(2.57)	-	-	(2.57)	-	-	-	-	(2.57)
233305	GRANT FOR HIRING CONTRANCTUAL STAFF FOR BLILUS, WSC VARANASI	(4.67)	-	-	(4.67)	-	-	-	-	(4.67)
233307	GRANT FOR CFC VARANASI	28.04	-	-	28.04	-	-	-	-	28.04
233336	GRANT FOR AWARD/ PRIZE DISTRIBUTION TO 6 IHHS	(6.78)	-	-	(6.78)	-	-	-	-	(6.78)
233337	GRANT FOR EXP. INTRODUCTION OF MULTIPLE BUTI MACHINE	(0.05)	-	-	(0.05)	-	-	-	-	(0.05)
233338	GRANT FOR HIRING FOUR WHEELER AND MISC EXP. WSC VARANASI	(0.96)	-	-	(0.96)	-	-	-	-	(0.96)
233339	GRANT FOR SUPPLY OF DESKTOP FOR 6 WSCs	(0.30)	-	-	(0.30)	-	-	-	-	(0.30)
233350	INDIA HAND LOOM BRAND	53.12	-	-	53.12	-	-	-	-	53.12
233400	WEAVERS AWARENESS CAMP	(7.60)	-	-	(7.60)	-	-	-	-	(7.60)
233406	ORGANIZE DESIGENERS CHAUPAL AT CRAFT MUSEUM NEW DELHI IST AUG.2017	2.64	-	-	2.64	-	-	-	-	2.64
233407	3RD NATIONAL HANDLOOM DAY ON 7TH AUGUST 2017 AT GUWAHATI	54.14	-	-	54.14	-	-	-	-	54.14
233408	INTERNATIONAL TEXTILE FARE AT AHMEDABAD FROM 31ST JULY TO 2ND AUG. 2017	60.33	-	-	60.33	-	-	-	-	60.33
233412	INAUGURATION PROGRAMME ON 22.09.2017 TFC AND CM	2.41	-	-	2.41	-	-	-	-	2.41
233418	INTERNATIONAL WOMENS DAY	1.39	-	-	1.39	-	-	-	-	1.39
233419	HASTKALA SAHYOG SHIVIR (PHASE 1)	37.65	-	-	37.65	-	-	-	-	37.65
233420	HASTKALA SAHYOG SHIVIR (PHASE 2)	10.68	-	-	10.68	-	-	-	-	10.68
233423	SWADESHI MELA CHANDHIGARH 2017-2018	5.00	-	-	5.00	-	-	-	-	5.00
233427	15 BUNKAR CHOUPALS IN CFC VARANASI MEGA HANDLOOM CLUSTER	(0.03)	-	-	(0.03)	-	-	-	-	(0.03)
233432	PMTA (TFC) JLL	1.22	-	-	1.22	-	-	-	-	1.22
233437	VISIT OF FRENCH PRESIDENT TO T F C ON 12/03/2018	8.97	-	-	8.97	-	-	-	-	8.97
233438	DIN DYAL HASTKALA SANKUL TRADE MUSEUM CENTRE (TFC) PAYMENT	29.65	-	-	29.65	-	-	-	-	29.65
233441	KAUSHAMBI MAHOTSAV 2018 (4TH APRIL 2018 TO 5TH APRIL 2018)	0.99	-	-	0.99	-	-	-	-	0.99
233442	4TH EDITION OF HSF 2018 AT LUCKNOW FROM 05.10.2018 TO 08.10.2018	1.66	-	-	1.66	-	-	-	-	1.66
233443	12 FLIMS ON GI REGISTERED HANDLOOM /HANDICRAFT PRODUCT (2018-2019)	1.40	-	-	1.40	-	-	-	-	1.40
233444	TO ORGANISE DISTRICT LEVEL EVENTS (UNDER NHDP)	14.05	-	-	14.05	-	-	-	-	14.05
233445	SILK FAB RAIPUR 2018-2019	2.88	-	-	2.88	-	-	-	-	2.88
233450	6th National Handloom Day 2020-2021 DC Handicraft	(16.47)	-	-	(16.47)	16.47	-	-	16.47	-
233453	7th National Handloom Day 2021-22	145.90	99.83	-	46.07	-	-	-	-	46.07

क्रम सं.	विवरण	31.03.2023 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त		कुल	वर्ष के दौरान लेनदेन			कुल	31.03.2024 को शेष
			सरकार से	प्रतिभागियों / अन्य से		व्यय	रिफंड अंतरण	रिटर्न / समायोजन / अंतरण		
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	7	8		9 (7+8)	10 (6+9)
233510	हैंडलूम हेल्पलाइन सेंटर (एमएसडी)	36.02	77.57	-	(41.55)	40.90	-	-	40.90	(0.64)
233516	एक्सवल्सिव हथकरघा उत्पादों का रिटेल आउटलेट (फ्लैगशिप स्टोर)	65.58	-	-	65.58	22.51	-	-	22.51	88.09
233517	श्रम पर संसदीय स्थायी समिति	1.14	-	-	1.14	-	-	-	-	1.14
233604	राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो- इंदौर (2018-19)	7.64	-	-	7.64	-	-	-	-	7.64
233606	राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो- पटना (2018-19)	6.82	-	-	6.82	-	-	-	-	6.82
233701	हथकरघा संवर्धन हेतु आउटरीच कार्यक्रम (एनजेबी कोलकाता) 7-01-2019 से 13-01-2019 तक	(0.63)	-	-	(0.63)	-	-	-	-	(0.63)
233702	एमएसएमई का आउटरीच कार्यक्रम (बु.से.कें. जनवरी 2019 से फरवरी 2019 तक)	13.69	-	-	13.69	-	-	-	-	13.69
233708	क्लस्टर कारीगरों की मैपिंग	(45.00)	-	-	(45.00)	42.49	-	-	42.49	(2.51)
233709	चुने हुए क्लस्टर क्षेत्रों के कुशल शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने वाली वीडियो फिल्म	(3.34)	-	-	(3.34)	-	-	-	-	(3.34)
233712	निर्माता कंपनी का गठन	0.55	-	-	0.55	-	-	-	-	0.55
233714	सिल्क फेब पुणे 2020-21	-	-	-	-	-	-	22.40	(22.40)	(22.40)
233715	सिल्क फेब एर्नाकुलम 2020-21	-	-	-	-	-	-	14.00	(14.00)	(14.00)
233716	सिल्क फेब जम्मू 2020-21	6.35	-	-	6.35	-	-	-	-	6.35
233717	सिल्क फेब गुवाहाटी 2020-21	5.38	-	-	5.38	-	-	-	-	5.38
233719	सिल्क फेब सूरत 2020-21	(7.41)	-	-	(7.41)	-	-	-	-	(7.41)
233720	सिल्क फेब हैदराबाद 2020-21	0.47	-	-	0.47	-	-	-	-	0.47
233721	सिल्क फेब पटना 2020-21	6.15	-	-	6.15	-	-	-	-	6.15
233725	विषयगत प्रदर्शनी का आयोजन 2020-21	(66.15)	-	-	(66.15)	66.15	-	-	66.15	-
233726	डिजाइन और तकनीकी विकास कार्यशाला 2020-21	(40.48)	-	-	(40.48)	40.48	-	-	40.48	-
233727	कलात्मक आदिवासी वस्त्र कढ़ाई शिल्प पर ड्रेस मटेरियल के आदिवासी कारीगर	(132.00)	-	-	(132.00)	132.00	-	-	132.00	-
233730	माई हैंडलूम माई प्राइड प्रदर्शनी दिल्ली हाट 2021-22	60.41	-	-	60.41	-	-	-	-	60.41
233732	एक्सवल्सिव हैंडलूम एक्सपो वित्त वर्ष 2021-22 दिल्ली	-	13.84	-	(13.84)	-	-	-	-	(13.84)
233734	एनएचडीसी लिमिटेड का 39वां स्थापना दिवस वित्त वर्ष 2021-22	20.24	5.65	-	14.59	-	-	2.60	(2.60)	11.99
233735	झरोखा- भारतीय शिल्प उत्सव अजमेर वित्त वर्ष 2021-22	(6.65)	-	-	(6.65)	9.79	-	-	9.79	3.14
233739	एक्सवल्सिव हैंडलूम एक्सपो कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली 2021-22	4.69	4.69	-	-	-	-	-	-	-
233741	योजना के प्रसार पर सेमिनार 2021-22	4.93	-	-	4.93	0.69	-	-	0.69	5.62
233742	सिल्क फेब जमशेदपुर 2021-22	(21.00)	-	-	(21.00)	-	-	(21.00)	21.00	-
233743	सिल्क फेब लखनऊ 2021-22	(21.00)	-	-	(21.00)	-	-	(21.00)	21.00	-
233744	सिल्क फेब भोपाल 2021-22	(21.00)	-	-	(21.00)	-	-	(21.00)	21.00	-
233746	सिल्क फेब पटना 2021-22	(21.00)	-	-	(21.00)	-	-	(21.00)	21.00	-
233747	सिल्क फेब देहरादून 2021-22	(21.00)	-	-	(21.00)	-	-	(21.00)	21.00	-
233748	सिल्क फेब सूरत 2021-22	(21.00)	-	-	(21.00)	-	-	(21.00)	21.00	-
233751	सिल्क फेब जबलपुर 2021-22	4.44	4.44	-	-	-	-	-	-	-
233752	सिल्क फेब हैदराबाद 2021-22	8.24	8.24	-	-	-	-	-	-	-
233753	सिल्क फेब गुवाहाटी 2021-22	(21.00)	-	-	(21.00)	-	-	(21.00)	21.00	-
233757	सिल्क फेब अहमदाबाद 2021-22	8.77	-	-	8.77	-	-	8.77	(8.77)	-
233760	सिल्क फेब वाराणसी 2021-22	(5.99)	-	-	(5.99)	-	-	(5.99)	5.99	-
233763	जिला हैंडलूम एक्सपो वाराणसी 2021-22	5.58	0.95	-	4.63	-	-	-	-	4.63

Sl. No.	Particulars	Balance As On 31.03.2023	Received During The Year		Total	Transactions During The Year			Total	Balance As On 31.03.2024
			From Govt.	From Participants/ Others		Expenses	Refund Transfer	Refund/ Adjustment/ Transfer		
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7	8		9 (7+8)	10 (6+9)
233501	GRANT FOR CONSTRUCTION OF 7 CFCs	124.96	-	-	124.96	-	-	-	-	124.96
233502	GRANT FOR COMMON SERVICE CENTRES (CSC), VARANASI	(10.82)	-	-	(10.82)	-	-	-	-	(10.82)
233504	DESIGNS DEV AND PATTERN MAKING-VARANASI	(0.18)	-	-	(0.18)	-	-	-	-	(0.18)
233510	HANDLOOM HELPLINE CENTRE (MSD)	36.02	77.57	-	(41.55)	40.90	-	-	40.90	(0.64)
233516	RETAIL OUTLET OF EXCLUSIVE HANDLOOM PRODUCTS (FLAGSHIP STORES)	65.58	-	-	65.58	22.51	-	-	22.51	88.09
233517	PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON LABOUR	1.14	-	-	1.14	-	-	-	-	1.14
233604	NATIONAL HANDLOOM EXPO-Indore(2018-19)	7.64	-	-	7.64	-	-	-	-	7.64
233606	NATIONAL HANDLOOM EXPO-Patna(2018-19)	6.82	-	-	6.82	-	-	-	-	6.82
233701	OUTREACH PROGRAMME FOR PROMOTION OF HANDLOOMS (NJB KOLKOTTA) FROM 7-01-2019 TO 13-01-2019	(0.63)	-	-	(0.63)	-	-	-	-	(0.63)
233702	OUTREACH PROGRAMME OF MSME (WSC JAN 2019 TO FEB.2019)	13.69	-	-	13.69	-	-	-	-	13.69
233708	Mapping of Cluster Artisans	(45.00)	-	-	(45.00)	42.49	-	-	42.49	(2.51)
233709	Video film showcasing the skilful craftsmanship of chosen cluster areas	(3.34)	-	-	(3.34)	-	-	-	-	(3.34)
233712	Formation of Producer Company	0.55	-	-	0.55	-	-	-	-	0.55
233714	Silk Fab Pune 2020-21	-	-	-	-	-	-	22.40	(22.40)	(22.40)
233715	Silk Fab Ernakulam 2020-21	-	-	-	-	-	-	14.00	(14.00)	(14.00)
233716	Silk Fab Jammu 2020-21	6.35	-	-	6.35	-	-	-	-	6.35
233717	Silk Fab Guwahati 2020-21	5.38	-	-	5.38	-	-	-	-	5.38
233719	Silk Fab Surat 2020-21	(7.41)	-	-	(7.41)	-	-	-	-	(7.41)
233720	Silk Fab Hyderabad 2020-21	0.47	-	-	0.47	-	-	-	-	0.47
233721	Silk Fab Patna 2020-21	6.15	-	-	6.15	-	-	-	-	6.15
233725	Organizing Thematic Exhibition 2020-21	(66.15)	-	-	(66.15)	66.15	-	-	66.15	-
233726	Design and Technical Development Workshop 2020-21	(40.48)	-	-	(40.48)	40.48	-	-	40.48	-
233727	ST Artisans of Dress Material on Artistic Tribal Textile Embroidery Crafts	(132.00)	-	-	(132.00)	132.00	-	-	132.00	-
233730	My Handloom My Pride Exhibition Dilli Haat 2021-22	60.41	-	-	60.41	-	-	-	-	60.41
233732	Exclusive Handloom Expo FY 2021-22 Delhi	-	13.84	-	(13.84)	-	-	-	-	(13.84)
233734	39th Foundation Day of NHDC LTD FY 2021-22	20.24	5.65	-	14.59	-	-	2.60	(2.60)	11.99
233735	Jharokha- Celebrating Crafts of India Ajmer FY 2021-22	(6.65)	-	-	(6.65)	9.79	-	-	9.79	3.14
233739	Exclusive Handloom Expo Constitution Club of India Delhi 2021-22	4.69	4.69	-	-	-	-	-	-	-
233741	Seminar on Dissemination of Scheme 2021-22	4.93	-	-	4.93	0.69	-	-	0.69	5.62
233742	Silk Fab Jamshedpur 2021-22	(21.00)	-	-	(21.00)	-	-	(21.00)	21.00	-
233743	Silk Fab Lucknow 2021-22	(21.00)	-	-	(21.00)	-	-	(21.00)	21.00	-
233744	Silk Fab Bhopal 2021-22	(21.00)	-	-	(21.00)	-	-	(21.00)	21.00	-
233746	Silk Fab Patna 2021-22	(21.00)	-	-	(21.00)	-	-	(21.00)	21.00	-
233747	Silk Fab Dehradun 2021-22	(21.00)	-	-	(21.00)	-	-	(21.00)	21.00	-
233748	Silk Fab Surat 2021-22	(21.00)	-	-	(21.00)	-	-	(21.00)	21.00	-

क्रम सं.	विवरण	31.03. 2023 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त		कुल	वर्ष के दौरान लेनदेन			कुल	31.03.2024 को शेष
			सरकार से	प्रतिभागियों / अन्य से		व्यय	रिफंड अंतरण	रिटर्न / समायोजन / अंतरण		
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	7	8		9 (7+8)	10 (6+9)
233764	प्रचार गतिविधियों का आयोजन 7 डीआरसी 2021-22	(8.67)	-	-	(8.67)	-	-	-	-	(8.67)
233765	8वीं भारतीय राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह मेला कोलकाता 2021-22 का आयोजन	(1.44)	-	-	(1.44)	-	-	-	-	(1.44)
233767	10 जिला स्तरीय प्रदर्शनी 2021-22 का आयोजन	4.68	4.68	-	-	-	-	-	-	-
233768	गुवाहाटी में क्रेता-विक्रेता समागम (बीएसएम) 2021-22	0.41	-	-	0.41	-	-	-	-	0.41
233770	जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हथकरघा बुनाई का लाइव प्रदर्शन	8.60	-	-	8.60	-	-	-	-	8.60
233771	पूर्वोत्तर महोत्सव 2022-23 का आयोजन	0.06	-	-	0.06	-	-	0.06	(0.06)	-
233774	25वां बंग संस्कृति उत्सव वित्त वर्ष 2022	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-
233775	शिल्प संग्रहालय, दीनदयाल हस्तकला संकुल, वाराणसी में राष्ट्रीय जी.आई. गैलरी वित्त वर्ष 2022-23	10.83	-	-	10.83	-	-	-	-	10.83
233776	17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (एमआईएफएफ) 2022-23	(2.41)	-	-	(2.41)	1.34	-	(1.08)	2.41	-
233777	8वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2022-23	549.89	567.45	-	(17.55)	-	-	13.55	(13.55)	(31.10)
233780	एचजीएच इंडिया 12-15 जुलाई, 2022 को इंडिया एक्सपो सेंटर, ग्रेटर नोएडा में	8.70	8.70	-	-	-	-	-	-	-
233781	7वां भारत औद्योगिक मेला (उद्यम-2022) और उद्यम सम्मेलन, गुवाहाटी	6.61	6.61	-	-	-	-	-	-	-
233782	दिल्ली हाट, जनकपुरी में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए विशेष हथकरघा एक्सपो	21.61	21.61	-	-	-	-	-	-	-
233783	सिल्क फेब अहमदाबाद वित्त वर्ष 2022-23	10.70	8.10	-	2.60	-	-	2.60	(2.60)	-
233784	सिल्क फेब जबलपुर वित्त वर्ष 2022-23	8.07	8.07	-	-	-	-	-	-	-
233785	सिल्क फेब कोलकाता वित्त वर्ष 2022-23	10.03	7.44	-	2.60	-	-	2.60	(2.60)	-
233786	सिल्क फेब सूरत वित्त वर्ष 2022-23	6.75	6.42	-	0.33	-	-	0.33	(0.33)	-
233787	सिल्क फेब जमशेदपुर वित्त वर्ष 2022-23	8.05	8.05	-	-	-	-	-	-	-
233788	सिल्क फेब जम्मू वित्त वर्ष 2022-23	6.99	6.73	-	0.26	-	-	0.26	(0.26)	-
233789	सिल्क फेब दिल्ली वित्त वर्ष 2022-23	10.95	-	-	10.95	4.26	-	-	4.26	15.21
233790	सिल्क फेब चेन्नई वित्त वर्ष 2022-23	(4.89)	-	-	(4.89)	12.00	-	-	12.00	7.11
233791	एक्सवल्सिव हैंडलूम एक्सपो देहरादून वित्त वर्ष 2022-23	8.62	-	-	8.62	-	-	8.62	(8.62)	-
233792	सिल्क फेब शिमला वित्त वर्ष 2022-23	0.03	-	-	0.03	-	-	-	-	0.03
233793	झरोखा- भारतीय शिल्प का जश्न, दीमापुर वितीय वर्ष 2021-22	2.99	2.99	-	-	-	-	-	-	-
233794	झरोखा- भारत के शिल्प उत्सव अहमदाबाद वित्त वर्ष 2021-22	3.03	3.03	-	-	-	-	-	-	-
233795	हैंडलूम हाट, जनपथ में विशेष हैंडलूम एक्सपो वित्त वर्ष 2022-23	(0.54)	-	-	(0.54)	-	-	-	-	(0.54)
233797	झरोखा- भारत के शिल्प उत्सव कोयंबटूर वित्त वर्ष 2021-22	10.91	10.91	-	-	-	-	-	-	-
233799	वित्तीय वर्ष 2022-23 में मणिपुर के इम्फाल में मैनीटेक्स में थीम पैवेलियन	1.55	1.55	-	-	-	-	-	-	-
233802	वित्त वर्ष 2022-23 में जम्मू में विशेष हैंडलूम एक्सपो	5.41	-	-	5.41	-	-	5.41	(5.41)	-
233803	वित्त वर्ष 2022-23 में पश्चिम बंगाल में जागरूकता शिविर सह बैठक का आयोजन	2.00	-	-	2.00	-	-	-	-	2.00
233806	वित्त वर्ष 2022-23 में नई दिल्ली के काली बाड़ी में विशेष हैंडलूम और हस्तशिल्प एक्सपो	2.46	2.46	-	-	-	-	-	-	-

Sl. No.	Particulars	Balance As On 31.03.2023	Received During The Year		Total	Transactions During The Year			Total	Balance As On 31.03.2024
			From Govt.	From Participants/ Others		Expenses	Refund Transfer	Refund/ Adjustment/ Transfer		
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	7	8		9 (7+8)	10 (6+9)
233751	Silk Fab Jabalpur 2021-22	4.44	4.44	-	-	-	-	-	-	-
233752	Silk Fab Hyderabad 2021-22	8.24	8.24	-	-	-	-	-	-	-
233753	Silk Fab Guwahati 2021-22	(21.00)	-	-	(21.00)	-	-	(21.00)	21.00	-
233757	Silk Fab Ahmedabad 2021-22	8.77	-	-	8.77	-	-	8.77	(8.77)	-
233760	Silk Fab Varanasi 2021-22	(5.99)	-	-	(5.99)	-	-	(5.99)	5.99	-
233763	District Handloom Expo Varanasi 2021-22	5.58	0.95	-	4.63	-	-	-	-	4.63
233764	Organizing promotional activities 7 DRC 2021-22	(8.67)	-	-	(8.67)	-	-	-	-	(8.67)
233765	Organizing 8th Indian National Exhibition Cum-Fair Kolkata 2021-22	(1.44)	-	-	(1.44)	-	-	-	-	(1.44)
233767	Organization of 10 DHE 2021-22	4.68	4.68	-	-	-	-	-	-	-
233768	Buyers Sellers Meet (BSM) at Guwahati 2021-22	0.41	-	-	0.41	-	-	-	-	0.41
233770	Organization of Awareness Prog Live Demonstration of Handloom Weaving	8.60	-	-	8.60	-	-	-	-	8.60
233771	Celebration of North East Festival 2022-23	0.06	-	-	0.06	-	-	0.06	(0.06)	-
233774	25th Banga Sanskriti Utsav FY 2022	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-
233775	National G.I. Gallery in the Craft Museum, Deendayal Hastkala Sankul, Varanasi FY 2022-23	10.83	-	-	10.83	-	-	-	-	10.83
233776	17th Mumbai International Film Festival (MIFF) 2022-23	(2.41)	-	-	(2.41)	1.34	-	(1.08)	2.41	-
233777	8th National Handloom Day 2022-23	549.89	567.45	-	(17.55)	-	-	13.55	(13.55)	(31.10)
233780	HGH India 12-15 July, 2022 at India Expo Center, Greater Noida	8.70	8.70	-	-	-	-	-	-	-
233781	7th India Industrial Fair (Udyam-2022) & Udyamee Samellan, Guwahati	6.61	6.61	-	-	-	-	-	-	-
233782	Exclusive Handloom Expo at Dilli Haat, Janakpuri FY 2022-23	21.61	21.61	-	-	-	-	-	-	-
233783	Silk Fab Ahmedabad FY 2022-23	10.70	8.10	-	2.60	-	-	2.60	(2.60)	-
233784	Silk Fab Jabalpur FY 2022-23	8.07	8.07	-	-	-	-	-	-	-
233785	Silk Fab Kolkata FY 2022-23	10.03	7.44	-	2.60	-	-	2.60	(2.60)	-
233786	Silk Fab Surat FY 2022-23	6.75	6.42	-	0.33	-	-	0.33	(0.33)	-
233787	Silk Fab Jamshedpur FY 2022-23	8.05	8.05	-	-	-	-	-	-	-
233788	Silk Fab Jammu FY 2022-23	6.99	6.73	-	0.26	-	-	0.26	(0.26)	-
233789	Silk Fab Delhi FY 2022-23	10.95	-	-	10.95	4.26	-	-	4.26	15.21
233790	Silk Fab Chennai FY 2022-23	(4.89)	-	-	(4.89)	12.00	-	-	12.00	7.11
233791	Exclusive Handloom Expo Dehradun FY 2022-23	8.62	-	-	8.62	-	-	8.62	(8.62)	-
233792	Silk Fab Shimla FY 2022-23	0.03	-	-	0.03	-	-	-	-	0.03
233793	Jharokha- Celebrating Crafts of India Dimpur FY 2021-22	2.99	2.99	-	-	-	-	-	-	-
233794	Jharokha- Celebrating Crafts of India Ahemdabad FY 2021-22	3.03	3.03	-	-	-	-	-	-	-
233795	Exclusive Handloom Expo at Handloom Haat, Janpath FY 2022-23	(0.54)	-	-	(0.54)	-	-	-	-	(0.54)
233797	Jharokha- Celebrating Crafts of India Coimbatore FY 2021-22	10.91	10.91	-	-	-	-	-	-	-
233799	Theme Pavilion in MANITEX at Imphal, Manipur FY 2022-23	1.55	1.55	-	-	-	-	-	-	-
233802	EXCLUSIVE HANDLOOM EXPO, JAMMU FY 2022-23	5.41	-	-	5.41	-	-	5.41	(5.41)	-
233803	Organization of Awareness Camp cum Meeting in West Bengal FY 2022-23	2.00	-	-	2.00	-	-	-	-	2.00

क्रम सं.	विवरण	31.03. 2023 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त		कुल	वर्ष के दौरान लेनदेन			कुल	31.03.2024 को शेष
			सरकार से	प्रतिभागियों / अन्य से		व्यय	रिफंड अंतरण	रिटर्न / समायोजन / अंतरण		
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	7	8		9 (7+8)	10 (6+9)
233807	22.11.2022 को संसदीय परामर्श बैठक का आयोजन वित्त वर्ष 2022-23	0.85	-	-	0.85	-	-	-	-	0.85
233808	असम के मुगा सिल्क के लिए लघु फिल्म	3.66	-	-	3.66	-	-	3.66	(3.66)	-
233809	वित्त वर्ष 2022-23 में शिमला के विलो बैंक होटल में विशेष हैंडलूम एक्सपो	6.49	-	-	6.49	-	-	6.49	(6.49)	-
233810	वित्त वर्ष 2022-23 में दिल्ली के जनपथ में विरासत, साड़ी महोत्सव	(56.61)	3.62	-	(60.22)	67.52	-	-	67.52	7.30
233811	वित्त वर्ष 2022-23 में वाराणसी के दीनदयाल हस्तकला संकुल में टेक्सटाइल कॉन्क्लेव	1.12	1.12	-	-	-	-	-	-	-
233813	जनजातीय गौरव दिवस, जनपथ दिल्ली वित्तीय वर्ष 2022-23	17.59	9.44	-	8.15	-	-	-	-	8.15
233814	41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, दिल्ली वित्तीय वर्ष 2022-23	105.63	105.33	-	0.30	-	-	0.30	(0.30)	0.00
233815	वूल फ़ैब, जयपुर वित्तीय वर्ष 2022-23	4.27	-	-	4.27	-	-	1.86	(1.86)	2.41
233816	इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, दिल्ली वित्तीय वर्ष 2022-23	1.69	1.69	-	-	-	-	-	-	-
233817	सिल्क फ़ैब, भोपाल वित्तीय वर्ष 2022-23	8.00	7.79	-	0.20	-	-	0.20	(0.20)	-
233819	आईएसओडब्ल्यूए कार्निवल, चाणक्यपुरी वित्तीय वर्ष 2022-23	0.61	0.61	-	-	-	-	-	-	-
233820	सिल्क फ़ैब, नागपुर वित्तीय वर्ष 2022-23	7.08	3.78	-	3.30	-	-	3.30	(3.30)	-
233821	सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, फरीदाबाद वित्त वर्ष 2022-23	14.47	10.45	-	4.02	-	-	-	-	4.02
233822	एमओएस की बातचीत बैठक, भुवनेश्वर वित्त वर्ष 2022-23	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
233823	सिल्क फ़ैब हैदराबाद, वित्त वर्ष 2022-23	8.68	-	-	8.68	-	-	0.95	(0.95)	7.73
233825	सिल्क फ़ैब प्रदर्शनी, गांधी धाम (कांडला), वित्त वर्ष 2022-23	7.66	-	-	7.66	-	-	2.79	(2.79)	4.87
233826	सिल्क फ़ैब प्रदर्शनी, रायपुर, वित्त वर्ष 2022-23	15.29	-	-	15.29	-	-	13.78	(13.78)	1.51
233827	झरोखा- डोंबिवली में भारतीय शिल्प उत्सव, वित्त वर्ष 2022-23	15.72	15.72	-	-	-	-	-	-	-
233828	एचजीएच इंडिया स्पेशल हैंडलूम एक्सपो गोरेगांव, मुंबई वित्त वर्ष 2022-23	4.34	4.34	-	-	-	-	-	-	-
233831	सिल्क फ़ैब, बैंगलोर वित्त वर्ष 2022-23	14.63	-	-	14.63	-	-	11.64	(11.64)	2.98
233832	25वीं राष्ट्रीय वस्त्र प्रदर्शनी, कोलकाता वित्त वर्ष 2022-23	1.03	1.03	-	-	-	-	-	-	-
233833	जिला हैंडलूम एक्सपो असम, नलबाड़ी और मंगलदोई वित्त वर्ष 2022-23	3.40	-	-	3.40	-	-	-	-	3.40
233834	अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, वित्त वर्ष 2022-23	8.77	44.49	-	(35.72)	33.44	-	-	33.44	(2.27)
233835	सिल्क फ़ैब, इंदौर वित्त वर्ष 2022-23	7.08	-	-	7.08	0.07	-	-	0.07	7.15
233836	सिल्क फ़ैब, पटना वित्त वर्ष 2022-23	8.67	7.71	-	0.96	-	-	0.96	(0.96)	-
233837	सिल्क फ़ैब, गुवाहाटी वित्त वर्ष 2022-23	26.31	19.18	-	7.13	-	-	4.48	(4.48)	2.65
233838	काशी तमिल समागम (केटीएस), वाराणसी वित्त वर्ष 2022-23	1.58	1.58	-	-	-	-	0.56	(0.56)	(0.56)
233839	स्पेशल हैंडलूम एक्सपो (एससीओ), जनपथ दिल्ली वित्त वर्ष 2023-24	-	-	-	-	13.07	-	-	-	13.07
233840	हैंडलूम ऑफ इंडिया, लखनऊ वित्त वर्ष 2022-23	(12.96)	-	-	(12.96)	18.33	-	-	18.33	5.37
233841	विज्ञान राजस्थान सिरोंही, राजस्थान वित्त वर्ष 2022-23	1.20	-	-	1.20	-	-	1.20	(1.20)	-
233842	एनएचडीपी वित्त वर्ष 2022-23 के तहत राज्य मंत्री का जयपुर दौरा	1.27	-	-	1.27	-	-	-	-	1.27
233843	13वां एग्रोविजन समिट नागपुर 2022-23	2.07	-	-	2.07	-	-	-	-	2.07

Sl. No.	Particulars	Balance As On 31.03.2023	Received During The Year		Total	Transactions During The Year			Total	Balance As On 31.03.2024
			From Govt.	From Participants/ Others		Expenses	Refund Transfer	Refund/ Adjustment/ Transfer		
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	7	8		9 (7+8)	10 (6+9)
233806	Special Handloom & Handicraft Expo at Kali Bari, New Delhi FY 2022-23	2.46	2.46	-	-	-	-	-	-	-
233807	Parliamentary Consultative Meeting held on 22/11/2022 FY 2022-23	0.85	-	-	0.85	-	-	-	-	0.85
233808	Short Film for Muga Silk of Assam	3.66	-	-	3.66	-	-	3.66	(3.66)	-
233809	Exclusive Handloom Expo at Hotel Willow Banks, Shimla FY 2022-23	6.49	-	-	6.49	-	-	6.49	(6.49)	-
233810	VIRAASAT, Saree Festival at Janpath, Delhi FY 2022-23	(56.61)	3.62	-	(60.22)	67.52	-	-	67.52	7.30
233811	Textile Conclave at Deendayal Hastkala Sankul, Varanasi FY 2022-23	1.12	1.12	-	-	-	-	-	-	-
233813	Janjatiya Gaurav Diwas, Janpath Delhi FY 2022-23	17.59	9.44	-	8.15	-	-	-	-	8.15
233814	41st India International Trade Fair, Delhi FY 2022-23	105.63	105.33	-	0.30	-	-	0.30	(0.30)	0.00
233815	Wool Fab, Jaipur FY 2022-23	4.27	-	-	4.27	-	-	1.86	(1.86)	2.41
233816	India International Centre, Delhi FY 2022-23	1.69	1.69	-	-	-	-	-	-	-
233817	Silk Fab, Bhopal FY 2022-23	8.00	7.79	-	0.20	-	-	0.20	(0.20)	-
233819	IASOWA Carnival, Chanakyapuri FY 2022-23	0.61	0.61	-	-	-	-	-	-	-
233820	Silk Fab, Nagpur FY 2022-23	7.08	3.78	-	3.30	-	-	3.30	(3.30)	-
233821	Surajkund International Crafts Mela, Faridabad FY 2022-23	14.47	10.45	-	4.02	-	-	-	-	4.02
233822	Interaction Meeting of MOS, Bhubaneswar FY 2022-23	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
233823	Silk Fab Hyderabad, FY 2022-23	8.68	-	-	8.68	-	-	0.95	(0.95)	7.73
233825	Silk Fab Exhibition, Gandhi Dham (Kandla), FY 2022-23	7.66	-	-	7.66	-	-	2.79	(2.79)	4.87
233826	Silk Fab Exhibition, Raipur, FY 2022-23	15.29	-	-	15.29	-	-	13.78	(13.78)	1.51
233827	Jharokha- Celebrating Craft of India in Dombivili, FY 2022-23	15.72	15.72	-	-	-	-	-	-	-
233828	HGH India Special handloom Expo at Goregaon, Mumbai, FY 2022-23	4.34	4.34	-	-	-	-	-	-	-
233831	Silk Fab, Bangalore FY 2022-23	14.63	-	-	14.63	-	-	11.64	(11.64)	2.98
233832	25th National Textile Exhibition, Kolkata FY 2022-23	1.03	1.03	-	-	-	-	-	-	-
233833	District Handloom Expo Assam, at Nalbari & Mangaldoi FY 2022-23	3.40	-	-	3.40	-	-	-	-	3.40
233834	International Women's Day, FY 2022-23	8.77	44.49	-	(35.72)	33.44	-	-	33.44	(2.27)
233835	Silk Fab, Indore. FY 2022-23	7.08	-	-	7.08	0.07	-	-	0.07	7.15
233836	Silk Fab, Patna. FY 2022-23	8.67	7.71	-	0.96	-	-	0.96	(0.96)	-
233837	Silk Fab, Guwahati. FY 2022-23	26.31	19.18	-	7.13	-	-	4.48	(4.48)	2.65
233838	Kashi Tamil Samagam (KTS), Varanasi FY 2022-23	1.58	1.58	-	-	-	-	0.56	(0.56)	(0.56)
233839	Special Handloom Expo (SCO), Janpath Delhi FY 2023-24	-	-	-	-	13.07	-	-	13.07	13.07
233840	Handloom of India, Lucknow FY 2022-23	(12.96)	-	-	(12.96)	18.33	-	-	18.33	5.37
233841	Vision Rajasthan at Sirohi, Rajasthan FY 2022-23	1.20	-	-	1.20	-	-	1.20	(1.20)	-
233842	Visit of Minister of State to Jaipur under NHDP FY 2022-23	1.27	-	-	1.27	-	-	-	-	1.27
233843	13th Agrovision Summit Nagpur 2022-23	2.07	-	-	2.07	-	-	-	-	2.07
233844	Saurashtra Tamil Sangamam Programme Somnath 2023-24	-	6.57	-	(6.57)	25.01	-	-	25.01	18.44
233845	Exhibition for Home Decor, Janpath Delhi FY 2022-23	4.92	-	-	4.92	0.69	-	-	0.69	5.60

क्रम सं.	विवरण	31.03.2023 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त		कुल	वर्ष के दौरान लेनदेन			कुल	31.03.2024 को शेष
			सरकार से	प्रतिभागियों / अन्य से		व्यय	रिफंड अंतरण	रिटर्न / समायोजन / अंतरण		
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	7	8		9 (7+8)	10 (6+9)
233844	सौराष्ट्र तमिल संगमम कार्यक्रम सोमनाथ 2023-24	-	6.57	-	(6.57)	25.01	-	-	25.01	18.44
233845	होम डेकोर के लिए प्रदर्शनी, जनपथ दिल्ली वित्त वर्ष 2022-23	4.92	-	-	4.92	0.69	-	-	0.69	5.60
233846	राइज इन उत्तर प्रदेश गाजियाबाद 2022-23	1.04	1.04	-	-	-	-	-	-	-
233847	भारत पर्व, दिल्ली लाल किला वित्त वर्ष 2022-23	3.92	3.92	-	-	-	-	-	-	-
233848	जनपथ में राष्ट्रीय हथकरघा प्रदर्शनी, वित्त वर्ष 2022-23	10.42	-	-	10.42	22.89	-	-	22.89	33.32
233849	हथकरघा कार्यक्रम मेघालय 2023-24	-	-	-	-	1.20	-	-	1.20	1.20
233850	वूल फ़ैब दिल्ली 2022-23	11.65	-	-	11.65	-	-	3.61	(3.61)	8.04
233851	टेक्सटाइल उद्योग के साथ चिंतन शिविर (टेक्सटाइल कॉन्वलेव) राजकोट 2023-24	-	-	-	-	1.46	-	-	1.46	1.46
233852	डिजाइन संसाधन केंद्र 2021-22	6.09	0.60	-	5.49	-	-	-	-	5.49
233853	जागरूकता कार्यक्रम, हथकरघा बुनाई का लाइव प्रदर्शन और हथकरघा उत्पाद का प्रदर्शन, गांधी नगर 22-23	4.87	13.46	-	(8.60)	-	-	-	-	(8.60)
233854	साड़ी वॉकथॉन में हथकरघा और हस्तशिल्प का विशेष आयोजन मुंबई 2023-24	-	13.27	-	(13.27)	10.63	-	(2.00)	12.63	(0.63)
233855	जनपथ में विशेष हथकरघा प्रदर्शनी मई 2023-24	-	18.94	-	(18.94)	18.94	-	-	18.94	-
233856	हथकरघा की प्रदर्शनी, रोंगाली में फैशन शो, वित्त वर्ष 2022-23	3.00	3.00	-	-	-	-	-	-	-
233857	साड़ी महोत्सव- साड़ी वॉकथॉन, सूरत वित्त वर्ष 2023-24	-	-	-	-	5.03	-	-	5.03	5.03
233859	सिल्क फ़ैब वाराणसी 2022-23	(12.07)	-	-	(12.07)	6.30	-	-	6.30	(5.76)
233860	क्रेता विक्रेता बैठक, तमिलनाडु, सेलम 2022-23	1.23	-	-	1.23	-	-	-	-	1.23
233861	क्रेता विक्रेता बैठक, तमिलनाडु, काचीपुरम 2022-23	1.19	-	-	1.19	-	-	-	-	1.19
233862	क्रेता विक्रेता बैठक, मध्य प्रदेश, महेश्वर 2022-23	1.01	-	-	1.01	-	-	-	-	1.01
233863	क्रेता विक्रेता बैठक, छत्तीसगढ़, रायपुर 2022-23	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
233864	क्रेता विक्रेता बैठक, आंध्र प्रदेश, काकीनाडा 2022-23	0.84	-	-	0.84	-	-	-	-	0.84
233865	क्रेता विक्रेता बैठक, तेलंगाना, करीमनगर 2022-23	0.84	-	-	0.84	-	-	-	-	0.84
233866	क्रेता विक्रेता बैठक, ओडिशा, बरगढ़ 2022-23	0.81	-	-	0.81	-	-	-	-	0.81
233867	क्रेता विक्रेता बैठक, पश्चिम बंगाल, कृष्णानगर 2022-23	0.79	-	-	0.79	-	-	-	-	0.79
233868	क्रेता विक्रेता बैठक, जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर 2022-23	0.84	-	-	0.84	-	-	-	-	0.84
233869	क्रेता विक्रेता बैठक, हरियाणा, पानीपत 2022-23	0.84	-	-	0.84	-	-	-	-	0.84
233870	क्रेता विक्रेता बैठक, कर्नाटक, बैंगलोर 2022-23	0.23	-	-	0.23	-	-	-	-	0.23
233871	क्रेता विक्रेता बैठक, गुजरात, सुरेन्द्रनगर 2022-23	0.75	-	-	0.75	-	-	-	-	0.75
233872	योजना 2022-23 के प्रसार पर सेमिनार	6.16	-	-	6.16	0.24	-	-	0.24	6.40
233874	क्रेता विक्रेता सम्मेलन, बिहार, भागलपुर 2022-23	3.00	-	-	3.00	-	-	-	-	3.00
233878	9वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, वित्त वर्ष 2023-24 (ईएचई 05-08-2023 से 18-08-2023)	-	59.37	-	(59.37)	59.85	-	-	59.85	0.47
233879	सिल्क फ़ैब सूरत, वित्त वर्ष 2023-24	-	21.00	-	(21.00)	25.64	-	-	25.64	4.64
233881	सिल्क फ़ैब अहमदाबाद (28-09-2023 से 11-10-2023), वित्त वर्ष 2023-24	-	-	-	-	27.72	-	21.00	6.72	6.72
233882	सिल्क फ़ैब भुवनेश्वर (05-09-2023 से 18-09-2023), वित्त वर्ष 2023-24	-	-	-	-	23.87	-	21.00	2.87	2.87
233884	हैंडलूम हाट दिल्ली में एक्सक्लूसिव हैंडलूम एक्सपो 2023-24 (5.10.2023 से 18.10.2023)	-	15.85	-	(15.85)	20.44	-	-	20.44	4.59

Sl. No.	Particulars	Balance As On 31.03.2023	Received During The Year		Total	Transactions During The Year			Total	Balance As On 31.03.2024
			From Govt.	From Participants/ Others		Expenses	Refund Transfer	Refund/ Adjustment/ Transfer		
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7	8		9 (7+8)	10 (6+9)
233846	Rise in Uttar Pradesh Ghaziabad 2022-23	1.04	1.04	-	-	-	-	-	-	-
233847	Bharat Parv, Delhi Red Fort FY 2022-23	3.92	3.92	-	-	-	-	-	-	-
233848	National Handloom Expo at Janpath, FY 2022-23	10.42	-	-	10.42	22.89	-	-	22.89	33.32
233849	Handloom Events in Meghalaya 2023-24	-	-	-	-	1.20	-	-	1.20	1.20
233850	Wool Fab Delhi 2022-23	11.65	-	-	11.65	-	-	3.61	(3.61)	8.04
233851	Chintan Shivir with Textile Industry (Textile Conclave) Rajkot 2023-24	-	-	-	-	1.46	-	-	1.46	1.46
233852	Design Resource Centre 2021-22	6.09	0.60	-	5.49	-	-	-	-	5.49
233853	Awareness Prog, Live Demonstration of Handloom Weaving & Display of Handloom Product, Gandhi Nagar 22-23	4.87	13.46	-	(8.60)	-	-	-	-	(8.60)
233854	Special Event of Handloom & Handicraft at Sari Walkathon in Mumbai 2023-24	-	13.27	-	(13.27)	10.63	-	(2.00)	12.63	(0.63)
233855	Special Handloom Expo at Janpath May 2023-24	-	18.94	-	(18.94)	18.94	-	-	18.94	-
233856	Exhibition of Handloom, Fashion Show at Rongali, FY 2022-23	3.00	3.00	-	-	-	-	-	-	-
233857	Sari Festival- Saree Walkathon at Surat, FY 2023-24	-	-	-	-	5.03	-	-	5.03	5.03
233859	Silk Fab Varanasi 2022-23	(12.07)	-	-	(12.07)	6.30	-	-	6.30	(5.76)
233860	Buyer Seller Meet, Tamil Nadu, Salem 2022-23	1.23	-	-	1.23	-	-	-	-	1.23
233861	Buyer Seller Meet, Tamil Nadu, Kacheepuram 2022-23	1.19	-	-	1.19	-	-	-	-	1.19
233862	Buyer Seller Meet, Madhya Pradesh, Maheshwar 2022-23	1.01	-	-	1.01	-	-	-	-	1.01
233863	Buyer Seller Meet, Chattisgarh, Raipur 2022-23	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
233864	Buyer Seller Meet, Andhra Pradesh, Kakinada 2022-23	0.84	-	-	0.84	-	-	-	-	0.84
233865	Buyer Seller Meet, Telangana, Karimnagar 2022-23	0.84	-	-	0.84	-	-	-	-	0.84
233866	Buyer Seller Meet, Odisha, Bargarh 2022-23	0.81	-	-	0.81	-	-	-	-	0.81
233867	Buyer Seller Meet, West Bengal, Krishnanagar 2022-23	0.79	-	-	0.79	-	-	-	-	0.79
233868	Buyer Seller Meet, Jammu & Kashmir, Srinagar 2022-23	0.84	-	-	0.84	-	-	-	-	0.84
233869	Buyer Seller Meet, Haryana, Panipat 2022-23	0.84	-	-	0.84	-	-	-	-	0.84
233870	Buyer Seller Meet, Karnataka, Bangalore 2022-23	0.23	-	-	0.23	-	-	-	-	0.23
233871	Buyer Seller Meet, Gujrat, Surendarnagar 2022-23	0.75	-	-	0.75	-	-	-	-	0.75
233872	Seminar on Dissemination of Scheme 2022-23	6.16	-	-	6.16	0.24	-	-	0.24	6.40
233874	Buyer Seller Meet, Bihar, Bhagalpur 2022-23	3.00	-	-	3.00	-	-	-	-	3.00
233878	9th National Handloom Day, FY 2023-24 (EHE 05-08-2023 to 18-08-2023)	-	59.37	-	(59.37)	59.85	-	-	59.85	0.47
233879	Silk Fab Surat, FY 2023-24	-	21.00	-	(21.00)	25.64	-	-	25.64	4.64
233881	Silk Fab Ahmedabad (28-09-2023 to 11-10-2023), FY 2023-24	-	-	-	-	27.72	-	21.00	6.72	6.72
233882	Silk Fab Bhubaneswar (05-09-2023 to 18-09-2023), FY 2023-24	-	-	-	-	23.87	-	21.00	2.87	2.87

क्रम सं.	विवरण	31.03.2023 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त		कुल	वर्ष के दौरान लेनदेन			कुल	31.03.2024 को शेष
			सरकार से	प्रतिभागियों / अन्य से		व्यय	रिफंड अंतरण	रिटर्न / समायोजन / अंतरण		
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	7	8		9 (7+8)	10 (6+9)
233885	हैंडलूम हाट दिल्ली में वूल फ़ैब वित्त वर्ष 2023-24 (17.11.2023 से 30.11.2023)	-	20.65	-	(20.65)	28.64	-	-	28.64	7.99
233886	हैंडलूम हाट दिल्ली में एक्सक्लूसिव हैंडलूम एक्सपो 2023-24 (1.02.2024 से 14.02.2024)	-	15.85	-	(15.85)	22.50	-	-	22.50	6.65
233887	हैंडलूम हाट दिल्ली में एक्सक्लूसिव हैंडलूम एक्सपो 2023-24 (1.03.2024 से 14.03.2024)	-	20.65	-	(20.65)	30.06	-	-	30.06	9.41
233889	हैंडलूम हाट दिल्ली में स्पेशल हैंडलूम एक्सपो वित्त वर्ष 2023-24 (18-09-2023 से 1-10-2023)	-	23.73	-	(23.73)	27.15	-	-	27.15	3.42
233890	आरबीएसएम कांडला गुजरात 2022-23 (20-02-2023 से 21-02-2023)	-	-	-	-	3.62	-	-	3.62	3.62
233891	9वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस टीएच डीए-आईटीपीओ, दिल्ली वित्त वर्ष 2023-24	-	36.91	-	(36.91)	36.40	-	-	36.40	(0.50)
233892	सिल्क फ़ैब जमशेदपुर (15-09-2023 से 28-09-2023), वित्त वर्ष 2023-24	-	21.00	-	(21.00)	24.48	-	-	24.48	3.48
233895	सिल्क फ़ैब, हैंडलूम हाट जनपथ, दिल्ली वित्त वर्ष 2023-24 (23.10.2023 से 05.11.2023)	-	21.00	-	(21.00)	21.31	-	-	21.31	0.31
233896	स्वच्छता के लिए विशेष अभियान 2023-24	-	-	-	-	0.80	-	-	0.80	0.80
233897	सिल्क फ़ैब हैदराबाद वित्त वर्ष 2023-24 (28.12.2023 से 10.01.2024)	-	-	-	-	28.34	-	21.00	7.34	7.34
233898	चौथा हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एक्सपो 2023 (30.09.2023 से 15.10.2023)	-	4.78	-	(4.78)	4.78	-	-	4.78	-
233900	भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला वित्त वर्ष 2023-24 (14.11.2023 से 27.11.2023)	-	569.98	-	(569.98)	569.98	-	-	569.98	0.00
233901	साड़ी वॉकथॉन 2023-24 (29-11-2023 से 10-12-2023)	-	41.20	-	(41.20)	69.32	-	-	69.32	28.12
233902	अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति (आईसीएसी) की 81वीं पूर्ण बैठक 2023-24 (02-12-2023 से 05-12-2023)	-	7.40	-	(7.40)	8.37	-	-	8.37	0.97
233903	सिल्क फ़ैब इंदौर 2023-24 (06-12-2023 से 19-12-2023)	-	21.00	-	(21.00)	24.58	-	-	24.58	3.58
233904	सिल्क फ़ैब भोपाल वित्त वर्ष 2023-24 (17-11-2023 से 30-11-2023)	-	21.00	-	(21.00)	25.61	-	-	25.61	4.61
233905	26वीं राष्ट्रीय वस्त्र प्रदर्शनी 2023-24 (24-08-2023 से 27-08-2023)	-	2.88	-	(2.88)	2.80	-	-	2.80	(0.08)
233906	जयपुर एक्सपो, आकर्षक राजस्थान वित्तीय वर्ष 2023-24 (14-09-2023 से 16-09-2023)	-	-	-	-	1.34	-	-	1.34	1.34
233908	सिल्क फ़ैब लखनऊ वित्तीय वर्ष 2023-24 (20-10-2023 से 02-11-2023)	-	21.00	-	(21.00)	25.20	-	-	25.20	4.20
233909	विरासत -साड़ी महोत्सव (हैंडलूम हाट), जनपथ, 2023-24 (15-12-2023 से 28-12-2023)	-	36.00	-	(36.00)	58.59	-	-	58.59	22.59
233911	शरद उत्सव -2024 (आत्मनिर्भर भारत उत्सव) 03-01-2024 से 10-01-2024 (वित्तीय वर्ष 2023-24)	-	-	-	-	3.07	-	-	3.07	3.07
233913	सिल्क फ़ैब जबलपुर वित्त वर्ष 2023-24 (08-01-2024 से 21-01-2024)	-	-	-	-	25.80	-	21.00	4.80	4.80
233914	सिल्क फ़ैब बैंगलोर वित्त वर्ष 2023-24 (05-01-2024 से 18-01-2024)	-	-	-	-	26.92	-	21.00	5.92	5.92
233915	स्वच्छता विशेष अभियान वित्त वर्ष 2023-24 (01/10/2023)	-	-	-	-	0.58	-	-	0.58	0.58
233916	वूल फ़ैब चंडीगढ़ वित्त वर्ष 2023-24 (19-01-2024 से 28-01-2024)	-	10.00	-	(10.00)	29.64	-	-	29.64	19.64

Sl. No.	Particulars	Balance As On 31.03.2023	Received During The Year		Total	Transactions During The Year			Total	Balance As On 31.03.2024
			From Govt.	From Participants/ Others		Expenses	Refund Transfer	Refund/ Adjustment/ Transfer		
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	7	8		9 (7+8)	10 (6+9)
233884	Exclusive Handloom Expo at Handloom Haat Delhi 2023-24 (5.10.2023 to 18.10.2023)	-	15.85	-	(15.85)	20.44	-	-	20.44	4.59
233885	Wool Fab at Handloom Haat Delhi FY 2023-24 (17.11.2023 to 30.11.2023)	-	20.65	-	(20.65)	28.64	-	-	28.64	7.99
233886	Exclusive Handloom Expo at Handloom Haat Delhi 2023-24 (1.02.2024 to 14.02.2024)	-	15.85	-	(15.85)	22.50	-	-	22.50	6.65
233887	Exclusive Handloom Expo at Handloom Haat Delhi 2023-24 (1.03.2024 to 14.03.2024)	-	20.65	-	(20.65)	30.06	-	-	30.06	9.41
233889	Special Handloom Expo at Handloom Haat Delhi FY 2023-24 (18-09-2023 to 1-10-2023)	-	23.73	-	(23.73)	27.15	-	-	27.15	3.42
233890	RBSM Kandla Gujrat 2022-23 (20-02-2023 to 21-02-2023)	-	-	-	-	3.62	-	-	3.62	3.62
233891	9th National Handloom Day TA/DA-ITPO, Delhi FY 2023-24	-	36.91	-	(36.91)	36.40	-	-	36.40	(0.50)
233892	Silk Fab Jamshedpur (15-09-2023 to 28-09-2023), FY 2023-24	-	21.00	-	(21.00)	24.48	-	-	24.48	3.48
233895	Silk Fab Delhi at Handloom Haat Janpath FY 2023-24 (23.10.2023 to 05.11.2023)	-	21.00	-	(21.00)	21.31	-	-	21.31	0.31
233896	Special Campaign for Swachhata 2023-24	-	-	-	-	0.80	-	-	0.80	0.80
233897	Silk Fab Hyderabad FY 2023-24 (28.12.2023 to 10.01.2024)	-	-	-	-	28.34	-	21.00	7.34	7.34
233898	4th Handloom Handicraft Expo 2023 (30.09.2023 to 15.10.2023)	-	4.78	-	(4.78)	4.78	-	-	4.78	-
233900	India International Trade Fair FY 2023-24 (14.11.2023 to 27.11.2023)	-	569.98	-	(569.98)	569.98	-	-	569.98	0.00
233901	Sari Walkathon 2023-24 (29-11-2023 to 10-12-2023)	-	41.20	-	(41.20)	69.32	-	-	69.32	28.12
233902	81st Plenary Meeting of International Advisory Committee (ICAC) 2023-24 (02-12-2023 to 05-12-2023)	-	7.40	-	(7.40)	8.37	-	-	8.37	0.97
233903	Silk Fab Indore 2023-24 (06-12-2023 to 19-12-2023)	-	21.00	-	(21.00)	24.58	-	-	24.58	3.58
233904	Silk Fab Bhopal FY 2023-24 (17-11-2023 to 30-11-2023)	-	21.00	-	(21.00)	25.61	-	-	25.61	4.61
233905	26th National Textiles Exhibition 2023-24 (24-08-2023 to 27-08-2023)	-	2.88	-	(2.88)	2.80	-	-	2.80	(0.08)
233906	Jaipur Expo, Alluring Rajasthan FY 2023-24 (14-09-2023 to 16-09-2023)	-	-	-	-	1.34	-	-	1.34	1.34
233908	Silk Fab Lucknow FY 2023-24 (20/10/2023 to 02/11/2023)	-	21.00	-	(21.00)	25.20	-	-	25.20	4.20
233909	Viraasat -Saree Festival (Handloom Haat), Janpath, 2023-24 (15-12-2023 to 28-12-2023)	-	36.00	-	(36.00)	58.59	-	-	58.59	22.59
233911	Sharad Utsav -2024 (Atmnrbar Bharat Utsav) 03-01-2024 to 10-01-2024 (FY 2023-24)	-	-	-	-	3.07	-	-	3.07	3.07
233913	Silk Fab Jabalpur FY 2023-24 (08/01/2024 to 21/01/2024)	-	-	-	-	25.80	-	21.00	4.80	4.80
233914	Bangalore Silk Fab FY 2023-24 (05/01/2024 to 18/01/2024)	-	-	-	-	26.92	-	21.00	5.92	5.92
233915	Special Campaign for Swachhata FY 2023-24 (01/10/2023)	-	-	-	-	0.58	-	-	0.58	0.58
233916	Wool Fab at Chandigarh FY 2023-24 (19-01-2024 to 28-01-2024)	-	10.00	-	(10.00)	29.64	-	-	29.64	19.64

क्रम सं.	विवरण	31.03.2023 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त		कुल	वर्ष के दौरान लेनदेन			कुल	31.03.2024 को शेष
			सरकार से	प्रतिभागियों / अन्य से		व्यय	रिफंड अंतरण	रिटर्न / समायोजन / अंतरण		
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	7	8		9 (7+8)	10 (6+9)
233917	सिल्क फ़ैब वाराणसी 06-03-2024 से 19-03-2024 (वित्त वर्ष 2023-24)	-	21.00	-	(21.00)	24.81	-	-	24.81	3.81
233918	सिल्क फ़ैब देहरादून 16-02-2024 से 29-02-2024 (वित्तीय वर्ष 2023-24)	-	-	-	-	23.33	-	21.00	2.33	2.33
233919	सिल्क फ़ैब कोलकाता 25-02-2024 से 09-03-2024 (वित्तीय वर्ष 2023-24)	-	21.00	-	(21.00)	28.12	-	-	28.12	7.12
233920	वूल फ़ैब लखनऊ वित्तीय वर्ष 2023-24 (30-01-2024 से 09-02-2024)	-	14.00	-	(14.00)	29.65	-	-	29.65	15.65
233921	साडी वॉकथॉन, कोटा, राजस्थान वित्तीय वर्ष 2023-24 (04-02-2024)	-	19.98	-	(19.98)	110.41	-	-	110.41	90.43
233922	सिल्क फ़ैब गुवाहाटी (28-03-2024 से 10-04-2024) वित्तीय वर्ष 2023-24	-	21.00	-	(21.00)	20.43	-	5.16	15.27	(5.73)
233924	आत्मनिर्भर भारत उत्सव, कोटा 2023-24 3.2.2024 से 8.2.2024	-	33.26	-	(33.26)	31.75	-	-	31.75	(1.51)
233925	आत्मनिर्भर भारत उत्सव, गोरेगांव मुंबई वित्तीय वर्ष 2023-24 (14-02-2024 से 19-02-2024)	-	55.93	-	(55.93)	68.41	-	1.73	66.68	10.75
233926	न भारत साडी वॉकथॉन, हैदराबाद वित्त वर्ष 2023-24 (05-03-2024)	-	20.34	-	(20.34)	33.16	-	-	33.16	12.82
233929	सिल्क फ़ैब प्रदर्शनी, डिब्रूगढ़, वित्त वर्ष 2023-24 (01-03-2024 से 14-03-2024)	-	21.00	-	(21.00)	20.52	-	-	20.52	(0.48)
233930	सिल्क फ़ैब पटना, वित्त वर्ष 2023-24 (08-02-2024 से 21-02-2024)	-	-	-	-	25.16	-	21.00	4.16	4.16
233933	8वें एनएचडी-2022 वित्त वर्ष 2022-23 को विजय और सेल्फी प्रतियोगिता आयोजित	-	-	-	-	7.00	-	-	7.00	7.00
233934	सिल्क फ़ैब उदयपुर, वित्त वर्ष 2023-24 (30-03-2024 से 12-04-2024)	-	21.00	-	(21.00)	18.24	-	-	18.24	(2.76)
233935	एक्सवल्सिव हैंडलूम एक्सपो, हैंडलूम हाट, जनपथ वित्त वर्ष 2023-24 (31-03-2024 से 05-04-2024)	-	11.82	-	(11.82)	3.50	-	-	3.50	(8.32)
233942	27वां बंग संस्कृति उत्सव- 2024 (05-01-2024 से 14-01-2024)	-	-	-	-	4.09	-	-	4.09	4.09
233946	विजन गोवा में भागीदारी वित्त वर्ष 2023-24 (04-10-2023 से 06-10-2023)	-	-	-	-	3.13	-	-	3.13	3.13
233956	समुद्र महाराष्ट्र वित्त वर्ष 2023-24 (23-08-2023 से 25-08-2023)	-	-	-	-	1.44	-	-	1.44	1.44
233957	योजना के प्रसार पर सेमिनार वित्त वर्ष 2023-24	-	-	-	-	3.08	-	-	3.08	3.08
233958	प्रगतिशील महाराष्ट्र 1.11.2023 से 3.11.2023 वित्त वर्ष 2023-24	-	-	-	-	1.32	-	-	1.32	1.32
233959	सीएनए प्रबंधन शुल्क	-	-	-	-	24.00	-	-	24.00	24.00
261009	संयुक्त एक्सपो इलाहाबाद 2019-2020	8.02	8.02	-	-	-	-	-	-	-
261010	विविध अनुदान खाता (प्रदर्शनी)	1.00	-	-	1.00	-	-	12.36	(12.36)	(11.36)
261018	जिला हथकरघा एक्सपो इफाल 2021-22	6.00	-	-	6.00	-	-	-	-	6.00
280015	टीएफसी का उद्घाटन समारोह (22.12.16 वाराणसी)	30.96	-	-	30.96	-	-	-	-	30.96
(क)	मार्केटिंग प्रदर्शनी व्यय									
(ख)	अन्य अनुदान									
	कुल	1,729.90	2,724.49	-	(994.59)	2,352.82	-	193.21	2,159.61	1,165.01
	कुल डेबिट (प्राप्तियों में स्थानांतरण)	2,455.08	2,724.49	-	(994.59)	2,352.82	-	193.21	2,159.61	1,502.58
	कुल क्रेडिट (अनुदान खाते में स्थानांतरण)	(725.18)							-	(337.57)
	कुल योग	1,729.90								1,165.01

Sl. No.	Particulars	Balance As On 31.03.2023	Received During The Year		Total	Transactions During The Year			Total	Balance As On 31.03.2024
			From Govt.	From Participants/ Others		Expenses	Refund Transfer	Refund/ Adjustment/ Transfer		
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	7	8		9 (7+8)	10 (6+9)
233917	Silk Fab Varanasi 06-03-2024 to 19-03-2024 (FY 2023-24)	-	21.00	-	(21.00)	24.81	-	-	24.81	3.81
233918	Silk Fab Dehradun 16-02-2024 to 29-02-2024 (FY 2023-24)	-	-	-	-	23.33	-	21.00	2.33	2.33
233919	Silk Fab Kolkata 25-02-2024 to 09-03-2024 (FY 2023-24)	-	21.00	-	(21.00)	28.12	-	-	28.12	7.12
233920	Wool Fab at Lucknow FY 2023-24 (30-01-2024 to 09-02-2024)	-	14.00	-	(14.00)	29.65	-	-	29.65	15.65
233921	Saree Walkathon at KOTA, Rajasthan FY 2023-24 (04-02-2024)	-	19.98	-	(19.98)	110.41	-	-	110.41	90.43
233922	Silk Fab Guwahati (28-03-2024 to 10-04-2024) FY 2023-24	-	21.00	-	(21.00)	20.43	-	5.16	15.27	(5.73)
233924	Aatmnirbhar Bharat Utsav 3.2.2024 to 8.2.2024 Kota 2023-24	-	33.26	-	(33.26)	31.75	-	-	31.75	(1.51)
233925	Aatmnirbhar Bharat Utsav, Goregaon Mumbai FY 2023-24 (14-02-2024 to 19-02-2024)	-	55.93	-	(55.93)	68.41	-	1.73	66.68	10.75
233926	One Bharat Sari Walkathon, Hyderabad FY 2023-24 (05-03-2024)	-	20.34	-	(20.34)	33.16	-	-	33.16	12.82
233929	Silk Fab Exhibition, Dibrugarh, FY 2023-24 (01-03-2024 to 14-03-2024)	-	21.00	-	(21.00)	20.52	-	-	20.52	(0.48)
233930	Silk Fab Patna, FY 2023-24 (08-02-2024 to 21-02-2024)	-	-	-	-	25.16	-	21.00	4.16	4.16
233933	Quiz & Selfie contest held on 8th NHD-2022 FY 2022-23	-	-	-	-	7.00	-	-	7.00	7.00
233934	Silk Fab Udaipur, FY 2023-24 (30-03-2024 to 12-04-2024)	-	21.00	-	(21.00)	18.24	-	-	18.24	(2.76)
233935	Exclusive Handloom Expo, Handloom Haat, Janpath FY 2023-24 (31-03-2024 to 05-04-2024)	-	11.82	-	(11.82)	3.50	-	-	3.50	(8.32)
233942	27th Banga Sanskriti Utsav- 2024 (05-01-2024 to 14-01-2024)	-	-	-	-	4.09	-	-	4.09	4.09
233946	Participation in Vision Goa FY 2023-24 (04-10-2023 to 06-10-2023)	-	-	-	-	3.13	-	-	3.13	3.13
233956	Samridh Maharashtra FY 2023-24 (23-08-2023 to 25-08-2023)	-	-	-	-	1.44	-	-	1.44	1.44
233957	Seminar on Dissemination of Scheme FY 2023-24	-	-	-	-	3.08	-	-	3.08	3.08
233958	PARGATISHEEL MAHARASHTRA 1.11.2023 to 3.11.2023 FY 2023-24	-	-	-	-	1.32	-	-	1.32	1.32
233959	CNA Management Charges	-	-	-	-	24.00	-	-	24.00	24.00
261009	JOINT EXPO ALLAHABAD 2019-2020	8.02	8.02	-	-	-	-	-	-	-
261010	MISCELLANEOUS GRANT ACCOUNT (EXHIBITION)	1.00	-	-	1.00	-	-	12.36	(12.36)	(11.36)
261018	District Handloom Expo Imphal 2021-22	6.00	-	-	6.00	-	-	-	-	6.00
280015	INAUGRAL FUNCTION OF TFC (22.12.16 VARANASI)	30.96	-	-	30.96	-	-	-	-	30.96
(A)	MARKETING EXHIBITION EXPENSES									
(B)	OTHERS GRANTS	-			-				-	-
	TOTAL	1,729.90	2,724.49	-	(994.59)	2,352.82	-	193.21	2,159.61	1,165.01
	TOTAL DEBIT (TRANSFER TO RECEIVABLES)	2,455.08	2,724.49	-	(994.59)	2,352.82	-	193.21	2,159.61	1,502.58
	TOTAL CREDIT (TRANSFER TO GRANT ACCOUNT)	(725.18)							-	(337.57)
	GRAND TOTAL	1,729.90		-				-		1,165.01

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए सरकारी अनुदान और प्रतिभागियों के पैसे का विवरण

(राशि लाख में)

क्र. सं.	विवरण	1.4.2023 को आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त		कुल	वर्ष के दौरान प्राप्त		कुल	31.03.2024 को शेष
			सरकार से	प्रतिभागियों / अन्य से		सरकार से	प्रतिभागियों / अन्य से		
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	7	8	9 (7+8)	10(6+9)
	यार्न आपूर्ति योजन सब्सिडी								
1	10% हैंक यार्न सब्सिडी	1,951.60	12,351.60		(10,400.00)	12,807.29	-	12,807.29	2,407.29
2	वाईएसएस दावे (एमजीपीएस)	1,001.67	4,586.40		(3,584.73)	4,670.54		4,670.54	1,085.81
	कुल	2,953.27	16,938.00	-	(13,984.73)	17,477.83	-	17,477.83	3,493.10
	कुल अनुदान	5,408.35	19,662.49		(14,254.15)	19,830.65	580.82	20,411.47	4,995.68

DETAILS OF GOVERNMENT GRANTS & PARTICIPANTS MONEY FOR THE CURRENT REPORTING PERIOD

(Rs. In Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Opening Balance 1.4.2023	Received During The Year		Total	Transactions During The Year		Total	Balance As On 31.03.2024
			From Govt.	From Participants/ Others		Expenses	Refund/ Adjustment/ Transfer		
1	2	3.00	4.00	5.00	6 (3-4-5)	7.00	8.00	9 (7+8)	10(6+9)
	YARN SUPPLY SUBSIDY SCHEME								
1	15% HANK YARN SUBSIDY	1,951.60	12,351.60		(10,400.00)	12,807.29	-	12,807.29	2,407.29
2	YSS CLAIMS (MGPS)	1,001.67	4,586.40		(3,584.73)	4,670.54		4,670.54	1,085.81
	TOTAL	2,953.27	16,938.00	-	(13,984.73)	17,477.83	-	17,477.83	3,493.10
	TOTAL GRANTS	5,408.35	19,662.49		(14,254.15)	19,830.65	580.82	20,411.47	4,995.68

